राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७२वां दिवस [संख्या ३३]

बृहस्पतिवार, दिनांक १३ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०२ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, चिकित्सा केबिनेट राजस्व गृह, सामान्य प्रशासन राजनैतिक, खनिज, उद्योग, सिंचाई, विद्युत् व नियुक्ति विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामचन्द्र आर्य।

धाणासीया, जबरासर व सांगरिया ग्रामों में अकाल की स्थिति

७८९. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के ग्राम धाणासीया, जबरासर व सांगरिया भयंकर अकाल ग्रस्त होने पर भी अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलदार व एस० डी० ओ० रेवेन्यू की रिपोर्ट जिलाधीश के पास पहुँचने पर भी जिलाधीश के कार्यालय से रिपोर्ट अकाल राहत आयुक्त राजस्थान के पास नहीं पहुँची है ?

(३) यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि इन ग्रामों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र में शामिल करने के लिए जिला परिषद श्री गंगानगर द्वारा २२-५-६७ को एक प्रस्ताव पास हुआ है ?

(५) क्या यह सही है कि उन अकाल ग्रस्त ग्रामों में अनाज व मजदूरी का आज तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ?

(६) यदि हां, तो क्या सही है कि जनता भुखमरी की स्टेज में आ चुकी है ?

(७) क्या यह सही है कि इन ग्रामों

Page No. 2

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में गत वर्ष भी भयंकर अकाल था ?

(८) यदि हां, तो क्या इस गम्भीर मामले पर सरकार ध्यान देने का विचार रखती है ?

(९) गत वर्ष कौन कौन से ग्रामों में अकाल था ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) घाणासिया, जबरासर व सांगरिया ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित करने हेतु जिला परिषद द्वारा २२-५-६७ को एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जी नहीं।

(७) सं० २०२२ नोहर तहसील के ग्राम जबरासर, घाणसिया व सगीठिया को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया था, न कि ग्राम घाणासी व सांगरिया को।

(८) खरीफ सं० २०२३ में इन ग्रामों में कोई अकाल की स्थिति नहीं थी।

(९) सं० २०२२ में तहसील नोहर में ३२३ गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे, जिनकी सूची संलग्न है। जो सदन की मेज पर रखी गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोयय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नम्बर (१) में यह उत्तर दिया गया है कि रिपोर्ट भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो यह बात बिल्कुल असत्य है। तहसील से रिपोर्ट जिले में गई है और इसको जान बूझ कर छुपाया जा रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : अकालग्रस्त घोषित जिलाधीश की रिपोर्ट पर किया जाता है। राज्य सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन तहसील से रिपोर्ट आई है यह बिल्कुल सत्य है। इन गांवों के बारे में पटवारी के रिकार्ड के मुताबिक रिपोर्ट जिलाधीश को तहसील के द्वारा भेजी गई है और वहां से आगे नहीं भेजी यह बिल्कुल सत्य है।

श्री गंगाराम चौधरी : इसे जिलाधीश ने सही नहीं माना होगा। जब तक जिलाधीश रिपोर्ट नहीं करे तब तक विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिला परिषद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाग (४) में उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि अकाल ग्रस्त गांव नहीं होते तो जो जिला परिषद में प्रस्ताव पास हुआ और वहां जिलाधीश भी मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी में जिला परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया तो फिर क्या कारण था कि वह रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : जांच के दौरान जिलाधीश ने स्वयं ने यह सारी चीज सही नहीं मानी होगी इसलिए अकालग्रस्त घोषित करने के लिए नहीं लिखा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : नम्बर ५ में यह कहा गया कि प्रश्न ही नहीं उठता....

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूछ लिया है।

श्रीरामचन्द्र आर्य : मैं इसमें थोड़े से सप्लीमेंट्री करना चाहता हूं। लोगों की जानके खतरे का सवाल है। अकालग्रस्त गांवों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। कोई फार्मलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिए हैं और मन्त्री महोदय ने उत्तर देदिया है अब उनके पास ज्यादा सूचना नहीं है। उन्होंने उत्तर देदिया है कि कलेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी थी........

श्री रामचन्द्र आर्य : उत्तर सही नहीं दिया गया है। इसकी जांच कराई जावे। ये तीन गांव पिछले साल भी अकालग्रस्त थे और इस साल भी भयंकर अकाल में हैं और जिला परिषद के प्रस्ताव के बाद में जिलाधीश ने इन गांवों के अन्दर अनाज भी वितरण करने की व्यवस्था की है, तो यह कैसे कह सकते हैं कि वहां पर अकाल नहीं है। आप इसकी जांच करवाइए। यह बिल्कुल सही है। गांव के लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। एक तरफ........

श्री उपाध्यक्ष : भाषण करनेकी आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति सामने रख दी है, मगर मन्त्री महोदय इसका उत्तर देना....

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले की........

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं करें। आपने जांच के बारे में फरमा दिया है मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : जहां तक जिला परिषद के प्रस्ताव का ताल्लुक है, जिला परिषद एक प्रस्ताव पास कर के भेजती है और कलेक्टर अपनी राय देता है तो क्या यह सरकार की नीति नहीं है कि ऐसे मामलों की फिर दुबारा जांच करवाये कि इसके बारे में क्या मामला है ? वास्तव में एक ओफिशियल एजेंसी....

Page No. 4

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, जो बात आपने कही उसे समझ गए हैं मन्त्री महोदय ......

राजस्वमन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जहां तक जिला परिषद् के प्रस्ताव का ताल्लुक है, जहां तक मेरी सूचना है, यह प्रस्ताव पास किया है कि यह सूची कलेक्टर के पास भेज दी जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : कलेक्टर साहब स्वयं वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस बात को माना था और उसके बाद अनाज का प्रबन्ध भी किया था और अनाज को भी वहां पर भेजा गया था, यह बिल्कुल सत्य है। आप कहते हैं कि रिपोर्ट आई नहीं........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जांच के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री गंगाराम चौधरी : जांच का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जांच का प्रश्न इसलिए उपस्थित नहीं होता कि केवल तीन गांवों का मामला था । जिला परिषद में तीन गांवों के लिए प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रस्ताव को उचित कार्यवाही हेतु जिलाधीश के पास भेजा जाय। यह निर्णय हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि वह यह मानकर चलते थे कि इनमें अकाल है और इसी लिए जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया कि इसको जिलाधीश के पास भेजा जावे, तो उसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिलाधीश ने नहीं माना कि वहां पर अकाल है। उसके बाद जांच होने का प्रश्न नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जिला परिषद यह महसूस करती है, जिसका कि कलेक्टर भी एक सदस्य है, कि फलां-२ गांव में अकाल की, अभाव की स्थिति है और वह प्रस्ताव पास करती है । मान लीजिए कि कलेक्टर ने उसको नहीं माना तो उसके बाद राज्य सरकार के सामने वह चीज आती है तो राज्य सरकार क्या यह उचित नहीं समझती कि जांच की जावे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक अकाल घोषित करने का सवाल है, उसके पहले गस्त गिरदावरी होती है और उसके आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है और जब वहां पर गस्त गिरदावरी हो गई और उसके अनुसार फसल में इतनी कमी नहीं होती है कि उसको अकाल गस्त घोषित किया जाय तो फिर दुबारा गस्त गिरदावरी कराने पर भी वही रहेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन....

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

Page No. 5

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय, वहां पर लगान स्थगित हुआ था और वहां अनाज देने के लिए आर्डर हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न संख्या ७८७।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार की ऐसी मान्यता है कि संस्थाओं के प्रस्तावों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाय ? चूरू में भी इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था कि वहां पर अभाव की स्थिति है और उसे अकालग्रस्त घोषित किया जाय लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह की दूसरी जगह की भी स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद के प्रस्ताव से कलेक्टर डिस-एग्री करे और हम आपके सामने प्रश्नों रखें तो फिर उसकी फरदर इन्क्वायरी कराई जाय, कलेक्टर की बात को ही सब कुछ न मान लिया जाय, यह प्रोटेक्शन हम आपसे चाहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिला परिषद के फंक्शन्स में यह बात आती नहीं है। जिला परिषद के जो स्टेचुटरी फंक्शन्स हैं उनके बारे में कोई डिफरेंस हो तो हम वेरीफाई करा सकते हैं। यहां यह ऐसा सवाल है कि इसमें जब गस्त गिरदावरी हुई और जब उसमें दर्ज किया कि फसल इतनी खराब नहीं है तो फिर कलेक्टर और क्या उसमें जोड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक है कि यह प्रश्न उनके अधिकार में नहीं हो लेकिन किसी बात की सूचना....

(व्यवधान)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : जनहित का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। किसी बात की सूचना जिला परिषद जैसी संस्था दे तो उनका कहना यह है कि इसमें राज्य सरकार को यह उचित नहीं लगता कि कुछ इन्क्वायरी कराके निर्णय ले।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिला परिषद ने स्वयं ने, उपाध्यक्ष महोदय, मई के महीने में यह बात की है। उन्होंने रिजोल्यूशन २२-५ को पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(कुछ माननीय सदस्य प्रश्न करने लगे)

(व्यवधान)

इस पर काफी सवाल हो चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक बात का उत्तर चाहता हूं। अगर पटवारी की रिपोर्ट गलत हो तो मंत्री महोदय त्यागपत्र दें या मैं दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री रामचन्द्र आर्य : पटवारी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है वहां पर भयंकर....

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : चैलेन्ज करते हैं तो जांच करानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया कि रेवेन्यू पेपर्स में ऐसा नहीं है कि अकाल है वहां पर।

श्री दौलतराम सारण : अगर कोई अधिकारी गलत तथ्य अंकित कर दे और गलत राज्य सरकार को इत्तिला दे तो क्या राज्य सरकार का फर्ज नहीं है कि तथ्यों की जांच करे ? क्या राज्य सरकार इसको मुनासिब नहीं समझती है ? क्या राज्य सरकार की नीति नहीं है कि राज्याधिकारी गलत तथ्य अंकित कर दें और गलत तथ्य राज्य सरकार के ध्यान आ जायं तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की नीति नहीं है राज्य सरकार की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, इसके नियम हैं अकाल घोषित करने के बारे में तो उसमें खतौनियां तैयार होती हैं ...

श्री दौलतराम सारण : वह नियम हम सब जानते हैं। हमने देखें हैं और पढ़े हैं, लेकिन उन नियमों की उपेक्षा करके गलत तथ्य दे दे तो क्या करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डिपार्टमेंट जिसको मन्जूर करता है उसको अकाल घोषित किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : नियम का सवाल नहीं है तथ्यों का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल साफ है कि जिला परिषद जैसी संस्था अगर किसी मसले में यह राय दे कि उनकी राय में ऐसी बात है तो उनका कहना यह है कि आप उस तथ्य की जानकारी और करें उसकी एन्क्वायरी कराने को तैयार हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, एक तथ्य और माननीय मंत्रीजी बता दें कि पटवारी की रिपोर्ट वैसी है जो जिला परिषद् ने रिकमन्डेशन की है और पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट पर कलेक्टर करता है तो पटवारी की रिपोर्ट ऐसी हैं क्या यह तथ्य सही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक इसका ताल्लुक है गश्त गिरदावरी होती है, खतौनी

Page No. 7

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तैयार हो जाती हैं। उसके बाद नोटिसेज इश्यू किये जाते हैं और आब्जेक्शन मांगे जाते हैं तो आब्जेक्शन मंगाकर उसके आधार पर करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका प्रश्न यह है कि पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट ऐसी है कि जिसके अनुसार अकाल घोषित होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इवन तहसीलदार, तहसीलदार की रिपोर्ट भी ऐसी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास इस तरह की जानकारी नहीं है कि पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट ऐसी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कठिनाई इसमें यह है कि कलेक्टर की रिपोर्ट दूसरी थी तभी तो कठिनाई पैदा हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ने जानकारी नहीं की तभी तो यह क्वेश्चन पूछा है। कलेक्टर ने किस आधार पर यह कहा है आपने तहसीलदार की रिपोर्ट देखी है। माननीय मन्त्रीजी फाइल मंगाकर देखते तब तो उत्तर होता। इससे इस प्रश्न का फायदा क्या होता ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इसकी जानकारी कर लेंगे कि पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट ऐसी है कि नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लैण्ड रेकार्ड मैन्युअल में कलेक्टर फाइनल आथोरिटी है अकाल घोषित करने के बारे में, लेकिन फिर भी आपका हुक्म होगा तो फाइल मंगा कर देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह मालूम करें कि पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट क्या है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न को, उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित रखा जाय और दुबारा उत्तर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जांच का आश्वासन दे दिया है। आश्वासन समिति देखेगी इस बात को।

नेक्स्ट श्री कृष्ण कुमार गोयल !

दवाई की जांच

७८७. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(१) मैसर्स मधु फार्मास्युटिकल जयपुर की दवा 'एफड्रोल' जो विधान सभा के सत्र १९६४ में सदन में पेश की गई थी उसके सम्बन्ध में क्या केमीकल एनालिसिस व रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कृपया उसके परिणाम से अवगत करायें।

(२) क्या यह सही है उक्त रिपोर्ट के अनुसार दवा में कोई खराबी नहीं पाई गई ?

Page No. 8

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) क्या यह सही है कि कम्पनी की उस बैच का सारा माल सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था ?

(४) क्या यह भी सही है कि कम्पनी का लाइसेन्स बिना शो-कॉज नोटिस रद्द कर दिया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि बिना किसी पर्याप्त एवं उचित कारण के कम्पनी के माल जब्त करने और उसके लाईसेन्स रद्द करने से कम्पनी को बहुत नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तर-दायी है ?

(६) क्या केमिकल एनालिसिस की जांच की सूचना उक्त कम्पनी को दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(७) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कम्पनी को बिना किसी कारण और दोष के हुये नुकसान का खमियाजा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(८) इस प्रकार के मामलों में लाई-सेन्स केन्सिल करने और पुनः वापस लाई-सेन्स देने सम्बन्धी नियम अथवा विधि क्या है ? और क्या इस कम्पनी का लाई-सेन्स कैन्सिल करने के पर्याप्त करण थे ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य, (राव श्री धीर सिंह) : (१) जी हां। उपरोक्त दवा की वह शीशी जो १९६४ के सत्र में विधान सभा में पेश की थी जिसमें किसी कीड़े या फफूंदापन का संदेह था उसमें प्रोफेसर आफ पैथोलोजी, सवाई मानसिंह मेडीकल कालेज जयपुर को जांच से पता लगा कि उसमें फफूंदापन (Fungus) था यही निर्णय केमीकल एक्जामिनर ने भी दिया था। इसी दवा की अन्य शीशियां जो भारत सरकार को कलकत्ता स्थित प्रयोग शाला से जांच करने पर पता लगा कि इस दवा की बोतलों की पिलफर प्रूफ केपिंग एक सी नहीं है। तथा शीशी पर अंकित द्रव्य जांच करने पर ठीक पाये गये।

(२) वह शीशी जिसे कि राज्य विधान सभा में पेश किया था उसमें फफूं-दापन पाया गया तथा औषध नियंत्रक (भारत) नई दिल्ली की राय में ऐसी दवा का प्रयोग में लाना अवांछनीय है। अन्य शीशियों का विश्लेषण जो कि सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कलकत्ता से कराया गया उसमें शीशियों के पिलफर प्रूफ केपिंग को एक सा होना नहीं बतलाया गया।

(३) केवल उसी बैच की शीशियां जिसकी दवा में फफूंदापन था जब्त की गई थीं।

(४) क्योंकि इस दवा में मैसर्स एसफा ले० प्रा० लोन लिमिटेड जयपुर के यहां दवाई बनाने का लाईसेन्स लिया था। इस फर्म द्वारा यह सूचना दी जाने पर कि फर्म ने जून, १९६४ से इनके यहां दवाई बनवाना बन्द कर दिया है चूंकि यह फर्म लोन लाईसेन्स की थी उनका लाईसेन्स रद्द कर दिया गया।

(राव श्री धीरसिंह)

(५) इस कम्पनी के उसी बैच का माल जिसमें फफूंदापन था जब्त किया था तथा लाईसेन्स उनके कार्य बन्द करने के कारण ही रद्द किया गया था।

(६) इस दवा की जांच की सूचना कम्पनी को नहीं दी जा सकी क्योंकि इसी कम्पनी ने अपना कार्य बन्द कर दिया था।

(७) राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता या फर्म को कोई भी अनुचित नुकसान नहीं पहुंचाया गया क्योंकि फफूंदापन युक्त दवा का प्रयोग जन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है।

(८) ड्रग्स एण्ड कासमेटिक एक्ट एवं रूल्स की धारा ५५ के अन्तर्गत लाईसेन्स को रद्द होने पर उस फर्म को जिला न्यायाधीश को ३ माह के अन्दर अपील करने का प्रावधान है। लाईसेन्स को रद्द करने के पर्याप्त कारण थे जैसा कि फफूंदापन का पाया जाना तथा फर्म द्वारा कारोबार बन्द करना आदि।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मैसर्स मधु फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर, लोन लाइसेन्स के ऊपर एस्फा लेब० प्राइवेट की फैक्ट्री के अन्दर काम करता था ?

राव श्री धीरसिंह : हां लोन लाइसेन्स पर वे मेन्यूफेक्चर करवाते थे यह बता दिया मैंने।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर, इसमें एसफा लेब० प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के आधार पर कि मधु फार्मास्यूटिकल लि० ने वहां पर काम करना बन्द कर दिया है क्या सरकार ने मधु फार्मास्यूटिकल लि० से यह पूछा था कि वे मैन्यूफेक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं ?

राव श्री धीरसिंह : उनका कारोबार बन्द हो गया था। दूकान बन्द थी तो पूछते किस से। मैंने जवाब दिया है कि बिजनेस बंद कर दिया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां मैन्यूफेक्चरिंग बन्द कर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जानकारी आपको किस ने दी कि मधु फार्मास्यूटिकल लि० ने मैन्यूफेक्चर करना बन्द कर दिया है ?

राव श्री धीरसिंह : मैंयूफेक्चर करना बन्द कर दिया उसकी इत्तिला उन्होंने दे दीं। जहां मैन्यूफेक्चर करता था वहां बिजनेस बन्द मिला। उसकी जानकारी उनसे नहीं मिल सकी। उन्होंने इत्तिला दी। दूकान बन्द थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मधु फार्मास्यूटिकल, जयपुर की मैन्यूफेक्चरिंग शॉप दूसरी थी जहां पर नोटिस जारी किया था ? किस की इन्फर्मेशन पर लाइसेन्स कैन्सिल किया था ? वह शॉप जहां वह मैन्यूफेक्चर स्टोर करता

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

था वह दूकान अलग थी।

राव श्री धीरसिंह : दूकान जिस जगह पर स्थित थी वहां से जानकारी प्राप्त की गई थी तो मालूम हुआ कि बिजनेस बन्द कर दिया है और जो रिपोर्ट मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमैंट की है वह आप चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या स्वयं सरकार ने जानकारी की कि उन्होंने मैन्यूफेक्चरिंग करना कब बन्द कर दिया ?

राव श्री धीरसिंह : जिस दिन यहां हाउस में शीशी पेश हुई तब किया था।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधी नगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब जानकारी की ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने स्वयं फार्मास्यूटिकल से कब मालूम किया ?

राव श्री धीरसिंह : जिस दिन यह पेश हुई शीशी हाउस में उसके तुरन्त बाद में पता चलाया तो उस वक्त मालूम पड़ा कि उन्होंने बन्द कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्वयं मधु फार्मास्यूटिकल्स के मालिक ने मन्त्री महोदय के पास इस संबंध में अपना रिप्रेजेन्टेशन किया था कि जो मेरा लाइसेन्स रद्द किया गया है वह गलत किया गया है, मैं अभी तक मैन्यूफेक्चरिंग कर रहा हूं ?

राव श्री धीरसिंह : इस प्रकार की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। रिप्रेजेन्टेशन कोई पेश नहीं किया है। अगर हुआ होता तो जानकारी ले लेते. जो जानकारी ली गई है उसके अनुसार फर्म ने काम करना बंद कर दिया था और जहां मैन्यूफेक्चरिंग करता था वहां वालों ने कह दिया कि मैन्यूफेक्चरिंग नहीं करता है तो किससे जानकारी लेते ? यह पता नहीं कि फर्म कहां चली गई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक बात बता दीजिये। क्या लिखित में नोटिस दिया गया है नोटिस को तामील मान लेते हैं। तामील नहीं हो पाता है तो उसका कारोबार बंद हो गया। यह अर्थ कैसे निकालते हैं ? नोटिस तामील हुआ है क्या ?

राव श्री धीरसिंह : हां। कापी आफ लैटर डेटेड १२ नवम्बर १९६४, इसके अन्दर उन्होंने लिखा है : "we are given to understand that the proprieter of M/s. Madhu pharmaceuticals has joined service and discontinued the firm."

उन्होंने किसी सर्विस को जोइन कर लिया। यह जांच करने के बाद उन्होंने सर्विस डिस्कन्टीन्यू करली है।

Page No. 11

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सूचना दे रहे हैं यह क्या मेसर्स एसफा लेब. प्रा. लिमिटेड ने आपको दी है ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने जो लैटर बताया है, यह मेडीकल विभाग की जांच के बाद बताया है कि सर्विस जोइन कर ली है और कारोबार बन्द कर दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जानकारी के लिए बता दूं, मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, कि क्या यह सही है कि मैसर्स मधु फार्मास्युटिकल ने सरकार के सामने, मन्त्री महोदय के सामने रिप्रेजेंटेशन किया था कि मैंने इस प्रकार का मैन्युफेक्चर बन्द नहीं किया है और गलती से मेरा लाइसेन्स रद्द कर दिया है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, रिप्रेजेन्टेशन हुआ हो। मैं ऑफ हैंड नहीं बता सकता कि रिप्रेजेन्टेशन किया है या नहीं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, अगर लाइसेन्स कैंसिल हुआ है तो स्टेट्युटरी राइट है कि तीन महीने के अन्दर अपील कर दे काम्पीटेंट अपीलेट आथोरिटी, कलैक्टर को। वह राइट उनको एक्ससाईज करना चाहिए। इसके अलावा उसकी सैकिंड अपील भी अलाउड है, वह करनी चाहिए। आपने कहा कि रिप्रेजेन्टेशन हुआ है, तो मैं नहीं कह सकता कि रिप्रेन्टेशन हुआ है या नहीं। रिप्रेजेन्टेशन हुआ होगा तो निर्णय भी हुआ होगा। रहा सवाल इस बात का कि नोटिस दिया या नहीं, लाइसेन्स रद्द करने में इर्रेगुलेरिटी हुई है तो इर्रेगुलेरिटी का इलाज हमारे कानूनों के अन्दर दिया हुआ है। उनके तहत अपील करनी चाहिए और अपील करके कैंसेलेशन आर्डर को सेट असाइट कराना चाहिए। पर्टीक्यूलर फर्म कारोबार बन्द करके चला जाय, कारोबार बन्द हो जाय तो प्रोप्राइटर आफ फर्म को नोटिस सर्व करना मुश्किल होता है। इसके अलावा दवा जिस हालत में थी, उस ड्रग के ऊपर रिपोर्ट आ गई कि यह ह्यूमन कन्जम्प्शन के लिए ठीक नहीं होगी और उसने कारोबार भी बन्द कर दिया और लोन सिस्टम पर जो वह मेन्युफेक्चर करा रहा था मैसर्स एसपलेब. प्रा. लिमिटेड के यहां, उस कम्पनी को लिखा गया तो उसने बताया कि हमारे यहां मैन्युफेक्चर बन्द हो गया है। इस ड्रग के लिए रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह दवा ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए खराब है, and he has discontinued the busine·s, तो मेरे ख्याल में यह काफी था। उस पर हम कोई एक्शन ले लेते। तो भी कोई समझते हैं कि वजह नाकाफी है तो नाकाफी के लिए जो कानून में प्रावधान आर्डर को सेट असाइड कराने के लिए दिया है, उस अख्तियार का उपयोग करना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि मैसर्स एसफा लैब. प्रा. लिमिटेड का लाइसेन्स रद्द नहीं किया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : क्या किया गया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मैसर्स एसफा लैब प्रा. लिमिटेड

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

का लाइसेन्स रद्द नहीं किया गया है ?

राव श्री धीर सिंह : मैसर्स एसफा लैब प्रा. लिमिटेड का लाइसेन्स रद्द करने का सवाल नहीं है। मैसर्स मधु फार्मास्युटिकल के पास लाइसेन्स था और वह इससे दवा मेन्युफेक्चर करवाता था। आपका सवाल उसके लाइसेन्स के लिए है तो उसके लिए अलग से जांच करा लें और अलग से प्रश्न पूछें तो अलग से जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो चुका है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं दो सैकिंड में निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रश्न को लेकर विधानसभा में सारा सवाल चला था और सारी जानकारी चाही गई थी। एक बोतल में केवल फफूंद निकला था, और दूसरी बोतलों में गड़बड़ नहीं थी। उसके आधार पर यह लाइसेन्स रद्द किया गया है जब कि जो लाइसेन्स रद्द करने का कॉज दिया गया है उसमें यह नहीं बताया गया कि दवा में गड़बड़ी थी इसलिए इस दवा के मेन्युफेक्चर को बन्द कर देना चाहिए। यह लिख दिया है केवल कि मेन्युफेक्चर करना बन्द कर दिया है। जिस आर्डर के तहत आप लाइसेन्स को रद्द करते हैं और जिसमें लिखते हैं कि उसने मेन्युफेक्चर करना बन्द कर दिया है तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उस पार्टी से, जिसका लाइसेन्स रद्द करने वाले हैं, जो आपके इस आर्डर से अफेक्ट होने वाली है, उस फर्म से आप पूछ लेते कि वह इन्फारमेशन दे कि क्या उसने मेन्युफेक्चर करना बन्द कर दिया है। इसलिए लाइसेन्स रद्द करना तय किया है।

राव श्री धीर सिंह : मैन्युफेक्चर करना बन्द कर दिया इसलिये लाइसेन्स रद्द किया गया हो यह बात नहीं है। उसने रद्दी दवा बेची और वह यहां सदन में पेश हुई—वह भी कारण है। एक तो मैन्युफेक्चर करना बंद कर दिया, दूसरे उस फर्म का माल इस सदन में पेश किया गया, जिसकी हमने सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री कलकत्ता से जांच करवाई। उसने यह साबित किया कि माल खराब है। आप चाहें तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उसके बाद में उसके लाइसेन्स को कैंसिल नहीं करते तो क्या रिवार्ड देते ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कहते तो ठीक था कि दवा खराब है, नुकसानदायक है और फिर कैंसिल करते। उस हालत में मैं कुछ नहीं कहता। क्या यह सही है कि जो आर्डर जारी किया गया, जिस आर्डर से लाइसेन्स को रद्द किया है उसमें यह नहीं लिखा है कि दवा खराब है, हार्मफुल है इसलिए कैंसिल किया गया है ? यह आपने नहीं लिखा। यह लिखा था कि मैन्युफेक्चर करना बन्द कर दिया है इसलिये लाइसेन्स कैंसिल करना चाहते हैं।

Page No. 13

राव श्री धीर सिंह : ग्राप ग्रार्डर में डिफेक्ट समझते हैं तो ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपील करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि ग्रॉर्डर जस्टीफाइड है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर ! ग्रार्डर ! प्लीज ! नेक्स्ट क्वेश्चन !

श्री फूलचन्द बाफना !

प्रश्न संख्या ७८८

जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों का पुनर्विभाजन

७८८. **श्री फूलचन्द बाफना** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार सोलह हजार वर्ग-मील के जैसलमेर जिले की तीन पंचायत समितियों के पुनर्विभाजन का विचार रखती है ?

(२) विभाजन या पुनर्विभाजन के आधार क्या हैं ?

(३) क्या इस विषय पर जिला स्तर पर विचार किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि प्रायः पांच सौ परिवारों की बस्ती वाला ग्राम छायण पहले दो रियासतों (जैसलमेर व जोधपुर) में विभक्त था ? उसके क्या अब भी दो भाग बने हुए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि जोधपुर का बास तो जैसलमेर जिले में है और जैसलमेर का बास जोधपुर जिले में है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कृत्रिम विभाजन से इस ग्राम के विकास में अवरोध नहीं हुआ है ? क्या इस कृत्रिम विभाजन को मिटाकर इस गांव को पूरा एक ग्राम बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? ग्राम को पूरा एक ग्राम क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

(६) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले का खीया ग्राम भी दो खंडों में विभक्त पड़ा हुआ है ? क्या यह सही है कि ऐसे विभाजन से ग्राम विकास में असुविधायें होती हैं और सरकारी प्रबन्ध में खर्च अधिक होता है ? क्या इस ग्राम को विभक्त ही रहने दिये जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायत मन्त्री से है, वह अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट ! श्री जसराज !

श्री देवीलाल–७८९.

कन्सोलिडेशन की कार्यवाही पर खर्च की वसूली

७८९. **श्री जसराज** (भिनाय) : (श्री देवीलाल (सराड़ा) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 14

(श्री देवीलाल)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लॉज कमीशन ने अपनी दूसरी रिपोर्ट के पैरा नं० ११६ में सिफारिश की है कि जमीन की कन्सोलिडेशन कार्यवाही करने का खर्च राज्य सरकार को भुगतना चाहिये, किसानों पर इसका भार नहीं पड़ना चाहिये ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील सरवाड़ और केकड़ी, जिला अजमेर में हाल ही में किसानों से कन्सोलिडेशन का खर्चा वसूल करने के आदेश जारी किये गए हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार रेवेन्यू लॉज कमीशन की उक्त सिफारिश के अनुसार इस खर्चे को किसानों से वसूल न करने का निर्णय नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.): क्या फर्माया साहब, सुनाई बिल्कुल नहीं आया।

श्री गंगाराम चौधरी : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताऊं कि कन्सोलिडेशन तो करे सरकार और खर्च करे किसान। पहले का हां कहा है तो विचाराधीन क्या है ?

श्री गंगाराम चौधरी : विचाराधीन है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या फर्माया मन्त्री महोदय ने ? क्या वसूल नहीं किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या विचाराधीन है, यह भी कह दें।

(व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानिया : विचाराधीन प्रश्न क्या है इसको साफ कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को १९६५ में सबमिट कर दी गई, उसको दो वर्ष हो गये हैं। मैं यह समझता हूं कि उस पर कुछ बिल भी गवर्नमेंट पेश करने वाली थी। तो इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने कोई निर्णय ले लिया है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। खास तौर से जहां कन्सोलिडेशन की प्रोसी-

Page No. 15

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिंग्स हो रही हैं जब गवर्नमेंट के प्रतिनिधि ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया था और खुद राजस्व मन्त्री थे, उन्होंने इस बात को एग्री किया था। फिर क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को पीस मील में इसे लागू करने में जब कि कन्सोलिडेशन की प्रासीडिंग्स हो रही है।

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : पीस मील में मंजूर करने में बहुत दिक्कत आती है। जो बिल पेश हुआ था वह फर्स्ट रिपोर्ट पर आधारित था। यह सैकिण्ड रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि असेम्बली के सैशन के बाद राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। अभी मैंने पूरी रिपोर्ट को देखा भी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : फिलहाल कन्सोलिडेशन स्थगित कर दिया जाय जब तक निर्णय न ले लें।

श्री लादूराम सुलानिया : जब पहली सिफारिश मंजूर हो गई और आर्डर जारी हो गये है तो आप साफ साफ बतादें कि क्या विचाराधीन है। जिससे दोनों बातें क्लीअर हो जायं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : लैंड रेवेन्यू लॉज कमीशन की एक सिफारिश के लिए हां कहा है। इस रिपोर्ट को माना जाना चाहिये या नहीं-यह विचाराधीन है।

श्री लादूराम सुलानिया : विचाराधीन क्या है, यह बतला दीजिये, साहब !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : इसमें लिखा हुआ है, क्या यह सही है कि तहसील सरवाड़ और केकड़ी जिला अजमेर में हाल ही में किसानों से कन्सोलिडेशन का खर्चा वसूल करने के आदेश जारी किये गए हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक तो नियमानुसार वसूल किया जाय यह है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिर कन्सोलिडेशन की समस्या है, इसके ऊपर क्या विचार कर रहे हैं, कब तक इसको कार्य रूप में परिणत करेंगे-या इसको पंगु रहने देंगे ? कहां तक कन्सोलिडेशन करना है, कहां नहीं करना है, हाफ हार्टेड चीज करना, इनडिसीजन होना-इस बारे में मन्त्री महोदय कृपा करके कोई प्रकाश डालें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया, सैकिंड रिपोर्ट रेवेन्यू लॉज कमीशन की अभी विचाराधीन है और जब तक विचाराधीन है, उसके ऊपर निर्णय नहीं हो जाता राज्य सरकार का ......

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जब तक उस रिपोर्ट के ऊपर राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी और उस नियम के अनुसार कन्सोलिडेशन अभी किया जा रहा है और फीस भी वसूल की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री महोदय............

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आ जाय। स्थान ग्रहण करें, कृपया। काफी प्रश्न हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : कौनसा नियम विचाराधीन है पहला या नया। मंत्री जी कहदें। एक तरफ तो कह रहे हैं विचाराधीन है, दूसरी तरफ फीस ले रहे है, कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : पुराने नियम है उनके अनुसार कार्यवाही होगी जब तक दूसरे नहीं आ जायं।

श्री लादूराम सुलानिया : वसूली जारी रहेगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट!

पुलिस चौकी चावन्ड में कत्ल की रिपोर्ट

७९०. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) व श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा के ग्राम पहाड़ी में श्री पालू मीणा को पुलिस चौकी चावन्ड के हैड मोर्हरिर एवं सिपाही ने राजपूतों से मिल कर मार डाला है?

(२) क्या उक्त हैड मोर्हरिर ने उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? यदि हां, तो किस तारीख को?

(३) क्या इस सम्बन्ध में झाडोल सरपंच ने सरकार को जानकारी भी दी है?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास :

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) क्या ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): क्या सरपंच महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं की? (विराम) जो तीन में कहा-जी नहीं, तो क्या उस गांव के सरपंच हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सवाल पूछा है-क्या इस सम्बन्ध में झाडोल सरपंच ने सरकार को जानकारी भी दी है?

मैंने कहा-जी नहीं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : जी नहीं।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न के एक भाग में कहा है-जी हां। क्या यह सही नहीं है कि पुलिस कान्स्टेबल और राजपूतों ने मिल कर पालू मीणा को मार दिया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा सही है। मरर्डर के बाद में कान्स्टेबल को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ग्रौर मोहरिर को गिरफ्तार किया गया है ग्रौर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका चालान किया गया है ग्रौर ग्रब मामला ग्रदालत में चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : क्या यह सही है कि पुलिस ने, मार डालने के बाद इस लाश को कुए में डाल दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रलग से प्रश्न है, वह ग्रदालत में चला गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्राप चाहें तो मैं बता दूं, वरना यह केस सबजूडिस है । हां कुए में डाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : नेस्ट ।

प्रश्न संख्या ७९१ ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(ग्रनुपस्थित - कृपया ग्रागे देखिये)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह प्रश्न बहुत जरुरी है । प्रश्न संख्या ७९१ ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय जो मेम्बर यहां उपस्थित नहीं हैं तो उनके प्रश्न बाद में लिये जायं ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद ।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : यह श्री जसराज वाला सवाल था, इधर से पूछा गया ।

झालावाड़ चिकित्सालय में भेजे गये पैथेडीन के इंजेक्शन

७९२. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (ग्रकलेरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;--

(१) झालावाड़ राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय में सन् ६२ लगायत ६५ तक प्रत्येक वर्ष पैथेडीन के कितने इन्जेशन भेजे गये या क्रय किये गये ?

(२) उक्त चिकित्सालय ने उक्त वर्षों में ग्रपने जिले की किन किन डिस्पेन्सरियों को कितने कितने इन्जेक्शन (पैथेडिन) प्रति वर्ष सप्लाई किये ?

(३) झालावाड़ चिकित्सालय में या जिले के ग्रन्य चिकित्सा केन्द्रों पर इन इन्जेक्शनों का व्यक्तिवार कोई रजिस्टर खोला हुग्रा है ?

उप मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : (१) इस चिकित्सालय में सन् १९६२ लगायत १९६५ तक प्रत्येक वर्ष में पैथेडिन के इन्जेक्शन भेजे गये या क्रय किये गये जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(राव श्री धीरसिंह)

वर्ष	इन्जेक्शन पैंथेडिन १०० एम. जी.	५० एम. जी	मीजान
१९६२	५४		५४ इन्जेशन
१९६३	२००	०	२०० ,,
१९६४	२५०	१५०	४०० ,,
१९६५	४००	३००	७०० ,,

(२) जिले की डिस्पेन्सरियों में प्रतिवर्ष सप्लाई किये गये पैंथेडिन इन्जेक्शन के ब्यौरे की सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट '१' देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आई कि ये पे पैंथेडिन इन्जेक्शन रोगियों को न दिये जाकर मार्केट में ब्लैक में बिके है ?

राव श्री धीरसिंह : यह प्रश्न में पूछा नहीं, पूछेंगे तो जांच करके बता दूंगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इससे सम्बन्धित है।

राव श्री धीरसिंह : पैंथेडिन इन्जेक्शन से सम्बन्धित है कि कितने आये वह मैंने बता दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सरकार के नियमों के अनुसार पैंथेडिन इन्जेक्शन जिन रोगियों के लगाये जायं उनका रेकार्ड मैंन्टेन किया जाता है ?

राव श्री धीरसिंह : स्टाक रजिस्टर में मन्टैन किया जाता है, आउटडोर में इन्डौर में खर्च होते है उनकी एक्ट्री की जाती है। रोगियों के नाम से अलग अलग दर्ज नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने कहा कि इन्जेक्शन रोगीवार दर्ज नहीं है कि किसके दिया गया वे रोगियों के नहीं लगाये जाते, ब्लैक में जाते हैं।

राव श्री धीरसिंह : इस बात की शिकायत पेश करेंगे तो जांच की जायगी। यह तो मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : रोगीवार दर्ज नहीं है तो अन्दाज कैसे लगायेंगे कि मरीजों के लगाये गये या ब्लैक में बिके ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टन्ट विवशचन है, पैंथेडिन इन्जेक्शन का। ६० हजार इन्जेक्शन्स का झालावाड़ में ब्लैक हुआ है। इस सम्बन्ध में यहां सवाल उठा था। उसकी हाउस को जानकारी है, मन्त्री महोदय को जानकारी होनी चाहिये, जिसकी कई बार हाउस में चर्चा हो चुकी है। जानकारी नहीं है इस प्रकार कह कर टालने की कोशिश न करें। इस मामले की पूरी एन्क्वायरी कराइये।

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि पैथेडिन के जो इन्जेक्शन्स इन्डिविज्युअल्स के नाम से दर्ज करने का सवाल है, यह बात जरुर है कि रजिस्टर में इन्दराज होता है आउटडोर में इतने खर्च हुए, इन्डोर में इतने खर्च हुए पर हर एक पेशेन्ट को कौनसा इन्जेक्शन लगाया गया, उसका तरीका रेकार्ड करने का नहीं है। इसके लिये आदेश जारी किये जायेंगे कि हर एक पेशेन्ट के इन्जेक्शन दिया जाय, उसका रेकार्ड मेन्टेन करेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह का सवाल सदन में आया था कि इन्जेक्शन ब्लेक में बिक गये, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं कल ही जानकारी देऊंगा कि पहले सदन में सवाल आया उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये एक बात और कह दूं। ६० थाउजेन्ड पैथेडिन इन्जेक्शन्स झालावाड़ में बिके, सैंट्रल इन्टैलिजेंस का एक आदमी वहां आया और सिर्फ यह जानकारी करने के लिये आया था कि बोम्बे जैसी जगह में ६० हजार इन्जेक्शन्स नहीं आते, झालावाड़ जैसी जगह में कैसे आये। सैंन्ट्रल इन्टैलिजैंस के आदमी को इसीलिये जांच के लिये भेजा था। यह बड़ा अहम मामला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक दो रोज में जानकारी करके देऊंगा। सवाल पूछ लेते तो मैं अभी जानकारी करके देता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सालोदिया।

मन्त्रियों एवं उपमन्त्रियों को भत्ते

७९३. जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि राज्य के मन्त्रियों व उप मन्त्रियों के लिये दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते की प्रतिमाह उठाये जाने की अधिकतम राशि निर्धारित करदी गई है ? यदि हां, तो इस सम्वन्धी नियमों आदि की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या मन्त्रियों व उपमन्त्रियों द्वारा पेट्रोल खर्च किये जाने और यात्रा के माइलेज पर भी कोई नियन्त्रण लगा दिया गया है ? यदि इस सम्बम्घी कोई नियम आदेश आदि हो, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जो मन्त्री व उप मन्त्री निश्चित कोटे से ज्यादा भत्ता व पैट्रोल लेते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (मुख्य मन्त्री की ओर से) : (१) राज्य के मन्त्रियों व उपमन्त्रियों के लिये दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते की प्रतिमाह उठाये जा सकने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अत: सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) राजस्थान मन्त्री (यात्रा भत्ता

Page No. 20

(श्री दामोदरलाल व्यास):

तथा वाहन का उपयोग एवं संधारण) नियमावली, १९६३ के नियम ५ (iii) के अनुसार जयपुर शहर की पारिधि (रेडियम) में उपयोग में किये जाने वाले राजकीय वाहन हेतु ६००० लीटर पैंट्रोल वार्षिक तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। माइलेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जो मन्त्री व उप मन्त्री निश्चित कोटे से ज्यादा पैंट्रोल लेते हैं, उसका बिल दिया जाकर भुगतान लेलिया जाता है। प्रश्न (१) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा भत्ता लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(नियमों की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि मन्त्रियों का जो भत्ता है उस पर भी सीलिंग मुकर्रर किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता नहीं है, मन्त्री गैर जरूरी दौरे करते ही नहीं हैं।

श्री रामकिशन (गैर) : यह कोई डेमोक्रेटिक उत्तर नहीं है। न आप ईश्वर है न ब्रह्मा हैं कि आप गलती नहीं करते, आप यह बताइये कि क्यों जरूरी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये जरूरी नहीं है कि मन्त्री गैर जरूरी दौरे नहीं करते, नहीं करने चाहिये, अब तक शिकायत नहीं आई है कि गैर जरूरी दौरे करते हैं।

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री महोदय ने यह पैट्रोल की राशि निर्धारित करने का नियम बताया है, ज्यादा पेट्रोल हो तो पैसे ले लेते हैं पर अपना पेट्रोल डाल कर हजारों मील गाड़ियां दौड़ती हैं, उसके लिये क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो गाड़ियां १० मील के रेडियस के लिये हैं, पैट्रोल डाला जाता है, लॉग बुक मैन्टेन की जाती है, माइलेज दर्ज होता है लॉग बुक में। यह कहा गया कि मंत्री अपना पैट्रोल डाल कर हजारों मील गाड़ी दौड़ा सकते हैं, यह गलत बात है। लॉग बुक और पैट्रोल टैली करते हैं। एक गाडी का माइलेज आज १० माइल का है तो कल १५ माइल हो सकता है। पर १० माइल के रेडियस में काम में आती हैं, घरू काम में आ नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने कहा कि गलत खर्चा नहीं करते करना नहीं चाहिये इसलिये आवश्यकता नहीं है। इसी सरकार ने इन्हीं मंत्रियों की बिजली पर सीलिंग कर रखा है, पानी पर सीलिंग कर रखा है. पैट्रोल पर सीलिंग कर रखा है ....

Page No. 21

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, पेट्रोल पर कर रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या इसके पीछे आधार था कि इन मामलों में तो ज्यादा खर्च की शिकायत थी और यात्रा भत्ते के बारे में ज्यादा शिकायत नहीं है ? इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसी सदन में शिकायतें की गई कि इन सरकारी कारों का इलेक्शन के मामलों में मंत्री महोदय इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यह स्वस्थ परम्परा नहीं होगी कि इन तीन चीजों में मंत्रियों द्वारा गलतियां करने पर सीलिंग लगाया गया तो एक चोर रास्ता आज खुला रखा गया है उसको भी बन्द क्यों नहीं किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई है वह शिकायत की वजह से नहीं की गई है। इनका सीलिंग लागू किया है। यात्रा भत्ते को निश्चित कर दिया जाय यह मुमकिन नहीं है। मंत्रियों को सरकारी काम के लिये दौरे करने पड़ते हैं, और उनके लिये जो माइलेज कवर करना पड़ता है, उसको रोका नहीं जा सकता, सीलिंग मुकर्रर नहीं किया जा सकता। आवश्यकता के अनुसार ज्यादा दूर करने पड़ते हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि चुनावों में सरकारी गाड़ियां काम में आती हैं। मैंने एक दफा नहीं हजारों, कई दफा इस सदन में सरकार की तरफ से बता दिया है कि कोई मन्त्री चुनावों में सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करते। जिस प्रकार की सूचना आपके पास है, सही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय महसूस नहीं करते कि सरकारी गाड़ियां सरकारी काम के लिए १० मील की एरिया में मन्त्रियों को मिली हुई है, तो सिनेमा देखना हो तो भी उसी में, सब्जी लानी हो तो भी उसी में, हज्जाम को बुलाना हो तो भी उसी में, पान लाना हो तो भी उसी में, तो क्या यह गाड़ी का दुरुपयोग नहीं है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और स्वतंत्र पार्टी के एम० एल० ए० को बुलाना और मिलाना हो तो भी उसी में।

श्री दामोदरलाल व्यास : कभी कभी तो........

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): आपने कहा कि जरूरत हो तो १५ मील भी हो सकते है। तो सरकारी गाड़ियों को मेन्टीनेन्स के लिए अलग मेकेनिक्स नहीं रखे हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रखे हुए हैं।

श्री विजयसिंह रावत : फिर भी क्यों नहीं चेक करते जब कन्जम्पशन नीचे जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा न कि गाड़ी का कन्जम्पशन........

श्री विजयसिंह रावत : जो गाड़ी आपको १५-२० मील........

Page No. 22

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समय बहुत हो गया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : यह कोई जवाब ठीक नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री, श्री दिनेश राय डांगी लुधियाना नर्गिस का प्रोग्राम देखने के लिए सरकारी गाड़ी में गए थे ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न मेरा है। जैसे मन्त्री महोदय ने प्रश्न तीन के उत्तर में कहा कि जो मंत्री अधिक पेट्रोल खर्च करता है, उसका बिल बनाकर पैसा ड्रा किया जाता है। आज तक किस-किस मंत्री ने कितना-कितना पैसा लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हम आगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

ग्राम चांचोड़ा में पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां आदि

७९४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील छबड़ा के ग्राम चांचोड़ा में पुलिस की गोली से एक सांसी कंजर का लड़का गत कुछ माह पूर्व मारा गया ? यदि हां, तो गोली किस कारण से चलाई गई ?

(२) क्या यह सही है कि चांचोड़ा ग्राम में स्थित सांसी-कंजर कॉलोनी में स्थित कंजरों के घरों को वहां के थानेदार ने कुछ माह पूर्व जलवा दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि छबड़ा पुलिस ने उक्त ग्राम के कुछ कंजरों को बुरी तरह से पीटा और गिरफ्तारियां की थीं ? यदि हां, तो किस कारण से ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां सांसी-कंजर जिसका नाम पदमा था मारा गया। दिनांक ११-१-६७ को मुखबिर ने यह सूचना दी कि कुछ सांसी कंजर जो चोरी हत्या व अन्य अपराधों से संबंधित हैं, यह माल मसरूका काफी तादाद में चांचोड़ा में मौजूद है। श्री जनार्दन सिंह, उप-निरीक्षक छबड़ा मय अपने साथियों के छबड़ा से रवाना होकर चांचोड़ा पहुंचे और कन्जरान के डेरों पर दबिश दी। पुलिस के मौके पर पहुँचते ही कंजरान पुलिस पार्टी का सामना करने को तैयार हुए और आरक्षी प्रभुलाल व निसार अहमद, थाना छबड़ा के ऊपर जान से मार डालने की नीयत से गन्डासी से कातिलाना हमला किया। अगर प्रभुलाल

Page No. 23

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आरक्षी स्वयं अपनी आत्म रक्षा में असफल रहता तो पदमा कंजर का गन्डासी का वह वार निसार अहमद आरक्षी की जान लेकर रहता।

इसलिए प्रभुलाल आरक्षी ने आत्म-रक्षा के अधिकार को काम में लेकर पदमा के इस खतरनाक वार से निसार अहमद आरक्षी को बचाने के लिए पदमा के गोली पैरों की ओर मारी कि पदमा बैठ गया जिससे गोली उसके (पदमा) पेडू में लग-कर पार हो गई और वह घायल हो गया।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो गोली पुलिस ने चलाई, वह कितनी दूरी से चलाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दबिश देकर किया था । उसने गंडासी से हमला किया, इसका मतलब....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : कोई रिपोर्ट तो आई होगी। रेंज कितनी दूरी पर था ? आपके पास एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आपने केस डायरी मंगाई होगी ? कौनसी इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी थी ? क्या वही हमला करे, वही रिपोर्ट दे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कह रहे हैं कि कन्जर ने निसार अहमद पर कातिलाना हमला किया और प्रभुलाल आरक्षी ने उसकी रक्षा के लिए गोली चलाई। तो प्रभुलाल उस कंजर से कितनी दूरी पर था, जिसने गोली चलाई ?

श्री उपाध्यक्ष : कितनी दूरी से गोली चलाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितनी दूरी से गोली चलाई, उसकी मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन जो सूचना है वह इस बात को जाहिर करती है कि जब पुलिस पार्टी और कंजर नजदीक थे, तभी तो गंडासी से हमला कर सकता था। अगर गंडासी से हमला कर सकता था इसका मतलब आसपास ही था।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अगर आप इस तरह से एग्जामिन करेंगे, आप भी लीडिंग एडवोकेट रहे हैं, गोली का फायर किया है जिस दूरी से, तब तो पुलिस की थ्योरी गलत है और रेंज बिल्कुल ही नजदीक है तो आप किस तरह जस्टी-फाई कर सकते हैं अपने स्टेंड को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा मकसद नहीं है कि पुलिस ऑफीसर को प्रोटेक्शन दूं। मैंने जो सूचना दी, आपके पास इसके खिलाफ अगर कोई सूचना है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो मुझे दीजिए मैं मेजिस्टेरियल एन्क-वायरी कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस मामले में मेजि-स्टेरियल इन्क्वायरी नहीं कराई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं कर-वाई, होनी चाहिए थी।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं हुई ?

श्री लादूराम सुलानिया : क्योंकि कंजरों का लड़का था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे नोटिस में आज बात आई है कि मेजिस्टेरियल एनक्वायरी नहीं हुई। मैने खुद यह सवाल आते पूछा कि मेजिस्टेरियल एन्क्वारी किसकी जिम्मेदारी है? और वह मेजिस्टेरियल एन्क्वा-यरी होगी? जिसकी गल्ती है, जिसकी वजह से यह नहीं हुई है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। परन्तु आपके पास इस सूचना के खिलाफ कोई सूचना है तो मुझे दे दीजिए, एन्क्वायरी में मदद मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने के कारण एक सिपाही ने या किसी अधिकारी ने गोली चलाई, यह अटेम्पट टु मर्डर करने का कोई रजिस्टर नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मारा ही गया।

श्री भैरोंसिंह : जिसने मर्डर का अटेम्पट किया और दूसरे ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई तो उस सम्बन्ध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार केस रजिस्टर होकर फाइनल रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी, फिर मामला डिस्पोज आँफ होता कि वास्तव में पुलिस पर हमला हो रहा था और हमले से बचने के लिए गोली चलाई। इस सम्बन्ध में कोई ३०७ का केस रजिस्टर हुआ या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई केस रजिस्टर हुआ या नहीं। मगर इतनी बात जरूर जानता हूँ कि जो आदमी हमला कर रहा था वही मर गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता। मगर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि गोली चलाने के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद इन्क्वायरी करनी चाहिए थी।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपने कह दिया है। लेकिन आप इस मामले में सहमत हैं या नहीं कि पुलिस का केस रजिस्टर होकर एन्क्वायरी होनी चाहिए थी और फेक्ट एस्टेब्लिश होने चाहिए थे कि आत्म रक्षा में गोली चलाई। यह एस्टेब्लिश होने के बाद में मुकद्दमें में फाइनल रिपोर्ट दी जाती और मामले को डिस्पोज आफ किया जाता।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस जब अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती है तो कोई केस मर्डर का रजिस्टर नहीं होता। मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी से अगर यह बात

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सिद्ध होती है, जैसे अभी किसी ने बताया कि एक केस में मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी से पुलिस की ज्यादतियां पाई गई, तो चालान हुआ, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसा कोई मामला नोटिस में आता है तो हम करते हैं। केस रजिस्टर कराने के लिए एक तरीका हम रखना चाहते हैं, केस रजिस्टर होना चाहिए परन्तु पुलिस फायरिंग जैसे हुई और पुलिस अगर फायरिंग करती है तो उसके बाद मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी होनी चाहिए। मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी होने पर प्राइमा फेसी केस में कुछ पाया गया, तो जरूर केस रजिस्टर करने की कार्यवाही करेंगे। रहा सवाल इस बात का········

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर, जयपुर): अब करेंगे या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय बता चुके हैं कि············

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अगर फायरिंग हुई तो अब जांच करेंगे या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : Case under section 307 was registered on 11.1.1967.

श्री भैरोंसिंह : इन्वेस्टीगेशन किसने किया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अब तक एन्क्वायरी होनी चाहिए थी तो अब करेंगे या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने कहा है कि गलती हुई है तो आप इस बात की जांच करेंगे कि क्यों वह एन्क्वायरी नहीं कराई गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह भी कहा है कि जिसकी गलती हुई है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और एन्क्वायरी जिला मजिस्ट्रेट के जरिए इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा उत्तर स्पष्ट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जिस ग्राम में पुलिस गई है वहां राजस्थान की सरकार के द्वारा सांसी-कंजर के लिए बस्ती बनाई गई, और जो मारा गया वह वहीं का निवासी है, और पुलिस वहां गई है तो कितनी संख्या में सिपाहियों को लेकर गई है?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है एन्क्वायरी हो रही है केस की तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : आदमी मारा गया, यह तो फेक्ट है और एन्क्वायरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई, वह कराई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जावेगी। अब नहीं कराई गई उस पर एक्शन लिया जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मेरे खयाल से मन्त्री महोदय की भावना शुद्ध है। किन्तु मैं यह समझता हूं कि हम धीरे-धीरे एक पुलिस स्टेट की ओर जा रहे हैं। रोजाना खबरें आती हैं फायरिंग शूटिंग की। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इस तरह की खबरें न आती हों। मंत्री महोदय कुछ भी करें पर सरकार भी मेरे खयाल में, पुलिस राज में दबी हुई है। एक प्रश्नकर्त्ता ने पूछा कि क्या आप एन्क्वायरी करावेंगे तो कह तो दिया करावेंगे, पर कब करावेंगे ? करावेंगे इस सिद्धांत को तो मान लिया पर कब करावेंगे ? फौरन करावेंगे या देर से करावेंगे ? कुछ तो कहिये। एक आदमी मार दिया जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। मन्त्री महोदय कह रहे हैं हम एन्क्वायरी करावेंगे। यह तो सब केरेक्टरिस्टिक्स हैं पुलिस राज जिस तरह से हो रहा है उसकी।

श्री किशनलाल शाह (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। पुलिस ने सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई यह कैसे कहा जा सकता है जब तक कि मेजिस्टेरियल एन्क्वायरी न हो जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विरोधी दल के नेता ने कहा कि एन्क्वायरी कब होगी, कब नही होगी। इनके लिए मैंने खुद चलाकर कहा है कि एन्क्वायरी करावेंगे और आज ही नहीं कहा मैंने कल ही आर्डर लिखा कि एन्क्वायरी क्यों नहीं हुई इसमें मजिस्ट्रेट की ? District Magistrate or any Magistrate nominated by the District Magistrate must hold an enquiry in a police firing. Therefore, I have ordered for an enquiry.

अब रोजमर्रा गोली चलाई जाती है ऐसा कहा गया, इसके लिए क्या कहूं ? मालूम नहीं मुझे कहां से आती है इत्तला उनके पास।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो गया अभी बहुत सवाल बाकी हैं। नेक्ट क्वेश्चन।

श्री किशनलाल शाह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का जवाब दिलावेंगे यह गोली चलाना सेल्फ डिफेन्स में हुआ या एक्सीडेन्टल हुआ है। यह मेजिस्टेरियल रिपोर्ट का सबजेक्ट है। आपकी एक्जीक्यूटिव साइड यह कैसे तय कर सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! इसका उत्तर दे दिया गया है। काफी समय ले लिया गया है इसमें।

श्री किशनलाल शाह : यह सेल्फ डिफेन्स में हुई है क्या ? यह उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया है। It is only the Court........

Page No. 27

राजनैतिक पीड़ित द्वारा पेन्शन की अपील

७९५. श्रीमती कांता कथूरिया (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर नगर के किसी राजनैतिक पीड़ित ने राजनैतिक पेन्शन पाने हेतु सरकार से अपील कर रखी है ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसे कब तक पेन्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

उपमंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां । यह सही है कि बीकानेर नगर से श्री मंघाराम वैद्य ने राजनैतिक सहायता पाने हेतु राज्य सरकार को एक बार प्रार्थनापत्र अस्वीकृत हो जाने पर फिर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो अभी विचाराधीन है । यथा-शीघ्र निर्णय हो जायेगा ।

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं दिया, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रार्थनापत्र आया हुआ है वह विचाराधीन है ।

श्री श्रवणलाल : किसका है ? नाम का भी उल्लेख करना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : नाम पूछा कहां है ?

श्री श्रवणलाल : नाम पूछा है ।

गृहमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सवाल में ही है नाम तो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : नाम पूछा गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें लिखा है । जी हां । यह सही है कि बीकानेर नगर के श्री मंघाराम वैद्य ने राजनैतिक सहायता पाने हेतु राज्य सरकार को एक बार प्रार्थनापत्र अस्वीकृत हो जाने पर फिर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो अभी विचाराधीन है ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक प्रार्थनापत्र पहले आया था, उसके अस्वीकृत हो जाने पर फिर दूसरा आया है । अब यह कब आया है तारीख मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

फिदूसर व देवरिया की खानों से रॉयल्टी व किराये से आय

७९६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि फिदूसर व देवरिया (जोधपुर) पत्थर उद्योग क्षेत्र में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) फिदूसर व देवरिया इत्यादि (जोधपुर) पत्थर उद्योग क्षेत्र से गत वर्ष रॉयल्टी व खानों के किराये के रूप में राज्य सरकार को कितनी आय हुई ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(३) क्या सरकार शीघ्र ही फिदूसर देवरिया क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(४) फिदूसर, देवरिया आदि क्षेत्र में समस्त पत्थर की खानों की संख्या कितनी है तथा उस पर दैनिक कितने मजदूर कार्य करते हैं ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी नहीं। कुओं से व्यवस्था है।

(२) सन् ६६–६७ की आय निम्न प्रकार हुई।

रॉयल्टी	किराया
७,५७,६००)१६	९२,५२४)

कुल ८,५०,१२४) १६ पैसे

(३) वहां के लोगों ने वहां तक पानी की पाइप लाइन एक्सटेण्ड करने की मांग की थी जिस पर निर्णय विचाराधीन है।

(४) समस्त खानों की संख्या लगभग १५०० है और उन पर औसत दैनिक मजदूर जो कार्य करते हैं उनकी संख्या सात हजार है।

श्री ओमदत्त भाटी : विचाराधीन का मतलब क्या है ? कब तक होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो उन लोगों का काम है खान वालों का वे एक्सटेण्ड करावें। वे पैसा जमा करा दें।

श्री ओमदत्त भाटी : वे क्यों पैसा जमा करावें ? यह राज्य की ड्यूटी है। रॉयल्टी और किराया सरकार लेती है या खान वाले लेते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सैंकड़ों स्थानों पर सैंकड़ों तरह की खानें है। सब जगह पाइप लाइन राज्य सरकार ले जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : एग्रीमेंट क्या है ? खान मालिक के एग्रीमेंट के क्या है ? यह सहूलियत कौन देगा ? सरकार भी न दे और खान मालिक भी न दे, तो आखिर कौन करेगा इसका प्रबन्ध ?

श्री हरिदेव जोशी : पानी की व्यवस्था करने का जिम्मा खान मालिक का है। वहां कुए भी हैं। पर वे चाहते हैं म्यूनिसिपेलिटी वहां पाइप लाइन डाले। यह एरिया म्यूनिसिपल एरिया से थोड़ा बाहर है। अब पाइप लाइन इसमें एक्सटेन्ड करने का जहां तक सवाल है उसके लिये कार्यवाही चल रही है। वाटर वर्क्स जब मेरे पास था तो मैंने रिकमण्ड भी किया था। मैंने पाइप लाइन वहां से खानों तक ले जाने के लिये कहा था। पर कुछ एरिया म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है। इससे दिक्कत हो रही है।

Page No. 29

श्री ओमदत्त भाटी : फिदूसर एरिया म्यूनिसिपल लिमिट में है।

श्री हरिदेव जोशी :-थोड़ा पोर्शन नहीं है। मैं खुद जाकर देखकर आया हूं।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं वहां से खड़ा हुआ हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह भी जानता हूं कि आपको वहां से वोट मिले हैं। पर यह भी मैं जानता हूं कि कालीबेरी और फिदूसर दो हल्के हैं। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के पास का फिदूसर और कालीबेरी एरिया एकदम जोधपुर शहर से लगा हुआ है। और इसका एक पोर्शन म्यूनिसिपल लिमिट में भी है और दूसरा पंचायत समिति एरिया में हैं। अब वहां तक पाइप लाइन एक्सटेण्ड होने की बात कही जाती है। तो पाइप लाइन एक्सटेन्शन या तो म्यूनिसिपेलिटी कराये अगर म्यूनिसिपल एरिया में वह है, और अगर बाहर है तो कन्जूमर्स करावें या खान मालिक करावें। बाकी माइन्स विभाग करावे यह सम्भव नहीं होगा।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्तजाम नहीं करेगी सरकार तो लोग प्यासे मरें?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह!

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधी नगर, जयपुर) : क्या यह कानून में है कि वहां पानी सप्लाई करना कारखाने या खान वालों के जिम्मे होगा?

अजमेर-नसीराबाद सड़क की मरम्मत पर-अकाल राहत के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

७९७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(क) क्या यह सही है कि राहत कार्यो के सम्बन्ध में अजमेर नसीराबाद सड़क की मरम्मत आदि के लिये लगभग ११ लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये गये थे? यदि हां, तो कब तथा किस-किस प्रकार के कार्यो के लिये?

(ख) यह रकम किस-किस माह में कहां-कहां और कितनी खर्च हुई और शेष कितनी है?

(ग) क्या यह सही है कि इस धनराशि में से काफी रकम ऐसे क्षेत्रों में भी खर्च की गई जो अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी?

उपमन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री भैरोंसिंह)

इस सड़क के निर्माण व मरम्मत करने के लिए ११ लाख रुपया देने की स्वीकृति हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (अकाल राहत मंत्री): जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो कितने लाख की हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नसीराबाद से अजमेर तक दो मील के टुकड़े को चौड़ा करने हेतु पांच हजार की मन्जूरी हुई है।

श्री विजयसिंह रावत : ६२७५)७६ पैसा था। आप इससे एग्री कर चुके हैं उस दिन अपने आधे घण्टे की चर्चा में....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जल्दी क्या है ऐसी ? अजमेर से नसीराबाद सड़क को १२ वें से १४ वें मील तक चौड़ा करने हेतु जिला परिषद् की सिफारिश पर २-२-६७ को ५ हजार की स्वीकृति हुई।

जब भिन्न भिन्न स्थानों पर सड़क को चौड़ा करने का काम किया गया तो इसलिये कुल ३ लाख ८६ हजार ५७९ क्यूबिक फीट मिट्टी का काम हुआ और इस पर ६८६१) ७५ पैसा खर्च हुआ।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है, प्रश्न अभी बहुत बचे हुए हैं। अधिक सप्लीमेन्ट्री न हो तो अच्छा है।

सब-जेल नीम का थाना के जेलर की मृत्यु

७६८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १३-६-६७ को सब-जेल नीम का थाना के जेलर की मृत्यु हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि मृत्यु से दो तीन दिन पहले उक्त जेलर को स्थानीय पुलिस ने बुरी तरह पीटा था और हवालात में बन्द किया था जिसकी स्थानीय वकीलों ने एस० डी० एम० की अदालत में दरख्वास्त देकर छुड़वाया था ?

(३) क्या यह सही है कि हवालात से छूटने के बाद जेलर का डाक्टरी मुआयना कराया गया था ? यदि हां, तो कृपया डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि उक्त जेलर ने स्थानीय पुलिस द्वारा पीटे जाने की घटना से कुछ दिन पहले गार्ड से दो हवालातियों को बिना डाक्टरी कराये लेने से इन्कार कर दिया था ? और उन हवालातियों को डाक्टरी मुआयने के बाद ही सब-जेल में लिया था ?

(५) क्या उक्त जेलर का मृत्यु के बाद पोस्ट मार्टम कराया गया था ? यदि हाँ, तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(६) क्या सरकार ने उक्त जेलर की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जांच कराई है? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला?

(७) क्या सरकार ने उक्त मामले में किन्हीं अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया है? यदि हां, तो क्या?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां। दिनांक १३-६-६७ को नहीं, बल्कि १४-६-६७ को रात १० बजे नीम का थाना सब जेलर अमरसिंह की मृत्यु हुई।

(२) जी हां, मृत्यु से दो-तीन दिन पहले नहीं बल्कि ८ दिन पहले अमरसिंह सब-जेलर सब-जेल नीम का थाना, के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीम का थाना की अदालत के बाहर स्थित तिबारे में धक्का मुक्की की गई थी। श्री नन्दलाल उप-अभियोजक के निर्देशन में पुलिस कर्मचारियों ने उसे अदालत की हवालात के पास रोक रखा था और एस० डी० एम० नीम का थाना ने उपस्थित वकीलों के बीच-बचाव (इन्टर वेन्शन) पर उसे पुलिस से छुड़ाया।

(१२ मध्यान्ह)

(३) जी हां। सब-जेलर की दरख्वास्त पर उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया था। नकल इन्जरी रिपोर्ट अमरसिंह सब-जेलर प्रस्तुत है।

(४) तारीख १५-५-६७ को घुड़ाराम हवालाती को सब-जेलर ने दाखिल करने से जब तक कि उसका डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया, इन्कार किया था। हवालाती घुड़ाराम का मुआयना डाक्टरी कराये जाने पर जेल में जेलर द्वारा दाखिल किया गया। यह वाका केवल १ हवालाती के विषय का है।

(५) जी हां, अमरसिंह सब-जेलर, सब-जेल, नीम का थाना की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की नकल प्रस्तुत है।

(६) जी हां। एस० डी० एम० नीम का थाना जांच कर रहे हैं उनकी अन्तिम जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(७) जी हां। सम्बन्धित अधिकारीगणों-नन्दलाल उप-अभियोजक नीम का थाना, भंवरसिंह एच० सी० ४९३, इन्द्रसिंह कानि० नं० ६०७, हनुमानसिंह कानि० नं० ६१३ जैसाराम कानि० नं० ५७२ चालानी गार्ड नीम का थाना को निलम्बित किया गया है तथा आरोप व दोषारोपण पत्र उनको दिये गये हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस भी अन्डर सेक्शन ३५३, ३४२, ३२३, ३०४, १०९ आई. पी. सी. दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

(रिपोर्ट विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

Page No. 32

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ? ३०४ का केस है होमिसाइड नॉट अमाउन्टिंग टु मर्डर तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अभी अनुसंधान जारी है। आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी अमल में लायी जावगी। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी भी चल रही है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप खुद देखिये कि एक आदमी का मर्डर हो। वकीलों के सामने यह घटना हुई है। प्राइम फेसी केस तो बन ही जाता है। आपको फौरन गिरफ्तार करना चाहिये था। पुलिस के अधिकारी हैं और वे ही गिरफ्तार करने वाले हैं। इसलिये मंत्री महोदय इसमें विशेष तौर से कार्यवाही करें।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं विशेष तौर से ही इसको देख रहा हूं। और मेरे कहने पर फौरन कार्यवाही होकर इस घटना के विषय में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एस० पी० वगैरा उसी रोज पहुंच गये थे। बेहोश थे इसलिये उनके बयान नहीं लिये गये। केस रजिस्टर हो गया। सब-जेलर के साथ मारपीट की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ इन्जरी का मुआयना उसी दिन कराया है। ३०४, ३५३ बनेगा या क्या बनेगा, मारपीट या जो भी दोष बनेगा उसमें एक्शन लिया जावेगा। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी एस० डी० एम० कराई जा रही है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं आप मुझे सप्लीमेन्ट्री की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय मन्त्रीजी बतायेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डाक्टरों ने रिपोर्ट की है कि यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। डाक्टरों ने यह नहीं कहा है कि इन्जरीज़ की वजह से यह डैथ नहीं हुई है। कुछ ऐसे फेक्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिये भेजा हुआ है। यह डिस्प्रूव हो गया हो कि इन इन्जरीज़ से ताल्लुक नहीं है वह सही नहीं है। यह हो सकता है कि इन्जरीज़ के कारण दिमाग पर असर पड़ा हो उससे डैथ हुई होगी। यह घटना है। सारे सरकमस्टान्सेज हैं। उस हवालाती को दाखिल नहीं किया गया। उसको पीटा। शराबखोरी के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण देंगे तो दूसरे प्रश्न रह जावेंगे। छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पोस्टमार्टम के लिये कह रहा हूं। एक्जामिनेशन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के लिये भेजा हुआ है। पोस्टमार्टम में दिमाग मैं ट्यूमर डिटेक्ट किया है। जिस रोज वारदात हुई इन्जरी रिपोर्ट मिल गयी। अदालत में पेश कर दी गई। डाक्टर के लिये बताना नामुमकिन है। अब कोई निश्चयात्मक बात निकलेगी तो बता सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोमा लिखा हुआ है। कोमा शॉक का कारण होता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : टेक्निकल विषय का मामला है। छोटे से समय में इसका निर्णय नहीं हो सकता है।

श्री श्रवणलाल !

सवाई माधोपुर जिले में फसलों को नुकसान।

७१९. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन. सु.) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिला भी अकाल ग्रस्त है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस जिले में मार्च, १९६७ में सर्दी व ओले पड़ने के कारण जो भी कुछ फसल थी वह भी नष्ट हो गई थी ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितना-कितना नुकसान हुआ है ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्रीगंगाराम चौधरी) : (१) जी हां, सवाई माधोपुर जिले की निम्न तहसीलों में खरीफ सं० २०२३ में निम्न प्रकार से उनके सामने अंकित संख्या में गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे :

(१) बोली	१०
(२) खण्डार	१४
(३) नोदोती	३१

(२) जिलाधीश, सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में नदी व तालाबों के पेटे काश्त में माह मार्च, १९६७ में सर्दी व ओले पड़ने के कारण फसल को सम्पूर्ण क्षति हुई है। हिन्डौन तहसील में ओलों के कारण कुल मिला कर ९ गांवों में सम्पूर्ण क्षति हुई है। करौली, महुआ एवं हिन्डौन तहसीलों में भारी क्षति होने की सूचना मिली है। यह सूचना केवल अस्थायी (tentative) है। निश्चित रूप से सूचना जिलाधीश द्वारा रबी फसल के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपलब्ध हो सकेगी।

श्री श्रवणलाल : यह जो सूचना मिली है उसके आधार पर आपने वहां रिलीफ वर्क्स खोले हैं जैसा आपने बताया....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर साफ है। विचाराधीन है यह। आप यह ही पूछ लीजिये कि विचाराधीन है तो कब फैसला हो जावेगा ?

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय खुद ही बता दिया करें तो अच्छा है।

श्री श्रवणलाल : विचाराधीन कब तक रहेगा ? और इस परिस्थिति को देखते हुए और जिन गावों के लिये बताया उनसे वहां लेवी ली जा रही है उसके लिये क्या दृष्टिकोण रहेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश से फाइनल रिपोर्ट आने पर तुरन्त फैसला कर लिया जावेगा ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों के लिये इस प्रकार का मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है वहा तालाब के पेटों में सर्दी के कारण, ओलों के कारण पूरे गांव अभावग्रस्त हैं फिर भी उनसे लेवी ली जा रही है ।

श्री गंगाराम चौधरी : संवत् २०२३ में अभाव ग्रस्त घोषित कर दिये उनसे लेवी नहीं ली जा रही है । फाइनल रिपोर्ट आने पर ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बरसात होने पर तो काम में लगेंगे । आप खुद ही मानते हैं कि बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है । आप उसके लिये क्या सोचते हैं ?

राजस्व मन्त्री (बृजसुन्दर शर्मा) : २०२३ की खरीफ के लिये सूचना दी है । रबी के लिये टेन्टेटिव सूचना आयी है । कलेक्टर ने खुद ने सूचना भेजी है तो लेवी वसूल करने का सवाल कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : मार्च में ओले पड़े । लेवी तो वसूल हो जावेगी ।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर, हीयर)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लेवी वसूल करने का सवाल है उसकी सूचना माननीय सदस्य ने दी है । पहले स्टेटमेन्ट बन कर आया था उसमें डिफेक्ट था इसलिये उसको वापिस भेजा गया । वापिस आ जावेगा तो फाइनल हो जावेगा । ऑडिट ओबजेक्शन्स बहुत होते हैं । पूरा स्टेटमेन्ट आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बात यह है कि कलेक्टर ने खुद ने टोटल लॉस लिखा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टोटल लॉस हुआ है तो रेवेन्यू वसूल करने का सवाल नहीं है । आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब है कि टेन्टेटिव है । फाइनल रिपोर्ट आयी नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कलेक्टर को सस्पेन्ड करने का है वह तो रेमीशन की चीज बनती है वह तो बाद में बनती है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : प्रश्न संख्या ८०० ।

श्री श्रवणलाल : मैं एक आश्वासन चाहूंगा कि जब तक कलेक्टर की कोई फाइनल रिपोर्ट मन्त्री महोदय के पास नही आये जो लेवी ली जा रही है उसके लिए स्थगित के ऑर्डर्स किये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आज टेलीफोन से कलेक्टर से सम्बन्ध स्थापित करूंगा ।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : एक क्वेश्चन है उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न आधे से अधिक बच गये हैं। जो आपकी तरफ से पूछना था वह मैंने पूछ लिया है।

श्री जुझारसिंह : जब खरीफ में इन्होंने नुकसान बताया तो क्या........

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस सवाल को मैं ३ दफा पूछ चुका हूं। प्रश्न संख्या ८००।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा

(1)

८००. श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसींद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल भीलवाड़ा सन् ५९ में बन्द हुआ था? यदि हां, तो बन्द होने के क्या कारण थे? इसके बन्द होने से कितने मजदूरों को बेकार होना पड़ा?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने इस मिल को बन्द होने के ७ माह बाद अपने नियन्त्रण में लेकर चलाया? यदि हां, तो सरकारी नियन्त्रण में आने के बाद मिल ने अपना कितने लाख का कर्जा उतारा और मजदूरों को वेतन के अलावा किन-किन विशेष सुविधाओं पर कितनी धनराशि वितरित की गई?

(३) क्या यह सही है कि मिल में सरकारी नियन्त्रण में कई नई मशीनें लगाई गईं? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई और यह राशि कहां-कहां से किन-किन शर्तों पर मिली?

(४) क्या यह सही है कि सरकार इस मिल को अब पुनः निजी प्रबन्ध में देना चाहती है? यदि हां, तो क्यों? जब कि सरकार इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स डेवलपमेन्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत दो-दो साल करके पांच साल के बाद दस साल तक सरकारी नियन्त्रण की अवधि बढ़ा सकती है?

(५) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को राजकीय उपक्रमों में लिया जायेगा या व्यक्तिगत प्रबन्धकों के सुपुर्द किया जायेगा?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) जी हां, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल सन् १९५९ में दिनांक २७ नवम्बर से बन्द हुआ था। चूंकि सन् १९५९ तक मिल को काफी नुकसान हो गया था, इसलिए मिल बन्द हुआ था। करीबन १५०० मजदूर बेकार हो गये थे।

(२) जी हां, सरकार ने मिल को १६ मई, १९६० से अपने नियन्त्रण में लेकर चालू किया। सरकारी नियन्त्रण में आने के बाद मिल ने कर्ज उतारा एवं मजदूरों के वेतन चुकाने के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाओं पर धनराशि वितरित की इसके जवाब में मिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट संलग्न है।

(श्री हरिदेव जोशी)

(३) जी हां, सरकार के नियन्त्रण में आने के बाद मिल में नई मशीनें लगाई गई है। अब तक इन नई मशीनों पर ५४,००,०००) रु० खर्च हो चुका है। इस सिलसिले में १४,००,०००) रु० कर्ज राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन से एवं डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टी के रूपये १७,४६,४४८) अलावा ब्याज राजस्थान बैंक से गवर्नमेन्ट गारन्टी पर उपलब्ध हुई। बाकी खर्च मिल ने अपनी कमाई से किया है।

(४) सरकार द्वारा चलाने या पुन: निजी प्रबन्धक को देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय हो, यह प्रश्न विचाराधीन है। कानूनन नियन्त्रण की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(५) उत्तर जैसा प्रश्न ४ का था।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है इसको इस तरीके से·······

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन इन्होंने जवाब दिया है बढ़ाई जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल के मेनेजमेन्ट ने ६६ से पूर्व और ५६ के बाद कितने कितने लोगों को लाभ बांटा और कितना कर्ज इस मिल के ऊपर था जिसको चुकाया ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। मुख्य चीज जो आपके प्रश्न से निकल सकती थी यह थी कि गवर्नमेन्ट प्राईवेट मेनेजमेन्ट को सौंपना चाहती है या अपने पास में रखना चाहती है उसके बारे में मैं प्रिपेयर्ड हूं जो कुछ भी करें लेकिन मेरे पास यह डिटेल नहीं हैं कि उन्होंने किस-किस को कितना–कितना पेमेन्ट किया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा सवाल पढ़ते तो शायद मालूम होता·······

श्री हरिदेव जोशी : आपका मकसद जो समझा हूं वह यह है कि प्राईवेट मेनेजमेन्ट में जाने के बाद मिल की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब हुई है, यही है, उसको मैंने एग्री किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो जब आप एग्री करते हैं कि प्राइवेट मेनेजमेन्ट में चले जाने से उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन पहले भी खराब हुई थी और अब अगर प्राइवेट मेनेजमेन्ट में चला जायेगा तो फिर खराब होगी जैसा कि इतने वर्षों में जब कि प्राईवेट मेनेजमेन्ट ने काम किया है उससे पूरी तरह से साबित है कि लाखों रुपयों का प्राईवेट मेनेजमेन्ट ने गड़बड़ करके इस कम्पनी से उठा लिए·······

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं। कहीं शिकायत हो तो कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसने इस प्रकार से गड़बड़ियां की हैं और सरकार के नियंत्रण में ६१ से चल रही है जिसमें ३३ लाख का तो पैसा भी चुकाया। उसके बाद में ५० लाख रुपये का नया इनवेस्टमेन्ट किया है तो सरकार क्यों नहीं इसको फर्दर नियंत्रण में रखे जिससे उसके शेयर होल्डर्स को फायदा मिले और वहां के लेबर को भी ज्यादा फायदा मिले।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें दो पॉइन्ट्स इनवॉल्व्ड हैं। एक तो सुप्रिम कोर्ट से फर्दर लाएबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टे हो चुका है इसलिए गवर्नमेन्ट ज्यादा इनवेस्टमेन्ट करने की स्थिति में नहीं रह गयी है। दूसरा यह है कि मेनेजमेन्ट चेन्ज हो चुका है यानि जो पहले मेनेजिंग डाइरेक्टर्स थे उसके शेयर्स दूसरे ने खरीद लिये है और वह चेन्ज होकर यह चाहते हैं कि हम एफीशियेन्टली रन करेंगे, लेकिन यह सारी चीजें जब तक गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और गवर्नमेंट को यह विश्वास नहीं हो जाता है कि फर्दर इसमें डिटेरियोरेशन नहीं होगा और इन दोनों चीजों की सफाई नहीं होती है तब तक उनको नहीं दी जायेगी, यह मेरे दिमाग में है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिर्फ एक प्रश्न और है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग जाकर डिटेल में बात कर लिजिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अलग की चीज नहीं है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। स्टे आर्डर देदिया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की जानकारी के लिए इसको नियंत्रण में रखने के लिए और इनवेस्टमेंट करने के सम्बन्ध में स्टे दिया गया है वह कैंसिल हो चुका है। जो मैंने कहा है उस रेग्युलेशन के तहत में भारत सरकार इसकी अवधि और बढ़ाने को तैयार है सिर्फ सवाल यह है कि राजस्थान सरकार एग्री करके भारत सरकार से सहयोग करे। क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार को इसके लिए सिफारिश करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार प्राईवेट मेनेजमेंट को सौंपने के लिए निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वह यह देखेगी कि जब तक यह मिल एफीशियेन्टली रन करेगी ऐसा एश्योरेन्स नहीं मिले और दूसरे गवर्नमेंट ने जो गारंटीज दी हैं वह सिक्योर्ड हैं, जब तक यह पोजीशन साफ न हो तब तक गवर्नमेंट प्राईवेट मेनेजमेंट को सौंपने का विचार नहीं रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

पुलिस थाना सांचोर में भीमजी बेचरजी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट

८०१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कह सत्य है कि पुलिस

Page No. 38

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

थाना सांचोर में भीमजी बेचरजी के खिलाफ तहसीलदार सांचोर की रिपोर्ट पर एक फौजदारी मुकदमा ३७९, ४४७ आई० पी० सी० के तहत दर्ज किया गया था ? अगर हां, तो कब और उसमें अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? पुलिस जांच में इतनी देर लगने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि मुलजिम ने पंचायत समिति का पशु-मेले का हौज अपने कब्जे में कर उस पर नाजायज मकान बना लिया था ? अगर हां, तो उस हौज की बरामदगी क्या पुलिस द्वारा कर ली गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस हौज की एक दीवाल गिरने पर एक फोटोग्राफर की लड़की भी पशु मेला में मरी थी ? अगर हां तो कब, और उसके बारे में क्या पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी ?

(४) अगर इस हौज का पूरा रेकार्ड पंचायत समिति सांचोर में उपलब्ध है और उस बारे में पुलिस कार्यवाही भी पहले मार्ग के सम्बन्ध में की जा चुकी है तो वह हौज पुलिस द्वारा क्यों नहीं बरामद किया गया है ? अब बरामदगी कब तक कर ली जावेगी ?

(५) क्या यह सत्य है कि मुलजिम असरदार शख्स होने से उपरोक्त मामला दबाया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो उसका चालान अदालत में कब तक कर दिया जायेगा ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, मु० नं० ३३ दिनांक २७-५-६६ धारा ३७९ । ४४७ ता० हि० थाना सांचोर में रजिस्टर किया गया था । उक्त केस का अनुसंधान किये जाने पर पाया गया कि अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत घटित न होकर लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत घटित होना पाया गया जो नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस होने से इस अभियोग में ता० ३१-३-६७ को फाइनल रिपोर्ट अदम वकुआ में दी गई ।

(१) अनुसंधान में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि पंचायत समिति, रेवेन्यू सेक्शन, से सम्बन्धित रेकार्ड समय पर उपलब्ध नहीं हुआ तथा साक्षी लोग लम्बे अवकाश पर थे, जिससे समय पर उनके बयान नहीं हो सके और आने पर बयान हुये ।

(२) जी नहीं, तथ्य यह है कि मेला की जमीन जिसका खसरा नं० २९१ है । इस खसरे की जमीन में से ४२ १।२ बीघा जमीन को आबादी में मिला दी गई । पंचायत समिति ने इस जमीन को श्री भीमजी को सन् १९६४ में बेचानकर उसका कब्जा करा दिया । सन् १९६४ में अति वर्षा के कारण हौज नष्ट हो गया और उसकी कोई मरम्मत नहीं कराई गई ।

श्री भीमजी ने इस जमीन का कब्जा लेने के बाद एक अन्य हौज बनाया जो केस रजिस्टर होने के पूर्व पूर्ण हो गया था । पुराने हौज की कोई वस्तु शेष नहीं थी जो कब्जे में दी जाती ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) जी हां, यह घटना दिनांक २६-३-६४ को घटित हुई है पुलिस ने १७४ की कार्यवाही की। पंचायत नामा बनाया था।

(४) जी नहीं, पुलिस ने कार्यवाही की थी। कोई निशान होज के नहीं पाये गये अत: कोई चीज कब्जे में लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(५) जी नहीं, अभियोग का अनुसंधान निष्पक्ष उप-अधीक्षक पुलिस की देखरेख में किया गया है व निष्पक्ष रूप से फाइनल रिपोर्ट दी गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें करीब दस हजार का पंचायत का जो होज था वह मकान के अन्दर नीचे चला गया। आपने कहा कि अवशेष नहीं है अवशेष प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गयी। आपने कहा और दूसरा होज बना दिया। पहले सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके नाजाइज तौर से हजम करा दिया जाये और दूसरा बना दिया तो क्या आप उचित समझते हैं इसको ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो आपको फैक्ट्स दिये हैं। परन्तु मैंने इस मुकदमे को रि-ओपिन करके तफतीश अजसरे नौ करने के आर्डर्स दिये हैं। माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना सहयोग दें ताकि कोई अवशेष मिल सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य की प्रॉपर्टी इस तरह से और दस हजार का होज ही उसके नीचे आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंचायत समिति की तरफ से वकील कौन है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई नहीं है। राज्य की तरफ से और राज्य सरकार की ओर से स्पेशल जांच की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फतेहसिंह ! सिंचाई मन्त्रीजी !

शेरों का बाला बांध

८०२. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शेरों का बाला (जवाजा पंचायत समिति, अजमेर जिला) के बांध का निर्माण कब हुआ था और इस पर क्या व्यय हुआ था ?

(२) क्या इस बांध की ऊंचाई और चौड़ाई को बढ़ाने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(३) क्या इस काम का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसने पिछले लगभग दो माह से मजदूरों को मजदूरी नहीं चुकाई है ?

(४) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त काम ठेकेदार द्वारा अत्यन्त ही शिथिलता से चलाया जा रहा है ?

(श्री फतेहसिंह)

(५) क्या वर्षा के मौसम में बांध की पाल के टूट जाने की सम्भावना है जिससे जनता को हानि होगी और सरकार को भी लाखों रुपये की हानि होगी।

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) यह बांध अजमेर राज्य के समय से बना हुआ है तथा इस पर लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) जी हां।

(३) इस सम्बन्ध में इस विभाग के पास लिखित रूप में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

श्री फतेहसिंह : इस बांध का टेका किसी अजमेर के ठेकेदार को दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है। मुझे कहां का रहने वाला है यह जानकारी नहीं है।

श्री फतेहसिंह : कितने रुपये में यह ठेका दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : पुराना एस्टीमेट १ लाख ३० हजार का है मगर उसका ठेकेदार ने ठेका कितने में लिया है यह मेरे पास इनफॉर्मेशन नहीं है।

श्री फतेहसिंह : ठेके की शर्तों के अनुसार यह काम कब तक सम्पूर्ण होना चाहिये ?

(विराम)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मंत्री महोदय इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अतः इसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री विजयसिंह रावत : यह दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो इनफॉर्मेशन माननीय सदस्य चाहते हैं वह मेरे पास नहीं है। नोटिस आप दें तो मैं आपको दे सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या ३ का उत्तर क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने पूछा, "क्या ऐसे आदमी को दिया गया जिसके खिलाफ शिकायत थी" ? मैं यह कह सकता हूं न किसी मजदूर की न किसी उनके रिप्रेजेन्टेटिव की शिकायत ऑफिस में अवेलेबल है।

श्री फतेहसिंह : मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई, तीन महिने की मजदूरी नहीं दी गई इसका आपके पास में क्या उत्तर है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री फतेहसिंह : इस बारे में टेलीग्राम्स दिये हैं और आप कहते हैं मेरे पास सूचना नहीं इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ........

श्री फतेहसिंह : मैं भी अदब के साथ निवेदन कर रहा हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : जो इनफॉर्मेशन आप क्वेश्चन्स के जरिये सीक करते हैं उसके बारे में आफिस से जो इनफॉर्मेशन आती है वह हम दे देते हैं उसके अलावा अगर कोई सूचना और चाही जाती है तो उसके लिये नोटिस चाहता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार के क्वेश्चन्स कई बार आते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : जिस रूप में आपकी तरफ से सूचना चाही गई वह दे दी गई अब आप जो पूछ रहे हैं उतनी डिटेल्स में आपने प्रश्न पूछा नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे यह समझ सका था कि वह ठेकेदार पेमेन्ट नहीं कर रहा है ? वह तो कर रहा है उसके न करने के बारे में मेरे पास न तो कोई कम्पलेन्ट है। ऐसी हालत में माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं उसी रूप में यदि प्रश्न कर लिया जाता तो वह सूचना प्राप्त हो सकती थी। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बातें बतायी हैं उनको पूरी करने में वी विल डू आवर बेस्ट।

श्री फतेहसिंह : सही बात तो यह है कि स्थानीय इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर ने पेमेन्ट नहीं किया....

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस बारे में बेस्ट पोसीबल एफर्ट्स करूंगा।

श्री फतेहसिंह : दुर्भिक्ष ग्रस्त इलाकों में कड़ी धूप में पेट पर पट्टी बांधकर काम किया है और फिर भी उनको तीन माह का पैसा नहीं मिला यह मेरे लिये और आप सब के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ इस बारे में आप जल्दी निर्णय लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यदि आप इसी तरह से प्रश्न पूछते रहे तो बचे हुए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं आयगा। मैं यह नहीं चाहता। यदि आप सहयोग दें तो एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिये जाते।

श्री विजयसिंह रावत : इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री फतेहसिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गरीब आदमी जो मजदूरी करे उनको समय पर मजदूरी भी न मिले, इस में बड़ी शिथिलता से काम हो रहा है। आपको देखना चाहिये कितना काम चला है कितना हुआ है उसको देखने से पता चलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता

(श्री हरिदेव जोशी)

हूँ। आज ही इस विषय पर जानकारी प्राप्त करके जो कुछ किया जा सकता है करने की कोशिश करूंगा। अगर ठेकेदार की या इंजीनियर की गलती है तो वह एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ८०३

भूमि का अलाटमेंट

८०३. श्री खेतसिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के एलान के बाद भी वीर चक्र पाने वाले स्वर्गीय मेजर पूर्णसिंह की वेवा को आज तक बीकानेर कलेक्टर ने रोकड़ का एवार्ड नहीं दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि वीर चक्र प्राप्त करने वालों को राज्य सरकार राजस्थान नहर पर जमीन एलाट करती है मगर कर्नल मेगसिंह, जिला जोधपुर को अभी तक कोई एलाटमेंट नहीं हुआ है ?

(३) क्या परमवीर स्वर्गीय शैतान सिंह के पुत्र को नि:शुल्क शिक्षा देने का राज्य सरकार का एलान था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त एलान के बावजूद भी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रश्न का जवाब राजस्व मंत्री महोदय अपनी टर्न पर देंगे यह प्रश्न उन्हीं से सम्बन्धित है अतः इसको स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या ८०४।

राहत कार्य पर मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान

८०४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू जिले में गत अकाल के समय काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी अभी तक नहीं दी गई है ? तथा वे किस-किस राहत कार्य पर काम करते थे ? अभी तक मजदूरी न देने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है और वे मांग रहे हैं और संबंधित निर्माण विभाग कहता है कि चुका दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि अनाज की ढुलाई करने वालों, घास की रखवाली करने वाले चौकीदार कुआ चलाने वालों के मजदूरी के पैसे भी अभी तक बड़ी तादाद में बाकी पड़े है ? यदि हां, तो क्यों, और कितने रुपये कितने लोगों के बाकी हैं ? अब ये कब तक चुका दिये जायेंगे ?

उप-मन्त्री अकाल सहायता (श्री

(श्री गंगाराम चौधरी)

गंगाराम चौधरी) : (१) चूरू जिले में ४१६५ मजदूरों की मजदूरी बकाया है जिसकी सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है। माह मार्च, १९६७ में सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं एवं अभि-दर्शकों को मजदूरों को मजदूरी का चुकारा करने के लिये गांवों में भेजा गया तथा उन्होंने जितने मजदूर उपलब्ध थे उन्हें भुगतान कर दिया था। जो मजदूर प्राप्त नहीं हो सके उनका भुगतान करने मे असमर्थता रही।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। अनाज की ढुलाई करने वालों की मजदूरी के पैसे अभी तक नहीं चुकाये गये हैं क्योंकि यह मामला खाद्य विभाग के विचाराधीन चल रहा है। अब तक जिन पार्टियों के क्लेम प्राप्त हुए हैं उनकी सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है खाद्य विभाग के अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। गत अकाल में घास नहीं खरीदा गया, और कोई चौकीदार आदि की रकम बाकी नहीं है। १७ कुओं की रकम १२,७६४ रु० ५० पैसे बाकी है। जिनका भुगतान उस वर्ष बजट शीर्ष में राशि के अभाव के कारण नहीं हुआ, जिलाधीश से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर औचित्य भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दौलतराम सारण : अकाल कितना भयंकर होता है यह किसी से छुपा नहीं है उस पर भी ४१६५ मजदूरों को उस समय की मजदूरी नहीं दी गई। अनाज ढोने वालों का ६६ हजार २३७ रुपया बाकी है। कुए चलाये उन मजदूरों को अकाल विभाग की तरफ से चुकारा नहीं किया गया तो आपने क्या पेमेन्ट किया? पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियर से मिले। मजदूरों को मजदूरी मिली नहीं, वे कहां से अनाज लाकर अपना पेट पालेंगे जहां कहीं वे गये वहां आधा घन्टे से ज्यादा ठहरे नहीं, उस समय लोग खेतों पर काम में लगे हुए थे उनका सूचना नहीं थी कि आफीसर लोग आये है यह कोई सुगन्ध तो उनको नही आती। वैसी हालत में अकाल के पैसे जो बकाया हैं उनको जल्दी दिलाने की व्य-वस्था की जाय।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इस प्रकार की बकाया तो सभी जगहों की है।

एक माननीय सदस्य : जल्दी पेमेंट कर दें तो पैसा फिर कैसे इकट्ठा हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सारे राजस्थान में इस प्रकार के मजदूरों के पैसे बकाया हैं। आप इस ओर ध्यान दें, आप इसके बारे में पुख्ता कदम उठायें और आपके एक्शन्स द्वारा आप जस्टीफाई करें। आप कुछ न कुछ दया तो करिये। मजदूरी लोगों को समय पर नहीं मिलती।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आप कहते हैं कि मजदूरों को पैसा देने के लिए

(श्री उपाध्यक्ष)

गांव में गये, वे नहीं मिले इसलिये नहीं दे सके लेकिन जिन्होंने पानी तोड़ा है आपका अनाज ढोया है वह भी आप नहीं चुका पाये। यह तो कोई प्रश्न का जवाब नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मंत्री अकाल सहायता) : अनाज ढोने का पैसा वह मजदूरी का नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वह भी सहकारी समितियों का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हो सकता है फूड डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हो। मजदूरों को मजदूरी देने के लिये यह व्यवस्था कर सकते हैं कि दो तीन सेन्टर प्लेस तय कर ली जाय या तहसील हैड क्वार्टर पर बुला कर उनको दिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : हैडक्वार्टर तहसील का पच्चीस मील की दूरी पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो वर्क्स के सेन्टर थे वहां पर चुकाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

एक माननीय सदस्य : पानी के जो पैसे बाकी हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : पानी और अनाज ढोने के दोनों साथ साथ ही होंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : जिन अधिकारियों ने पेमेंट वक्त पर नहीं किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय।

दौलतराम सारण : आपने प्रश्न के भाग (२) में कहा है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। मैंने स्वयं ने ऐसी शिकायतें जो मुझे मजदूरों की तरफ से मिली, उनको मेरे पास आने के बाद विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और कलेक्टर के पास भेजा है। जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किए हैं, पंचायत समितियों से लेटर लिये गये हैं, अप्लीकेशनें लिख कर दी हैं और उसके बाद भी आप कहते है कि ऐसी शिकायतें नहीं आई। मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला और कहते है कि ऐसी शिकायतें नहीं मिली।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन....

श्री विजयसिंह रावत : अजमेर जिले की भी यही शिकायत है........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह रावत : इन्होंने धांधली ही ऐसी मचा रखी है। तहसीलदार को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि जिसके अन्दर ४२३५ मजदूरों की (१८५४६) रु० बकाया है तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि वे यह आश्वासन दें कि अमुक समय में, महीने में, दस दिन में, पांच दिन में, कब तक इसका चुकारा कर देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा मैंने आश्वासन दिया है और मैं मेरी तरफ से तो कल ही आज्ञा जारी कर दूंगा और १५ दिन में........

श्री नत्थीसिंह : इनकी जिम्मेदारी है चुकारा कराने की। 'आज्ञा जारी कर दूंगा' से क्या मतलब है ? क्या यह कोई दया कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : इसमें निरन्तर मेरे प्रश्न समयाभाव के कारण रह जाते हैं......

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के लिए इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है। अकाल राहत कार्य का लोगों को पैसा नहीं दिया जाय, बाकी रहे और मंत्रीजी कहते हैं कि मेरी तरफ से तो मैं आज ही आज्ञा जारी कर दूंगा। यह उनकी जिम्मेदारी है। आखिर ये यहां पर किसलिए बैठे हैं ? आप, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कहें कि कल ही वहां पर चले जायं। यहां पर उनके बिना कोई काम नहीं रुकेगा। फौरन जाकर वहां पर व्यवस्था करें।

श्री बिजयसिंह रावत : काला मुंह करके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्रीजी की लड़की की शादी है, ऐसे कैसे छोड़ कर चले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। आॅर्डर आॅर्डर।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से लगातार समयाभाव के कारण मेरे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। इस तरह से आपस में बातें नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रा : आज भी मेरा प्रश्न सं० ८११ है जिसका कृपया उत्तर दिलवाने

(श्रीमती सुमित्रा)

की व्यवस्था करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल भोयल : (बयाना) : ८०७ भी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सं० ८११।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था यह भी कर दें कि जब महिला सदस्या कोई प्रश्न पूछे तो दूसरे सदस्य नहीं बोलें क्योंकि उनकी आवाज कमजोर होती है, सुनने में नहीं आती।

श्री नत्थीसिंह : उनकी आवाज कमजोर नहीं है, बुलन्द है। आपसे ज्यादा बुलन्द है।

पिलानी पुलिस द्वारा पकड़े गये ट्रक

८११. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ५ दिसम्बर सन् १९६६ को चार ट्रक मोठों से लदे हुए झुंझुनू से लगी पंजाब की सरहद पर पिलानी पुलिस द्वारा पकड़ कर थाना पिलानी में लाये गये ?

(२) क्या पिलानी थाने ने इसकी सूचना सूरजगढ़ थाने को भी दे दी थी ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में यह बात सही है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(४) इन सम्बन्धित मुलजिमानों को किसकी अदालत में पेश किया गया ?

(५) क्या यह बात सही है कि अदालत में जमानत होने के ५-६ दिन बाद सूरतगढ़ थाने में केस रजिस्टर हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल-व्यास) : (१) जी नहीं। दिनांक ५-१२-१९६६ को झुंझुनू से लगी पंजाब की सरहद पर पिलानी पुलिस द्वारा मोठ का कोई ट्रक नहीं पकड़ा गया और न थाना पिलानी में लाया गया। दिनांक ९-१२-६६ को चार ट्रक मोठों के पिपली पोस्ट थाना क्षेत्र सूरजगढ़ जो राजस्थान हरियाना सीमा पर हैं डी. एस. ओ. झुंझनू द्वारा पकड़े गये थे।

(२) जी नहीं, पिलानी थाने ने इसकी सूचना सूरजगढ़ थाने को नहीं दी थी, किन्तु बकवा थाना सूरजगढ़ का होने से एन्फोर्समेन्ट निरीक्षक चिड़ावा श्री फतेहदान ने स्वयं ने इसकी रिपोर्ट थाना सूरजगढ़ में दिनांक १४-१२-६६ को की थी।

(३) जी नहीं, यह सही नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। थाना सूरजगढ़ के दिनांक १४-१२-६६ को इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही अभियोग सं० ६३ धारा ३।७ ई० सी० एक्ट पंजिबद्ध किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। इस अभियोग में चारों ट्रक ड्राईवर एक खलासी एवं पांच व्यापारियों के विरुद्ध अदालत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोग में चार्ज फ्रेमिंग

(श्री दामोदर लाल व्यास)

के लिए दिनांक २४-७-६७ मुकर्रर है ।

(४) इन मुलजिमानों को जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू की अदालत में पेश किया गया था ।

(५) जी हां, जिला मजिस्ट्रेट महोदय झुंझुनू द्वारा इस अभियोग में मुलजिमानों की जमामत होने के पांच दिन पश्चात् सूरजगढ़ थाने में, एन्फोर्समेंट निरीक्षक चिड़ावा द्वारा १४-१२-६६ को सूचना देने पर आरक्षी केन्द्र सूरजगढ़ में अभियोग पंजीबद्ध किया गया ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह बात सही है कि उन व्यापारियों को बिना केस पुलिस में दिया है । डी. एस. ओ. झुंझुनू ने उन्हें परेशान करने के लिए और पन्द्रह हजार रुपये लेकर रात को १२ बजे जिलाधीश झुंझुनू के मकान पर जाकर जमानत करवाई ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होता यदि माननीय सदस्या मुझसे परटीक्यूलर क्वश्चन पूछ लेती तो शायद मैं उनको डिटेल्स दे सकता । परन्तु यह बात सही है कि डी. एस. ओ. ने उन गाड़ियों और मुलजिमों को जिलाधीश महोदय के पास पेश किया शुरू में वहां से ले जाकर और जिलाधीश महोदय ने उनको जमानत पर छोड़ा ।

श्रीमती सुमित्रा : केस ही नहीं बना तो जमानत का सवाल कैसे पैदा हुआ ? कलेक्टर के पास पहुंचे कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया कि डी. एस. ओ. ने अपने रिपोर्ट के साथ उन ट्रकों और मुलजिमान को पेश किया और जिलाधीश महोदय ने उनको जमानत पर छोड़ने के लिए हिदायद की और मुकदमा शुरू किया गया ।

श्रीमती सुमित्रा : कौन से कानून के अन्तर्गत डी. एस. ओ. झुंझुनू ने उन व्यक्तियों और ट्रकों को पकड़ा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि कानून की ३।७ दफा है एसेन्शियल सप्लाईज एक्ट की और उस कानून के अनुसार उनको गिरफ्तार करने का अधिकार था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर्स हैं जाब्ता फौजदारी में कि जिसमें कि वह खुद भी अगर चाहें तो किसी मुकदमें में किसी रिपोर्ट के आधार पर या स्वयं भी कॉग्नीजेंस ले सकते हैं और केस रजिस्टर कर सकते हैं । उन्होंने यह समझा कि यह दफा ३।७ का आफेंस है इसलिए उनकी जमानत ले ली और आगे की कार्यवाही का आदेश दे दिया ।

श्रीमती सुमित्रा : रात को १२ बजे अपने रेजिडेंस पर, क्या आवश्यकता आ पड़ी कि जिलाधीश झुंझुनू ने, जमानत ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मैंने अर्ज किया कि रात को १२ बजे वाली बात

(श्री दामोदर लाल व्यास)

की जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं इसकी जानकारी करूंगा। रात को १२ बजे जमानत लेने का आप जो अल्टिरियर मोटिव १५ हजार रुपये लेने की बात बता रही हैं तो उसकी इन्क्वायरी कराई जा सकती है यदि माननीय सदस्या उसके अंदर सहयोग देने को तैयार हों।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है....

श्रीमती सुमित्रा : आप कृपया बैठिए। पहले मुझे सवाल पूछ लेने दें, आप बाद में पूछ लें।

माननीय गृह मंत्रीजी, आपके उत्तर से भी यह तो स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी कार्यवाही हुई है वह अवैधानिक और अनियमित हुई है क्योंकि जमानत हुई है ९ तारीख की रात में केस दिया गया है १४ तारीख को। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगी कि इस केस के मामले के अंदर आप अपनी तरफ से इन्क्वायरी करवायें और इन्क्वायरी कराने के बाद उचित कार्यवाही करें। क्योंकि हुआ क्या है कि पन्द्रह हजार रुपया लेने के बाद जब इस बात का भण्डाफोड़ हो गया तब कलेक्टर ने डर कर फतेहदान नामक एन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के द्वारा पुलिस में केस दायर करवाया वह भी जमानत लेने के पांच दिन बाद।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक यह भी उत्तर दे दें कि क्या यह सही है कि झुंझुनूं के अन्दर एक प्रिवेंटिव फोर्स एक्साईज के किसी सदस्य ने ठेकेदारों के द्वारा दो हजार रुपया लेकर....

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं० ८०९ जनरल इंटरेस्ट का प्रश्न है। आर. ए. सी. की डेजर्ट डिविजन बनाने के सम्बन्ध में है। यह इण्डीजुअल के बारे में प्रश्न नहीं है, राजस्थान के जनरल डिफेंस का ताल्लुक रखता है यह प्रश्न।

श्रीमती सुमित्रा : गृह मंत्रीजी ने कोई जांच का आश्वासन नहीं दिया है। गृह मंत्रीजी जांच का आश्वासन दें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : पुलिस के द्वारा कत्ल होने के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न संख्या ८०७ है।

श्रीमती सुमित्रा : गृह मंत्रीजी जांच का आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया कि माननीय सदस्या ने जो मुद्दे उठाये हैं उनकी जांच कराने को तैयार हूं, मुझे इसमें कोई एतराज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं है मगर जांच का बेसिस होना चाहिए। माननीय सदस्या उसमें सहयोग दे दें तो मैं जांच करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न सं० ८०९।

राजस्थान सशस्त्र पुलिस को विशेष प्रशिक्षण

८०९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान–पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा हेतु राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का विचार रखती है और क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने वाले कुछ संसद सदस्यों के एक दल ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया था कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल का सैनिकीकरण किया जावे ?

यदि हां, तो उस दिशा में अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(ख) राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि रेगिस्तानी इलाके में लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ?

यदि हां, तो सरकार ने इस दृष्टि से क्या कोई कारगर योजना बनाई है ?

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस दृष्टि से भारतीय सेना में एक रेगिस्तानी डिवीजन का निर्माण किया जावे ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राजस्थान–पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने दिनांक १–३–६६ से अपने ऊपर ले लिया है। इस कार्य के लिये उन्होंने बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स का संगठन किया है। संसद सदस्यों के सुझावों की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(ख) देश की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है। राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है।

(ग) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य-सरकार यह उचित नहीं समझती कि राजस्थान-पाकिस्तान की सीमा के बीच संरक्षण की दृष्टि से कभी भी संभावित आक्रमण हो तो जिस प्रकार एक माउन्टेन डिवीजन मिलिट्री में है उसी प्रकार से एक डेजर्ट डिविजन का निर्माण इन्डियन आर्मी में किया जाय और उसके लिये भारत सरकार को लिखा जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राज्य सरकार सब आवश्यक समझती है और भारत सरकार भी आवश्यक समझती है उनके पास

Page No. 50

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माउन्टेन डिविजन है या डेजर्ट डिविजन क्या है उसकी सूचना नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है और आवश्यक नहीं समझती है कि भारत सरकार को अनुरोध किया जाय इस सम्बन्ध में कि इन्डियन आर्मी में एक डेजर्ट डिविजन का निर्माण किया जाय जो डेजर्ट एरिया में फाइटिंग के बारे ट्रेनिंग ले और लड़ने में एक्सपर्ट हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वक्तन फवक्तन राजस्थान के मुख्य मन्त्री वहां मिलकर उनको सारी स्थिति बतलाते हैं और डिफेन्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से बात करने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जो व्यवस्था है वह पर्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आॅर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न ८०७ बहुत जरूरी है। एक आदमी को मार दिया थानेदार ने और माननीय सदस्य को विन ओवर करके यहां से भगा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मैं बार-बार आपसे सहयोग की अपील करता रहा हूँ कि बिल्कुल ही रेलेवेन्ट पूरक प्रश्न पूछे जाते तो समय मिल सकता था, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने रेलेवेन्ट प्रश्न, मैं मानता हूं, कि नहीं पूछे। इससे समय का अभाव हो गया है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ८०७ बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : No.। स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में आये दिन ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : (एक अन्य माननीय सदस्य के साथ बोलने पर) आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं इसमें समय व्यर्थ जा रहा है और मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मंत्री महोदय जवाब दे दें और जवाब देने के बाद कोई सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जायेंगे।

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपको रिटन रिप्लाई बतला देंगे।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : माननीय मन्त्री महोदय इसको पढ़ें नहीं और यह कह दें कि इस पर गौर कर लेंगे।

मलारना डूंगर के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

८०७.. श्री पृथ्वीराज (बावनवास) (श्रीमुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा

(श्री पृथ्वीराज)

पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या थाना मलारना डूंगर में २१-२६ मार्च, ६७ की मध्यावधि में पुलिस हिरासतमें एक अभियुक्त की उसे पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने के कारण मृत्यु हो गई ?

(२) क्या थाना मलारना डूंगर के दोषी थानेदार बलवीरसिंह के विरुद्ध उक्त विषय की कोई जांच की गई ?

(३) क्या इस थानेदार के विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायत भी प्राप्त हुई ?

(४) यदि ऐसा है, तो इस थानेदार के विरुद्ध इन गंभीर आरोपों के प्रति अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) दिनांक २१-२६ मार्च की मध्यावधि में पुलिस हिरासत में एक अभियुक्त की मृत्यु हुई लेकिन इसकी मृत्यु पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने के कारण नहीं हुई।

(२) जांच हस्ब दफा १७६ जा० फो० एस० डी० एम० साहब गंगापुर द्वारा की गई जिसमें पुलिस को दोषी नहीं ठहराया गया।

(३) इस थानेदार के विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार विभाग में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(४) जिन जिन मामलों में प्रारम्भिक जांच से थानेदार को दोषी पाया गया है उनमें विभागीय कार्यवाही चल रही है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय ·········

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एक आदमी की मृत्यु हुई और पुलिस के कारण नहीं हुई तो उसका आधार क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज माननीय सदस्य के कहने पर कि इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे तो उस पर कहा गया था कि मत्रीजी जवाब दे दें। जवाब प्राप्त हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : धन्यवाद।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व अपील अधिकारी

७९१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्व अपील अधिकारी राजस्थान में कितने हैं और कौन कौन से जिलों

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के मुकदमे सुनते हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार इन अधिकारियों के श्रवणाधिकार में कोई परिवर्तन करने का इरादा करती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या जयपुर जिले के मुकदमों को सुनने का अधिकार उदयपुर के राजस्व अधिकारी को दिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में निम्न चार अपीलेट अधिकारी हैं :

(१)–जयपुर:—इसका अधिकार क्षेत्र अजमेर, अलवर, जयपुर, झुन्झुनू सीकर तथा टोंक है।

(२) उदयपुर—इसका अधिकार क्षेत्र बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, डूंगरपुर व उदयपुर है।

(३) कोटा:—इसका अधिकार क्षेत्र भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा एवं सवाई माधोपुर है।

(४) बीकानेर:—इसका अधिकार क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली व सिरोही है।

२. राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ ६ (५६) राग/२/६५ दिनांक १२-७-६७ को उदयपुर के अपीलेट अधिकारी को अजमेर एवं टोंक के मुकदमे को जो मई सन् ६७ तक अनिर्णित थे उनके लिये उदयपुर अपिलेट अधिकारी को माह में १० दिन जयपुर आकर सुनने व फैसला करने आदि के अधिकार प्रदान किये हैं। जयपुर अपीलेट अधिकारी के पास कार्य की अधिकता तथा उदयपुर अपीलेट अधिकारी के पास कार्य अपेक्षा कृत कम होने से ऐसा किया गया है।

३. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुलताना

४३२. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि सुलताना कस्बा, जिला झुंझुनूं में पिछले सात वर्ष से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Primary Health Centre) स्थापित है ?

(२) उक्त अवधि में किस किस डाक्टर को कितने कितने समय के लिये विभाग द्वारा उक्त चिकित्सा केन्द्र पर नियुक्त किया गया ? यदि कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया तो इसका कारण क्या है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त चिकित्सा केन्द्र में उसकी स्थापना के समय

(श्री मूलचन्द कटेवा)

से अब तक कोई भी महिला स्वास्थ्य विजिटर (Lady Health Visitor) नियुक्त नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

४) क्या यह सच है कि सरकार की उपेक्षा वृत्ति के कारण उक्त चिकित्सा केन्द्र से स्थानीय जनता को जो लाभ पहुँचना चाहिये उससे वह वंचित है और उसकी स्थापना का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया है ?

उत्तर

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलताना जिला झुंझुनूं में दिनांक २९ फरवरी सन् १९६७ से कार्य कर रहा है।

(२) राजस्थान में पिछले अनेक वर्षों से डाक्टरों की अत्यन्त कमी चली आ रही है जिसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सुलताना में अभी डाक्टर नहीं लगाया जा सका है किंतु अब शीघ्र डाक्टर उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी। डाक्टर के अभाव में राजस्थान सरकार ने जहां पर चिकित्सा सेवा अनिवार्य है, वहां के लिये प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर की नियुक्ति की जाती है वे चिकित्सक अभाव को किसी हद तक पूर्ण करने में सम्पूर्ण होते हैं।

(३) जी हां, महिला स्वास्थ्य विजीटरों के अभाव में एक एग्जूलरी नर्स मिडवाईफ कार्य कर रही है। ट्रेंड स्वास्थ्य विजीटरों के उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

(४) जी नहीं।

ग्राम पेडेर में डिस्पेन्सरी की मांग

४३३. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जहाजपुर तहसील में कितनी एलोपेथिक डिस्पेन्सरियां हैं ?

(२) क्या यह सही है कि विगत १० वर्ष से पेडेर में एलोपेथिक डिस्पेन्सरी की मांग की जा रही है ?

(३) यदि हां, तो वहां की इस मांग को पूरा करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(४) सरकार क्या वहां इस वर्ष में डिस्पेन्सरी स्थापित करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जहाजपुर तहसील में २ एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां तथा एक प्राथमिक केन्द्र है—

१—शक्करगढ़ डिस्पेन्सरी

२—खजूरी डिस्पेन्सरी।

(२) जी नहीं पेडेर में डिस्पेन्सरी

(चिकित्सा मन्त्री)

खोलने की मांग प्रधान पंचायत समिति के पत्र संख्या १७-२१, दिनांक २-१-६७ के द्वारा की गई थी। जो इस निदेशालय में दिनांक ११-१-६७ को प्राप्त हुई है।

(३) इस विषय में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा से रिपोर्ट मांगी गई थी जो कि उनके पत्र संख्या ७४६३ दिनांक ७-७-६७ के द्वारा प्राप्त हुई है। जिससे ज्ञात हुआ कि पेडेर की जन संख्या ३४५० है वहां एक आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम पेडेर जहाजपुर पी० एच० सी० के ५ से १० मील के क्षेत्र में है। उपरोक्त सुविधाओं को देखते हुये वहां एक नई डिस्पेन्सरी खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत–पाक संघर्ष के दौरान बहादुरी एवं कर्तव्य परायणता के लिए इनाम

४३४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६६ में भारत पाक संघर्ष के दौरान बहादुरी एवं कर्तव्य परायणता के लिये किन किन आर. ए. सी., सिविल पुलिस व सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों व नागरिकों को किस किस प्रकार का इनाम राज्य सरकार एवं भारत सरकार से मिला है? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त श्रेणी के किन किन राज्य कर्मचारियों को उनसे कार्य में गफलत होने के कारण क्या २ सजा दी गई? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या उपरोक्त प्रसंग में किन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय कार्यवाही या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध और कब कब से?

उत्तर

(१) पारितोषिक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १. सिविल पुलिस में श्री सुमेरसिंह एस. आई. को उनकी फैमेली को हिन्दूमल कोड से कायरता के कारण हटा लेने पर ससपेंड कर दिया गया था, मगर बाद में यह चार्ज ड्रोप कर दिया गया।

२. आर० ए० सी० में केवल एक कम्पनी कमांडर श्री मूलसिंह को रिवर्ट किया गया।

(३) जी नहीं।

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)

पुलिस स्टेशन गढ़मोरा के अन्तर्गत ग्राम

४३५. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : गृह मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:—

(१) पुलिस स्टेशन गढ़मोरा के अन्तर्गत किस किस तहसील के कितने-कितने ग्राम हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि गंगापुर तहसील के कुछ गांव हिण्डोन पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आते हैं और कुछ पुलिस स्टेशन मलारना डूंगर के अन्तर्गत हैं ? यदि हां तो क्या सरकार पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रीओर्गेनाइजेशन करने की कार्यवाही रेवेन्यू डिवीजन को देखते हुए करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) पुलिस स्टेशन गढ़मोरा के अधीन तहसील टोडाभीम के ८ ग्राम तथा शेष १५५ ग्राम तहसील वामनवास नोदातो के हैं। तहसील टोडाभीम के ८ ग्रामों के नामों की सूची संलग्न है।

(२) केवल ८ ग्राम तहसील गंगापुर के थाना हिन्डोन के नीचे हैं । ४६ ग्राम तहसील बामनवास तथा १७ ग्राम तहसील गंगापुर के थाना मलारना डूंगर के नीचे हैं । जी हां, सरकार इन ग्राम का रेवेन्यू डिविजन के अनुसार रिआर्गेनाइजेशन करने पर विचार कर रही है । अधीक्षक आर सवाई-माधोपुर द्वारा भी रेवन्यू डिविजन के अनुसार रिआर्गेनाइजेशन करने के लिये सन् १९६४ से पत्र व्यवहार चलरहा है जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन है । कमेटी की जब मीटिंग होगी उस समय इन मुदों पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा । ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

अनाज के तस्कर से सम्बन्धित मामले

४३६. श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६६ तथा १९६७ में जिलाधीश, झुंझुनूं ने अनाज के तस्कर व्यापारियों से सम्बन्धित विभिन्न मुकदमों में क्या क्या सजायें दीं ?

(२) कितने केसेज में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को निर्दोष मान कर छोड़ा गया ?

उत्तर

(१) सन् १९६६ में अनाज के तस्कर व्यापार के सिलसिले में जिला झूंझनूं में १८ केस दर्ज हुये और इनमें ५१ मुलजिम गिरफ्तार किये गये । इन मुकदमातों में से १४ केसों का चालान अदालत में हुआ जिसमें ४६ मुलजिमान थे । चालानशुदा मुकदमातों में से दो मुकदमों में ५ मुलजिमान सजायाब हुए जिनका तफसील निम्न प्रकार है:—

(१) मुलजिम वृद्दमदत्त वैद्य १०००) रु० जुर्माना व अदम अदाय जुर्माना १ माह कैद

(गृह मन्त्री)

सरवक्त का सजायाब हुआ । गेहूँ १५ बोरी जप्त राज हुए ।

(२) मुल्जिम अर्जुनसिंह पृथ्वीसिंह पर ४००) ४००) जुर्माना अदम जुर्माना ४-४ माह कैद के सजायाब हुये व मुल्जिम जयसिंह व घूड़ाराम २००)—२००) रु० जुर्माना अदम अदाय जुर्माना २-२ माह कैद के सजायाब हुए । माल चना १० बोरी व ६ बोरी मोठ जप्त राज हुआ । इसी प्रकार सन् १९६७ में ३० जून, ६७ तक १६ केस दर्ज हुए जिसमें ६९ मुलजिमान गिरफ्तार हुए । इन मुकदमों में से ४ मुकदमों का चालान हुआ जिसमें से एक केस में एक मुलजिम को सजा हुई जिसकी तफसील निम्न प्रकार है—

(१) मुल्जिम श्री नारायन पर १००) रु० जुर्माना अदम अदाय जुर्माना १।। माह कैद का सजायाब हुआ माल अनाज जप्त राज किया गया।

(२) किसी भी व्यक्ति को निर्दोष मानकर नहीं छोड़ा गया ।

पलाना खान का विकास

४३७. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से पलाना खान का विकास करके वहां पर एक लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना तैयार करली गई है ?

(२) सरकार ने उक्त योजना की क्रियान्वित हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस योजना की क्रियान्वित से मानसून पर आधारित विद्युत् उत्पादन के फेल होने पर उस स्थिति का मुकाबला करने में सरकार को सहायता प्राप्त हो सकती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि पलाना खान से कोयला खनन् का काम बन्द कर दिया गया है ? अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां । रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से केवल ओपन कास्ट की योजना तैयार की गई है । साथ ही ५० मेघावाट बिजली पैदा करने की योजना आर० एस० ई० के द्वारा तैयार कराई जा चुकी है ।

(२) चूंकि थरमल पावर योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई है अतः कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां क्योंकि पिछले ६ वर्षों से इस खान से बराबर राज्य सरकार को नुकसान हो रहा था और अब इस कोयले का कोई स्थानीय उपयोग न होने की वजह से उत्पादन हर दशा में महंगा पड़ता है ।

खेड़ली गंज के कृषि कार्यों के लिए बिजली

४३८. श्री गंगासहाय (कटूमर सु.) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खेड़लीगंज को जो बिजली दी गई है—वह कृषि कार्यों के लिये नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि खेड़लीगंज से २ से ४ फर्लांग की दूरी वाले गांव, जो कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें बिजली नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि जिन गांवों में होकर उक्त बिजली की लाइनें खेड़लीगंज में लाई गई है—उन रास्ते के गांवों को बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। खेड़लीगंज का विद्युतिकरण दिनांक १६-११-६३ को स्थानीय वितरण योजना के अन्तर्गत किया गया था और वहां पर कुओं को बिजली दी जा रही है।

(२) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार केवल खेड़लीगंज टाउन में बिजली दी गई है खेड़लीगंज टाउन और खेड़ली गांव के बीच रेलवे लाइन है। खेड़ली गांव का विद्युतिकरण करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं है। कुए खेड़ली टाउन के सब स्टेशन से ३ मील के फासले तक फैले हुए हैं।

(३) खेड़लीगंज की लाइन ३३,००० वोल्ट की है अतः उसको जगह जगह टेप नहीं किया जा सकता।

सागवाड़ा-सलूम्बर विद्युत लाइन

४३९. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सागवाड़ा—सलूम्बर बिजली लाइन को वाया पाडवा एवं आसपुर जोड़ने का प्रस्ताव विद्युत मण्डल के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो कब से ? और अब तक इस योजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सागवाड़ा व पाड़वा बिजली लाईन से जोड़ने का प्रस्ताव था ?

(४) अब यह मामला किस स्टेज पर रुका पड़ा हुआ है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील बाली के ग्रामों का विद्युतिकरण

४४०. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) ।

(श्री पृथ्वीसिंह)

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाली तहसील के कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है ?

(२) कुल ऐसे कितने गांव हैं, जहां पर विद्युतीकरण १ अप्रेल, १९६६ से पहले कर दिये जाने की घोषणा कर दी गई हैं, लेकिन वास्तव में कनेक्शन एक भी नहीं किया है ? और ऐसे कितने गांव हैं जहां पर घरेलू कार्यों हेतु तो विद्युत् दे दी गई है पर कृषि कार्य हेतु नही दी गई है ? इसका क्या कारण है ? और इनका वास्तविक विद्युतीकरण कब तक होगा ?

(३) क्या यह सही है कि गांव पादरली, तहसील देसूरी, जिला पाली में जो ट्रांस्फार्मर लगाया गया है, वह राणी गांव निवासी श्री लक्ष्मीचन्दजी के ट्यूबवेल पर लगी ३५ हा. पा. की मोटर का लोड उठाने की भी क्षमता नहीं रखता, और उसी लाइन पर दूसरे काश्तकारों को भी कनेक्शन दिये गये हैं ? और इससे पीडित हो काश्तकार हमेशा शिकायतें करते है ? अतः उस ग्राम के काश्तकारों की सुविधा हेतु कितने समय में बड़ा ट्रान्स्फार्मर लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) ३३ ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(२) (अ) १-४-६६ से पहिले ४ ग्रामों का विद्युतिकरण हो गया था मगर उनमें से कृषि कार्यों हेतु कोई कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है।

(ब) ५ ग्रामों में घरेलू कार्यो हेतु बिजली दी हुई है।

(स) अभी तक कृषि हेतु कनेक्शन नहीं नहीं दिये जाने के विभिन्न कारण हैं यथा कुछ लोगों ने पम्प नहीं लगाये हैं कुछ ने पैसे जमा नहीं कराये हैं और कुछ ग्रामों में अर्जिया ही प्राप्त नहीं हुई हैं।

(द) यदि नियमानुसार वांछित कार्यवाही पूरी करदी जाये जो कनेक्शन देने में कोई कठिनाई नहीं है।

(३) (अ) जी नहीं। ट्रांसफारमर की क्षमता ११० हार्स पावर तक लोड उठाने की है और इस ट्रांसफामर से केवल ५ कनेक्सन दिये गये हैं जिनका कुल लोड ६० हा० पा० है।

(ब) श्री लक्ष्मीचन्द जी के अलावा अन्य किसी काश्तकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(स) श्री लक्ष्मीचन्द जी की कठिनाई को हटाने के लिए एच० टी० लाईन खींच कर यथा शीघ्र दूर करने का प्रयत्न किया जायगा ?

कस्बा पहाड़ी व कस्बा जुरहडा में बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र

४४१. श्री मजलिस खां (कामां) :

(श्री मजलिस खां)

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा जुरहडा और कस्बा पहाड़ी को भाखडा की बिजली सप्लाई की गई है ? यदि हाँ तो कितने कितने किलोवाट ?

(२) क्या यह भी सही है कि अभी तक पूर्णरूप से उक्त कस्बात् को बिजली नहीं दी गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि यह प्रश्न बार बार सदन में उठाया जा चुका है ? यदि हां तो क्या कारण है कि बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि कस्बा पहाड़ी और कस्बा जुरहड़ा के और पास पड़ोस के किसानों ने खेती के लिये बिजली की मांग की है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसानों की कितनी दरख्वास्त हैं और उनमें से कितनों को बिजली दी जा चुकी है, और कितनों को देनी बाकी है, व कब तक दे दी जावेगी ?

(५) क्या यह भी सही है कि हरियाणा सरकार से अधिक बिजली की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो कब और कितने किलोवाट के लिए और हरियाणा सरकार की ओर से उसका क्या उत्तर मिला ?

उत्तर

(१) जी हां। कस्बां पहाड़ी को १२ किलोवाट और कस्बा जुरहडा को ३७ किलोवाट।

(२) उक्त कस्बों में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बिजली पूर्णरूप से उपलब्ध है।

(३) इस प्रकार का प्रश्न इस कार्यालय में पहले, प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(४) जी हां। कस्बा पहाड़ी और जुरहड़ा के पास पड़ौस के किसानों की जो मांग आई है उनका विवरण संलग्न है।

(५) जी हां। १०० किलोवाट के लिए लिखा था।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

कस्बा सीकरी में बिजली

श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिसम्बर ६६ में कस्बा सीकरी, जिला भरतपुर को बिजली सप्लाई की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि समस्त कस्बे में बिजली नहीं पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि सामान पड़ा हुआ है और बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि नगर से सीकरी तक जो लाइन खेंची गई है वह ग्राम बरखेड़ा बरूंपाल-गुलपाड़ा का पुनाथ होती हुई

(श्री मजलिस खां)

डाली गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के किसानों ने खेती के लिये बिजली की मांग की थी और उनको बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार खेती को बढ़ावा दिये जाने की योजना को ध्यान में रखते हुए किसानों की दरख्वास्तों पर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(४) क्या यह भी सही है कि कस्बा सीकरी से ५ मील आगे गोपालगढ़ कस्बा है और वहां की जनता ने बार बार बिजली के लिये मांग की है ? और सदन में भी यह प्रश्न बार बार उठाया गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है।

उत्तर

(१) कस्बा सीकरी का विद्युतीकरण दिनांक २४-१-६७ को किया जा चुका है। इसके साथ ही १९६६-६७ की योजना में स्वीकृत इसके समीपवर्ती समस्त ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में ग्रामों को बिजली न पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता उपभोक्ताओं को बिजली देने में समय अवश्य लगेगा।

(२) नगर से जो लाइन सीकरी जाती है वह बरखेड़ा आलमशाह बेर पालका गूल-पाडा होती हुई डाली गई है। इस योजना में पुनाय का नाम नहीं है। सीकरी के अलावा इन गांवों में से किसी भी किसान ने बिजली की मांग अभी नही की है। जिसकी विभागीय कार्यवाही चल रही है कार्यवाही पूरी हो जाने पर कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र दे दिया जावेगा।

(३) जी हां इस ओर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पूर्ण प्रयत्नशील है। योजना के लाभदायक होने तथा प्रर्याप्त धनराशी के उपलब्ध होने पर कनेक्शन अवश्य ही दिये जायेंगे।

(४) जी हां। पर्याप्त धनराशी के उपलब्ध होते ही इस कस्बे के विद्युतीकरण पर विचार कर लिया जावेगा।

झुंझनू जिले के ग्रामों में सिचाई के लिए बिजली

४४३. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझनू जिले के धूमनसर कलां, किढ़वाना और काकोडा ग्राम को सिचाई के लिये बिजली दिये जाने की स्वीकृति हुई थी ?

(२) अगर हां, तो क्या बिजली दे दी गई ?

(३) अगर नहीं दी गई तो उसका क्या कारण है ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(४) क्या इन ग्रामों को तुरन्त बिजली दिये जाने की व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) घुमनसर कलां को २५-३-६७ को और किडवाना को २४-३-६७ को बिजली दे दी गई।

(३) समय व सामान की कमी के कारण काकोडा को बिजली नहीं दी जा सकी।

(४) अभी निश्चित रुप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

नोहर व भादरा तहसीलों के ग्रामों को बिजली

४४४. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नोहर भादरा तहसीलों के किन २ गांवों में बिजली दे दी गई है और किन किन में दी जा रही है ?

(२) इन दोनों तहसीलों में कुल कितने कुवों में सिंचाई के लिये बिजली दी गई है तथा कितने कुवों में और दी जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि भादरा तहसील के गांवों में काफी किसान कुओं में ट्यूबवैल लगाने को तैयार हैं फिर भी उनको बिजली नहीं दी जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि इस वर्ष भादरा कस्बा से भादरा तहसील के गांव पटवा जोगीवाला, अमरपुरा, सूरतपुरा, मीराणी, डाबडी वगैरा को बिजली दिये जाने की तजबीज है ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या नोहर तहसील के फेंफाना गांव को बिजली इस वर्ष दी जावेगी जिसकी जन संख्या ५ हजार से ऊपर है ?

(८) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम हरणा में कुओं पर बिजली

४४५. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम ठीकरदा, तहसील हिण्डोली से जो विद्युत लाइन फूलसागर गई है उससे ग्रामीणों के कुओं पर पम्प लगाने के सहायक इन्जीनियर विद्युत विभाग, बून्दी को आवेदन-पत्र दिये थे ?

(२) क्या यह सही है कि हिण्डोली

(श्री केशरीसिंह)

होकर जो विद्युत लाइन देवली जाती है वह ग्राम हरणा होकर खास तौर से खेंची गई थी ? यदि हां, तो वहां पर कितने कुओं पर कनेक्शन्स लिये गये हैं और कितने पम्प लगाये गये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम हिन्डोली के रेगरों के मोहल्ले एवं रामदेवजी के मन्दिर में बिजली

४४६. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम हिण्डोली (बून्दी जिला) में रेगरों के मोहल्ले में व रामदेवजी के मन्दिर के पास बिजली का खम्बा क्यों नहीं दिया गया है ? और अब कब तक बिजली दिये जाने की व्यवस्था हो सकेगी ?

उत्तर

ग्राम हिन्डोली (जिला बून्दी) में रेगरों के मोहल्ले में व रामदेवजी के मन्दिर के पास बिजली की मांग नहीं होने से वहां पर खम्बे नहीं लगाये गये हैं ?

ग्राम धेवगुडा, मोड़ी व खत्रीपुरा में बिजली

४४७. श्री सहदेव शर्मा (आमेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम देवगुड़ा, मोड़ी, खत्रीपुरा में बिजली की लाइन खींच दी गई है ? यदि हां, तो इस लाइन को चालू क्यों नहीं किया जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि चक रोजदा ग्राम भी इसी सूची में शामिल था परन्तु इस ग्राम तक लाइन नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो कब तक पहुंच जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ट्रान्सफारमर न होने के कारण लाइन चालू नहीं की।

(२) जी हां। सामान न होने के कारण कार्य नहीं हो सका। अब पर्याप्त धनराशि प्राप्त होते ही कार्य कर दिया जा सकेगा।

पंचायत समिति क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के कुओं पर बिजली

४४८. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़ सु.): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कितने कुओं पर बिजली दी गई और कितने कुओं के बिजली लेने के प्रार्थनापत्र आये हुए हैं ? इनको बिजली कब दी जायेगी ?

(२) यदि नहीं दी जावेगी, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सीकर क्षेत्र की बिजली की स्कीमें

४४६. श्री हरलालसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सन् १९६६-६७ में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सीकर क्षेत्र में कितनी स्कीमें बिजली लगाने की स्वीकृत हुई व कब कब ?

(२) उपरोक्त स्वीकृत स्कीमों में से कितनी स्कीमों का कार्य हो गया व कितनी स्कीमों का कार्य चालू नहीं हुआ व अब कब शुरू होगा ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कीमें प्रायोरिटी के आधार पर स्वीकृत हुई व कार्य भी क्या प्रोयोरिटी के आधार पर ही हो रहा है ? उपरोक्त स्कीमों का कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

(४) क्या यह सही है कि इन स्कीमों के पहले की स्कीमों में अभी तक कृषकों को कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां तो कहां कहां व क्यों ?

उत्तर

(१) निम्नलिखित तारीखों पर १४ स्कीमें स्वीकृत हुई।

(अ) सीकर उपखण्ड		(ब) चौमूं उपखण्ड	
४-५-६६	२	४-१-६७	२
१२-९-६६	१		
२-११-६६	१	५-१-६७	१
२२-११-६६	१		
१८-१२-६६	१	८-१-६७	१
२३-१२-६६	१		
६-१-६७	१		
७-१-६७	१		
२३-१-६७	१		

(२) उपरोक्त १४ स्कीमों में से ८ स्कीमों का कार्य हो गया है ६ का बाकी है इन पर कार्य शुरू करना धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है अस्तु निश्चित तिथि बताने में असमर्थता है।

(३) कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारित करने में विवशता है।

(४) जी हां, इन स्कीमों के पूर्व की स्कीमों का भी कार्य अभी कुछ बाकी है जिनकी जगह और कारण नीचे लिखे हैं :-

(१) क्या बास छोटी :-स्वीकृत दिनांक ८-७-६६, इस स्कीम का आधा कार्य हो चुका है व कुछ सामान साइड पर भेज दिया गया है।

(२) बूरथल :- स्वीकृत दिनांक १७-१०-६६ इस स्कीम में एच० टी० लाइन ट्रांसफार्मर व करीब ३० खम्बे साइड पर दिये जा चुके हैं। व दो केनेक्शन भी दिये गए हैं ?

(३) भीलपुरा :- स्वीकृति दिनांक ७-१-६७। यह १३ कृषकों की स्कीम है, इसमें केवल ९ कृषकों ने पैसा जमा कराया

(विद्युत मन्त्री)

है। अतः कार्य नहीं किया गया।

(४) अनोपुरा:– स्वीकृति दिनांक २५-११-६६ इस स्कीम के १४ कृषकों में से केवल ६ कृषकों ने पैसा जमा कराया है। अतः कार्य नहीं किया गया।

(५) खेजरोली :– स्वीकृति दिनांक २६-१२-६६, इसका कार्य चालू है। काफी खम्बे साइज़ के भेज दिये हैं।

(६) कल्याणपुरा :– स्वीकृति दिनांक २६-५ कार्य पूरा हो चुका है। एक को कनेक्शन दिया गया है। व चार कृषकों ने अभी तक फिटिंग नहीं कराई है।

रींगस सर्किल में कुओं के लिये बिजली

४५०. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६६-६७ में रींगस सर्किल में कितने कृषकों ने कब कब बोर्ड के डिमाण्ड नोटिस पर अपने कुओं पर बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी जमा कराई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सिक्योरिटी जमा होने पर कितने कृषकों को कब कब कनेक्शन दिया गया?

(३) क्या यह सही है कि ये कनेक्शन प्रोयरिटी से नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि तीन माह से अधिक समय से काफी कृषकों के कनेक्शन्स नहीं हुए? यदि हां, तो कितने कृषकों के व क्यों नहीं हुए?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अजमेर–बनास बिजली की लाइन पर सामान का गबन

४५१. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी सु.) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) क्या यह सही है कि अजमेर से बनास लाइन के कार्य में सरकारी सामान गायब हो गया है?

(२) अगर हां, तो गायब सामान की लागत क्या है?

(३) क्या उपरोक्त गबन की रिपोर्ट किसी पुलिस थाने में की गई है?

(४) अगर की गई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लगभग ५८,०००) रुपये

(३) जी हां।

(४) एस० एच० ओ० केकड़ी तफतीश कर रहा है।

मेड़ता क्षेत्र में बिजली

४५२. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र में आलनियावास की नदी के पास होकर बिजली की थांवला ले जाने की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत ग्राम कोड की सरहद में मांगू चौधरी के कुए तक बिजली आ चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि कोड व उसके पास के ही टेला व जगमालोता ग्राम में अनेक कुए हैं जहां बिजली दे देने से सिंचाई द्वारा खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ सकती है क्यों कि यहां पानी कम गहरा व बहुतायत से हैं ?

(४) क्या सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही बिजली देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी अभी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(२) जी हां। कोड जाने वाली लाइन से एक कुए तक बिजली जा चुकी है लेकिन वह लाइन उपरोक्त योजनता के अंतर गत नहीं है।

(३) हो सकता है।

(४) यदि पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर अन्य उपजाऊ क्षेत्रों के साथ इस क्षेत्र के विद्युतीकरण पर भी अवश्य विचार कर लिया जावेगा।

ग्राम पालड़ी में बिजली

४५३. श्री लाभचन्द गौद (सुजानगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सिरोही जिला स्थित पालड़ी (पीपलकी) ग्राम में बिजली गई है परन्तु खेती के लिये कनेक्शन नहीं दिये जाते ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पावर हाऊस में लगे संयंत्रों की क्षमता कम होने के कारण खेती के लिए कनेक्शन देने में असमर्थता रही है।

कामां क्षेत्र में गुड़गांवा केनाल की खुदाई का कार्य

४५४. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कामां निर्वाचन क्षेत्र के ७५ ग्रामों को गुड़गांवा केनाल से सिंचित किया जावेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त केनाल की खुदाई तथा निर्माण कार्य के पूर्णरूप से ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन ठेकेदारों को और कितनी कितनी दूरी के ठेके दिये गये हैं ?

(श्री मजलिस खां)

और कहां कहां पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि कई एक ठेकेदारों ने अभी तक खुदाई कार्य शुरू नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसे ठेकेदार कौन कौन हैं ? क्या यह भी सही है कि इस समय जमीन भी खाली है और निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण बहुत से इंजीनियर और स्टाफ बेकार बैठा है, जिसका सरकार को बहुत बडा नुकसान हो रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर तहसील डीग में भी काफी ग्रामों की भूमि को पानी देगी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि तहसील डीग में अभी तक खुदाई तथा निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है ?

(४) क्या यह भी यही है कि उक्त केनाल पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या से स्टाफ की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार फालतू स्टाफ को डीग तहसील में निर्माण शुरू कराने के लिये लगाने का विचार करेगी ?

उत्तर

(१) (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं ।

(स) आंशिक रूप से ठेके दिये जा चुके हैं।

(१) श्री चेतन देव चैन० से १४० चैन तक।

(२) श्री आर्य कन्सट्रक्शन चैन १४० से २६५ चैन तक।

(३) श्री जगदीश मित्तल चेन २६५ से ३६६ चैन तक।

(४) श्री रिछीराम चैन ३६६ से ५०० चैन तक।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, कार्य भूमि अप्राप्ति न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(४) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम झरणा गोपालपुरा व बोबास में सिंचाई

४५५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या सिंचाई मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि तहसील दूदू व फुलेरा के ग्राम झरना व गोपालपुरा व बोबास में जमीन की सतह से ऊपर जो पानी बहता है उसका उपयोग सरकार सिंचाई हेतु कर सकती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(२) क्या सरकार इन जगहों की सर्वे करा सकती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि यहां ट्यूबवैल लगाने से काफी बारानी जमीन सिंचित हो सकती है ?

उत्तर

(१) प्राथमिक जांच के बाद ही कहा जा सकता है।

(२) उपयुक्त पाये जाने पर सर्वे का प्रश्न उठेगा।

(३) कृषि विभाग से सम्बन्धित हैं।

बंधगा लाखेडा के पानी का उपयोग

४५६. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि गालाखेडा बन्ध में जो पानी वर्षा होने पर भरता है उसे वर्षा समाप्त होने से पूर्व ही मोरी खोल कर निकाल दिया जाता है?

(२) क्या यह सही है कि इस बन्ध के पानी का सही निकास (नहर) न होने के कारण खेतों की खड़ी फसल में पानी भर जाता है और उससे फसल खेतों में गल जाती है?

(३) क्या यह सही है कि इस पानी की पिलाई का पैसा किसानों से वसूल किया जाता है?

(४) क्या यह सही है कि इस पानी से गालाखेड़ा, सौरवर, सौरवरी, कानेटी, दारोदा, नमला केसदियान आदि गांवों की सैकड़ों बीघा में खड़ी फसल को प्रति वर्ष भारी नुकसान पहुंचता है?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों के लोग प्रति वर्ष सम्बन्वित अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि उनसे इस वर्षा के पानी की पिलाई न ली जावे जो उनकी खड़ी फसल को प्रति वर्ष भारी हानि पहुंचाता है?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त बन्ध में पानी को पक्की नहर द्वारा निकाला जावे तो कितने ही गांवों की पानी की मांग की पूर्ति की जा सकती है और इस पानी से प्रति वर्ष नष्ट होने वाली फसल को बचाया जा सकता है?

(७) क्या यह सही है कि इस बन्ध के पानी के अबाधित रूप से इधर फैलने के कारण उपरोक्त गांवों के नागरिकों व पशुओं को अनेक रोग भी भोगने पड़ते हैं?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) यह बांध २५०० एकड़ से कम सिंचाई करने वाला होने के नाते पिलाई का इन्द्राज राजस्व विभाग के अधीन है।

(४) जी नहीं।

(५) पिलाई की वसूली तथा उसका रिकार्ड तहसील लक्षमण गढ़ द्वारा बनता है।

(सिचाई मन्त्री)

(६) जी नहीं । नहर पक्की करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(७) जी नहीं ।

तालाब महताजी का खेड़ा का अपूर्ण कार्य

४५७. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तालाब महताजी का खेड़ा, तहसील मांडलगढ़ में कई महिनों तक काम चला जिसमें वहां के ग्रामवासियों ने भी पूरा श्रमदान किया और काम भी हुआ लेकिन थोड़ा सा काम बाकी बचा है जो अचानक बन्द कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब तक खर्च की गई रकम व्यर्थ जाने वाली है और मिट्टी बहने वाली है ?

(२) यदि हां, तो क्या काम जल्दी ही शुरू होने वाला है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

हिन्दला का दक्ष बांध, ग्राम बिजेठा

४५८. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु०) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर के बिजेठा ग्राम के हिन्दला का दक्ष नामक बांध बन्धवाने के लिये काफी समय से जनता की मांग है ? यदि हां, तो सर्वे क्यों नहीं करवाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां, चूंकी इस नाले पर दूसरा बांध गोकुलपुरा हिन्डोली तहसील में प्रस्तावित किया जा रहा है । बिजेठा ग्राम के पास हिन्दला का दक्ष नामक बान्ध बनाना तकनिकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

ग्राम गगराना के पास बांध की योजना

४५९. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र के गगराना ग्राम के पश्चिम में नजदीक ही सरकार की कोई बांध बनाने की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र में अन्नोत्पादन बढ़ सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना को प्रारम्भ करने में ढील क्यों कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां । तखमीने की जांच की जा रही है ।

ठन्डी बेरी बांध ग्राम धाणेराव

४६०. श्री दौलतराम आगरी देसूरी सु०) :- क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या राज्य सरकार ठण्डी बेरी बांध, गांव धाणेराव, तहसील देसूरी का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या ऊक्त बांध हेतु ग्राम धाणेराव के निवासियों द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) यह कार्य कब तक चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ग्राम धाणेराव तहसील देसूरी में ठण्डी बेरी बांध के निर्माण के लिए दो स्थान प्रस्तावित थे एक तो धाणेराव के ऊपरी तरफ दूसरा ग्राम काना के पास लेकिन दोनों ही स्थान आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है ।

(२) जी हां, उसके आधार पर मौका देखने से पता चला कि उक्त बांध आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं इसलिए स्थगित कर दिया गया ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य का सिंचित क्षेत्र

४६१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान में बोये गये क्षेत्रफल के अनुपात में सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत है ?

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितना प्रतिशत क्षेत्र सिंचित क्षेत्र हो जाना चाहिये था ?

(३) अखिल भारतीय स्तर का सिंचित क्षेत्र का अनुपात बोये गये क्षेत्रों से कितना अधिक है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भरतपुर जिले का सिंचित क्षेत्र

४६२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय भरतपुर जिले में धौलपुर उप जिले को छोड़कर कुल कितना रकबा नहर, बांध तथा कुओं द्वारा सिंचित किया जाता था ? अलग विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) अब सिंचित क्षेत्रफल में किस साधन द्वारा कितनी बढ़ोतरी हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) निम्न लिखित सिंचाई भिन्न-२ साधनों से होती थी ।

सन् १९५१-५२

(सिंचाई मन्त्री)

बान्ध	कुए	नहर
२५४४३	९३,५२१	१५६४१

अन्य साधनों से	कुल रकबा
११,७४४	१,४६,३४९ एकड़

(२) बढ़ोतरी निम्न प्रकार हुई है—

सन् १९६५-६६

बान्ध	५९९०६	एकड़
नहर	४९६२०	एकड़
अन्य साधन	६९७६७	एकड़

ग्राम असनावर में नये मकान बनाने पर रोक

४६३. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि भीमसागर डैम की योजना के कारण असनावर ग्राम में नये मकान आदि (सरकारी व प्राइवेट) बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो यह आर्डर कौनसी तारीख को जारी हुआ ? और कितने साल तक रोके रखने के लिए आर्डर जारी हुआ है ?

उत्तर

इस विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया ।

राजस्थान में कृषि योग्य भूमि

४६४. श्री रामचन्द्र आर्य (खन्डेला) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कृषि योग्य-जिलेवार कितनी भूमि है ?

(२) कुल कृषि योग्य भूमि में से जिलेवार कुल कितने क्षेत्र में कृषि होती है ?

(३) कितनी भूमि में कृषि होती है उसमें से जिलेवार सिंचित क्षेत्र कितना है ?

(४) असिंचित भूमि जिलेवार कुल कितनी है ?

(५) कृषि योग्य भूमि में से जिलेवार कितनी भूमि ऐसी है जिसमें खेती नहीं होती ?

(६) प्रश्न के भाग ५ में चर्चित पड़त भूमि आजकल भूमिहीनों को अलॉट क्यों नहीं की गई ?

(७) अब सरकार कब तक अलॉटमेंट करवा देगी ? उपरोक्त प्रश्नों से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(उत्तर)

(१) राजस्थान में कृषि योग्य जिलेवार भूमि संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (क)

Page No. 71

(राजस्व मन्त्री)

में दी गई है। (जिसमें वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल, जौत रहित एवं जोत शुन्य भूमि सम्मिलित है)।

(२) राजस्थान में जिस क्षेत्र में कृषि होती है उसकी जिलेवार सूचना संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (ख) में दी गई है। (जो वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल है)।

(३) जिलेवार सिंचित भूमि की क्षेत्रफल की सूचना संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (ग) में दी गई है।

(४) असिंचित भूमि की सूचना जिलेवार संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (घ) पर दी गई है।

(६) कृषि योग्य भूमि में खेती नहीं की गई है उसकी जिलेवार सूचना कालम (न) पर दी गई है।

(७) चर्चित पडत भूमि काश्तकारों के पास ही है परन्तु उसमें फसल पैदा करने के लिये पड़त छोड़ना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बंजड़ भूमि का भी आवंटन होता रहा है।

(८) आवंटन का कार्य ३० जून सन् १९६७ तक समाप्त करने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं। संबंधित सूचना जिलों से एकत्रित की जारही है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यालय में विचाराधीन मामले

४६५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला नागौर में जिलाधीश और अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यालय में राजस्व, पंचायतें, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं सम्बन्धी अपीलें बहुत समय से विचाराधीन हैं और उनका फैसला नहीं हो रहा है? यदि हां; तो अभी विचाराधीन अपीलें कौन कौन सी हैं और उनके दायर होने की तारीखें कौन कौन सी हैं तथा इतने लम्बे समय तक विचाराधीन रहने के कारण क्या है? सूची तहसील वाईज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूचि सदन की मेज पर रखदी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसीलदार जैतारणके विरुद्ध शिकायतें

४६६. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मन्त्री कृपया उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) जैतारण तहसीलदार श्री के. पी. जैन के विरूद्ध कितनी शिकायतें सरकार के पास विचाराधीन हैं और उन शिकायतों पर

(श्री शंकरलाल)

क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) उन शिकायतों की जांच का क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(१) श्री के० पी० जैन के विरुद्ध कई शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायती प्रार्थना पत्रों पर प्रारम्भिक जांच कराई जा रही है। श्री के० पी० जैन तहसीलदार को निलम्बित भी कर दिया गया है।

(२) जांच अभी जारी है।

तहसील चौहटन में भूमिहीन कृषकों को भूमि का अलाटमेंट

४६७. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील चौहटन में भूमिहीन किसानों को कृषि योग्य भूमि देने का क्या तरीका है और भूमि कौन अधिकारी अलाट करता है ?

(२) तहसील चौहटन में इस वर्ष कितनी कितनी भूमि (कृषि योग्य) किस किस गांव में किस किस भूमिहीन किसान को दी गई है ? कृपया ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार चौहटन ने अपनी मनमानी करके अपने अपने हितैषियों को कृषि योग्य भूमि दी है और जिन-जिन को कृषि योग्य भूमि देनी चाहिए थी उन्हें नहीं दी गई है ?

उत्तर

(१) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम १९५७ के अनुसार ही तहसील चौहटन में कृषि योग्य भूमि, भूमिहीन किसानों को देने का तरीका है। भूमि भू-आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की जाती है।

(२) तहसील चौहटन में दिनांक २६-११-६७ से २६-५-६६ तक जिस जिस ग्राम में जितनी भूमि दी गई है उसकी सूची संलग्न है। आसामी वाईज सूची तैयार होने में कुछ समय लगेगा और बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(३) यह सही नहीं है। क्योंकि भू-आवंटन नियमनुसार भू-आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है। तहसीलदार, चौहटन ने अपनी स्वेच्छा से किसी को भी भूमि नहीं दी है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

पाकिस्तान से वापस आये व्यक्तियों द्वारा भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के मामले

४६८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भैरोंसिंह)

(१) भारत-पाक संघर्ष १९६५ के समय सीमा क्षेत्रों से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये, उनके अधिकार में किस किस तहसील में कुल कितनी कितनी काश्त की भूमि थी ?

(२) इसमें कितनी कितनी भूमि का किस किस प्रकार आवंटन कर दिया गया है ? और कितनी कृषि भूमि आवंटन हेतु शेष रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति पाकिस्तान से वापिस आ गये और उन्होंने अपनी काश्त की भूमि पर पुन: अधिकार प्राप्त करने हेतु तहसील चौहटन, शिव तथा एस. डी. ओ. बाड़मेर की अदालतों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन कौन से व्यक्तियों ने कितनी कितनी भूमि के लिए ?

उत्तर

(१) भारत पाक संघर्ष १९६५ के समय सीमा क्षेत्रों से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये थे उनके अधिकार में जो भूमि थी उसका रकबा तहसीलवार निम्न प्रकार है:–

नाम जिला	तहसील	रकबा बीघा बिस्वा
बाडमेर	तहसील शिव	१७४९१९–१५
,,	तहसील बाडमेर	११६०४–११
,,	तहसील चौहटन	११०८९३ एकड़
जैसलमेर	तह० जैसलमेर	४९८९६४ एकड़
,,	,, पोकरन	६३०.६ एकड़
जालौर	,, सांचोर	२९६१ बीघा १७ बिस्वा
बीकानेर	,, कोलायत	५०३ बीघा ७ बिस्वा

(२) इस भूमि से जो भूमि आवंटन की गई व शेष रही उसका तहसीलवार रकबा निम्न प्रकार है:—

नाम जिला	नाम तहसील	आवंटित की गई	शेष रही
		बी० बि०,	बी० बि०
बाडमेर	तह० शिव	१०६४५–१५,	१६४२७४
	,, बाडमेर	९२३१–१५,	२३७२–१४
	,, चौहटन	३७७०४ एकड़	७३०८९ एकड़

जैसलमेर जिले में उक्त भूमि में से अब तक कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।

जालौर जिले में उक्त भूमि में से अब तक कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।

बीकानेर जिले में उक्त भूमि में से अब तक कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।

(३) जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये थे व वापस आ गये हैं उन्होंने पुन: अधिकार प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र पेश किये उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम अदालत	व्यक्तियों की संख्या
१—परगना अधिकारी बामेड़र के कार्यालय	में शून्य
२—तहसीलदार शिव ,,	,,
३—तहसीलदार बामेड़र ,,	,,
४—तहसीलदार चौहटन ,,	२०

व्यक्ति जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि

४६९. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर के म्युनिसिपल क्षेत्र में कितनी कृषि भूमि है और वह किस किस व्यक्ति के खातेदारी में है ? सूची सदन की मेज पर रक्खें ?

(२) अजमेर रोड़, सांगानेर रोड़ पर किन किन व्यक्तियों ने कृषि भूमि में पुख्ता तामीरात कर रक्खी है और कितने कितने क्षेत्र पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जयपुर नगर के दस मील के दायरे में कृषि भूमि की अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने की अनुमति राज्य सरकार ने गत ५ वर्षों में किस किस व्यक्ति को दी और क्या क्या नजराना लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है।

(३) गत ५ वर्षों में श्री जयसिंह ड्राइवर ग्राम मदरामपुरा को १५१२।। वर्ग गज भूमि का परिवर्तन शुल्क १)५० प्रति वर्ग गज के हिसाब से २२५८) ७५ पैसे वसूल हो कर तथा श्री उम्मेदमल कल्याणमल बड़िया किशनपोल को १४३६८ वर्ग गज का परिवर्तन १-५० प्रति वर्ग गज के हिसाब से २१५५२-०० रु० वसूल कर परिवर्तन किया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीलिंग सीमा के अन्दर आने वाले व्यक्तियों की जमीन

४७०. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जमींदारी, बिस्वेदारी उत्सादन (Abolition) अधिनियम, १९५९ के प्रभावशील होने पर सीलिंग सीमा के अन्दर आने वाले कितने व्यक्तियों की जमीन राज्य सरकार में निहित हुई थी ?

(२) गंगानगर जिले में ऐसे व्यक्तियों का तहसीलवार विवरण देने की कृपा करें ?

(श्री केदारनाथ)

(३) क्या राज्य सरकार में निहित होने वाली ऐसी भू–सम्पदा के मालिकों को आज तक कोई दूसरी जमीन काश्त के लिए दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या उस भूमि का मुआवजा दिया गया है ?

उत्तर

(१) १७८१ जमीदारों की एवं ५७ बिश्वेदारों की जिला गंगानगर में भूमि राज्य सरकार में निहित हुई और तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर में ५२६३ जगारें खालसा हुई।

कोटा :- इस जिले में जमीदारी बिश्वेदार उसादन (एवोलिशन) अधिनियम १९५९ के प्रभावशील होने पर सीलिंग सीमा के अन्दर आने वाले व्यक्तियों की जमीन, राज्य सरकार में निहित नहीं हुई।

अलवर:–जमींदारी बिश्वेदारी उत्पादन (Abolition) अधिनियम १९५९ के प्रभावशील होने पर सीलिंग सीमा के अन्दर होने वाले व्यक्तियों की जमीन राज्य सरकार में निहित नहीं हुई है।

(२)	तहसील गंगानगर	३४३
	तहसील करनपुर	३७४
	तहसील पदमपुर	६६१
	तहसील रायसिंह नगर	२५३
	तहसील अनुपगढ़	१२०
	तहसील टीबी	५७
	योग	१८३८

(३) गंग केनाल के जमीदारों द्वारा खुद काश्त के लिये भूमि की मांग का कोई फार्म अधिनियम की धारा १० अन्तर्गत निश्चित अवधि में नहीं प्रस्तुत किया गया। तहसील टीबी के बिश्वेदारों में से केवल सात ने निश्चित अवधि के अन्दर फार्म प्रस्तुत किये। उनमें से एक बिश्वेदार को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। किसी जमींदार या बिश्वेदार को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

कोटा:–जी नहीं, इस जिले में जमींदारी बिश्वेदारी उसादन (एबोलिशन) अधिनियम, १९५९ के प्रभावशील होने पर सीलिंग सीमा के अन्दर आने वाले व्यक्तियों की जमीन राज्य सरकार में निहित न होने से उनको उस भूमि का मुआवजा या दूसरी जमीन काश्त के लिए दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

अलवर:-जब इस जिले में सीलिंग सीमा की जमीन व सम्पदा राज्य सरकार में जब्त नहीं हुई जिस सम्पदा के मालिकों को इसके एवज में भूमि का मुआवजा या दूसरी जमीन देने का प्रश्न नहीं होता।

कम जोत पर भू-राजस्व माफ करने की घोषणा

४७१. श्री हरजीराम बुरडक

(श्री हरजीराम बुरडक)

(लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार ने जो कम जोत पर भू-राजस्व माफ करने की घोषणा की है उसके अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कितना कितना भू-राजस्व कम होगा और मौजूदा भू-राजस्व का कितना प्रतिशत कम होगा ? जिलेवार सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) मौजूदा खाते कितने हैं जिनमें से कितने खाते इस छूट में सम्मिलित होंगे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूतपूर्व नरेशों पर भू-राजस्व की बकाया रकम

४७२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व नरेशों में भू-राजस्व लगान बकाया निकलता है ?

(२) यदि हां, तो किन किन में और कितनी कितनी ?

(३) यह रकम किस साल की बकाया है ?

उत्तर

(१) जी हां। कुछ भूतपूर्व नरेशों में भू-राजस्व लगान बकाया निकलता है।

(२) तालिका संलग्न हैं। इसमें कुछ जिलाधीशों से सम्बन्धित सूचना अभी संलग्न नहीं हो पाई है। सूचना प्राप्त होते ही प्रस्तुत करदी जावेगी।

३—यह सूचना तालिका के कालम नं० ३ में दिखला दी गई है।

भूतपूर्व नरेशों में राजस्व बकाया सम्बन्धित तालिका

सम्बन्धित भूतपूर्व नरेशोंका नाम	बकाया राशि	वर्ष जबकी बकाया है।
१—हिज, हाईनेस श्रीमानसिंहजी जयपुर।	४५,६,८१.७४	सम्वत् २०१५ से २०२३ तक
२—श्रीमती महारानीजी साहिबा, जयपुर।	७,२,३२.७५	,, ,, ,,
३—हिज हाईनेस नवाब साहब टोंक	३३,६८०.१०	सम्वत् २००७ से २०२३ तक

(राजस्व मंत्री)

१	२	३
४—श्री वंश प्रदीपसिंहजी चीफ आफ लावा	७१२.५०	सम्वत् २०१५ से २०२३ तक
५—हिज हाईनेस बीकानेर	४,४४२.९०	सम्वत् २०१७ से २०२३ तक
६—हिज हाईनेस बूंदी	५,२३८.९९	सम्वत् २००५ से २०२२ तक
७—हिज हाईनेस किशनगढ़	४२,०००.००	सम्वत् २०१० से बकाया
८—हिज हाईनेस बाँसवाड़ा	४५,३१०.००	सम्वत् २००५ से बकाया
९—राव साहिब कुशलगढ़	८९२.२८	सम्वत् २०२२ से
१०—हिज हाईनेस जोधपुर	२,७२,८३०.२१	सम्वत् २००५ से २०२३ तक
११—महारावल साहिब बांसवाड़ा	४५,३१०.१९	सम्वत् २००५ से २०२३ तक
१२- महारावल श्रीरघुनाथ सिंहजी जैसलमेर	७८,९८०.०४	सम्वत् २००६ से २०२३ तक
१३—श्री महाराव साहिब कोटा	८२८.१९	सम्वत् २०१२ से २०१६ तक
१४—श्री महाराजा साहिब गनेशपालजी करौली	७,८४२.४०	सम्वत् २०१५ से २०२२ तक
१५—श्री महारावल साहिब डूंगरपुर	२६,०७८.२६	सम्वत् २००६ से अब तक
१६—श्री महाराणा साहिब उदयपुर	८४,८९९.००	सम्वत् २००५ से २०२३ तक

राजस्थान लैन्ड रिफार्मस एण्ड एक्वीजीशन आफ लैन्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट, १९६३ के अाधीन भूतपूर्व नरेशों से भूराजस्व दिनांक १-४-६३ से वसूली योग्य था किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नरेशों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश कर स्टे आर्डर्स प्राप्त कर लिये हैं जिसकी वजह से वसूली स्थगित है।

———

Page No. 78

भारत-पाक संघर्ष के दौरान वीरगति प्राप्त सैनिकों को भूमि का एलॉटमेन्ट

४७३. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पाकिस्तान के आक्रमण के वक्त जो सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हुए फौत हुए थे, उन्हें राज्य सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में कितनी-कितनी जमीन एलॉट करने का तै किया था ?

(२) क्या यह सही है कि काफी ऐसे परिवार है जिन्हें अभी तक कोई एलॉटमेंट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

(३) कुल कितने सैनिकों को जमीन देदी गई है और बाकी कितने रहे हैं ? उन्हें कितने समय में जमीन का एलॉटमेन्ट किस क्षेत्र में कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, केवल १७ नामान्तकरण के मामले राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की दफा १५ ए के तहत पेन्डिंग हैं जो लगभग एक माह में फैसले हो जावेंगे।

२—जी नहीं। तहसील में कोई शिकायत नहीं है।

ग्राम बोकरू के अग्नि-पीड़ित लोगों की सहायता

४७४. श्री नत्थीलाल (नदबई-सु०): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नदबई, जिला भरतपुर के बोकरू गांव में आग लगी थी ?

(२) यदि हां, तो किस तारीख को और किन-किन जातियों के घरों में ? तथा प्रत्येक परिवार को कितना-कितना नुकसान हुआ ?

(३) सरकार ने प्रत्येक परिवार की क्षतिपूर्ति करने के लिये क्या कोई कदम उठाये ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह आग दिनांक ७–४–६६ को लगी थी, इससे तीन मेना जाति व एक जाट जाति के परिवार को निम्नानुसार नुकसान हुआ।

	नाम	नुकसान
(अ)	श्री सुघड़सिंह पुत्र कजौड़ी जाट	६८० रु०
(ब)	श्री रघुवीर पुत्र रामसिंह मेना	१८६२ रु०
(स)	श्री रघुनाथ मूल्या मेना	१४४५ रु०
(द)	श्री गंगासहाय पुत्र भूरा मेना	४०० रु०

(३) जी नहीं।

गिरदावर और कानूनगो की वेतन श्रृंखला

४७५. श्री लादूराम सुलानिया

(श्री लादूराम सुलानिया)

(फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एक गिरदावर के नीचे कितने पटवारी काम करते हैं ?

(२) एक पटवारी को कुल कितनी रकम मासिक वेतन व अन्य भत्ते मिला कर मिलती है ?

(३) एक गिरदावर को कितनी रकम मासिक वेतन व भत्ता मिलाकर मिलती है ?

(४) क्या सरकार गिरदावर और कानूनगों की वेतन शृंखलाओं में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) एक गिरदावर के नीचे ६ से १० तक पटवारी काम करते हैं ।

(२) एक पटवारी को कुल मासिक वेतन भत्ते मिलाकर १५७ रुपये मिलते हैं ।

(३) एक गिरदावर को मासिक वेतन व अन्य भत्ता मिलाकर कुल १६८.५० रु० मिलते हैं ।

४—जी नहीं । इस पर वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही विचार हो सकेगा ।

भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि का एलॉटमेंट

४७६. श्री बृजप्रकाश गोयल (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में कुल कितनी जागीरें रिज्यूम की गई हैं ?

(२) कितने जागीरदारों के पास खुद काश्त की जमीन नहीं थी और कितनों को खुदकाश्त के लिए जमीन दी जा चुकी है ?

(३) भाखरा क्षेत्र में कितनी जमीन व राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन खुद काश्त के लिए जागीरदारों को दी जा चुकी है व कितनी और देनी है ?

(४) अभी कितने जागीरदार और बाकी हैं जिनको खुद काश्त के लिए जमीन दी जानी है ?

(५) जागीरदारों को जो जमीन खुद काश्त के लिए अलांट की गई है उसकी कुल कितनी कीमत है और उसमें से कितनी आज तक वसूल हो चुकी है व कितनी वसूल हो जानी चाहिए थी ?

(६) जागीरदारों को एलॉट की गई जमीनों में भाखरा क्षेत्र की कितनी जमीनें जागीरदार आगे मुंतकिल (जरिए रजिस्टर्ड-डीड) कर चुके हैं । इसमें मंजूरी से कितनी है और बिना मंजूरी कितनी हैं ?

(श्री बृज प्रकाश गोयल)

(७) ऐसी जमीन जो जागीरदार ने बिना मंजूरी मुतकिल करदी है उसके मुताल्लिक सरकार क्या कारवाई कर रही है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल २,३७,४३५ जागीरें खालसा हुईं ।

(२) खुद काश्त भूमि आंवटन हेतु कुल १५२२८ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उनमें से ४११० जागीरदारों को भूमि नहरी क्षेत्र में आवंटित की गई। १००९५ जागीरदारान के प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश न होने के कारण या खुदकाश्त की भूमि उनके कब्जे से होने से खारिज किये गये ।

(३) जागीर कमिश्नर की सूचना के अनुसार माखरा क्षेत्र में २२६४० एकड़ भूमि, राजस्थान नहर क्षेत्र में २६७१८ एकड़ भूमि तथा समैजा नहर क्षेत्र में ३२६६ एकड़ भूमि भूतपूर्व जागीरदारों को दी जा चुकी है। १७२५० एकड़ भूमि और देना शेष है ।

(४) इस समय १०२३ प्रार्थना पत्र जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि देने के लिए विचाराधीन हैं ।

(५) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन नियम अभी तक पारित नहीं हुए हैं। अतः भूमि की कीमत अभी तक तय शुदा नहीं है इसलिए कीमत व वसूली के बाबत सूचना प्रस्तुत किये जाने में मजबूरी है। माखरा क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना प्राप्त की जारही है और शीघ्र प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(६) सूचना प्राप्त की जारही है प्राप्त होने पर शीघ्र प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(७) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में अब तक किसी भी जागीरदार ने एलॉटशुदा भूमि मुतकिल नहीं की है अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता । माखरा क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना संकलित की जारही है। प्राप्त होते ही शीघ्र प्रस्तुत कर दी जावेगी।

तहसील श्रीमाधोपुर में पेंडिंग भूमि क्रय-विक्रय की रजिस्ट्रियां

४७७. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) श्री माधोपुर तहसील में ३१ मार्च, १९६७ के पहले के कितने नामान्तकरण फार्म खातेदारी दफा १९, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पटवारियों द्वारा मरे जाने पर भी पंचायतों ने तस्दीक नहीं किये ?

(२) इनके संबंध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(३) श्री माधोपुर तहसील में कितनी रजिस्ट्रियां भूमि के क्रय-विक्रय की पेन्डिग पड़ी हैं जिनके नामान्तरकरण फार्म पटवारियों ने भर कर ही पेश नहीं किये व उनमें अब क्या कार्यवाही हो रही है ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील श्री माधोपुर में नामन्तरकरण के पेंडिग मामले

४७८. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि श्री माधोपुर तहसील में काफी नामांतरकरण खातेदारी दफा १५ ए के तहत मामले पेण्डिग पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने व इसमें इतनी देर क्यों हो रही है ? तथा उनमें अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि पटवारियों ने काफी नामान्तरकरण खातेदारी फार्म दफा १५ ए के तहत भरकर ही पेश नहीं किये ? यदि हां, तो इसकी तहसील में कितनी शिकायतें हैं व उनमें क्या कार्यवाही हो रही हैं?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

केकड़ी क्षेत्र के अकाल ग्रस्त ग्राम

४७९. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

केकड़ी क्षेत्र के कितने ग्राम अकाल ग्रस्त हैं ? और उनमें से कितने अकाल ग्रस्त घोषित किए गये हैं ? और बाकी को कब तक घोषित करने का इरादा है ?

उत्तर

तहसील केकड़ी में खरीफ स० २०२३ में ४६ गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे, एवं रबी स० २०२३ में ६ गांव घोषित किये जा रहे है। बाकी कोई गांव ऐसा नहीं है, जहां अभाव की स्थिति विद्यमान हो।

ग्राम पंचायत सिवाना की आबादी भूमि का एलॉटमेन्ट

४८०. श्री कालूराम (सिवाना सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिवाना को आबादी भूमि का एलॉटमेन्ट कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब किया गया था ? और कितनी भूमि दी गई थी ?

उत्तर

जी हां ग्राम पंचायत सिवाना को आबादी विस्तार हेतु ४६५)४ भूमि देने के आदेश दिनांक ३०-९-६५ को हुए किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि की केपिटेलाईज्ड वेल्यू जमा नहीं कराई गई जिस कारण भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका।

किशनगंज तहसील में एलॉट की गई भूमि तथा अन्य मामले

४८१. श्री नंदलाल (किशनगंज सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितनी जमीन तहसील किशनगंज, शाहबाद में सन् ५६ से अब तक एलॉट की गई ?

(श्री नंदलाल)

(२) कितनी भूमि सहकारी समितियों को दी गई ?

(३) कितनी भूमि व्यक्तिगत रूप से दी गई ?

(४) कितने पट्टे कितने व्यक्तियों को दिये जा चुके हैं ?

(५) कितने पट्टे देने बाकी हैं ?

(६) कितनी जमीन के कागजात अमल दरामद हो चुके हैं ?

(७) कितनी भूमि के कागजात में अमल दरानद नहीं हुआ है ?

(८) कितना लगान व[illegible] रहा है ?

(९) कितना वसूली योग्य लगान वसूल नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(१) इस जिले की तहसील किशनगंज में २५१८६ एकड़ एवं तहसील शाहबाद में ३०७१३ एकड़ जमीन सन् '५६ से अब तक एलॉट करदी गई है।

(२) तहसील किशनगंज में ३५१ एकड़ एवं तहसील शाहबाद में ६२४ एकड़ भूमि सहकारी समितियों को दी गई है।

(३) तहसील किशनगंज में २४८३५ एकड़ एवं तहसील शाहबाद में ३००८६ एकड़ भूमि व्यक्तिगत रूप से एलॉट की गई है।

(४) तहसील किशनगंज में ३५० पट्टे ३५० व्यक्तियों को एवं तहसील शाहबाद में ४५६ पट्टे ४५६ व्यक्तियों को दिये जा चुके हैं।

(५) तहसील किशनगंज में ३२५२ पट्टे एवं शाहबाद में १५१७ पट्टे देने बाकी हैं।

(६) तहसील किशनगंज में १८६०३ एकड़ एवं तहसील शाहबाद में ३०७१३ एकड़ जमीन के कागजात अमल दरामद हो चुके हैं।

(७) तहसील किशनगंज में ६५८३ एकड़ भूमि का कागजात में अमल नहीं हुआ है, एवं तहसील शाहबाद में कुल आवंटित भूमि का कागजात में अमल दरामद हो चुका है।

(८) तहसील किशनगंज में ९८९०.०० रुपये एवं तहसील शाहबाद में ५२०६.९६ रुपये लगान आवंटित भूमि का वसूल किया जा रहा है।

(९) तहसील किशनगंज में ४९३.०० रुपये वसूल योग्य लगान वसूल नहीं हो रहा है एवं तहसील शाहबाद में वसूल योग्य लगान वसूल हो रहा है।

जिला कोटा में सरकारी पड़त भूमि को आबादी में तब्दील करने की मांग

४८२. श्री नन्दलाल (किशनगंज सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नन्दलाल)

(१) कितनी पंचायतों ने अपने क्षेत्र में आबादी विकास के लिये सरकारी पड़त भूमि को राज्य सरकार से २० गुना लगान मुआवज़ा देकर आबादी में तब्दील कराने के लिए प्रस्ताव पारित कर कलेक्ट्री, कोटा में प्लान भेजा है ?

(२) कितनी भूमि अब तक कलेक्टर, कोटा द्वारा तब्दील कर कितनी पंचायतों को हस्तान्तरित की गई ?

(३) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(१) कोटा जिले की २८ ग्राम पंचायतों द्वारा बिना प्लान के आबादी विकास हेतु सरकारी पड़त भूमि २० गुना लगान देकर आबादी में तब्दील कराने के लिए प्रस्ताव पारित कर जिलाधीश कार्यालय में पेश किये गये ।

(२) जिलाधीश कोटा द्वारा ४ ग्राम पंचायतों को अर्थात ग्राम पंचायत मंडाना तहसील लाडपुरा को सन् १९६३ में ३४ बीघा ५ बिस्वा, ग्राम पंचायत रेनगढ़ तहसील मांगरोल को सन् १९६५ को ३३ बीघा १८ बिस्वा, ग्राम पंचायत बोरीना तहसील सांगोद को १९६६ में ४ बीघा १८ बिस्वा एवं ग्राम पंचायत किशोरपुर तहसील दीगोद को १९६६ में १९ बीघा १२ बिस्वा कुल मिलाकर अब तक ९२ बीघा १३ बिस्वा भूमि आबादी में तब्दील कर हस्तान्तरित की गई ।

(३) शेष विभिन्न २४ ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी विकास हेतु डिप्टी टाउन-प्लानर कोटा से एप्रूफ प्लान अब तक जिलाधीश कार्यालय में पेश न होने के कारण नियमान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न होने से भूमि तब्दील की जाकर नहीं दी जा सकी ।

बाड़मेर में म्यूटेशन के मामले

४८३. श्री वृद्धिचन्द्र (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर जिला में इस वक्त कितने म्यूटेशन्स होने बाकी हैं ?

(२) कितने म्यूटेशन्स किस २ अर्से के बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) बाकी रहे म्यूटेशन्स कब तक कर दिये जायेगें ?

उत्तर

(१) बाड़मेर जिले में २७०० म्यूटेशन्स इस समय होना बाकी हैं ।

(२) जो म्यूटेशन्स केसेज बाकी हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	केसेज	अवधि
१.	२००	दस वर्ष पुराने

(राजस्व मन्त्री)

२.	४००	एक साल पुराने
३.	६०२	६ माह पुराने
४.	५२५	४ ,, ,,
५.	४६३	३ ,, ,,
६.	४८०	२ ,, ,,

(३) बाकी के म्यूटेशन्स इस वर्ष के अंत तक करने का प्रयत्न किया जायगा।

कानोता-सामरिया क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

४८४. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कानोता से सामरिया तक अकाल ग्रस्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सड़क-निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो गत वर्ष इस सड़क का कार्य कितना हुआ तथा इस वर्ष कितना बाकी है?

(२) क्या यह सच है कि गत वर्ष इस सड़क पर मजदूरों को कार्य पर नहीं लगाया गया तथा इस वर्ष भी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया जिससे सड़क निर्माण नहीं हो सका?

(३) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में गत ३ साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और नागरिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने पर भी आज तक राहत कार्य नहीं आरम्भ किया गया?

(४) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) जी हां, सड़क का कार्य १।। मील हुआ तथा ८।। मील बाकी रहा था।

(२) जी नहीं।

(३) इस क्षेत्र में सं. २०२२ व २३ में अभाव स्थिति रही। राहत कार्य (सड़क निर्माण) प्रगति पर है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम निम्बी जोधा से ग्राम सांडासा वाया मालगाँव सड़क का निर्माण कार्य

४८५. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अकाल सहायता विभाग ने तहसील लाडनूं के ग्राम निम्बी जोधा से ग्राम सांडास वाया मालगांव कोई सड़क का निर्माण किया था? यदि हां, तो उक्त सड़क का कब निर्माण हुआ और उस में कितने रुपये खर्च हुए?

(राजस्व मन्त्री)

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर मिट्टी का कार्य हो चुका था परन्तु मुरड (कंकर) नहीं डाला गया जिससे यह सड़क प्रायः नष्ट हो चुकी है ? यदि हां, तो इस पर मुरड डालने का कार्य क्यों नहीं किया गया जब कि यह सड़क हमेशा अकालग्रस्त क्षेत्र में रही है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस वर्ष अकाल सहायता कार्य में इस सड़क को तैयार कराने का विचार रखती है क्योंकि यह क्षेत्र अभावग्रस्त है और नजदीक में कोई दूसरी सड़क नहीं है ? यदि हां, तो कार्य कब शुरू होगा ?

उत्तर

(१) जी हां, निम्बी जोवा मालगांव सड़क का निर्माण सन् १९५७-५८ में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत हुआ था एवं उस पर ४०००) रु० खर्च किया गया।

(२) जी हां, मिट्टी का कार्य किया जा चुका था किन्तु मुरड के पास में उपलब्ध न होने से नहीं डाली जा सकी। राहत कार्य जिला राहत कमेटी की राय से किया जाता है, बाद के अकाल मे इस सड़क के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं आने से कार्य नहीं किया गया।

(३) चूंकि अब वर्षा प्रारम्भ हो चुकी है अतः इस सड़क का निर्माण अब संभव नहीं है। इस सड़क को बनवाने के बाबत जिला राहत कमेटी द्वारा भी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

तहसील बयाना में ओलावृष्टि से नुकसान

४८६. श्री नत्थीलाल (नदबई सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या इस वर्ष तहसील बयाना जिला भरतपुर में ओले पड़े थे ?

(२) यदि हां, तो किस तारीख को और किन किन गांवों में और उनसे प्रत्येक में कितना नुकसान हुआ ?

(३) क्या सरकार ने समय पर खाने की उचित व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या खाने के अतिरिक्त सरकार ने उनकी क्षति पूर्ति करने के लिए कदम उठाये ? यदि हां, तो क्या क्या ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) तहसील बयाना में दि० २२-३-६७ को ओला वृष्टि हुई थी। इस तहसील में ३३ ग्राम ओला वृष्टि से प्रभावित हुए थे, जिनकी नामवार सूची नुकसान सहित संलग्न है।

(३) ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों में खाद्यान्न की कमी की कोई परिस्थिति सामने

(अकाल सहायता मन्त्री)

नहीं आई।

(४) ओला वृष्टि से क्षति ग्रस्त क्षेत्रों को अभाव ग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है। जिलाधीश जी को निर्देश दिये जा चुके हैं कि रबी फसल से अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार परीक्षण राहत कार्य आरम्भ किये जावें।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नीम-का-थाना सब डिवीजन में अकाल राहत कार्य

४८७. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नीम-का-थाना सब-डिवीजन में अकाल राहत कार्य चालू किया गया है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(२) क्या यह सही है कि तहसील नीम-का-थाना में टोडा, दरीबा, दीपावास, मोकलवास पंचायतों में अकाल की स्थिति है और अभी तक वे क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये हैं? यदि हां, तो क्या कारण है?

(३) सीकर जिले के कलेक्टर को इस वर्ष अकाल राहत कार्य चालू करने के लिये कितनी धनराशि दी गई और नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई?

(४) क्या जिन क्षेत्रों में पीने के लिए पानी की कमी है उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिये कोई रकम कलेक्टर महोदय को इस वर्ष दी गई है?

उत्तर

(१) नीम-का-थाना सब-डिवीजन में फसल खरीफ सम्वत् २०२३ के अन्तर्गत दो गांव झारिण्डा व मोकलवास अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। अभी तक जिला राहत कमेटी द्वारा इन गांवों के लिए कोई राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये।

(२) इन गांवों में से केवल मोकलवास गांव को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। शेष गांवों में खराबा आठ आने से कम होने के कारण उन्हें अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

(३) वर्ष ६७-६८ में जिलाधीश सीकर को राहत कार्यों हेतु एक लाख रुपया एवं वन विभाग के अभिकरण द्वारा कार्यों हेतु एक लाख कुल दो लाख रुपये आंवटित किए गए है।

(४) जिलाधीश की कोई मांग न होने के कारण पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सीकर जिले को कोई धनराशि आंवटित नहीं की गई है।

कलाल कालोनी, जोधपुर के निवासियों को सुविधाएं

४८८. श्री देवीलाल बुरासियां

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(केकड़ी सु०) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर नगर में नागोरी गेट के पास जो कलाल कालोनी बनी है उनको सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या किया गया जब कि उस कालोनी में रहने वाले सब पुरुषार्थी हैं ?

उत्तर

कलाल कालोनी में २७० प्लाट तो पुरुषार्थियों को एलाट किये जा चुके हैं। एल० आई० जी० एच० स्कीम के अन्तर्गत इनको २,०८,२००) रु० (दो लाख आठ हजार दो सौ रु०) की धनराशि हाउस बिल्डिंग लोन के रूप में दी जा चुकी है। कुछ प्लाट इनको मिलना बाकी हैं। जिसके लिए जिलाधीश महोदय जोधपुर ने वहां की नगर पालिका एवं नगर विकास न्यास को लिख दिया है।

राजस्थान कनाल की भूमि

४८९. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कनाल क्षेत्र में किसानों ने जो भूमि वर्षों से कब्जा काश्त कर रखी है और जो बन्दोबस्ती खातेदारी नहीं है उस पर कितने एकड़ तक खातेदारी दी जायेगी ?

(२) क्या पुराना कब्जा होने के कारण उनको मुकर्ररी कीमत लेकर हकूक खातेदारी दिये जावेंगे ?

(३) यदि हां, तो ऐसी भूमि की फी बीघा क्या कीमत ली जावेगी ?

(४) राजस्थान कनाल में उन किसानों को फी परिवार कितनी एकड़ भूमि दी जावेगी जिनका पुराना कब्जा है ?

(५) ऐसी भूमि जो मुस्तकिल अलाट की जावेगी उसकी कीमत को कितनी किश्तों में लिया जावेगा ?

(६) भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कब तक भूमि अलाट करदी जावेगी और उसकी मात्रा फी परिवार क्या होगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम विचाराधीन हैं। उनके अन्तिम रूप लेने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है।

(२) नियम बनने पर कहा जा सकेगा।

(३) नियम बनने पर ही कहा जा सकेगा।

(४) नियम बनने पर कहा जा सकेगा।

(उपनिवेशन मन्त्री)

(५) यह भी नियम बनने पर ही कहा जा सकेगा।

(६) यह आवंटन नियम अन्तिम रूप लेने के पश्चात ही कहा जा सकता है।

(१२.४४ म० प०)

स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्थाएं।

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : मैं नया सदस्द हूं। मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य के मेडीकल कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के आधार सम्बन्धी मामले पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री देवीदत्त गाड़िया का तथा जोधपुर मेडीकल कालेज के विस्तार, स्थान एवं सामान के अभाव के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त असन्तोष पर श्री रामानन्द अग्रवाल ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं इन दोनों प्रस्तावों पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं लेकिन सदस्यों की जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री एक वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

दिनांक २९ जून, १९६७ को श्री करणसिंह........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कब करेंगे साहब ? कोई दिन आप बता दें ?

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको जानकारी दे दी और क्या चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सदन को देना है इनको नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने प्रस्तावों को दिये तीन दिन हो गये हैं।....

श्री दामोदर लाल व्यास : नेक्स्ट मन्डे को दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट मन्डे को।

एक माननीय सदस्य : दोनों का ही।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, क्या ये हाउस की घड़ियां स्टैण्डर्ड टाइम शो करती हैं या क्या ?

Wall clocks of the House-they give Indian standard time or some-other time ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : ४-५ मिनिट तेज हैं और तेज राजस्थान में होना चाहिये क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे खयाल से सदन में जो घड़ियां रखी जायं वे करेक्ट टाइम दिया करें, इन्डियन स्टेण्डर्ड टाइम।

श्रीउपाध्यक्ष : न० ३। दिनांक २९ जून, १९६७ को श्री करणसिंह, सरपंच तहसील करौली को डाकुओं द्वारा कत्ल किये जाने सम्बन्धी मामले पर श्री कृष्णकुमार गोयल तथा श्री भैरोंसिंह शेखावत ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव पर भी अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं, परन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु शीघ्र ही एक वक्तव्य दें। (विराम) ट्यूसडे को दिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, शीघ्र की व्यवस्था फर्मा दें। ३ दिन स्थगन्-प्रस्ताव आने को हुए तो इसकी व्यवस्था शीघ्र कब की जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : ट्यूसडे कह दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं व्यवस्था फर्मा दें।

श्री उपाध्यक्ष : ट्यूसडे, मंगलवार को।

एक माननीय सदस्य : मैंने एक प्रस्ताव दिया था उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ८-१२-६६ को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैंने जानबूझ कर इस पर चुप्पी साधी यही देखने के लिए कि देखें सरकार क्या करती है। एक महीना हो गया उसके ऊपर कोई उत्तर देने की सरकार ने परवाह नहीं की। मेरे ख्याल में यह सदन के एक सदस्य के नाते जो सरकार के द्वारा तोहीन हुई है इस सम्बन्ध में सरकार चाहे कोई विचार करे, अगर माफी नहीं मांगे तो रिग्रेट एक्स्प्रेस करना चाहिए। आखिरकार यह सदन है। यह कोई मखौल नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : गलती होगी तो माफी मांग लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं तो एक दो मिनट में कह दूंगा। यह ध्यानाकर्षण और स्थगन-प्रस्ताव में विश्वास विशेष नहीं रखता। यह तो एक बहुत बुरी व्यवस्था है। मैं दो मिनिट से ज्यादा नहीं लेना चाहता था। अब फिर वहां से यह खबर आई है और सारे सदन में यह गूंज है कि दुष्काल है, दुष्काल है और सरकारी कर्मचारी बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो चुके है कि पैसा खा जाना और मजदूरी नहीं चुकाना और अब यह मजदूरी नहीं चुकाने के कारण उन गरीब आदिवासियों की यह स्थिति हो गई है कि उनको रुपया नहीं मिलता है तो उनके पास बीज नहीं है। उनके मवेशी जो हैं वे ३५—४० पर्सेन्ट मर चुके हैं। अगर उनकी मजदूरी के एवजाने में पैसा नहीं मिलता है और मन्त्री महोदय यहां से आदेश देने के लिए बारवार आश्वासन देते हैं। इनके आदेश का कोई पालन नहीं करता है, कोई परवाह नहीं करता है। वे आपा-धापी और खाने के अन्दर तुले हुए हैं तो अब तो वे लोग साफ कह रहे हैं कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमको पैसा नहीं मिलेगा तो मक्की का बीज प्राप्त नहीं कर सकेंगे और आधे से ऊपर रकबा पड़त रह जायगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई विचार करना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि राहत कार्य खोले गये तहसील डूंगरपुर के अन्दर और वहां पर आपको वक्तसर मजदूरी चुकानी चाहिए। मैंने बारबार यह कहा कि १० वें दिन मजदूरी चुकाई जाय। मैंने वहां फेमिन एडवाइजरी कमेटी जो जिले की है वहां पर जाकर भी कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ध्यान आकर्षण किस का करें? कोई कुछ देने वाला नहीं है। यह बिल्कुल लावारिश सम्पत्ति के मुताबिक सरकारी धन का दुरुपयोग होकर आपके कर्मचारी पैसा खा रहे हैं। इस पर आपसे कुछ नहीं बन पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर बीज की व्यवस्था करें। और वक्त पर मजदूरी चुकाने की व्यवस्था करें। ऐसे मुस्कराने और हसने से शासन नहीं होने वाला है। हमारी बकवास पर आप कोई ध्यान नहीं दें तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव १६ तारीख को..........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : होगया अब क्या ध्यान आकर्षण हो। एक महीने तक मैंने जानबूझ कर कुछ भी नहीं कहा यह देखने के लिए कि सरकार कितनी एफिशियन्ट है तो इसकी एफिशियन्सी देखी गई है और ध्यानाकर्षण भी हो गया। अब क्या ध्यानाकर्षण होगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह तो बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हां, रिप्लाई दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : तीसरा स्थगन प्रस्ताव..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आखिरकार हम सभ्य समाज है, इसमें एक्सप्रेस रिग्रेट नहीं करनी हो तो न करें, हम यह जानेंगे कि आप किस तरह के लोग हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्सप्रेस रिग्रेट नहीं करें तो आर्डनरी रिग्रेट कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आर्डनरी रिग्रेट क्या सेम्बेन्स ऑफ रिग्रेट भी इनके पास नहीं है। इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, इनका क्या ध्यान आकर्षण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जूं नहीं रेंगती है, जूते रेंगते है।

श्री उपाध्यक्ष : तीसरा स्थगन प्रस्ताव है—कक्षा ६ की पाठ्य पुस्तकें न मिलने सम्बन्धी विषय पर श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री कृष्णकुमार गोयल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव पर भी अनुमति नहीं देता। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए एक वक्तव्य दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब कौनसी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तारीख को ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : कौनसी तारीख को ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस तारीख को ?

श्री हरिदेव जोशी : तारीख तय कर दी जायगी जिस दिन, दे दिया जायगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : १९ तारीख !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सण्डे है साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : सोरी । १९ तारीख ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस विषय को लेकर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और श्री देवीदत्त ने स्थगन प्रस्ताव दिया है- यह विशेष गम्भीर विषय है क्योंकि हमारे बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : १९ को वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : साथ ही जिस प्रकार की पुस्तकें दी है....

श्री उपाध्यक्ष : उस दिन ही फर्मा दें, काफी मौका मिलेगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह डेट, निश्चित कर रहे हैं, यह देर से कर रहे हैं । आज पाठ्य पुस्तकें मिल नहीं रही हैं और जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं उसमें पृष्ठ इस प्रकार से गायब हैं और इस प्रकार का मैटर है कि कहना चाहिए कि देश की अखण्डता के लिए राष्ट्रीय भावना के लिए जो पाठ इसमें होने चाहिए वह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह विचार उस दिन रख दीजिये ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कब, उपाध्यक्ष महोदय, इसको रख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : १९ तारीख को ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : १९ । १९ में बहुत देर है ।

श्री भैरोंसिंह : १९ काफी दूर है । इसमें कौनसी अड़चन है कि कल जवाब नहीं दे सकते । नोटिस इसका दो तीन दिन पहले दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : कल काफी स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं । उसके बाद अठारह को भी ज्यादा हैं । इसलिए सुविधा १९ को ज्यादा बैठती है ।

Page No. 92

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव पहले दिया था, शिक्षा के सम्बन्ध में जो एडमिशन फार्म्स इस तरह के दिये जाते हैं उस पर और उस पर सदन में बहस भी हुई थी। माननीय मन्त्री को कहा गया था कि दो दिन मे विचार करके उत्तर दें। क्या अभी विचार नहीं हुआ है। और अब भी उसी तरह की डिफीकल्टी एडमिशन के बारे में विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ रही है। यह सदन में आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद उसका अभी जवाब नहीं आ रहा है। दो दिन के बाद चार दिन तो हो गये। मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर आना चाहिए। मैंने मांग की थी उसमें कि जो अटेस्टेड, जाति का प्रमाण पत्र मांगा है....

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सूचना माननीय मन्त्री से प्राप्त कर लेंगे शीघ्र ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनसे जवाब शीघ्र ही दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : चौथा-आयुर्वेद विभाग में नियुक्त वैद्यों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित न किए जाने सम्बन्धी मामले पर श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला भी अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व का प्रतीत नहीं होता। अतः इस प्रस्ताव पर भी मैं अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं। किन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

पांचवा स्थगन प्रस्ताव-कोटा जिले में जबरन लेबी की वसूली के मामले पर श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री नन्दलाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर दिनांक १४ जुलाई, १९६७ को माननीय खाद्य मन्त्री महोदय द्वारा सदन में एक वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा ?

श्री उपाध्यक्ष : कल ! अतः माननीय सदस्य इस मामले को सदन में बहस के दौरान उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस प्रस्ताव पर भी अपनी अनुमति नहीं देता।

छटा—कोटा जिले में चीनी के कोटे में कमी कर दिए जाने सम्बन्धी मामले पर श्री देवीदत्त गाड़िया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

सातवां—महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में एक आठ वर्षीया बालिका की मृत्यु हो जाने सम्बन्धी विषय पर सर्व श्री कृष्ण कुमार गोयल, देवीदत्त गाड़िया, बृज बल्लभ बोहरा एवं लक्ष्मण तानीवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी मांगी गई है। इसके पश्चात् ही इस प्रस्ताव पर मैं अपना निर्णय दे सकूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो जानकारी चाही गई है, जानकारी के पश्चात् इसका उत्तर आयेगा। लेकिन इस प्रकार के तथ्यों को इस स्थगन प्रस्ताव में बताया गया है कि किस प्रकार एक आठ साल की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बच्ची की मृत्यु की गई है जान बूझकर—मैं समझता हूं इस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार द्वारा वक्तव्य जल्दी दिलाया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, एक आठ साल की बच्ची छः माह पहले दूध से जली थी । उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई थी । ठीक होने के बाद थोड़े घाव उसके शरीर पर रह गए हाथ और पैरों पर । इसलिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसको इस अस्पताल में एडमिट किया गया । जब एडमिट किया गया और उसको आपरेशन थियेटर में ले गए उस वक्त वह हसती खेलती हुई जाती है । लेकिन वहां उसको इतना क्लोरोफार्म दे दिया जाता है कि वह बच्ची कभी होश में नहीं आई और उसकी आपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो गई । मैं चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी वक्तव्य दिलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष । इसकी सूचना बहुत ही जल्दी देने को कहा गया है इसलिए जब सूचना प्राप्त हो जायगी मैं चाहूंगा कि हैल्थ मिनिस्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इसकी सूचना मंगायें । उसके बाद में व्यवस्था दी जायगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह चीनी के सम्बन्ध में था । सरकारी आदेश के अनुसार चीनी के अन्दर सैंतीस पर्सेन्ट की कटौती की गई है लेकिन उस क्षेत्र के अंदर सैंतीस पर्सेंट कटौती के पहले जहां एक किलो चीनी मिलती है अब केवल साढ़े तीन सौ ग्राम चीनी मिलती है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय देवीदत्तजी, उस पर व्यवस्था दे दी गई है इसलिए अब उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा इतना निवेदन था कि ग्राम पचायत शिकायत कर चुकी है कि तीन-तीन चार-चार महीने से हमें चीनी नहीं मिली है और जिन क्षेत्रों में एक किलो चीनी मिलती थी, सरकार के आदेश के अनुसार सैंतीस, सैंतीस पर्सेन्ट कटौती की गई है और उसके अनुसार जो शक्कर मिलनी चाहिए उसके स्थान पर कहीं कहीं ३५० ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी मिलती है जबकि कटौती के अनुसार कम से कम साढ़े छः सौ, सात सौ ग्राम चीनी मिलनी चाहिए । इस प्रकार जो चीनी आती है उस चीनी को राजकीय अधिकारी, राज्य के उप-जिला अधिकारी और तहसीलदार मिल कर ब्लेक में पन्द्रह-बीस रुपया की बोरी मुनाफा लेकर बेच रहे हैं ।

अध्यक्षीय सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि :—

(१) श्री मूलचन्द कटेवा (निर्वाचन क्षेत्र पिलानी), तथा

(२) श्री सूरजमल (निर्वाचन क्षेत्र

सूरजगढ़) ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करली है तथा वे अब कांग्रेस दल के साथ बैठेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (फामी सु.): वे जिन्दा हैं क्या ?

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपके विभाग को करोलो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : जिला लेवल के हॉस्पिटल के सम्बन्ध में कल एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उसकी व्यवस्था क्या है ? स्थगन प्रस्ताव।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था....

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये। आप थोड़ा जोर से बोलें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज ! आपस में बात न करें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में बहुत से उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। इसमें दो हजार परिवार अनुसूचित जातियों के....

श्री उपाध्यक्ष : यह चौदह तारीख को आ रहा है आपका।

वही माननीय सदस्य : दूसरा प्रस्ताव आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रस्ताव।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव !

सिचाई मंत्रीजी !

(१ म० प०)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमेन्ट आने वाला है, निर्माण मन्त्रीजी की तरफ से। कल मुझे एश्योरेन्स दिया गया था कि बोर्डर रोड्स के बारे में माननीय निर्माण मन्त्री जी अपना एक वक्तव्य देंगे। इस सम्बन्ध में मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और कल अध्यक्ष महोदय की ओर से निर्णय हुआ था कि आज उत्तर देंगे चेम्बर में। माननीय मन्त्रीजी के सम्मुख चेम्बर में निश्चित हुआ था कि वे उत्तर देंगे। आज वे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय यह चीज तय नहीं हुई थी कि आज ही इसका जवाब दिया जाय। मुझे कहा गया था कि

Page No. 95

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

आगे किसी तारीख को जवाब दिया जाय। मैंने १७ तारीख तय करली थी।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि बार बार सदन में कह दिया जाता है और उस पर कार्यवाही नहीं होती। माननीय मन्त्री महोदय इसका निश्चिय किया जाय। कल मेरे सामने निश्चय हुआ था कि आज वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय हैं, १७ तारीख को निश्चय हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय कैसे कहेंगे जिस दिन स्टेटमेंट देना चाहें। यह इनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय तो यह सदन की बदकिस्मती होगी और साथ ही जनता का अहित होगा। इसका उत्तर आया नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर जल्दी से जल्दी दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय आपसे रूबरू कह रहे है कि १७ तारीख को तय किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : १७ तारीख के पहले दिया जाय। यह सिगनिफिकेन्ट मामला है। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है और पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठाया गया है कि राज्य सरकार की गफलत के कारण ८ करोड़ की स्वीकृति हुई थी उसको घटाकर ४ करोड़ कर दी। पार्लियामेंट के अन्दर डिफेन्स मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि राजस्थान का पी० डबल्यु० डी० सन्तोष जनक कार्य नहीं कर रहा है। इस कारण कटौती हुई है कि पूरे कार्य नहीं कर सके और सन्तोषजनक नहीं कर सके। यदि उस आरोप का स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो पार्लियामेंट में यह बात स्पष्ट नहीं होगी कि राजस्थान की गफलत के कारण ही बोर्डर रोड्स के लिये जितनी धनराशि की व्यवस्था की थी उसमें कमी की गई है। मै समझता हूं कि पार्लियामेंटमें जो इम्प्रेशन क्रियेट किया गया है वह राजस्थान के हित में ही नहीं बल्कि देश के हित में भी घातक होगा। इस लिये इस प्रकार का स्पष्टीकरण देना राज्य सरकार के हित में भी होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव भी नहीं करता तो पार्लियामेंट में जिस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ था उसका स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए था। यह सरकार सोयी हुई है उसको हम जगायें और उसके बाद भी वह स्पष्टीकरण न करें, यह बड़े दुर्भाग्यकी बात हैं। मैं निवेदन करूंगा इस चीजके लिये १७ तारीख तक वेट करेंगे तो राजस्थान के हित में परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसलिये ज्यादा अच्छा हो कि शाम तक इस सम्बन्ध में आप स्टेटमेंट दें ताकि बजट के सम्बन्ध में पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही है और अपने यहां के जो सदस्य हैं लोकसभा में वे राजस्थान की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए भारत सरकार के ऊपर दबाब डालें कि ८ करोड़ की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है केवल ४ करोड़ ही नहीं बल्कि ८ करोड़ के निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति करवा सकें यह राजस्थान और राजस्थान सरकार के

(श्री भैरोंसिंह)

हित में है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो लोग इलेक्शन में ८०-९० हजार रुपया खर्च करें ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारी मांग बराबर ८ करोड़ की जारी है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी मांग नहीं है। भारत सरकार ने घोषणा करदी है और उसमें कटौती कर दी गई है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : भारत सरकार से इस प्रकार की खतोकितावत चल रही है। एक दफा रकम मंजूर कर देती है और उसके बाद कटौती के लिये लिख देती है। यह तो बजट के मुत्तालिक बात है। हमने अपनी मजबूरियां और डिमांड्स उनके सामने रखी हैं। ऐसी बात नहीं है कि खतरनाक बात हो जाय और रकम हासिल न कर सकें। जो काम हम कर रहे हैं, जितना काम हम कर रहे हैं वह उनके कहने के मुजिब कररहे हैं। वे यह नहीं कह सकते कि एक दफा वह कहें कि यह काम करो और फिर रकम अदा न करें। रकम तो उनको अदा करनी पड़ेगी और ऐसी बात भी नहीं हैं कि खतरनाक स्थिति है जो कि हम कह सकें कि हम गाफिल हैं और क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी जो चेम्बर में बात हुई थी, माननीय सदस्य से वह बहुत दोस्ताना थी और दोनों ने आपस में एक हैसियत से बात की थी। उनका हमारा मामला एक है। इसमें न दो पार्टी हैं और न हीं दो ध्यान हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपना काम पूरा करें, अपनी रक्षा की पूरी चीजों को रखें। यह न ध्यान करें कि जानकर इसको डिले किया जा रहा है। १७ तारीख को बयान दिया जायगा १७ तारीख को बयान दिया जाता हैं तो सदन उस पर बहस कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : पार्लियामेंट की बात कह रहा हूं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पार्लियामेंट में उसका असर होगा, यह बात नहीं है। जिस तरह यहां सवाल जवाब होते हैं वहां भी सवाल जवाब होते हैं। हम पूरी तरह से पूरी ताकत से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। आप ऐसा ख्याल न करें कि उसको बचाया जा रहा है। अधूरा जवाब अगर १२ घण्टे में दे दिया जाय तो कौनसी अच्छी बात होगी। हम उसको अच्छी तरह से डिसकस कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है माननीय सदस्य इस पर और ध्यान नहीं देंगे कि इसको बचाया जारहा है। पूरी तरह उस पर १७ तारीख को बहस करेंगे।

श्री राम किशन (वैर) : मेरा भी दो घंटे का मोशन है। कल व्यवस्था दे दी गई थी। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय उस दिन उस मोशन को भी ले लें ताकि दोनों पर विस्तार से विचार हो सके। जीप के बारे में और इम्प्लीमेंट्स की खरीद के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह भी नहीं होता तब भी सवाल उठता बाकायदा उस पर बहस के लिये सारा तैयार करना था ।

श्री राम किशन : १७ तारीख के लिये पहले बात हुई थी कि १७ तारीख को लिया जायगा तो मेरा निवेदन है कि १७ तारीख को दोनों ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि पी० डबल्यू० डी० और इरीगेशन में जो वर्क चार्ज पर काम करते हैं, उनको ६० साल पर रिटायरमेंट दिया जा रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : कल उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तारीख कौनसी फिक्स की है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तारीख कौनसी फिक्स की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब १७ तारीख को दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय निर्माण मंत्री जी को एक स्थगन प्रस्ताव का उत्तर आज देना था । उदयपुर में रीजनेबिल आर्थोरिटि है, उसके लिये मैंने कल माननीय मन्त्री महोदय से कहा था कि वे कल उत्तर देंगे । उन्होंने एग्री कर लिया था चैम्बर में वरना बाद में इसमें भी मतभेद होता और राज्य सरकार हेरफेर करे कि एग्री किया था या नहीं ।

श्री राम किशन : मंत्री जी ऐसे हैं नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

इसमें आपने खुद ने यह एग्री किया कि इसमें लीगल कम्पलीकेशन हैं । कल नहीं लिया जाकर आगे लिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल । आगे नहीं । १४ तारीख का डेफिनेट आश्वासन था ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय १४ तारीख को देंगे । मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है । मैंने दो तीन दफा पूछा है, उसका जवाब नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के बारे में आप आफिस से मालूम कर लें । बहुत से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं इसलिये उनके बारे में यहां सूचना अभी नहीं दी जा सकती है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, उसके लिये क्या निर्णय

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लिया गया है इसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

हमारे राज्य में नीम का थाना........

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि और कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। मैं रूल्स के अन्तर्गत निवेदन करता हूं कि जो प्रश्न माननीय सदस्या ने उठाया है वह इमीजियेट इम्पार्टेन्स का नहीं है। काल अटेन्शन नोटिस उस पर नहीं दिया जा सकता। इस सवाल को जिस समय इरींगेशन की डिमाण्ड डिस्कस हुई थी उस समय ग्रंड-वेयर में डिस्कस किया गया था और सरकार की ओर से भी उत्तर दिया गया था। काल अटेन्शन नोटिस के ऊपर सदन का समय लेना ठीक नहीं है। जनता की किसी समस्या का समाधान हो सकता हो, ऐसा भी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आज तक जिस तरह से सदन के समय का दुरुपयोग किया है व बहुत ही अमहत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं, उनको हमने बर्दाश्त किया है और आज जब मैं बोलने लगी तो इस प्रकार प्रश्न उठाया है।

श्री राम किशन : इनमें बर्दाश्तगी की माद्दा नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : आज तक वर्दाश्त किया और करते जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : जो बड़े होते हैं वे बर्दाश्त करते जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप उम्र में बड़ी हैं, इस बात की मुझे खुशी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हमारे राज में आज तक पिलाई की दरें बढ़ी है और जिस तरह की रेट थी और जिस तरह चार्ज किया जाता है, उसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। केवल ध्यान आकर्षण करना ही नहीं है बलिक किसान के लिये इंसाफ की मांग करती हूं। हमारे यहाँ जो पिलाई की दरें हैं वह विभिन्न जिलों में अलग अलग हैं। एक ही तरह का अनाज निकलेगा, उसकी भिन्न भिन्न दरें वसूल की जाती हैं। जो दरें चार्ज करने का सिस्टम है वह न रेशनेलाइज्ड है और न उसमें युनिफार्मिटी है और न ही सर्विस रेन्डर की जाती है। मैं यह कहूंगी कि हमारे यहां जो पिलाई की दरें वसूल करने का सिस्टम है वह बहुत ही अन-साइन्टिफिक है। जब हम अपने जिले के अन्दर अलग अलग दरों को देखते हैं तो उनमें इतना अन्तर पाया जाता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

इतनी भिन्न भिन्न दरें आज तक कैसे जारी रहने दीं।

सरकार कोई भी सोशियल सर्विस देती है, चाहे ट्रांसपोर्ट की, चाहे बिजली की, उनकी सारे राज्य में एक दर होती है। आज बिजली की दर जो एक शहर में है वही गांवों, में होगी वही दर जैसलमेर में होगी वही कोटा में होगी, बराबर यूनिफोर्मिटी चलती है। पर सिचाई विभाग हो ऐसा है जहां दरों में भेद है। वह भेद भी बहुत है। इसके कुछ उदाहरण मैं मंत्रीजी के सामने रखना चाहती हूं।

राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल, और गंग कैनाल जिनमें कि पानी काफी इफराद से मिलता है, वहां के चार्जेज हैं और दूसरे जो हमारी पुरानी स्टेट्स के तालाब बने हुए हैं, उनकी भिन्नता मैं एक नजर में रखना चाहूंगी। गंगानगर में जो सुपेरकेन होता है, उसके पिलाई चार्जेज हैं, एक एकड़ के पीछे २१ रुपया है जबकि दूसरी जगह में, कोटा में झालावाड़ में, उदयपुर में इसकी रेट्स कहीं २७ है कहीं २८ है और कहीं २९ रुपया है। बीच में सरकार ने कायदा बनाया था कि सन् ५२ के बाद जो तालाब बनाये गये हैं, उनमें यूनिफोर्मिटी रखनी चाहिये पर उनके चार्जेज देखें, गंगानगर में जार्जेज २१ रुपया है तो ५२ के बाद बनाये गये तालाबों के रेट्स २७ रुपया फी एकड़ है, एक एकड़ के पीछे ६ रुपया ज्यादा है।

इसी तरह कोटन की पिलानी को रेट्स ले लीजिये, कोटन की पिलाई का राजस्थान कैनाल में ६ रु० ५० पैसा चार्ज होता है, वहां हमारे दूसरे जिलों में वह वसूल किया जाता है १३ रुपया। एक दम दुगुना। इतना फरक आपको शायद कहीं और जगह नहीं मिलेगा। गेहूं एक ऐसी जिन्स है जो सारे राजस्थान में पैदा होती है, चाहे कम बरसात होती हो, चाहे ज्यादा बरसात होती हो। चाहे तालाबों से सिचाई होती हो, चाहे कुओं से सिचाई होती हो, चाहे कैनाल से सिचाई होती हो, वहां तक बहुत बड़ा फरक डाला गया है। गंगानगर में, राजस्थान कैनाल में गेहूं की पिलाई के चार्जेज हैं

(१.११ म. प.

(श्री केशरनाथ, सभापति, पदासीन)

५ रु० २५ पैसा चार्ज किया जाता है गंगानगर में तो हमारे दूसरे जिलों में चार्ज किया जाता है १० रुपया। इसके अलावा गंगानगर में फर्स्ट वाटरिंग किया जाता है पहली पिलाई के २ रुपया, दूसरी के ३ रुपया उसके बाद चाहे जितनी पिलाई पिलाओ, ५ रुपया २५ रुपया लिया जाता है। जब कि कोटा झालावाड़ में एक पाण के ७ रुपये और उसके बाद ६ रुपया वसूल किया जाता है। यह उस जिले के किसानों के साथ कितना बड़ा बेइन्साफ कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह गोचनी का मसला मैं आपके सामने रखूंगी। वह फरक बताया वह तो गंग कैनाल और सन् ५२ के बाद के तालाबों का बताया। भरत-

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

पुर में ७ रु० ६५ पैसा गोचीनी का चार्ज करते हैं। अजमेर में ५ रुपया, उदयपुर में ५ रु० ८६ पैसा और कोटा में ३ रुपया ६० पैसा चार्ज होता है। कोटा और भरतपुर में ज्यादा फरक नहीं है पर कोटा में ३ रुपया ६० पैसा वसूल किया जाता है तो भरतपुर में वसूल किया जाता है ७ रुपया।

इसके अलावा बागात के पानी की तरफ ध्यान देंगे तो उसमें बड़ा फरक है। राजस्थान कैनाल में बागात के लिये १३ रु० २५ पैसा चार्ज किया जाता है, दुर्भाग्य से वही बागात कोटा में है, उदयपुर में है वही बागात दूसरे जिलों में है उनसे वसूल किया जाता है १७ रुपया और वह भी ६ महीने के लिये, साल भर के लिये वसूल किया जाता है ३६ रुपये। कहीं बागात की रेट्स १३ है तो कहीं ३६ जब कि कैनाल से पानी आता है काफी इफराद से। वहां ५ दफा पिलाये पर दूसरी जगह किस्मत के भरोसे है, वहां कभी दो पाण पिलाते हैं कभी तीन पांण, पूरी वर्षा नही होती तो एक दो पांण ही पिलाते हैं उन लोगों से ३६ रुपया वसूल किया जाता है और जहां पानी इफराद से आता है १३ रुपया वसूल किया जाता है।

तो मैं मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं। आप मुकाबला करें। गंग कैनाल सरकारी धन से बनी है, राजस्थान कैनाल सरकारी धन से बनी है और दूसरी जगह तालाब बने हैं वहां जनता का श्रमदान रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जब टूट फूट होती रही है, उसमें जनता ने श्रमदान किया है, उनको बनाने के लिये जनता ने अपना पसीना बहाया है, उनसे वसूल करेंगे चौगुना, जबकि उनको वक्त पर पानी नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तालाब खाली रहते हैं तो उसका उपयोग नहीं कर पाते। उन तालाबों से जितनी जमीन की पिलाई होती है उससे कितनी पैदावार होती है, उनसे गंग कैनाल क्षेत्र की यील्ड ज्यादा है तो जिन किसानों के ज्यादा पैदावार होती है उनसे कम चार्ज करते हैं और जिनके कम पैदावार होती है उनसे ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, उन किसानों को परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। जिनको कम पानी दिया जाता है उनसे वसूल किया जाता है तीन गुना चार गुना। सभापति महोदय, मैंने यह प्रश्न एक बार सदन में उठाया था और मन्त्री महोदय ने इन रेट्स में फरक होने का कारण बताया था कि हमारी पड़ोसी स्टेट्स से लगे हुए जो इलाके हैं वहां पड़ोसी इलाकों में जो रेट्स चली आई हैं वही रेट्स रखी हैं। जो पंजाब के पास इलाके है उनमें वहां रेट रखी है पर जो हमारे बीच के इलाके आ जाते है, किसी दूसरे राज्य से नहीं मिले हुए हैं वहां अपने ढंग से जो रेट्स थीं वह रखी हैं। मन्त्रीजी ने यह दलील दी, इसको मैं कोई तर्क संगत नहीं मानती, उनका यह जवाब, उनकी यह दलील, ऐसी दलील है कि जैसे मन्त्री महोदय कह दें कि जो मेरे पड़ोस में रहने वाला है, उसको जल्दी इन्साफ मिलेगा, या उसी को इन्साफ मिलेगा, दूसरों को भले

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

ही गैर इन्साफ मिले । इसलिये मन्त्री महोदय की दलील को मैं न न्याय-संगत मानती हूं, न तर्क संगत मानती हूं और न युक्ति सगत ही मानती हूं । इस प्रस्ताव के द्वारा मैं आपका ध्यान - खींच कर चाहूंगी कि एक समान दर राजस्थान में कायम कीजिये चाहे वह यूनिफोर्मिटी के आधार पर हो, चाहे रेशनेलाइजेशन के आधार पर हो चाहे सर्विसेज रेंडर की जाती है, उनके आधार पर हो पुरानी दरें साइंटिफिक बेसिस पर नहीं हैं आज जो धांधली, मनमानी पुराना ढर्रा चल रहा है उसको तुरन्त समाप्त किया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मन्त्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसके बारे में वे और अन्य माननीय सदस्य बजट के अवसर पर सिंचाई की मांग के सिलसिले में इस बारे में काफी रोशनी डाल चुके थे और उस समय भी मैंने बहुत विस्तार से इन सारे मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार का दृष्टि-कोण रखा था इसलिये मैं बहुत ही संक्षेप में इन सारी चीजों को फिर दोहराना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि इन दरों का एकीकरण किसानों के हक में नहीं होगा, बल्कि बाज मर्तबा आज जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं वह दर काफी बढ़ जायगी । इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि अभी वह स्टेज नहीं है कि इन दरों पर पुनर्विचार किया जाकर के रेशनेलाइजेशन किया जाय । राजस्थान बनने से पहले रियासतों में अपने अपने ढंग से दरें थीं । गंगानगर जिले में पंजाब का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया गया था और उस समय केवल गंग केनाल थी और गंग केनाल में वही सिस्टम था जो पंजाब में था । इसके सिवाय अलग अलग रियासतों में अलग २, ढंग से दरें थीं, कहीं रकबे पर कहीं जिन्स पर, उसमें फरक १० आने से १० रुपये तक था । अगर रेशनेलाइजेशन करते हैं तो १० आने वालों को ५ अथवा ६ रुपया तक ले जायेंगे, इसका मतलब यह हो जायगा कि १० आने वालों पर बहुत अधिक वजन पड़ेगा, १० रुपये देते आये हैं उनको रिलीफ मिलेगा । पर जिसका बढ़ता है उस पर वजन बहुत ज्यादा बढ़ जायगा । इस दृष्टि से १९५७ में स्टेट गवर्नमेंट ने एक केबिनेट सब कमेटी का फोर्मेशन किया । उस सब कमेटी ने, माननीय सदस्या ने जो बातें अभी कही हैं उन सारे प्रश्नों पर विचार किया और विचार करके, लम्बे विचार विनिमय के बाद यह नतीजा निकाला कि सन् ५२ से पहले गंगानगर जिले में पंजाब का जो सिस्टम है, उसी आधार पर चलाया जाय और रेस्ट ऑफ राजस्थान में जो ५२ से पहले की जो रेट्स हैं उनको वैसे ही कायम रहने दिया जाय । उनको वैसे ही कम रहने दिया जाय और नया बनने में सब में यूनीफॉर्मिटी लानी चाहिए । इससे किसानों पर एक्सट्रा बर्डन आना था वह नहीं आया । जो लोग ज्यादा चुकाते हैं, जो लोग कम चुकाते हैं, वह उस लाभ से वंचित नहीं रहे जो उनको मिल रहा था । जब हम यूनीफोर्मिटी की बात करना चाहते हैं तो एक बात और भी देखनी

(श्री हरिदेव जोशी)

है। इर्रीगेशन का भी सिस्टम है जिस पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही प्रकार का नहीं होता है। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर कॉस्ट आफ प्रोडक्शन और दूसरी चीजें बढ़ती रहती हैं और इसलिए हम इसके अंदर जैसे दूसरी चीजों में यूनीफार्मिटी लाना चाहते है, बहुत सम्भव है कि वैसी यूनीफार्मिटी इसमें नहीं आ सके।

राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के अंदर जो प्रवेलेंट सिस्टम है उसको समझने की कोशिश की है। यू० पी० में इर्रीगेशन सिस्टम काफी डेवलप्ड है, वहां भी अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग तरह से शरहें हैं. अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग शरहें हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक इस पर बहुत विशद रूप से विचार नहीं कर लें, जल्दी नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने एक बार १९६० के बाद में फिर यह विचार किया था कि इन दरों के एकीकरण के लिए पुन: विचार किया जाना चाहिए। मगर उसका भी मकसद यह था कि जो लोग कम पे करते हैं, उनकी दरें बढ़ाई जायं. यह विचार उस समय भी छोड़ दिया गया और यह समझा गया कि अभी उन लोगों की दरें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

जहां तक इरिगेशन विभाग का सवाल है, इरिगेशन विभाग भी महसूस करता है कि राज्य के अंदर अलग २ दरें अलग २ परिस्थितियों के अंदर हो सकती हैं। ऐसा केवल राजस्थान में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी है और जब तक इन पर पूरा विचार नहीं हो जाता, आज की स्थिति के अंदर उनके अंदर यूनीफार्मिटी लाना संभव नहीं होगा। मैंने कहा, किस प्रकार से, कैसे यूनीफार्मिटी लाने की कोशिश की है, बजट पर जवाब के दौरान विस्तार से कह दिया है। इसलिए जो राय मैंने यहां रखी है उससे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या सहमत होंगी।

श्री रामकिशन : जैसे भरतपुर के रेट्स हैं, आपने पुराना आधार रियासतों का माना है लेकिन जिस समय दर निश्चित किए गए थे उस समय राज्य सरकार के दिमाग में यह बात थी कि उस समय और कोई टैक्स नहीं थे केवल सिंचाई और लैंड रेवेन्यू थे। उसके बाद ,डेवलप्ड इकानामी में कई तरह के टैक्सिज लगा दिए तो उस समय का आधार आज के समय में वैज्ञानिक है ?

दूसरी बात भरतपुर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना है केवल पार्वती को छोड़कर, वहां कोई नया काम नहीं हुआ है। तो प्रोजेक्टस के साथ साथ उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब लगाते हैं तो उसका तरीका तय कर लेते है कि जो हमारी मूल लागत है वह पूरी हो जायगी। भरतपुर में जो लागत हुई उससे दस गुना राजस्व इकट्ठी कर चुके हैं तो ऐसे क्षेत्रों में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार फ्री पानी देती है खेती बढ़ाने के लिए। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जानना चाहता हूं कि जहां नए प्राजेक्ट्स

(श्री रामकिशन)

नहीं बने, रेवेन्यू पूरी इकट्ठी कर ली तो राज्य सरकार वहां दर घटाने को तैयार है ?

श्री हरिदेव जोशी : सिंचाई की दर तय करते समय जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है उनमें कास्ट आफ प्राडक्शन और मैन्टनेन्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए सब चीजों के अलावा। मगर यदि केवल इसी चीज को ध्यान में रखा जाय तो सिंचाई की दर बहुत ज्यादा आएगी और संभव नहीं होगा कि काश्तकार पे कर सके।

श्री रामकिशन : मैं केवल भरतपुर की बात कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : इस दृष्टि से केवल अगर हम आज पैसा लगाते हैं कि उनको वसूल करना है तो कीमत ज्यादा आएगी। इसलिए यह तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने निवेदन किया कि पंजाब का सिस्टम जो हमने इन्ट्रोड्यूस किया था गंगानगर में, उसको उसी तरह रहने दिया, १९५२ से पहले जो शरहें थी उनको ही रहने दिया उसके बाद जितनी शरहें थीं उनको रेशनेलाइज किया।

श्री रामकिशन : आपका तो वही गोलमाल जवाब। मैं कह रहा हूं कि भरतपुर के बारे में इरीगेशन चार्जेज जब तय हुई उनमें साफ तौर से लिखा है कि केवल दो टैक्सेज थी सिंचाई और लैंड रेवेन्यू। इसलिए उन्होंने रेट्स ऊंची रखी थी। अब तक इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, मृत्यु कर सब रखे हैं, तो उन क्षेत्रों के साथ न्याय करने के लिए नया तरीका अपना सकते हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं साफ कह चुका हूं।

श्री रामकिशन : जब मेरी समझ में नहीं आया तो आप कैसे कहते हैं कि साफ कह रहे हैं, आप कोई वेदान्त की बात कह रहे हो। भरतपुर के बारे में आपकी नीति क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : सारे राजस्थान की जो नीति है वही भरतपुर के बारे में है। भरतपुर को आइसोलेटेड वे में नही ले सकते।

श्री रामकिशन : आपने अभी कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेट्स हो सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं।

श्री सभापति : विधायी कार्य। राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६७।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सभापति महोदय, मैंने कल विशेषाधिकार का एक प्रश्न दिया था उसके विषय में जानकारी चाहूंगा कि कब लिया जायगा ?

श्री सभापति : वह इग्जेमिन किया जा रहा है।

विधायी कार्य

(१०.२७ म० प०)

राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६७

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि, १९६७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ श्री रामकिशन।

इस पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

(१) श्री रामकिशन (वि० सं० १२९)

(२) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि० सं० १३७)

(३) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (वि० सं० ५०)

(४) श्री केशरीसिंह (वि० सं० २१)

(५) श्री केदारनाथ (वि० सं० २०)

(६) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि० सं० १९)

(७) श्री जुझारसिंह (वि० सं० ४३)

(८) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वि० सं० ८१)

प्रस्ताव करते हैं कि :—

१. राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६६ को एक सप्ताह। एक माह। १५ दिन। तीन माह। एक सप्ताह। तीन माह। एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(१) श्री गिरधारीलाल व्यास (वि० सं० २७)

(२) श्री पी. के. चौधरी (वि० सं० ७१)

(३) श्री नत्थीसिंह (वि० सं० ६०)

(४) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि० सं० १६४)

(५) श्री मूलचन्द डागा (वि० सं० ११३)

(६) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (वि० सं० १४४)

प्रस्ताव करते हैं कि :—

२. "राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह। एक माह। दस दिन। सात दिन। एक सप्ताह। एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति

के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, जिस प्रकार का एक नया विधेयक पेश किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण इस माने में है कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के अलग अलग समय पर विधेयक लाए गए हैं और शहरी जायदाद पर एक प्रकार की टैक्स लगाने की चेष्टा की है । जहां तक इस विधेयक को लाने का संबंध है और सदन का सम्बन्ध है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं । हमारे दल की निरंतर यह मांग रही है कि टैक्स का वजन हर सूरत में ग्रामीण जनता पर या उपभोक्ताओं पर बढ़ता जा रहा है लेकिन योजनाओं के द्वारा जो पैसा हमने नियोजित किया है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा शहर और शहर के संपन्न वर्ग को मिलता चला जा रहा है ।

इसलिए सामान्य तौर से राज्य कोष को ठीक ठीक पैसा मिले । इस दृष्टि से शहरी जायदाद पर टैक्स लगाया है । यह आज की ही हमारी माँग नहीं है, निरन्तर समय समय पर जब सरकार ने कोई टैक्स लगाए हैं तो हमारे दल ने समर्थन किया कि शहर जायदाद पर कोई न कोई टैक्स लगे लेकिन इस टैक्स लगाने से पहले जानकारी चाहता हूं । अच्छा होगा कि वित्तमंत्री जी जानकारी दे दें ।

एक तो जो टैक्स लगाया उसका क्षेत्र सीमित है । सिर्फ १३-१४ इलाकों में लगाने का आधार क्या है ? दूसरे क्षेत्रों को क्यों छोड़ा गया ? एक बात वित्तमन्त्रीजी अपने जवाब में साफ करें कि अगर योजना का लाभ मिला है, पूंजी कहां नियोजित है, तो जैसे जैसलमेर को मिला है वैसे भरतपुर को मिला है, हो सकता है कि वहां कुछ कम मिला हो और जोधपुर में ज्यादा मिला हो लेकिन एक बात जरुर आती है कि वित्त मन्त्री जी ने जब बजट पेश किया था, जो टैक्सेज लगाए थे तो विरोध हुआ था मवेशियों पर और सिंचाई की रेट्स बढ़ाई थी, उस समय सदन में उन्होंने कहा था टैक्स वापस लेने के बाद कि इस तरह का कोई टैक्स लाना चाहते हैं जिससे जो घाटा हुआ है, वह पूरा हो जाय । मैं समझता हूं कि यह जो टैक्स लगाए हैं, यह कानून बनाने जा रहे हैं, वह केवल घाटा पूरा करने के लिए ही नहीं बनाने जा रहे हैं लेकिन इसमें दूसरा उद्देश्य भी है । वह घाटा तो पूरा होना ही चाहिए लेकिन शहरी असीमित पूंजी कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी न हो जाय, इस प्रकार का टैक्स लगाते हैं तो मैं उसका समथर्क हूं ।

मैं और मेरा दल इस टैक्स का समर्थन करेंगे । लेकिन इसके साथ-साथ कुछ मेरी शंकाएं भी हैं । उनका निराकरण होना जरूरी है । पहली शंका यह है कि इसको सीमित क्यों रक्खा गया ?

दूसरी शंका और है । सरकार ने जो टैक्स लगाये हैं क्या उससे पहले विधि विभाग से और दूसरी जगह से जो कानूनी जानकारी मिलनी चाहिये क्या उन्होंने वह प्राप्त करली है, क्योंकि इस प्रकार के टैक्स

(श्री रामकिशन)

बम्बई पंजाब ने भी लगाये थे, और केरल ने भी लगाये थे पर वहां के हाईकोर्टो ने उनको रद्द कर दिया यह कहा कि इस प्रकार के टैक्स लगाने का अगर अधिकार किसी को है तो वह नगरपालिका को और स्थानीय निकायों को है। तो इस पर में जानना चाहूंगा कि इसकी कानूनी स्थिति के लिये तो आपने पूरी जानकारी कर ली होगी।

लेकिन साथ साथ हमारा जो फाइनेन्स कमीशन है, जो सारे देश में वित्तीय साधनों का वितरण करता है राज सरकार के लिये नगर निगमों के लिये केंद्रीय सरकार के लिये, उनकी दृष्टि में भी इन सारी जायदादों पर राज्य सरकार को टैक्स लगाना चाहिये या नगरपालिका को लगाना चाहिये या स्थानीय निकायों को। उसकी क्या दृष्टि है इसका भी ध्यान रखना जरुरी है।

शायद वित्तमन्त्री जी इसका दूसरी तरह का जवाब देंगे कि उसकी वेल्यू पर नहीं लगाया है, यह तो जो किराया की उसकी क्षमता है उसमें से कुछ परसेन्टेज अपने पास लिया है। अगर इस दृष्टि से न्यायसंगत और कानूनी दृष्टि से ठीक है तो हमें आपत्ति नहीं है।

पर वित्त मन्त्री जी मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यह टैक्स लगाते जाते हैं उसका औचित्य क्या है? बार बार एक बात कही जाती है और दोहराई जाती है मैं फिर दोहराता हूं कि आप टैक्स लगावें, हमारी कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वित के लिये सिचाई क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये, ज्यादा बिजली और पानी देने के लिये इसके लिये अगर आप टैक्स लगाते हैं तो हम इसके समर्थक हैं। पर टैक्स लगाते वक्त न तो आप सामाजिक उद्देश्य पूरा करते हैं न उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देते हैं।

सभापति महोदय, जैसी आपकी राज्य सरकार को जानकारी है, जो पैसा योजना के नाम पर लिया जाता है वह गैर योजना के नाम पर खर्च कर दिया जाता है। ज्यादा नहीं दोहराऊंगा। जैसे जैसे योजनाओं के लिए पैसा लिया गया है टैक्स बढ़ाते गये हैं तो इससे प्राप्त धनराशि जो कैपिटल आउटले पर खर्च होना चाहिये वह उस पर खर्च न होकर सेवाओं की वृद्धि पर फैशन शान और शौकत और गैर उत्पादक योजनाओं पर लगा दिया।

अब अगर सरकार सतर्क है। एक नया पैसा भी राजसरकार जिस उद्देश्य के लिये ले उसी पर अगर खर्च करती है तो अच्छी बात है। पर अगर ऐसा नहीं करेगी तो इसका परिणाम यह होगा कि टैक्स देने वाले की क्षमता समाप्त हो जावेगी और आज जो वित्तीय स्थिति है, पांच साल बाद और ज्यादा बदतर हो जावेगी। अगर इन टैक्सों से वसूल की हुई धनराशि को उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पावेंगे तो इसके कारण हमारी प्रति व्यक्ति क्षमता नहीं बढ़ेगी और टैक्स धीरे धीरे वसूल करने की व उनकी देने की क्षमता समाप्त होती जावेगी तो टैक्स फिर लगावेंगे भी तो वसूल कहां से

(श्री रामकिशन)

करेंगे ।

तो एक गारन्टी इस सरकार से यह चाहूंगा कि जैसा उन्होंने बजट भाषण में कहा था कि योजनाओं के लिये यह पैसा ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर सूरत में इस बात पर उनको कायम रहना चाहिये कि जो पैसा योजनाओं के नाम पर लिया जाता है चाहे वह फिर राजस्थान, सरकार के टक्सों से आया हो, केन्द्रीय सरकार के पास से आया हो या दूसरी तरह के असेट्स हों योजनागत व्यय में और उसमें भी उत्पादक कार्यों में जिनसे सीधा परिणाम निकल सके, उन पर लगाना चाहिये ।

इस सिद्धान्त के साथ टैक्सों के सम्बन्ध में मैं अब कुछ कहना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, जहां तक सरकार के टैक्स लगाने के औचित्य का सवाल है मैं उसका समर्थन करूंगा पर जहां तक उसकी फिजूल खर्चियों का सवाल है हर माननीय सदस्य, चाहे कांग्रेस पक्ष का भी हों, उसके मन में भी यह आशंका रहती है कि इस सरकार को यह पैसा दिया क्यों जावे जो फिजूलखर्ची रोक नहीं सकती । भ्रष्टाचार बन्द कर कहीं सकती, उत्पादन बढ़ा नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती । अपनी जिम्मेदारी इतनी नहीं समझ सकती कि कोई वेलफेयर गवर्नमेंट का कर्तव्य या फर्ज केवल इतना ही नहीं है कि जिस किसी प्रकार से टैक्सों से अन्धाधुन्ध पैसा वसूल करके खजाने में जमा कर लिया जाय और उनको अपने ऐश आराम और फिजूलखर्चियों में बर्बाद कर दिया जाय, बल्कि उस खजाने की रक्षा करना, उसे भरते रहना, सही दिशा में उसको व्यय करना, उत्पादक कार्यों में पूंजी विनियोजित करना यह एक अच्छी सरकार का नैतिक कर्तव्य है । कानूनी कर्त्तव्य भी है कि इसे पूरा करे ।

राजस्थान की सरकार इन पिछले २० वर्षों में तो अपने इस कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर पाई है । दिन प्रति दिन उल्टी उसमें गिरावट आती जा रही है । इसके कारण चाहे हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो, गलत नीतियां हों । कोई भी कारण हो । इन कारणों से लोगों में निराशा और असुरक्षा के भाव बढ़ते जा रहे हैं । तो मेरा कथन यह है कि इन सारे मामलों पर नजर रखकर नई योजना उत्पादक योजनाएं वे प्रस्तुत करें ।

दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा शहर से सरकार ने पैसा लिया । लेना चाहिये जिनकी आमदनी बढ़ी है । सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में ३ अरब ५६ करोड़ की पूंजी का नियोजन किया है तो इसका लाभ शहरों को ही ज्यादा मिला है इसलिये अगर उनसे सरकार पैसा लेना चाहती है और भी ज्यादा उपयोगी कामों में उसका विनियोजन करने के लिये तो यह अच्छी बात है ।

पर एक चीज और है । चाहे वाणिज्य के संस्थान हों या आवास संस्थान के हों, मकानों की शहरों ये कमी है । आबादी के बढ़ने की

(श्री रामकिशन)

बात मैं नहीं कह रहा हूं । इसका तो वित्त मन्त्रीजी को ज्ञान है । ग्रावास सम्बन्धी समस्याग्रों का दूसरा कारण भी है । वह यह है कि शहरों में ग्राज जमीन उपलब्ध नहीं है । लोग मकान दुकान बनाना चाहते हैं पर गलत नियोजन के कारण पूंजीवादी दृष्टिकोण के कारण जमीनें नहीं मिल पाती। चाहे गांव का मजदूर हो। मजदूरी करने शहर में ग्राता है झोंपड़े में पड़ा रहता है दस पांच साल के बाद ग्रगर वह चाहे कि मकान बना ले वह शहर में तो नामुमकिन है । पूंजी वाले मकान बनाना चाहते हैं पर ग्राज पांच पांच दस दस साल से उनकी दर्खास्तें पड़ी हैं कि जमीन दी जावे, पर सरकार नहीं दे पाती। सरकार शहरों में से पैसा इकट्ठा करने जा रही है। इसका दो तरह से वह बंटवारा करे। ग्रावास की समस्या हल करना योजना का मुख्य कारण हो। सरकार कहे यह पैसा जो इकट्ठा करेगी वह उसे हम ग्रपने एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों पर १०।१५ परसेन्ट टोटल कलेक्शन में से स्टेट के खजाने में ग्रलग रखते हैं बाकी का पैसा जिन क्षेत्रों से लिया जावे उसके लिये तीन काम करने चाहिये ।

जैसे पुरानी रियासतों ने ग्रलग ग्रलग फण्ड कायम कर रक्खे थे ग्रावास फण्ड, पुलिस की भलाई का फण्ड ग्रादि ग्रादि ग्रौर उस फण्ड के लिये इकट्ठा हुग्रा पैसा उसी में खर्च करते थे। इससे टैक्स देने वालों में प्रेरणा होती है । ग्रगर भरतपुर से पैसा लिया जावे तो ग्राप कहें कि जमीन का विस्तार वहां किया जावेगा इस पैसे से । गन्दी बस्तियां हैं भरतपुर में उसकी सफाई में वह पैसा खर्च किया जावेगा । तो विरोधी होने के नाते भी मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि ग्राप सरकार को पैसा दीजिये । ग्रापकी मण्डियां ग्रापके व्यापार संस्थान काफी गन्दी हालत में पड़े हैं सरकार उन पर पैसा खर्च करना चाहती है । तो ग्राप इसके लिये सरकार को पैसा दीजिये ।

पर सरकार ने टैक्स के लिये १४ जगहें तय की हैं। पर सरकार के खर्चे का जहां तक ताल्लुक है, ग्रांकड़ों से बताया है, कि गलत ढग से खर्चा सरकार करती है । इससे प्रेरणा कर दाता में जो होनी चाहिये वह पैदा नहीं होती ।

ऐसी स्थिति में विकास शील ग्रर्थ व्यवस्था के लिये मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जब वह टैक्स लगावे तो करदाता में उत्साह पैदा करने की कोशिश करे ।

भरतपुर में टैक्स लगाए, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, दुकानें ग्रौर संस्थान जिनके चलते हैं उनसे ग्राप कुछ पैसा लें। मुझे ग्रापत्ति नहीं । पर सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि भरतपुर की नई मण्डी में कई बार माथुर साहब चले जाते हैं राजबहादुरजी के साथ । वहां सेठ लोगों के साथ दावत भी खाई हैं। क्यों छिपाते हो ? कई कई चक्कर लगाये हैं ग्रापने वहां के । बिड़लाजी के साथ ग्रापने

(श्री रामकिशन)

दावतें खाई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चक्कर तो आपने भी लगाये होंगे।

श्री रामकिशन : उसमें राजनैतिक सौदेबाजी की बात नहीं थी। कार्यक्रम की बात होती थी। पर यहां तो राजनैतिक सौदे बाजी की बातें चलती थीं। भरतपुर की मण्डी में जिनसे आप चन्दा लेने जाते है और विशेष तौर से एक सेठ के लिये आप वहां चक्कर काटते हैं। उनके साथ बड़े भोज होते हैं उसकी सुगन्धी हमारे मकान तक भी आ जाती है। आप भरत-पुर में पधारे थे। आपने देखा होगा मण्डी की क्या हालत है। टैक्स लगावेंगे आप एक तरफ। पर सभापति महोदय, भरत-पुर में आप देखेंगे मण्डी में तालाब बने हुए हैं। गढे तो आपने बहुत सी जगह सुने होंगे। पेट के गढे, गरीबी के गढे, गैर बराबरी के गढे। पर भरतपुर में मण्डी में तालाब बने हैं।

ये स्टेट के वक्त बनी थीं। उसमें बीच में तीन चार तालाब हैं। बरसात के दिनों में पल्लेदार और दुकानदार बाहर नहीं हो सकते। वे सड़ जाते हैं, बड़ी बदबू आती रहती है। उसकी हालत सुधार-ने के लिये नगरपालिका के पास पैसा नहीं, बजट नहीं। राज सरकार को कहते हैं तो वही जवाब वहां से मिलता है, बजट नहीं। एप्रोच किया गया सरकार को पर सुनवाई नहीं। मैं चाहूंगा कि इस टैक्स के लगाने के साथ साथ माननीय वित्तमंत्रीजी वहां जावें भरतपुर में। टैक्स आप ले लेंगे पर सबसे पहले जो टैक्स ले रहे हैं उसके साथ साथ आप उनको यह भी कहें कि तुम्हारी मण्डी की दुरुस्ती करने में उसे खर्च करेंगे। इसका नतीजा, सभापति महोदय, और हुआ। आज तः शायद वित्त मंत्रीजी सोचेंगे कि टैक्स लेकर खर्च कर देंगे तो उसका लाभ क्या होगा। जिस दिन से आप खर्च करेंगे आपकी आमदनी बढ़ेगी। सौ में दुकान उठ रही है तो दो सौ में उठेंगी। क्षणिक लाभ से ज्यादा लाभ नहीं होगा। ज्यादा पैसा कमाये राज्य को ज्यादा दे। मंडी कमेटीज से ज्यादा किराया बढ़ने वाला है। इस दृष्टिकोण से आप इसको रखते है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।

आज देश की हालत क्या हो रही है? जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ टैक्स लगाने के साथ हुआ। ग्राम पंचायतों को ले लीजिये, पचायत समितियों को ले लीजिये, राज्य सरकार को ले लीजिये, केन्द्रीय सरकार को ले लीजिये। हर जगह धर्म बन गया है कि टैक्स लगाओ। सभापति महोदय, कुछ बचा तो नहीं। काफी टैक्स लग चुके हैं। हमारे अर्थ शास्त्रियों के अनुसार जितना टैक्स हिन्दुस्तान के आदमी देते हैं एशिया और अफ्रिका के तो नहीं देते है, अमेरिका की बात छोड़ दीजिये जहां हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी २५६ रुपया वहां अमेरिका के आदमी की १२ हजार रुपया है। आप बर्मा को ले लीजिये, इन्डो-नेशिया को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिये, लका को ले लीजिये प्रति व्यक्ति

(श्री रामकिशन)

इन्सीडस आंकड़े हैं उनके मुकाबले हिन्दुस्तान में कहीं अधिक हैं। इन्होंने टैक्स लगाया तो ठीक किया। हमने सुझाव दिया था हम उसके समर्थक हैं। मैं यह जरूर चाहूंगा कि टैक्स लेने के वक्त नगरपालिका और ग्राम निकायों को देखा जाय कि जिस जगह टैक्स लगा रहे हैं वहां हालत क्या हो रही है। हाउस टैक्स अलग लगा हुआ है।

श्री नत्थीसिंह : हाउस में कोरम नहीं है। ऐसे टैक्स लग रहे हैं और कोरम न हो....

श्री रामकिशन : कांग्रेस वालों को दिलचस्पी नहीं है। एक ही दिलचस्पी है भोजन हो जाय तो बैठ जाय।

(१.४२ म. प.)

(कोरम सूचक घंटी)

(कोरम पूरा हो जाने पर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के सदस्य कोरम के लिए काम आते हैं और तो कोई बात है नहीं। इतना तो इन्स्ट्रक्शन दें, आपने इनका प्रताप, गुरु तो कुंठित कर दिये। सुबह सलाम कर लो और ट्रांसफर करा दो। एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। आप जो टैक्स लगा रहे हैं उससे समाज में क्रांति और परिवर्तन होने वाले हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्रांति होने वाली है। विरोधी तो आपकी प्रशंसा करने वाले नहीं है माननीय वित्त मंत्रीजी मैं एक सुझाव देने जा रहा हूं जो टैक्स लगाने जा रहे हैं उसका उपयोग उसी क्षेत्र के विकास पर करें। भरतपुर के लिए सुझाव दिया। शहरी आजादी में जमीन खरीदने पर खर्चा करें। यह दूसरा सुझाव। तीसरा सुझाव यह है। आप दूसरे विचार के रहे हैं, कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं। सबको मिला लेती है। तीन पार्टी हैं। वापत, कोमितांग और तीसरी कांग्रेस। पुराना कांग्रेसी होने के नाते मुझे जानकारी है कि आप प्रगतिशील विचार के हैं। सरकार जमीन तो खरीदती जाती है। अलॉटमेंट किया करती है। किसी समाजवादी सरकार में ७ मंजिला मकान नहीं बनाया जा सकता। सोवियत भूमि में आप घूम आये हैं। छोटे २ और साफ सुथरे मकान हैं। मकानों की कमी है। मास्को में बनाये जा रहे हैं। म ान देने के साथ चार आदमी को एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन यहां पर अट्टालिकाओं को देखकर दूसरे लोगों के मन में हीन भावना आ जाती है। जब मैं आपके वातानुकूलित आवास को देखता हूं तो मेरी भी तबियत फिसल जाती है। मेरी आमदनी तो बहुत छोटी है। छोटे तरीका का ही आवास हो सकता है। यदि बड़ा बनाऊंगा तो या तो करप्ट होऊंगा या गिरावट आवेगी। इसलिये किसी समाजवादी सरकार का यह फर्ज है कि ऊंची २ अट्टालिकायें बन्द करायें। मकान साफ सुथरा हो और सब को लाभ पहुंचा सकें। आज नहीं तो दस साल बाद गृह कर्मचारी नहीं मिलेंगे। बड़े, बड़े महल कौन मिलेगा आखिर। आदमी खुद कमाये और खाये। यह नहीं कि दास-दासियां खड़ी

(श्री रामकिशन)

हो जांय। सुराणा हाउस एमरल्ड हाउस। कोई प्रगतिशील देश इस प्रकार का वेस्ट पसन्द नहीं कर सकता। यही पैसा प्रोडक्टिविटी में लगायें जिससे समाज को कुछ दे सके। पचास हजार आप ही चन्दा लेने गये।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): नहीं गया।

श्री रामकिशन: जहां आप जाते हो उसकी सूचना हमें पूरी मिलती है। चन्दा लेने जावेंगे आप तो आप तारीफ करेंगे। विशाल मकान बनाया हैं। आपकी पत्नी की साड़ी चमकदार है। आपकी पत्नी ने स्लीव्जलेस ब्लाउज पहन रखा है। आप भी सम्हलें। हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं कर सकतें। जमीन खरीदकर छोटे दूकानदारों को दे दें।

तीसरा सुझाव यह है कि यह देखने की कोशिश करें कि इतना ज्यादा वजन टैक्सेज का न हो जाय कि भवन बनाने में निष्ठा कम हो जाय। पहली दूसरी और तीसरी योजना में अल्प मकानों के मामले में कोई बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम नही हुआ है। पहली दूसरी योजना को छोड़ दें। तीसरी के लिये निवेदन करना चाहूंगा। तीसरी योजना में आय वालों के लिये ६५ लाख रुपये दिये। कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं। हड़प कर चाहे लाख के बना लिये हों। अल्प आय वालों ने नही बनाये। अपने मकान किराये पर दें। ६५ लाख में से वह धन राशि भी निकाल दीजिये जिन्होंने मकानों पर नहीं लगायी। आपके टारगेट्स है। उन टारगेट्स को ही सही मानलें तो २४६० मकान बनाये हैं। आबादी बढ़ रही है २६ परसेन्ट। गैर सरकारी तौर से भी बन रहे हैं मकान। सरकारी तौर पर आबादी के हिसाब से बनायें। आज जयपुर, भरतपुर, दिल्ली में जो किराया है वह मास्को और वाशिंगटन में नहीं है। एक तरफ हालत खराब है। इनकम सबसे कम है और अधिक किराया है। मास्को में दस फीट में मकान २५) में मिलेगा तो दिल्ली में २२५) में मिलेगा। जमीनों का वितरण हुआ है गलत ढंग से हुआ है। दूसरा निवेदन करूंगा कि आप उनसे टैक्स ले रहे हैं और एबोलिश नही कर सकते तो उनका इन्सेन्टिव का तो ध्यान रखें कि उनका उत्साह तो कम नहीं हो रहा है।

आपने औद्योगिक मकान बनाये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४८ लाख रुपया ऋण दिया। २२ सस्थान खड़े किये हैं। ये पूरे अनकम्पलीट हैं आपका लक्ष्य था लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में आबादी के मुकाबले में आवास का ज्यादा इन्तजाम नहीं कर पाये। चौथी योजना का आपने प्रारूप दिया है। उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता मांगा, खाने पीने की चीजों के दाम बहुत ऊंचे होगये। मकान किराया भी ऊंचा है। यह समस्या और प्रक्रिया बन्द हो सकती है।

(श्री रामकिशन)

सस्ती और सुलभ जमीन उपलब्ध करें। आपने क्रान्तिकारी बात कही। हरिजनों के नल नहीं लगा। हरिजनों की कितनी आबादी बढ़ी है? उनके लिये आवास की की समस्या सबसे गम्भीर है।

आप जयपुर में चले जाइये जिन मोहल्लों में पहले जितने बच्चे थे वह बच्चे दुगने बढ़ गए और उतने घर ही नहीं बढ़े, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं। चाहे मृत्युदर कम हो गयी हो लेकिन उत्पत्ति बढ़ोतरी हुई है इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस पैसे को लेकर जिन शहरों से आप पैसा लें उन शहरों में जमीन सस्ती दरों पर खरीद कर, अपने प्रशासनिक खर्चों को काट कर राजस्थान के सम्पूर्ण विकास को रखकर बाकी की जमीन को खरीदकर नगरपालिका को दें और जो अशक्त वर्ग हैं, जो अल्प विकसित वर्ग है उनके लिए जमीन और मकान का प्रबन्ध करें। इससे आपके दो उद्देश्य पूरे होंगे। जिसके पास पैसा कम था उसको ऊंचा उठाने के लिए सहायता मिलेगी और समाजवाद बढ़ाने का यह तरीका है।

(१. ५२ म० प०)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

चौथा सुझाव है कि जहां आपने कुछ एग्जम्पशन्स दिये हैं कितनी आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। आपने किस ख्याल से रखा है वह तो आप जानें। शायद आप यह सोचते हैं कि पहले तो ३००) रु० रख दें और सदन समाप्त होने के बाद फिर बढ़ा देंगे। लेकिन इस जमाने में ३००) रु० क एग्जम्पशन कोई माने नहीं रखता। २५ रुपया महावार की कौनसी छूट दी। इसका आप एक तरीका निकालें। जिसके हाउस को आप असेस करें उनकी आप तरह तरह की जानकारी लें। इनकम टैक्स की जानकारी, सेल्स टैक्स की जानकारी। सारे देश में तीन तरह के लोग है जो कि किराये पर मकानों को देते हैं। एक तो वह हैं जो कि किराये का धंधा करते हैं और स्थाई संपत्ति होने की वजह से लंबा फायदा उठाना चाहते हैं उनके ऊपर छूट की दर तो कम होनी चाहिए और टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। दूसरे लोग वह हैं जो कि आपके शहरों में रहते हैं उन्होंने आमदनी का जरिया बना रखा है, अगर उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है, उनकी आजीविका का जरिया है तो उस पर आपका टैक्स का वजन कुछ कम होना चाहिए। इसके अलावा वित्त मन्त्रीजी तीसरा वर्ग और है वह है विधवा और नाबालिग और उनकी आजीविका का वह एक ही जरिया है। हिन्दुस्तान में आप जानते हैं आपने टैक्स जहां से लिया है वह नकल तो ले ली इंग्लैंड की लेकिन हिन्दुस्तान में १०० में से ९५ औरतें दुबारा शादी नहीं करती हैं। केरल की मैं बात नहीं करता। इसलिए कुछ औरतें, कुछ, महिलायें और कुछ समाज का अशक्त वर्ग ऐसा है कि जिसकी आमदनी का जरिया केवल किराया है। और हां, उनका किराया दस, बीस हजार होता भी है तो आप टैक्स लगा दें लेकिन, उनकी आमदनी का जरिया केवल वह मकान और दूकान है चाहे वह दो सौ या पांच सौ की

(श्री रामकिशन)

हों तो मै चाहूंगा कि ऐसे वर्ग के लिए आप राहत दें। बहुत से आपके शहर में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मैं कहूंगा लावारिश हैं लेकिन उनके पास पैत्रिक जायदाद है और उसका कोई रिश्तेदार या गार्जियन उसका भरणपोषण करता है तो ऐसे लोगों को विशेष प्रकार की छूट देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से माननीय वित्त मन्त्री महोदय कुछ परम्परायें हैं हमारे यहां वह धार्मिक हैं, वह जन कल्याकारी भी हैं लेकिन पहले यहां कुछ ट्रस्ट बने हुए हैं जो कि धार्मिक कामों का और जन कल्याणकारी कामों का संचालन करते हैं और वह एक तरफ से आमदनी लेते हैं और दूसरी तरफ से खर्च करते हैं आप सब पर एक तरह से टैक्स नहीं लगा सकते। मैं सुझाव दूंगा कि जन-कल्याणकारी ट्रस्ट, नाबालिग और विधवायें वगैरह हैं उनके लिए हम टैक्स के लिए ज्यादा छूट दें और ३०० रुपये वाली बात तो किसी के लिए जायज नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का वही काम जो गंदा और खतरनाक दिखता है वह सामने आ गया। टैक्स आपने लगाया है २ लाख ८१ हजार का उसके लिए अमला खड़ा कर दिया। जो सैल्स टैक्स अधिकारी हैं उनके पास क्या काम है? आप कह सकते हैं कि वर्कलोड ज्यादा है लेकिन इसकी जांच करायें। १७ असिस्टेन्ट अधिकारी बन गये····

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट थोड़ा स्थान ग्रहण करें। इस प्रस्ताव पर कुल बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या १६ है। इसलिए हर एक माननीय सदस्यों को दस–दस मिनिट दिये जायेंगे।

श्री रामकिशन : यह तो परसों तक चलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उसका तो एक रास्ता यही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर इसके लिए जनरल डिस–कशन करना पड़ेगा क्योंकि या तो राज्य सर-कार इस सम्बन्धमें इस बात के लिए स्वीकार कर ले कि हम इसको सलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। पहले पहल यह मेजर इन्ट्रोड्यूज हो रहा है और यह बहुत इम्पार्टेंट है और काम्पलीकेटेड है इसलिए इस सम्बन्ध में डिटेल्ड डिसकशन या तो सलेक्ट कमेटी में हो, अगर नहीं होगा तो ऐसे बिल पर डिसकशन के लिए ज्यादा समय लेना होगा इसलिए इस सम्बन्ध में समय की पाबन्दी नहीं लगायें। यह तो नैक्स्ट वीक में बिल जायेगा। यह कोई कल पास नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जो जनरल डिसकशन है वह आज समाप्त हो जाये ऐसी व्यवस्था करने का सवाल है।

श्री रामकिशन : कुछ विरोध करेंगे, कुछ समर्थन करेंगे। अलग अलग व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर गुंजाइश नहीं है इस लिए आज और कल दो दिन से ज्यादा नहीं ले सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले तो गवर्नमेन्ट को यह इम्परेस करना पड़ेगा कि यह फिट केस है सलेक्ट कमेटी में भेजने का ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि यह मैं मानता हूं यह बिल अपने आप में नया है और इसलिए माननीय सदस्यों की राय इसके ऊपर आनी चाहिए सदन को निर्णय लेने के लिए और जो माननीय सदस्यों ने सलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्ताव रखा है या पब्लिक ओपीनियन के लिए रखा है वह इसी आधार पर रखा है कि अपनी ओपीनियन, अपनी राय यहां सदन में रख दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी माननीय उपाध्यक्ष जी यह बिल सलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये । मगर मेरा एक ही निवेदन है कि मैं इस सत्र में इस बिल को पास करवाना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर मेक्सीमम आ जाये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने इसी सत्र के लिए एक वीक का दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : आज १३ है और २० को सुबह पेश होकर रिपोर्ट आ जाये और हम एक दिन जनरल बहस कर लेंगे और २१ तारीख को क्लॉज बाई क्लाज हो जाये और २२ तारीख को कम्पलीट हो जाये । अगर माननीय सदस्य और मुख्तलिफ पार्टी के नेता जो बैठे हुए हैं उन सब का सहयोग है तो मैं खुद चाहता हूं कि कई बातें इसमें ऐसी हैं । इसलिए आज मैं चाहता था कि मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनके स्पोक्समैन आज इस पर बोल लें इस बिल के ऊपर जिससे जनरल ट्रेन्ड पार्टीज का क्या है यह मालुम हो जाये और सलेक्ट कमेटी में बैठेंगे वहां पर तीन चार दिनों में डिसकशन कर लेंगे । इसके अन्दर ५-६ क्लाज इम्पार्टेन्ट हैं बाकी तो रुटिन के हैं । मेक्सीमम दस क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए लोगों को निर्णय लेने की आवश्यकता है इसलिए सब लोगों की राय है तो मैं सलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्ताव मन्जूर करते हुए नाम पेश कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि जनसंघ के बोल लें, स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य बोल लें, कम्युनिस्टपार्टी के बोल लें, जनता पार्टी के बोल लें और ५-६ स्पीचेज स्टेन्डर्ड की हो जायें तो हमें मालुम हो जाये और सलेक्ट कमेटी को गाइडेंन्स के लिए भी जरुरी होगा कि यहां ओपीनियन क्या है । यह २१ तारीख को ११ बजे तक यहां आ जाना चाहिए । अगर मन्जूर हो तो इस तरह का प्रस्ताव मानकर हम आगे चल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर आपकी अनुमति है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या है यह तो हमारा ही प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष : तो ऐसा कर दीजिए कि अलग अलग दल हैं वह माननीय सदस्यों के नाम दे दें उसके अनुसार समय का बटवारा कर लिया जाये और आज शाम तक इस पर जनरल डिसकशन समाप्त कर लिया जाये ......

श्री मथुरादास माथुर : एक एक पार्टी का एक एक स्पोक्समैन तो बोल जाये ताकि पार्टी का व्यू आ जाये। जैसे सोशियेलिस्ट पार्टी के रामकिशन जी बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से रामानन्दजी बोल जायें और जनसंघ से सतीशचन्द्र जी बोल जायें.... ...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अपने आप तय कर लेंगे। नाम दे दिये जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो दिये हुए ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस हिसाब से चलें तो पहले प्रस्ताव मूव करना पड़ेगा। प्रस्ताव मूव कर लिया है उन माननीय सदस्यों को तो अधिकार है ही। आप अपने दलों की तरफ से नाम दे दीजिए उसके हिसाब से टाइम का बंटवारा कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने टैक्स तो लगाया अब इस टैक्स से कितना खर्चा होगा और कितनी आदमनी होगी यह तो वित्तमन्त्री जी जानें लेकिन २ लाख ८१ हजार रुपए का सरकारी अमले पर खर्चा १४ बस्तियों पर टैक्स लगाने के लिए।

(२ म०प०)

मैंने इस सदन में निवेदन किया था हमारा प्रशासन का व्यय सिवाय जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सब राज्यों से ज्यादा है। आप इसमें पुराने अमले को इस्तेमाल कीजिये। वह आपका कमिश्नर सेल्स टेक्स भी हो सकता है उसकी मदद के लिये आप अन्य अधिकारियों को लगाइये। इस तरह २ लाख ८१ हजार के जो आंकड़े आपने प्रशासन पर खर्च करने के लिये दिये वह अनुचित हैं। आपको योजनागत व्यय में खर्च करना चाहिये, आप प्रशासन पर इतना खर्च नहीं बढ़ा सकते।

इसी सम्बन्ध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो आपने चौदह बस्तियां चुनी हैं जहां ज्यादा आबादी है जहां पर टेक्स लगाने से आप ज्यादा आमदनी की आशा करके चलते हैं। मैं यह कहूं कि कई जगहें हालांकि छोटी हैं लेकिन उनसे ज्यादा आमदनी किराये की वहां पर है जैसे मण्डी क्षेत्र के पास, केनाल्स निकली हैं जहां छोटे छोटे कस्बे हैं उनकी आप जांच कराइये, वहां पर किराये की आमदनी की स्थिति क्या है? आज हो यह रहा है कि राज्य तो करें जोधपुर उदयपुर वाले और टेक्स का भार वहन करें धौलपुर भरतपुर वाले....

श्री मथुरादास माथुर : इसमें जोधपुर भी है।

श्री रामकिशन : जोधपुर के अलावा भी कई कस्बे आपके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे हैं जहां किराया ज्यादा है। इस सारे राजस्थान का इस बारे में सर्वे होना चाहिए। इसके अलावा जो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है यह जो आपने टेक्स लगाया है वह मकान मालिकों पर होगा लेकिन अक्सर यह देखने में आया है कि मकान मालिक किरायेदार

(श्री रामकिशन)

से इस प्रकार का एग्रीमेन्ट लिखा लेते हैं कि जो भी टेक्स बढ़ेगा वह उनको देना होगा। आपने अक्षरज्ञान के साथ लोगों को वेईमानी भी सिखायी है। इस तरह से संस्थान के मालिकों को टेक्स नहीं देना पड़ता है। मैं खुद किरायेदार हूं मुझ से एग्रीमेंट लिखाकर लिया गया है लेकिन मेरे से तो क्या वसूल कर सकेंगे फिर भी एग्रीमेन्ट में यह लिखाया गया है कि जो भी टेक्स बढ़ेगा उसकी देने की जिम्मेदारी आपकी है। जब एग्रीमेन्ट किया होगा तो देना ही पड़ेगा उसकी वेलिडिटी को चेलेन्ज कोई नहीं कर सकता। मैं कोई विधि विशेषज्ञ तो नहीं हूं और कानून का जानकार ही हूं जो संभावनायें हो सकती हैं वे ही मैं आपको बता सकता हूं। इसका बोझ जो गरीब हैं, जो किरायेदार की हैसियत से रहता है उसी इन्सान पर पड़ जायगा तो उसके लिये संकट पैदा हो जायगा, इससे ऐसे वर्ग पर बोझ पड़ेगा जो इसे सहन करने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा चाहे आज यह संभव नहीं हो पर इस ओर कोशिश की जाय कि जो टेक्स का स्ट्रकचर फाइनेन्स कमीशन ने रिकमन्ड किया है, नयी रिपोर्ट जो फाइनेन्स कमीशन की आयी है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो टेक्स का सिस्टम हो वह ज्यादा से ज्यादा कन्सोलिडेट होना चाहिये। आज जनता पर नगरपालिका टेक्स लगाती है, ग्राम पंचायतें लगाती हैं, राज्य सरकार लगाती है, केन्द्रीय सरकार टेक्स लगाती है और इसके अलावा राजनैतिक पार्टियों का चन्दा है। इतने सारे टेक्सेज जनता को देने होते हैं इसके अलावा और भार यदि डाल दिया जाता है वह उसके लिये देना सम्भव नहीं हो सकेगा। आज अलग-अलग टेक्सेज की वसूली होने के कारण उसमें करप्शन होने को ज्यादा उम्मीद रहती है इसलिये मैंने जैसा कि निवेदन किया वित्त मन्त्री, महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि जिस उद्देश्य के लिये यह कर लगाया जा रहा है वह उद्देश्य भी पूरा हो जायगा।

आज आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। आज बड़े बड़े शहरों में रहने के लिये मकान नहीं मिलते इन सब बातों पर आप विचार करके जो सुझाव मैंने दिये है उन पर आप गौर करें। आप प्रशासन का व्यय न बढ़ायें। २ लाख ८१ हजार रुपया जो प्रशासन पर व्यय करना चाहते हैं उसके लिये आप नयी मशीनरी कायम न करके अपने पुराने अमने को ही काम में लेवें। आज हम देखते हैं हमारे मन्त्री लोग क्लबों में जाते है। क्लबों की इतनी संख्या अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी जितनी आज है। आज तो सरकारी अधिकारी और बहुत से मन्त्री क्लबों में जाते है, खेल कूद करते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : हमारे क्लब तो आप हैं ?

श्री रामकिशन : हमने मन्त्रियों को क्लबों में जाकर ताश खेलते देखा है। मैं नाच क्लब जैसे यूरोप में हैं उनके लिये नहीं कह रहा हूं। आज अधिकारी वर्ग पर काम

(श्री रामकिशन)

का बोझ नहीं इसलिये नयी मशीनरी इसके लिये लगाने की आवश्यता नहीं। आप तहसीलदार एस० डी० ओ० और प्रशासन के अधिकारियों को साथ में लेकर इसका काम ले सकते हैं। जब दस बीस पचास लाख की आय हो जाय तो रोजगार देना भी राज्य का काम है। बाद में आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी करना चाहिये। मेरे इन सुझावों पर मन्त्री महोदय गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाते समय माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इसके उद्देश्य में यह कहा है कि कुछ शहरों में इस किस्म की जायदाद है जिन पर टैक्स लगाने का उनका उद्देश्य है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस के समय इस वर्ष और पहले भी हमारी ओर से इस बात को बराबर कहा गया है कि इस समाज में विशेष तौर से वह तबका जिन्होंने देश की आजादी के बाद जितना विकास सीमित हुआ है उसके कारण शहरों में जो उनकी प्रापर्टी थी उनकी कीमत वगैर उनके कोई मेहनत किये बढ़ गई है'। सरकार के विकास के प्रोग्राम के जरिए इस वर्ग को लाभ मिला है वे अपने इनवेस्टमेन्ट से जितने मकान खरीद सकते थे खरीदे उस तबके पर टेक्सेशन लगना चाहिए और उनसे अच्छी मात्रा में टैक्स लिया जाना चाहिये।"

माननीय मन्त्री महोदय ने इस दिशा में जैसा कि मैंने जिक्र किया इस बिल के जरिये शायद यह जाहिर करने जा रहे हैं इस प्रकार की प्रोपर्टी को टैक्स करने का उनका मुद्दा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस किस्म का बिल हमारे माननीय मन्त्री महोदय लाये है उस दिशा में मैं केवल एक अपोलोजी मानता हूं।

उस दिशा में केवल एक दिखावा मात्र मानता हूं। इस दिशा में केवल माननीय मन्त्रीजी अपने आपको एक प्रगतिशील कहा कर कि एक उच्च वर्ग पर, उनकी प्रोपर्टी पर टैक्स लगाना चाहते हैं। इस बात का केवल एक दिखावा कराकर तारीफ कराना चाहते हैं। लेकिन दरअसल उनका मकसद, उस तबके पर टैक्स लगाने का नहीं है, उनका मकसद यह नहीं है कि ऐसा टैक्स लगायें जिससे प्रचुर मात्रा में राज्य के साधनों में बढ़ोतरी हो सके, इस प्रकार की उनकी हर्गिज नीयत नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण से जो माननीय मन्त्रीजी इस बिल को लाये हैं, मैं समझता हूं कि वह अपने इरादों को छुपाना चाहते हैं, अपने आप पर प्रगतिशीलता का ढांचा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऊपर डालकर अपनी अन्दरूनी नियत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ज्यादा तो वे अच्छे हैं जो ईमानदारी से साफ तौर पर यह कहते हैं कि हम उच्च वर्ग के सहारे इस सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनका नमक पानी हम खाते हैं उन पर हम टैक्स नहीं लगा सकते, उनके खिलाफ हम चल नहीं सकते। उनको हम होस्टाईल नहीं बना सकते। इसलिए वे उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसा मैंने अर्ज किया कि इस समाज में जिस प्रकार यह चाहे आप जयपुर को देख लीजिए, चाहे और शहरों को देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए, आज यह जो प्रोपर्टी है वह प्रोपर्टी कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी होती जा रही है। आज मोनोपोली कमीशन की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से जाहिर किया गया है कि इस बीस वर्ष के विकास में समाज को और ज्यादा तरीके से दो तबकों में पूरी तरह से बांट दिया है। एक तरफ तो वह तबका है जो कुछ गिने हुए लोगों का है जिनके हाथों में अतुल सम्पत्ति इकट्ठी है, करोड़ों लोगों की कमाई के साधन, उनके जरिये कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठे होते जा रहे हैं। बिड़ला बन्धुओं की हैसियत जो सन् ४७ में कुछ करोड़ों की थी, ६६ करोड़ की थी, आज वह बीस बर्षों के विकास में ३६१ करोड़ के ऊपर पहुँच गई है। इस तरह के कुछ मोनोपोलिस्ट हैं जिनकी गिनती सौ से भी कम है, उन लोगों के हाथों में सारी धन सम्पत्ति इकट्ठी होती जा रही है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की तादाद है जिनका जीवन मान घटता जा रहा है। जिनकी आमदनियां जो आजादी से पहले थीं वह भी कम होती जा रही हैं और समाज का ढांचा है और जिस तरह से करों की नीति हमारी सरकार ने अपनाई है वह चाहे केन्द्र की नीति हो और चाहे राज्य सरकार की नीति हो वह नीति हमारे उस तबके के जो तबका पिछड़ा हुवा है, जिसका जीवन-मान घटता जा रहा है, जिसकी हालत जर्जर होती जा रही है, टैक्स का ज्यादा से ज्यादा बोझ उस पर पड़ता है और वह तबका जो बड़े लोगों का है उस तरीके से फिर भी बच जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के जरिये भी माननीय मन्त्रीजी चाहे अपने आपको कितना ही प्रगतिशील कहलाने का उनका इरादा हो लेकिन इस बिल में केवल वह संकेत उसके केवल शीर्षक से इस तरह का संकेत केवल मात्र करना चाहते हैं लेकिन उसके जरिये उन लोगों को जिस वर्ग से उनको प्यार है उसको बचानेकी करते हैं और इसका भार आम लोगों पर डालने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूं कि इस बिल का ठीक जो असर पड़ेगा व गरीब लोगों पर, छोटे लोगों पर पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता माननीय मन्त्रीजी ने यह क्यों कोशिश की है। अगर उनका इरादा यही है कि इस तरह की प्रोपर्टी, लोगों की प्रोपर्टी पर टैक्स लगाकर और राज्य के साधनों को बढ़ाया जाय तो उन्होंने जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं उनको क्यों छोड़ दिया। आप चाहते हैं कि सारी सी स्कीम को छोड़ दें, आप चाहते हैं कि सारी सिविल लाइन्स का तमाम एरिया छोड़ दिया जाय, जहां पर वह ब्लेक मार्केट से आया हुआ धन या रिश्वत से कमाया हुआ धन और उससे जो बिल्डिंग्स, पेलेसियल बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, उनको आप सारे टैक्सों से बचाना चाहते हैं और आप एक २५) रुपये का दुकानदार है या पनवाड़ी है, चाहे वह छोटी सी दुकान लगाता है आप उसके ऊपर अपने इस कानून को लगाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस बिल का मकसद वास्तव में इस तरीके का है कि जिन लोगों के पास बहुत बड़ी प्रोपर्टीज हैं उन प्रोपर्टीज को टैक्स किया जाना चाहिए, जिन लोगों के पास ज्यादा साधन हैं, ज्यादा आमदनी है उनको ज्यादा टैक्स किया जाना चाहिए, जिनके पास कम साधन हैं उनको या तो बिल्कुल टैक्स नहीं किया जाना चाहिए या उनकी कैपीसिटी के अनुसार टैक्स किया जाना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि यह दृष्टिकोण होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं जो अपने टैक्सेशन की जो बाउण्ड्री लाइन है स्टेट टैक्स की वह क्रोस करके प्रोपर्टी टैक्स पर नहीं चली जाय। आप इस बात का खयाल रखें। अपने को इन्कमटेक्स का खयाल भी रखना है और ग्रेडेशन करते समय इस बात का भी खयाल रखना होगा कि कहीं सेन्ट्रल प्रोपर्टी टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आ जाय और दूसरी तरफ म्यूनिसिपल डोमिनी में नहीं आ जाय, तो इन दोनों के बीच में होकर कानून को निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। हम प्रोपर्टी का डिस्क्रिमिनेशन करें तो इस तरह की बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हमको भी सुनने से अच्छी मालुम होती है लेकिन कहीं पर भी इन्कम पर आपने डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की तो इसका परिणाम दूसरा भी हो सकता है, इसका भी हमें खयाल रखना है। दूसरा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात है तो एक बिल तो पहले ही कर चुके हैं लैंड पर, उसमें भी इसका प्रावधान है, उसको भी सामने रखें। इसलिए यह बिल मैं कमर्शियल और इण्डस्ट्रियल एस्टब्लिशमेंट के लिए ही एक डेफिनेट स्पेसिफिक परपज के लिए लाया हूं इसका खयाल रखें। माननीय सदस्य ने रेजिडेंशियल परपज के लिए टैक्स लगाने की बात कही तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, रेजिडेंशियल को भी लिया जाय लेकिन हम लोगों को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाना है तो इसका भी ध्यान रख कर आप अपने सुझाव रखें मुझे मंजूर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी ने जिस बात की ओर संकेत किया है उसका मुझे भी पूरा ध्यान है। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय मंत्रीजी ने उस बात का ध्यान नहीं रखा और जिनको बचाना है मुझे शिकायत है कि आपने उसमें गली छोड़ दी है कि डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रह सके ग्रौर इस बीना पर सुप्रीम कोर्ट ग्रौर हाई कोर्ट में लेजाकर इस बिल को स्ट्राइक ग्रॉफ करा सकें। इस तरह से ग्राप एक प्रकार की प्रॉपर्टी को ग्राप टैक्स करते है ग्रौर दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी को टैक्स से हटा देते हैं। यह ग्रापका टैक्स ट्रेड एन्ड कॉमर्स पर नहीं है, यह ग्रापका टैक्स इण्ड-ट्रीज पर नहीं है, यह ग्रापका टैक्स रेंटल वेल्यू पर है। ग्रापने टेक्स रेंटल वेल्यू पर रखा है ग्रौर कई वजह से ग्रगर कॉमर्स के यूज में वह प्रॉपर्टी नहीं ग्रा रही है, रेजि-डेंशियल यूज के लिए वह प्रॉपर्टी है ग्रौर उसके ग्रनुसार उसकी रेंटल वेल्यू हो गई ग्रौर उसके ऊपर टैक्स नहीं है तो यह ग्रापने परपजली इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है ताकि ....

श्री मथुरादास माथुर : यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यह किसी डिस्क्रि-मिनेशन की तारीफ में नहीं ग्राता है। मैं ग्रगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़ूं या किसी प्रकार का उनमें डिस्क्रिमिनेशन करूं तो ग्राप कह सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसके ग्रन्दर कोई डिस्क्रि-मिनेशन कॉस्टीट्यूशनली नहीं किया है। मगर मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मुझे इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं है, सदन की इच्छा है कि रेजिडेंशियल पर भी लगाया जाय तो। मैंने इसलिए भी इसको छोड़ा कि ग्रभी ग्रपने यहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की कमी है, हमारे यहां पर मकानात बनने चाहिए इसलिए इसको ग्रभी माफ करें। इसलिए जो किराया बढ़ रहा है कॉमर्शियल ग्रौर इण्डस्ट्रियल परपज की बिल्डिंग्स पर ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए यह ग्राइ-डिया रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की राय हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा जस्टिफाइड ग्राउण्ड नहीं है। रेजिडेंशि-यल बिल्डिंग्स पर टेक्स लगाना चाहिए था उसको छोड़ने का कोई ग्राधार नहीं है। लीगल दृष्टिकोण से भी ग्रौर कांस्ट्रीट्यूशनल पॉइन्ट ग्रॉफ व्यू से भी जरूरी है कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न किया जाय, ग्रौर डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर यह कानून गलत बन जाएगा ग्रौर स्ट्राइक ग्रॉफ हो जाएगा ग्रापका ग्राधार टैक्सेशन का जो है वह किसी परपज की बिल्डिंग का न होकर रेंटल वेल्यू पर टेक्स लगा रहे हैं। रेंटल वेल्यू में ए बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, सी बिल्डिंग हो सकती हैं ग्रौर इसके ग्रन्दर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ग्रन्दर ग्राप एक डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्ट्राइक ग्रॉफ हो सकता है।

वैसे भी ग्रौर ग्रगर जस्टिफिकेशन पर भी, सोशियल ग्राउन्ड्स पर भी मैं यह नहीं समझता कि रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स पर किसी बुनियाद के ऊपर टैक्स छोड़ा जाय, बल्कि मैं यह कहूंगा कि ग्राज हमारे समाज में एक ऐसा उच्च वर्ग पैदा हो गया है जो नौकरशाही वर्ग है। जो न कॉमर्स करता है ग्रपने नाम से, जो न इन्डस्ट्री लगाता है फिर भी सम्पत्ति मकान के ग्रन्दर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इकट्ठी कर लेता है। मैं जानता हूं अलवर स्टेट में जिन लोगों को १५० रु० मिलते थे आज उनको ढाई--ढाई हजार तनख्वाह मिल रही है, और फिर उनकी सम्पत्ति का कोई अन्दाजा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटे के सिविल सप्लाई ऑफिसर की तीन–तीन कोठियां सी स्कीम में बनी हुई हैं। कहां से सम्पत्ति आई है? कैसे आयी? उसका इन्तजाम नहीं करते हैं, लेकिन कानून भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बनाये हुए कानून आप पास कराना चाहते हैं। शायद यह कानून आपने नहीं बनाया है बल्कि उन लोगों ने बनाया है जो सी स्कीम में रहते हैं जो रेजिडेन्शियल प्रॉपर्टी वाले हैं और उनका कॉमर्स और इन्डस्ट्री का धन्धा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : I take the full responsibility of this law.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानता हूं कि आप उनकी दासता के शिकार हैं....

श्री मथुरादास माथुर : वह आप भी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उस दासता से निकल नहीं सकते। आप खुद सोचते नहीं हैं और दूसरों की मानते भी नहीं हैं। यही एक अफसोस है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सब प्रॉपर्टीज पर लगाना चाहिए और एक स्टेण्डर्ड बनाकर छोटी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल एक्जेमट करना चाहिए ताकि छोटे लोग जो चाहें गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों सब जगह बस सकें। और इनके लिए मैंने सुझाव एमेंडमेंट्स के रूप में दिये हैं कि उनमें कम से कम १२०० रुपये की रेन्टल वेल्यू के भीतर के मकान हैं उनको एक्जेम्प्ट कर दें। १२०० रुपये तक एक्जेम्प्ट कर देते हैं तो इससे जो प्रॉपर्टी हैं उसकी रेन्टल वेल्यू करना है तो रेन्टल वेल्यू पर टैक्स लगा दें वह चाहे कस्बे ये हों, किसी गांव में हों। आखिर आप टैक्स लगाते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी पर तो आप उन सब से पूछना चाहते हैं, आप उन सब को छूट देना चाहते हैं तो उसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि केवल १३ कस्बों तक इसको सीमित करने का मकसद यही है कि केवल मंत्री महोदय एक दिखावे मात्र के लिए इस बिल को लाना चाहते हैं और असली मकसद टैक्स लगाकर इस राज्य के साधनों को बढ़ाने का माननीय मंत्रीजी का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसको माननीय मंत्रीजी खुद मानते हैं कि इस बिल को लगाते समय इसमें दूसरे इसी किस्म के बिल, इसी किस्म के टैक्सेज जो राज्य सरकारने लगाये हैं या म्युनिसिपल बोर्ड ने लगाये हैं उन पर छूट कर सकें। एक ऐसे किस्म का टैक्स जो दिया हुआ है म्युनिसपल बोर्ड को हमने जिसके लिए बाध्य किया हुआ है कि उसको म्युनिसिपेलिटी आवश्यक रूप से लगाये उस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हाउस टैक्स में चाहे इधर-उधर का टैक्स हो, लेकिन प्रिन्सिपल वही है। इसी तरह के रेन्टल वेल्यू के आधार पर और टैक्स लगाने का प्रावधान है जिसके लिए राज्य सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को बाध्य कर रही है वह हाउस टैक्स वसूल करे, लेकिन कुछ टैक्स शायद कहीं वसूल हो गया हो लेकिन जनता इसके विरोध में है और म्युनिसिपेलिटीज़ बहुत कुछ समर्थन नहीं कर रही है। उसके अन्दर बहुत कमियां हैं। उस टैक्स में उसूलन सही होते हुए भी मात्रा बहुत ऊंची रखी गई है। १५ रुपये महीने तक के लोगों को एक्जेम्पशन है। तो मेरे कहने का मकसद है कि सेल्स टैक्स के प्रोविजन को म्युनिसिपल एक्ट से आप निकाल दें। इस प्रॉपर्टी टैक्स को, इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स को राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले और राज्य सरकार इसमें लगाये, तो यह दोनों चीजें चल नहीं सकतीं। आप उसी बिल्डिंग पर कॉमर्शियल, इन्डस्ट्रियल एक्ट के जरिये उनसे टैक्स ले और म्युनिसपेलिटी उसी बिल्डिंग के ऊपर जाकर टैक्स ले। आप अपना एसेस करें और आप यह कहें कि इसकी वेल्यू यह होगी और म्युनिसिपेलिटी कहे कि इसकी वेल्यू यह होगी। इस तरह के झगड़े पैदा होंगे। कोई वजह नहीं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जहां ऐसी परिस्थितियां थीं, इस तरह के अलग अलग टैक्स उसी प्रॉपर्टी पर म्युनिसिपेलिटी और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग लगाये हुए थे तो उनको मजबूर होकर इनको कन्सोलिडेट करना पड़ा, एक जगह लाना पड़ा। इसलिए मैं मंत्रीजी से यह कहूँगा कि आप इस टैक्स को अलग नहीं रखें। आपका जो अरबन लैण्ड का टैक्स है उसको भी और इस टैक्स को भी और हाउस टैक्स को भी इनको कन्सोलिडेट करके इनके लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। इनके लिए अलग अलग कानून लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात अवश्य विचारणीय है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के साधनों का क्या होगा? यह प्रश्न विचारणीय हो सकता है और उसको सोचना पड़ेगा। मेरा प्रपोजल है कि आप एन्टरटेनमेंट टैक्स दे दें म्युनिसिपेलिटीज को जहां पर एन्टरटेनमेंट टैक्स की वसूली होती है, सिनेमा है या और कुछ है। उन म्युनिसिपेलिटियों के लिए जहां पर इस तरह के साधन नहीं हैं वहां पर उनको दूसरी तरह से कम्पेन्सेट किया जाय। अगर और तरीके उसमें निकल सकते हों तो वह अपनाये जायं। वह एक अलग विषय है जिस पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन आप म्युनिसिपेलिटीज़ को कहें कि एक-एक आदमी से टैक्स वसूल करते रहो वह तो आप म्युनिसिपेलिटीज़ से करवायें और सिनेमा से एन्टरटेनमेंट टैक्स जो म्युनिसिपेलिटीज आसानी से वसूल कर सकती हैं आप वसूल कर लें। तो मैं समझता हूं कि हरेक म्युनिसिपेलिटी इस बात से बहुत खुश होगी कि एन्टरटेनमेंट टैक्स उनको ट्रान्सफर कर दें। हाउस टैक्स आप लें, और आपका यह टेक्सेशन का सिस्टम ज्यादा साउन्ड और ज्यादा सही हो जायगा कि आप इन तीनों टैक्सेज को कन्सोलिडेट करके एक तरह का टैक्स लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहता हूं कि यद्यपि आपने इसमें जो टैक्सेशन का सिस्टम सजेस्ट किया है उसमें केवल १० पर्सेन्ट की बात कही है, आगे आपका क्या इरादा है, यह मालूम नहीं है । आया आप स्लेब सिस्टम जारी करेंगे, आया आप एक जैसी रेट पर छोटे हाउस और बड़े हाउस पर एक ही सिस्टम चालू करने वाले हैं ? आपके इरादे का कुछ पता नहीं है । वैसे मैं यह समझता हूं कि इसमें स्लेब सिस्टम होना चाहिए । अगर वास्तव में इस तबके को जो एक सक्षम है, जिसकी शक्ति है, जिसके पास काफी अनअर्न्ड इनकम है, उसको आप अगर टैक्स सही ढंग से करेंगे तो स्टेट में उसका कोई विरोध नहीं होगा, उसका स्वागत होगा और आप रिलीव कीजिये दूसरे तबके को । अभी सेल्स टैक्स लगाया गया तो हमने मांग की कि खाद्यान्नों पर सेल्स टैक्स क्यों लगाते हैं ? मैं सजेस्ट करूंगा कि ५० पर्सेन्ट तक लगाया जा सकता है । जिस मालिक की आमदनी १० हजार रुपये साल की हो, जिनकी इतनी इनकम हो, जिनकी इतनी रेन्टल वेल्यू हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहूंगा कि अगर आप ५००० रुपये उनसे ले लें और ५-६ हजार रुपये साल के उनको बच जायं तो उनके साथ में बहुत ज्यादती नहीं होगी और आपको खजाने में काफी मात्रा में पैसा आ सकता है । आज एक बिल्डिग का किराया १ हजार रुपया माहवार है, और एक एक आदमी के पास ऐसी कितनी ही बिल्डिगें हैं । आप त्रिपोलिया बाजार के अन्दर देखें तो इस सड़क से उस सड़क तक एक ही मकान महाराजा जयपुर का पूरा मकान है । इस पूरे का किराया कूतें तो कितना किराया होगा, और उस किराये को अगर पर्सेन्ट टैक्स करें तो कितना होगा ? एक उन्हीं का ही नहीं बहुत बड़े बड़े सेठ हैं । कहां है सुराना भवन, कहां है उदय भवन, कहां है बिरला हाउस ? इस तरह से राजाओं के, जागीरदारों के और बड़े-बड़े सेठों के पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिगें हैं । और, उपाध्यक्ष महोदय, वे बिल्डिगें जो बनी हैं उनमें कौन सा धन लगा है ? उनमें ब्लेक मार्केट का धन लगा है । उस धन से बिल्डिगें बनी हैं । इसलिए माननीय मंत्रीजी को इस खतरे से डरने की चीज नहीं है कि आपके टैक्स से ये बिल्डिगें बनना बन्द हो जायगी । यह काला धन है । उनको ये रास्ते, ये चोर दरवाजे आपने बताये हैं कि काले धन को सफेद धन अवश्य बनायें ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें एतराज ही क्या है ? करने तो दो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक सजेशन उनको देना चाहता हूं कि अगर आप सिन्सियरली इस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप नीचे के तबके को एक्जेम्पट कर दीजिये और ऊपर स्लेब सिस्टम से इसको लीजिये और ६० पर्सेन्ट तक.......

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक निवेदन है । आपका सुझाव, जैसा मैंने शुरू में कहा, अच्छा है और पैलेटेबल है । आप विचार कीजिये, आप रेंटल वेल्यू दस हजार देना चाहते हैं तो इन्कम पर जाकर डिस्क्रिमिनेट करते ही यह आपके परव्यू से निकल जायगा। आप वकील

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं, ग्राप इस पर विचार कीजिये, ग्राप एक्जामिन कर लीजिये। इसलिए मैंने कहा कि इस पर सिलेक्ट कमेटी में विचार कर लेंगे। मैं बड़े से बड़े सेठ साहूकार को नहीं छोड़ना चाहता। बड़े से बड़े राजा महाराजा को नहीं छोड़ना चाहता। मगर इन्कम के आधार पर, इन्कम को स्लेब में लेकर कर सकेंगे या नहीं उसके लिए इस चीज को देख लीजिये और आप एक्जामिन कर लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसके ऊपर कॉन्स्टीट्यूशनली पूरा गौर करने के बाद बोल रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी अपने जवाब से खुद फंस रहे हैं। आप दस पर्सेन्ट टैक्स लगाते वक्त तो रेंटल वेल्यू आंकेंगे। वह आमदनी नहीं होगी? उसको क्वान्टम पर फिक्स कर देंगे?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सबके ऊपर दस पर्सेन्ट कर सकता हूं? लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रेंटल वेल्यू से करना चाहते हैं वह अपन कर सकते हैं या नहीं? दस पर्सेन्ट, बीस पर्सेन्ट और पचास पर्सेन्ट कर दें तो वह कर सकते हैं या नहीं?

श्री रामानन्द अग्रवाल । रेंटल वेल्यू का कह रहा हूं। आप रेंटल वेल्यू असेस कीजिये और रेंटल वेल्यू असेस करके जिस ऑनर के पास इतनी रेंटल वेल्यू की प्रॉपर्टी है जो दस हजार से ज्यादा रेंटल वेल्यू की है उसके ऊपर आप पचास पर्सेन्ट टैक्स लगाइये। जिनकी आठ से दस हजार के बीच में रेंटल वेल्यू है उनके ऊपर चालीस पर्सेन्ट टैक्स कीजिये। इसी तरह से स्लेब सिस्टम से उसको लीजिये पांच पर्सेन्ट तक, जो बारह सौ से तीन हजार के बीच में रेंटल वेल्यू है उस पर पांच पर्सेन्ट टैक्स कीजिये। इस तरह से जो सक्षम हैं समाज में उन पर ज्यादा टैक्स आप लगा सकेंगे तो और जो गरीब तबका है उसको आप बचा सकेंगे और जो मध्यम वर्ग है उस पर आप मामूली टैक्स लगा सकेंगे। मेरा सजेशन है कि इस तरह से आप टैक्स स्लेब सिस्टम से कीजिये। यह दलील, जो माननीय मंत्री अभी दे रहे थे और हमारे समाजवादी मित्र, जिन्होंने यह शंका जाहिर की कि इस टैक्स से कहीं बिल्डिंग्स का बनने का क्रम दूर न हो जाय। इस बात का ध्यान रखना चाहिये। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो आपको सीरियसली यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में हमको किन चीजों को प्रॉयोरिटी देनी है। अगर लोग बिल्डिंग न बना कर कूए बनाने लगें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर लोग मकान न बनाकर एग्रीकल्चरल कूओं पर पम्प लगाने लगें और बिल्डिंग बनना बन्द हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आपको इस बात की चिन्ता करनी है कि हाउसिंग प्रोग्राम के अन्दर जो गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं उन गरीब लोगों को आप छोड़ देते हैं क्या........

श्री मथुरादास माथुर : एक केपिटलिस्ट है वह कैपीटेल फ्लोट करने को

(श्री मथुरादास माथुर)

तैयार हैं और बड़े बड़े कूए और बड़े बड़े फार्म बनाने को तैयार हैं। क्या आपके अनुसार वह बना सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मन्त्री जब जवाब दें तब सारी दलीलें पेश कर दें। बीच-बीच में बात करने से समय पर यह समाप्त नहीं हो सकेगा।

(हियर-हियर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : धन्यवाद ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का अंदेशा जाहिर किया जाता है कि बिल्डिंग बनाना बन्द कर दिया जायगा, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस बात की ओर विचार करें कि आखिर किस वर्ग के मकान बनने देना बन्द होने देना नहीं चाहते हैं ? जो गरीब लोग हैं, क्लर्क हैं निम्न मध्यम वर्ग के है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) या उन लोगों को आवास की आवश्यकता है जो गरीबों को किराये देने के लिये बनाते हैं ? आप उनको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी एक्जेम्प्शन लिस्ट इतनी रखिये, जिसके अन्दर वह नहीं आयें। अगर आप बारह सौ रुपये कर देते हैं तो उन लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं है। जिन्हें किराये के लिये बनाना है, ब्लेक धन को व्हाइट करने के लिये बनाना है-वह जरूर बनायेंगे। यदि उनको इन्वेस्ट करना है तो यदि मकान में लगा देने से ज्यादा मुनाफा उनको नजर आयेगा तो वह मकान बनायेंगे, अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा मुनाफा नजर आयेगा तो वह एग्रीकल्चर करेंगे। यह पैसा जो आवास में खर्च नहीं होगा, आखिर किधर जाने वाला है ? लोग-बाग चुपचाप उस धन को जमीन में गाड़ने वाले नहीं हैं वह एग्रीकल्चर के अन्दर, इन्डस्ट्रीज के अन्दर डाइवर्ट हो जायगा। हमें इसको वेलकम करना चाहिए बजाय इसके कि हम चाहें कि बड़े-बड़े मकान बनने लग जायं। मैं सोचता हूं कि बड़ी-बड़ी कोठियों में जो तीन-तीन चार-चार बीघा खाली जमीन रहती है, लॉन्स और बड़े-बड़े पोण्ड्स के लिए जमीन खाली रखी जाती है, जो पैलेशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं जिनमें केवल दो आदमी रहते हैं और कइयों में एक बुढ़िया को छोड़ देते हैं। चिड़ावा में, झुंझुनू में नवलगढ़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें एक आदमी रहता है। ऐसी बिल्डिंग्स को बनाने का क्या फायदा है ? यह नेशनल वेस्ट है और उनका आप रिक्वीजीशन नहीं कर सकते हैं। गरीब लोग जो फुटपाथों पर रहते है, उनको आप रहने के लिए नहीं दिला सकते हैं ? क्या फायदा हो रहा है चन्दन महल का सिवाय इसके कि ढाई रुपये का टिकट लगा कर जनता पर और बोझा पड़ता है। क्या फायदा हो सकता है उससे ? क्या आप उसमें ले जाकर रख सकते हैं उनको जो फुटपाथों पर सोते हैं ? क्या आप उसका रिक्वीजीशन कर सकते हैं ? आप उसके सामने समाज का दावा नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रोत्साहन दीजिये बिल्डिंग बनाने को, आप प्रोत्साहन दीजिये मकान बनाने को गरीब लोगों को, छोटे लोगों को और जो ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और इससे यह आवास को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समस्या जटिल नहीं होने वाली है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी ने इस बिल में यह प्रॉवीजन तो किया है कि इस टैक्स का बोझ टेनेन्ट्स पर नहीं पड़े, लेकिन केवल इस तरह के प्रॉवीजन को रखे जाने से यह एक पायस होप रह जायगा । इस प्रॉवीजन के रहते हुए वह सारा का सारा बर्डन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जायगा । अगर आप सीरिअस हैं तो इमीजियेटली प्रेमिसेज रेंट कंट्रोल एक्ट में आज ही संशोधन कर दीजिये । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वह आपका एक्ट है उसके अन्दर नये मकानों पर कंट्रोल नहीं कराया तो आप टैक्स बढ़ायेंगे वह किरायेदार का किराया बढ़ा देंगे । आप उसे किस तरह रोकेंगे ? यह अलग से टैक्स की रकम वसूल नहीं होगी और नये किराये की दर निर्धारित हो जायगी, यह उसमें रिफ्लेक्टेड होगा, उसको किस तरह रोकेंगे ? इसलिए आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । अलबत्ता इसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा कर कर दीजिये कि इसके अगेन्स्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया है वह कम होगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा । ऐसा करें और फिर रेंट कंट्रोल एक्ट में एमेंडमेंट लायें ताकि तमाम तरह के मकानात, सारे प्रान्त के मकानात उसके जरिये कवर हो सकें ताकि यह किराये में रिफ्लेक्ट न हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कुछ एक्जेम्पशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा । खास तौर पर ऐसे ऑर्फनेजेज या इस प्रकार के जो चेरिटेबल ट्रस्ट हैं, या विधवायें हैं, लेकिन वास्तव में इसको लूप होल न बना लिया जाय, ऐसा न बना लिया जाय कि उस रास्ते मे लोग घुस जायं, बड़े-बड़े लोग उससे बच जायं । तो ऐसी प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल पर्पज के लिए या इन्डस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही हो, कोई लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, डिस्पेन्सरी हो या धर्मशाला का उसमें संचालन हो रहा हो तो उस पर टेक्स नहीं लगना चाहिए । ऐसी प्रॉपर्टी इससे एक्जेम्पटेड होनी चाहिए । या जिस प्रकार से कोई विधवा या नाबालिग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किराये के लायक मकान बना ले और वह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन हो जाय तो उसको आप एक्जेम्प्शन दें । एक दो चीज के अन्दर मिनिमम एक्जेम्प्शन की लिमिट बढ़ा देंगे तो नाबालिग और विधवाओं का प्रश्न हल हो जायगा । मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात का खयाल रखने की जरूरत है । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ जो बिल आपने प्रस्तुत किया है उसमें मुझे विरोध इस बात का है कि जिस मकसद को आपने जाहिर किया है, उसको आपने सूक्ष्म रूप से रखा है । विरोध इस बात का है । आप इसको बढ़ायेंगे तो ज्यादा आमदनी का साधन राज्य का बनायेंगे ताकि आपका डेफिसिट पूरा हो सके और गरीब लोगों को रिलीफ आप दे सकें । इन शब्दों के साथ मैं अपना मोशन मूव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें संशोधन है प्रवर समिति में इसे भेजने का।

श्री उपाध्यक्ष : समय आधा घंटे का मिलेगा आपको। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपके दल की तरफ से आप ही बोलेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है........

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था जो शुरू में दी गई थी शायद कई माननीय सदस्यों को, जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं, उनके ध्यान में नहीं होगी। इस प्रकार तय हुआ कि आज इस पर आम चर्चा ५ बजे तक समाप्त हो जाय, इसके बाद यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। इसलिए आवश्यक नहीं हैं कि जितने माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे है वे बोलेंगे। हर एक दल की तरफ में एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू गृहादि कर विधेयक, १९६७, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। उस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने हेतु मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो प्रवर समिति ७ दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत करे।

अपने इस प्रस्ताव की पुष्टि में उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो दो माननीय सदस्य जो मुझ से पूर्व बोले, उन्होंने कुछ बातों की तरफ चर्चा की। यह बात तो निर्विवाद है कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए समाजवादी तरीके से शहरी आमदनी पर किस प्रकार से सीलिंग लगाया जाय, उसकी आवश्यकता प्रतिपादित की। मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। पार्टी की पॉलिसीज और पार्टी की आइडियोलॉजीज हैं, उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से हर पार्टी के हर सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह सरकार पर इस प्रकार का दबाव लाये कि सरकार उनकी पार्टी की नीतियों के मुताबिक चलने की कोशिश करें। पर, उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को नहीं लना होगा कि केवल नारे में आकर हम कोई ऐसा कदम न उठा जायें, जिससे कि हम जो समाज का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, वह विकास रुक जाय, या यों कहिए कि जो उद्देश्य हम चाहते हैं। समाजवाद में आर्थिक विषमता घटे और ज्यादा आमदनी वाले लोगों पर ज्यादा भार पड़े वह नहीं होकर समाज के सभी लोगों पर ज्यादा भार बढ़ जाय, उनका हेरेसमेंट ज्यादा बढ़ जाय, कहीं ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं कर रहे है? हिन्दुस्तान में हमने संविधान को स्वीकार किया है, हमारे यहां लोकतन्त्र है, लोकतंत्र की अनुभूति हम देश में कानून का राज्य स्थापित करके कराना चाहते है, हिन्दुस्तान में जो कानून बनायें उसमें कहीं ऐसा न हो कि रूल ऑफ लॉ की भावना नहीं रहे, यदि कानून बना दें, ढंग से नहीं बनायें, यदि नियमों में व्यवस्था इस प्रकार से नहीं की कि जिसके आधार पर समाज को आगे बढ़ा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकें राज्य को आगे बढ़ा सकें, गरीब तबके पर भार नहीं पड़े, जो समाज का तबका भार को सहन कर सकता है उस ही पर भार डालें। इस प्रकार का कानून नहीं बनाया तो हमारा कानून बनाने का मकसद फेल हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े सदन में प्रस्तुत करूं इससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसको प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कई आपत्तियां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सविधान के अन्दर एन्ट्री नम्बर ४२ जो है उसके अन्तर्गत टैक्स आन लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्स का प्रॉविजन दिया है। इसमें एक वह टैक्सेज हैं जो भारत सरकार लगा सकती है और दूसरे वह टैक्सेज हैं जो राज्य सरकारें लगा सकती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिनकी कन्क्रीट लिस्ट है यह एन्ट्री नम्बर ४० है, इसी पर राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती है और उस ही के अन्तर्गत यह विधेयक लाया गया है।

मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि यह कानून राजस्थान में पहली बार लगाया जा रहा है। केवल यही नहीं हिन्दुस्तान के और राज्यों में इस प्रकार का कानून नहीं है, इस एन्ट्री के तहत नहीं बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि सबसे पहले इस प्रकार की एन्ट्री के अन्तर्गत इस प्रकार का टैक्स बम्बई में लगाया गया, बम्बई में टैक्स लगाया गया बम्बई में टैक्स लगाया गया वह बोम्बे के फाइनेन्स एक्ट के तहत अर्बन इम्मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट लॉ कर लगाया गया। इससे पहले हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में, रियासतों में या अन्य किसी राज्य में नहीं था। सबसे पहले अर्बन इम्मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट एक्ट १९४१ बम्बई में लगाया गया। उसके बाद पंजाब में लगाया गया।

२६ जनवरी, ५० तक जब कि हिन्दुस्तान में संविधान लागू हुआ, हिन्दुस्तान के किसी राज्य में इस प्रकार का कानून न बनाया गया, न लागू किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमारे यहां पर एक फाइनेन्स कमिशन जो संविधान की धारा २८० के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के टैक्स के बंटवारे के सम्बन्ध में राष्ट्रपति निर्माण करते हैं, उस फाईनेन्स कमीशन के जॉन मथाई चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, वह लोकसभा में प्रस्तुत हुई, राज्य सभा में रखी गई, जो संशोधन करने थे वह संशोधन किये गये। राज्य सरकारों को जो आपत्तियां प्रस्तुत करनी थीं वे आपत्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। उसके बाद एक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बनाई गई, उस टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उससे पहले निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट ३५ में बना था, यह सवाल उठा कि कौन सा टैक्स स्टेट्स का और कौन सा टैक्स सेंटर का, जॉइन्ट कमेटी बनाई गई, उसने जो प्रोपोजल्स पेश किये वह एन्ट्री नं० ४२ में कहीं पर भी नहीं थे फिर सवाल खड़ा हुआ और यह किया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एनेक्स्चर जोड़ा जाय, फिर एनेक्स्चर के रूप में यह एन्ट्री बाद में जोड़ी गई।

इस एक्ट की भूमिका के अन्तर्गत जिस प्रकार की हिस्ट्री रही है, वह सूक्ष्म में रखने की मैंने कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया, बम्बई और पंजाब को छोड़कर २६ जनवरी ५० तक हिन्दुस्तान के किसी राज्य में, सिवाय बम्बई और पंजाब के यह कानून कहीं लागू नहीं था। इन दोनों के अतिरिक्त २६ जनवरी, ५० के बाद क्या हुआ ? सबसे पहले इस प्रकार का कानून कुछ एक दो स्टेट्स मे बनाया गया। ट्रावनकोर-कोचीन में ५५ में ट्रावनकोर कोचीन लैंड टैक्स एक्ट, १९५५ के नाम से इस प्रकारका कानून बना। ट्रावनकोर के बाद में,केरल में केरल बिल्डिंग टैक्स एक्ट, ६१ में कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरल की थी, उसने बनाया। मद्रास अर्बन लैंड टैक्स एक्ट के नाम से इसके बाद में मद्रास में इस प्रकार का कानून बनाया गया। पर इन कानूनों की क्या हालत हुई ? जोश में आकर जल्दी में कानून पास कर दिये पर वह कानूनों सोशियल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के उद्देश्य का प्राप्त करने में असफल रहे। इस प्रकार की चीज चाहते हैं तो सदन में इस कानून को पास करें। मैं जानकारी देना चाहता हूं, लैंड टैक्स एक्ट, १९५५ ट्रावनकोर-कोचीन में बनाया गया, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया गया। उसके बाद केरल गवर्नमेंट ने ६१ में केरल बिल्डिंग्स एक्ट के नाम से इस प्रकार का कानून बनाया। केरल गवर्नमेंट ने उस समय शायद समाजवाद के नारे में आकर शायद सारी व्यवस्था पर विचार किये बिना जल्दी में कानून पास कर दिया कि हमें कानून बनाना है, जल्दी में स्टेप लेलिया····

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने······ ····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस समय बना था उसी समय लागू हुआ, एक्ट जो बनाया गया था वह केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बनाया था। मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं।

उसके विरोध का सवाल नहीं है। मैं केवल लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूं। लेजिस्लेशन करते समय प्रिकाशन्स के साथ चला जाय। मैं उनके कन्टेंट्स और ओबजक्टस के सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जिस केरल बिल्डिंग टैक्स एक्ट, १९६१ में लागू हुआ उस समय वहां भी स्ट्राइक डाऊन होगया और ट्रावनकोर-कोचीन लैंड टैक्स एक्ट के बाद केरल के बारे में जो निवेदन कर रहा था, केरल वाले में हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाऊन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर एमेंडमेंट आया फिर हाईकोर्ट में गया फिर अल्टा वायर्स डिक्लेयर किया गया। मैं समझता हूं उसके बाद वहां पर कोई कानून नहीं आया है। यही हालत ट्रावनकोर कोचीन की हुई, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर हुआ। उसके बाद आज तक कानून नहीं आया। मद्रास की हालत इस प्रकार की रही। मैसोर में, भी यह कानून आया जब यह कानून वहां लागू किया गया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो मैसोर हाइकोर्ट ने इसी कानून को जो मैसोर में लगाया उसको अल्ट्रा वायर्स किया ।

इन सारी बातों को कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम कोई भी कानून इस सदन में पास करना चाहें तो जल्दी में नहीं करें, गम्भीरता से विचार करें । इन राज्यों ने जो कानून लगाए, सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया, सिलेक्ट कमेटी ने सशोधन किए । उसके बाद कानून विधानसभा में आया। विधान सभा ने जो कानून पास किया उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया । आज राज्य सरकार बिना सिलेक्ट कमेटी को बिठाए हुए कानून सदन में पेश करना चाहती है, उसका नतीजा यह होगा कि जो उद्देश्य कानून से प्राप्त करना है, वह उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए मैंने अपने उस प्रस्ताव की पुष्टी में और उसको ताकत देने के लिए लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को ट्रेस किया है । इसलिए इस बात का की पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से मांग करता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण कानून सिलेक्ट कमेटी को निश्चित रूप से सुपुर्द किया जाना चाहिए ।

आपके सामने जो विधेयक पेश किया गया है इसके अलावा आपको मालूम है कि राजस्थान के अन्दर आज हाऊस टैक्स लागू है, अरबन लैंड टैक्स लागू है, तो अब आप इस प्रकार प्रॉपर्टीज पर कुछ शहरों के अन्दर टैक्सेज लगाने जा रहे हैं तो इस प्रकार के ट्रिप्लीकेट टैक्स राजस्थान में लगाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है । एक तरफ हाऊस टैक्स दूसरी तरफ अर्बन टैक्स और यह तीसरा टैक्स जो और लगाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सबको ट्रिप्लीकेट मशीनरी को कन्सोलीडेट करना चाहिए । तीन-तीन जगह पर टैक्सेज लगाने की व्यवस्था करें, यह वाजिब नहीं है । इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है, सवाल इस बात का नहीं है कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है वाजिब है या नहीं लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि यह टैक्स लगाने का अधिकार हमारी नगरपालिकाओं को है, यह टैक्स नगरपालिकाओं का है जो लैंड और बिल्डिंग्स पर लगा रहे हैं । मैं कानूनी अधिकार की बात नहीं करता । मैं प्रोप्राइटी, मोरेलिटी और ईमानदारी की बात करता हूं । केन्द्र और राज्यों के बीच में टैक्सेज का विभाजन कर रखा है लेकिन इसी तरह राज्य में और नगरपालिकाओं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के बीच हमने टैक्सेज का कोई विभाजन नहीं किया है । राजस्थान में भी एक कमीशन बिठाना चाहिए जो इस बात की जांच करके सिफारिश करे कि कौन-कौन से टैक्सेज राज्य सरकार लेगी, उस लिस्ट के अन्तर्गत और कौन-कौन से स्वायत्त शासन लेगा । इसका विभाजन होना चाहिए । जो एन्टरटेनमेंट टैक्स नगरपालिकाओं का था वह राज्य सरकार खा गई, शो पर टैक्स, हाऊस टैक्स जो नगरपालिकाओं का है, उस पर आपकी नजर पड़ रही है...........

श्री रामकिशन : (वित्त मन्त्री से) आपकी भूख और नजर तेज है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रजिस्ट्रेशन का टैक्स है, यह सब नगरपालिकाओं का है नगरपालिकाओं के टैक्सेज पर राज्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार की नजर पड़ती है, राज्य सरकार का कदम एक प्रकार का एन्क्रोचमेंट upon the taxes or upon the authority of local self government institutions. संविधान की भावना कभी भी यह नहीं थी कि कोई भी राज्य सरकार नगरपालिकाओं के टैक्सेज को अपने हाथ में ले। इंग्लैंड की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इतिहास है, वहां टैक्सेशन की हिस्ट्री है, गवर्नमेंट ग्रॉफ इंडिया एक्ट है, भारत का संविधान है, भारत के कन्वेन्शन्स हैं उनके बाद वह लैंड ग्रौर बिल्डिंग्स पर टैक्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जाना चाहिए।

मैं अपने तर्क की पुष्टि में मन्त्री महोदय का ध्यान ग्रौर सदन का ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में इस प्रकार [illegible] हवाला दिया है :-

"[illegible] of the most pressing dem[illegible]s made has been that the loca[illegible] bodies should have a definite and assured source of the tax- revenue and that this should be secured by the inclusion in the Constitution of a separate list of taxes which could be levied exclusively by and for the local bodies The Local Finance Enquiry Committee recommended that definite sources of tax-revenue should be assigned, but suggested that this object should be secured by acceptance of a convention.

Several local bodies and non-official representatives on their behalf have given expression to the feeling that because of the absence of a provision in the Constitution whereby specific taxes or the proceeds from specific taxes are earmarked for local bodies, State Governments have been encroaching on the sphere of local finances and that this tendency might so develop that ultimately the very existence aud basis of local self government would be in jeopardy. The fear is understandable, though the tendency to encroach has not, in point of fact, been as widespread and as detrimental as has often been assumed.

Under the Scheduled Taxes Rules framed under Government of India Act, 1919, the following were the taxes which were to be utilised by or for local authorities :—

1. A toll.

2. A tax on land or land values.

3. A tax on buildings."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने इस बात की सिफारिश अपने पेज नं० १५ पर की है :–

"The taxes to be reserved for excusive utilisation should be such as may in fact be devolved on local bodies. In the result we recommend that the following texes should be reserved for local bodies in the sense we have already explained :-

1. Taxes on lands and buildings. "

संविधान के अन्तर्गत यह कमीशन बैठता है, जिसका राष्ट्रपति महोदय निर्माण करते हैं, जिसकी रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में पेश होती है, उसकी सिफारिशों की कोई कीमत नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिद्धान्त हमने स्वीकार किया उसकी वकत नहीं, कन्वेन्शन्स का सवाल नहीं और राज्य सरकार ने उस समय भी कोई आपत्ति पेश नहीं की जिस समय राज्य सभा के अन्दर राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद, लोक सभा में मौजूद, राजस्थान की विधान सभा को रिप्रजेंट करने वाले सदस्य मौजूद थे। कोई आपत्ति राज्य सरकार की ओर से नहीं की कि ये जो सिफारिशें की गई हैं, ये हमें स्वीकार नहीं। इस तरह जो हाई पॉवर कमीशन होता है, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन बैठता है उनकी सिफारिशें हमारी राज्य सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने इन सिफारिशों को स्वीकार किया। सारे देश ने स्वीकार किया, लोक सभा और राज्य सभा ने स्वीकार किया, उनकी सिफारिशों के खिलाफ, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, राज्य सरकार इस प्रकार का कदम उठाने जा रही है, यह अन्कांस्टीट्यूशनल, इल्लीगल, इम्प्रॉपर और अन्कन्वेशनल है। यह सब मोड्स और टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर के खिलाफ है। लैंड और बिल्डिंग्स के टैक्सेज लोकल बॉडीज को जाने चाहिए। इतना ही नहीं इस प्रकार के उदाहरण जो रूलिंग्स हुई जिस समय ..

(२.५८ म० प०)

(श्री यशवंत सिंह नाहर, सभापित, पदासीन)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : (कोटा) आपकी अनुमति से मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगा कि यह जो अर्बन लैंड टेक्स अधिनियम १९६४ में पारित हुआ, उसके अन्तर्गत सरकार ने कितनी वसूली की ? क्या सेक्शन तीन के अन्तर्गत इस प्रकार आप एरिया स्पेसीफाई करना चाहते हैं ? क्या सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अन्तर्गत आपने टैक्स लिया है ?

श्री मथुरा दास माथुर : इसमें प्रावधान है कि एक सेक्शन का जिक्र किया गया है। बाकी नोटिफिकेशन निकालने का, एसेसमेंट करने का, राजस्व विभाग करता है तो उसके डिटेल्स वह दे सकता है। बजट के अन्दर इस साल कोई रेवेन्यू नहीं है, जाहिर है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लेकिन क्या रेवेन्यू लेने के लिए सरकार ने प्रयास किया नोटीफिकेशन जारी किया ?

श्री मथुरा दास माथुर : प्रयास चल रहा है, रेवेन्यू विभाग कर रहा है, डिटेल्स चाहें तो उनसे पूछ लें।

(३ म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असेस करना, सर्किल बनाना आदि कार्यवाही काफी आगे बढ़ गई है। एक्चुअल डिटेल जानना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बजट सैशन में आपने आश्वासन दिया था। उसके अनुसार तो सरकार ने आचरण नहीं किया।

श्री मथुरा दास माथुर : उसी रफ्तार से कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट।

श्री भैरोंसिंह : करते तो बजट में तो रिफ्लेक्ट नहीं करता।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त तक इन्डिकेशन मेरे पास आये नहीं थे। अब करीब उनका काम कुछ एरिया में पूरा हुआ है और अभी चालू है बाकी में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सैक्शन ३ के अन्तर्गत जो यह है कि

"........2% of the market value of such urban land as determind under section 4 as the State Government may by notification in the official Gazette declare in this respect...."

इस सम्बन्ध में क्या राजस्थान की सरकार ने किसी भी विज्ञप्ति के द्वारा यह घोषणा की है कि अमुक अर्बन लैंड आप इस टैक्स के अन्तर्गत लेंगे ? मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई नोटिफिकेशन प्रसारित नहीं किया।

श्री मथुरा दास माथुर : इसका ज्ञान मुझे नहीं है। रेवेन्यू विभाग इसको डील कर रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे कानून केवल यहां पेश करते हैं डिमान्स्ट्रेशन के लिये करते हैं। टैक्स वसूल करने के लिये नहीं करते। हमारी शिकायत भी यही है। पहले भी इसके लिये किया था और आज भी यही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि बजट एक्सप्लेनेटरी मेमोरेण्डम में आपने लिखा है कि कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकी सरकार।

श्री रामकिशन : यही नहीं बल्कि यह भी लिखा है कि इसके कारण इतना घाटा हुआ है यह भी लिखा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, सदन का ध्यान मैं दिलाऊंगा कि मैसूर के कानून को हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया और उस सम्बन्ध में मैसूर हाई कोर्ट के जो रूलिंग हुए हैं उसके कुछ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक्स्ट्रैक्ट पढ़कर मैं सदन में सुनाना चाहता हूं ।

मैं जैसे अभी निवेदन कर रहा था टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने पैरा १५ में रिकमण्ड किया था कि लैंड और बिल्डिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार लोकल सैल्फ गवर्नमेंन्ट को जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त यह भी रिकमण्ड किया था कि :-

"In addition to this we consider two other taxes, viz, theatre or show tax and the duty on transfer of property (levied along with the stamp duty collected by the Government) suitable taxes for utilisation by local bodies, and recommend that the State Governments should permit local bodies to levy these two taxes.'

'It will be seen from the above recommendations of the Commission that they recommended that property tax on lands and buildings should be earmarked for the exclusive utilisation by the local authorities, and that no parallel taxes should be levied by the State for such purpose. The said recommendations, among others, were laid before both houses of Parliament on 14.11 57."

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आगे जाकर मैसूर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने लिखा है :

"If India were to survive as a nation, we must have a strong national economy for the promotion of which co-ordination in tax matters between the Union and the State Governments on the one hand and between the States and local self governments on the other seems to be essential. It should not be forgotten that we are expounding a Constitution. If each State looks to its own interest in disregard of the nation as a whole, what would be the result ? Supposing the Union Government, which has the exclusive jurisdiction to levy tax on income other than agricultural income, were to deny the Stats their share of the revenues in accordance with the recommendations of the Commission, what would be the reaction of the States ?"

और आखीर में जाकर माननीय न्यायाधीश महोदय लिखते है :

"In my opinion the State Government is not entited to levy a tax on land and buildings under entry 49 of the List II except for the exclusive benefit of the local self governments (municipalities and corporations.)"

सभापति महोदया,

श्री सभापति : सभापति महोदय कहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आई एम सॉरी, सर। यह सब लोगों का व्यापक दोष है।

श्री सभापति : सौभाग्य का विषय है। महिलाओं के सम्बन्ध में उनके ज्ञान का परिचय अवश्य देते हैं।

श्री रामकिशन : हिन्दी में की गई गलती अंग्रेजी में वापिस नहीं की जा सकती। गलती हिन्दी में की है। वापिस अंग्रेजी में किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय महोदय को जगह महोदया का नाम आप ही निकल पड़ता है।

मैं निवेदन कर रहा था। उन सारी हालतों में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया इन सारी हालतों में इस प्रकार के जो कॉन्स्टीट्यूशन की व्यवस्थाओं के खिलाफ, कन्वेन्शन्स के खिलाफ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन्स के खिलाफ टैक्सेशन्स इन्क्वायरी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ और डेमाक्रेटिक कन्वेशन्स के खिलाफ, हाईकोर्ट की रूलिंग और ऑब्जर्वेशन्स के खिलाफ इस प्रकार का फण्डामेन्टल राइट्स पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगाने का कानून राजस्थान सरकार बना कर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारों पर कुठाराघात करने जा रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये।

एक कमेटी बनाने का सरकार ने ऐलान किया कि म्यूनिसिपेलिटियों के फाईनेन्स को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाय। और, सभापति महोदय आज यह सवाल हमारे सामने विचाराधीन है और इसलिये विचाराधीन है कि इस मामले में कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस प्रकार के टैक्स लैंड और बिल्डिंग्स पर लागू है। हाउस टैक्स नगरपालिकाओं ने लगा रक्खा है। दूसरी तरफ अर्बन लैंड टैक्स पास किया सरकार ने। पर उसके अन्तर्गत नियम अभी तक नही बनाये।

यह सरकार इस तरह के यह कानून लाती है और उसके लिये हमारे यहां कम्यूनिस्ट भाई, सोशियेलिस्ट भाई मन्त्री महोदय की तारीफ करते हैं। मन्त्री महोदय के नाम पर तालियां पीटते हैं। पर ये कानून बनाते हैं केवल तालियां पिटवाने के लिये आप से। उनको लागू नहीं करते। इस तरह से राजस्थान की दो करोड जनता के साथ यह सरकार धोखा करना चाहती है। समाजवाद के नाम पर उसकी आड़ मे यह सरकार अपनी पूंजीवादी मनोवृत्ति का परिचय देती है। अपने पूंजीवादी दोस्तों की हिफाजत करती है। इसकी कोई समाजवादी नीतियां नहीं है। आज उनकी समाजवादी नीतियां टौंक में जहाँ गरीब लोग रहते है लागू होती हैं पर वह नीतियां वह कानून वहां लागू नहीं हो सकता जहां उनके पूंजीवादी रक्षक रहते है। सवाई माधोपुर में यह कानून लागू नहीं किया जा सकता जहां साहू जैन के नाम पर यह कांग्रेस की सरकार टिकी हुई है। आज सवाई माधोपुर का सेठ शान्तिप्रसाद जैन जो कि सवाई माधोपुर में बैठकर पैसे के बल पर जिसने कांग्रेस की यह सरकार राजस्थान में बनाली लाखों रुपया उससे लेकर ये लोग इन कुर्सियों पर बैठे हैं, ऐसे साहू जैन की फैक्ट्री और जायदाद पर इस कानून की धाराएं लागू नहीं होंगी। वह इनका पोलिटिकल गुरु और फाइनेन्शियर है।

श्री रामकिशन : गुरु तो बदला जा सकता है। पर कहां हैं वैसे पूंजीपति ! वे बदले नहीं जा सकते।

श्री श्रवणलाल : इधर लागू कर दें तो इनको चन्दा कहां से मिले ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछना चाहता हूं साहू जैन पर क्यों नहीं लगाया ? पाली के बांगड़ पर क्यों नहीं लगाया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे राजस्थान के लिये कहा है।

श्री रामकिशन : हमारी पार्टी का तो सारे राजस्थान के लिये कहना है।

श्री मथुरादास माथुर : I will agree to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपने लगाया क्यों नहीं ? पाली को छोड़ दिया, बांगड़ को छोड़ दिया।

श्री मथुरादास माथुर : सतीशचन्द्रजी जोर से बोलने से कानून में अन्तर नहीं पड़ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी आपके कान पर जूं नहीं रेंगती।

श्री मथुरादास माथुर : ५० थाउजेण्ट की पॉपूलेशन पर फर्स्ट स्टेज पर लगाने की बात थी। अब उसमें एसेसमेन्ट भी करना है। इसके बाद में अगर सदन की इच्छा है तो सारे राजस्थान में लागू कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉपूलेशन का बेसिस नहीं हो सकता। बड़े–बड़े सेठ साहूकारों के कॉमर्शियल अण्डरटेकिंग्स हैं। उन सारों को सर्वे कराइये और पचास हजार की आड़ लेकर गरीबों का शोषण करें यह कौनसा तरीका है ?

श्री मथुरादासमाथुर : लगेगा उन पर भी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं साफतौर से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक टैक्सेज का सवाल है मेरे दल की बिल्कुल निष्पक्ष नीति है कि टैक्स समाज के बड़े से बड़े वर्ग पर ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिये। मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं माथुर साहब से। आपने अनुमान लगाया है ३०० के एग्जेम्पशन पर। यह सालाना की आमदनी है। २५) महीने से किसी की ज्यादा आमदनी है, छब्बीस रुपये, तीस रुपये या पचास रुपये महीने की आमदनी जिसकी है वह क्या शान्तिप्रसाद सेठ, बांगड़ और पोद्दार के बराबर हो जावेगा ? पोद्दार का बंगला और बांगड़ का बंगला सियेटिक्स और बड़े बड़े हाउसेज पर टैक्स नहीं लग सकता पर ३० रुपये के भाड़े वाले मकान पर टैक्स लग जावेगा। छोटे छोटे रेस्टोरेण्ट, बेकरीज छोटी–छोटी चीजों का जो उत्पादन करते हैं उन पर टैक्स लगाने आप जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने इस बात के बारे में कि यह टैक्स राजस्थान के अन्दर किस प्रकार से लगाया जावेगा इसका तखमाना नहीं लगाया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या आप इस इनकम के बारे में इस सदन को जानकारी दे सकते हैं कि इस टैक्स के लगाने से कितनी आमदनी होगी, कितने इनडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स होंगे कितने कोमर्शियल अन्डरटेकिंग्स होंगे? आपने तीन हजार की आमदनी, १२००) साल की बात कही। सौ रुपया महीने में गुजर हो सकता है? एक विडो है जिसके दो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मकान किराया देती है, दो रुपया किलो दूध मिलता है, साढ़े चार रुपया किलो ब्लैक में चीनी मिलती है, सौ रुपये में कोई विडो अपने बच्चों का पालन कर सकती है? स्कूलों की फीसें बढ़ रही हैं बच्चों के कपड़ों पर पैसा बढ़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे जवाब में कि आपने टैक्स का बिल इन्ट्रोड्यूस किया उसके माध्यम से कितने टैक्स की पूर्ति होगी? और बजट में कितना घाटा है? नये टैक्स लगाने के जो प्रोपोजल्स हैं, आपने एस्टमेट लागाया है २६ लाख का इस एस्टीमेट के लागाने से क्या २६ लाख ही आमदनी होगी या करोड़ों में होगी?

श्री मथुरादास माथुर : एक्जेक्ट फीगर तो कहना मुश्किल है। फर्स्ट इयर में जिस फॉर्म में बिल निकल कर आता है, जिस फार्म में मैंने रखा है वालन्टियरली असेसी डिक्लेरेशन कर दे तो मान लिया जाय। वह हाउस से निकल जाता है तो २५-३० लाख के करीब आमदनी होगी। रेटिंग एरिया बनाया है। असेसिंग अथोरिटी जावेगा इलाकों में। टाइम लगेगा। फर्स्ट इयर में इनकम कम होगी। २०-२५ लाख की इनकम एक्स्पेक्ट करता हूं। अ्राउट राजस्थान एरिया कर देंगे तो अधिक हो जावेगी। फाइनेन्शियल इयर के ६-७ महीने बाकी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर, नगर में अकेले हाउस टैक्स की इनकम चार लाख है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, सीकर, टौंक ये बड़े-बड़े शहर जितने हैं उनका अनुमान लगायें कि हाउस टैक्स की कितनी इनकम है। ६। परसेन्ट की मिनिमम है।

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर में पता नहीं चलता। कई शहरों में हाउस टैक्स नहीं लगा है। जोधपुर में नहीं लगा है। जयपुर, अजमेर में लगा है। कुल २५ लाख के करीब आमदनी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फीगर लिये हैं? म्युनिसिपेलिटी से फीगर नहीं लिये हैं। आपको इकट्ठा करना चाहिये था। रेशनल बेसिस नहीं है। बेसिक फेक्ट्स नहीं है राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों और कस्बो पर कितना लगता है। म्युनिसिपेलिटीज ने असेस नहीं कराया है। अजमेर में पुराना चला आ रहा है। जोधपुर का नहीं है। जयपुर का लिमिटेड है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो फक्ट्स है, टिनामेन्ट्स हैं उससे आइडिया बनता है।

श्री भैरोंसिंह : २६ लाख का कोई बेसिस तो हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप २६ लाख कहते हैं मैं दो करोड़ कहता हूं। आपकी मशीनरी बेईमान नहीं है, आपकी मशीनरी ने बेईमानी नहीं की, जैसा करती है, तो दो करोड़ का असेसमेन्ट होगा।

श्री सभापति : सदस्य महोदय यह न भूल जांय कि इस कुर्सी पर भी कोई बैठा हुआ है। आपस में बातचीन न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बातचीत यों करके यों करता हूं। वह आपके पास जाती है। राजस्थान में ६२-६३ में तीन हजार रुपया तक जिनकी आमदनी है, अपटु थ्री थाउजेन्ड रुपीज, ऐसे आमदनी वाले का जो इन्कम टैक्स पोइन्ट आफ व्यू से असेसमेन्ट होता है........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

नोन सेलरी अर्नर	६
हिन्दू अनडिवाइडेड फेमिली	४
रजिस्टर्ड फर्म	६
अनरजिस्टर्ड फर्म	२
कम्पनीज	४०

कुल मिला कर ५२

कुल मिला कर ५२ असेसीज ऐसे हैं, ६२-६३ के आंकडे हैं कुछ बढ़ गये होंगे, जिनकी टोटल इनकम तीन हजार है। ६२-६३ के हिसाब से ५२ हैं। इनक्लयूडिंग कम्पनीज जिनकी संख्या ४० है ६२-६३ में। अलग अलग आंकड़े दे दूंगा। तीन हजार तक की इनकम में सब इनकम आ गयी। या तो यह कहें कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट इतना इनइफिशियेन्ट है कि वह प्रोपरली टैक्स नहीं करता है। आंकडे सही मानते हैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि तीन हजार की इनकम का मतलब २५०) माहवार। छोटी मोटी चाय की दुकान, पान की दुकान, आप किशनपोल बाजार में चले जाईये, दुकान भी करता है और आदमी भी रहते हैं। धन्धा करता है मूंज की खाटें हैं, लोहारगिरी करता है, बढई गिरी करता है। २५) की दूकान होगी। आप कहेंगे कि आमदनी हुई है, चाय बेचने वाला है, छोटी मोटी चीजों की दुकान है, महीने भर की गुजर लायक इनकम करता है, आप कहेंगे कि टैक्स लगेगा। यह टैक्स नहीं होगा। यह तो लूट होगी। और सभापति महोदया..

(गलत उच्चारण होने पर) I am sorry। सभापति महोदय, आप आसन पर कम बैठते हैं और महोदया जी अधिक बैठती हैं...........

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चण्डावत : आप सभापति भी इनको माननीय सदस्या कह दिया करें।

श्री भैरोंसिंह : आपको माननीय सदस्य न कह दें? यह मत कर लेना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो टैक्स आपने लगाया माथुर साहब, १३ शहरों में लगाया। अजमेर, अलवर, ब्यावर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टौंक, उदयपुर। इन १३ शहरों में से चार ऐसे शहर हैं जहां कांग्रेस जीती है और ९ शहर ऐसे हैं जहां कांग्रेस हारी है। इसको आपने पोलिटिकल आधार पर लगाया है। आप ने यह पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर लगाया हैं। पढे लिखे लोग हैं शहरों और कस्बों में जहां से कांग्रेस का सफाया हो रहा है आपने बदले की भावना से, मेलाफाइडी इन्टेशन से यह टैक्स लगाया है, आप यह बिल इसीलिये लेकर आये हैं, आपके दिमाग में वेव आयी कि तीन बार आसानी से सरकार बन गयी और इस बार जो हालत हुई, कांग्रेस की जड़ें उखड़ रही हैं, कांग्रेस की कब्र खुद रही है इसलिये आपने यह टैक्स लगाया। आपने सोचा होगा कि क्युनिस्ट ईसको सपोर्ट कर देंगे और इस बिल को पास करा लेजायेंगे। क्या चमत्कारी प्रपोजल है आपका। आपने अरबन बायस और रूरल बायस पैदा किया हैं। अरबन को रूरल से लड़ाने की चेष्टा की है वित्त मंत्रीजी आप सदन में इसका रेशनल बेसिस नहीं बता सकते। आपके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। आपके पास कोई बेसिस नहीं है। आपको पता नहीं है कि इससे कितना टैक्स वसूल होगा। आप इसको १ अप्रेल ६७ से लगाना चाहते हैं। जुलाई में पास होगा। अगस्त में कन्सेन्ट आवेगो, रूल्स बनेंगे और जितने दिसम्बर हो जायगा। क्या लोजिक है इसको ६७ के एप्रिल से लगाने का आपको फर्स्ट एप्रिल से बड़ा प्यार है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वहीं होता है जब कि वह वेलिडेशन हो। और नये टैक्स का मैजर कोई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता यह हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा। अगर आपकी सरकार टैक्स लगाने पर उतारू है और यह आवश्यक है कि यह टैक्स लगे तो इसका प्रास्पेक्टिव आपरेशन होना चाहिए। जो कानून और धारायें आपने बनाई हैं मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी इस सबंध में विचार करे और सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा इसलिए उन सारी बातों पर सलेक्ट कमेटी विचार करे। टैक्स के बारे में कितनी आवश्यकता है आज सारे बिल के बारे में मैं ने आब्जेक्टीवली इतनी बातें रखीं इस संबंध में सभापति महोदया— आई एम सारी सभापति महोदय इस सदन में जो बिल प्रस्तुत किया गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में यह एक प्रकार से राज्य सरकार ने संविधान की धारा के अन्दर जो एन्ट्री नम्बर ४९ और ४२ है उसके संबंध में उसका दुरुपयोग राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की स्वायत्त सस्थाओं का गला घोंट

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

रही है । एन्टरटेनमेन्ट टैक्स उनको ट्रान्सफर करना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी ट्रान्सफर करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फीस ट्रान्सफर करनी चाहिए, शो टैक्स ट्रान्सर करना चाहिए, बिल्डिंग का टैक्स नगरपालिका का है उनको देना चाहिए और टैक्सेज के बारे में सारा को आर्डिनेशन करके रेशनेलाइज करके एक बिल पास कराना चाहिए । इसके लिए आप एक कमीशन को बैठायें जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसके बाद में इस प्रकार राजस्थान सरकार टैक्सों को रेशनेलाइज कर सकेगी और मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो कि ७ दिन में इस सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे इस प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार रखते हुए सदन से अपेक्षा रखते हुए सदन इसको स्वीकार करेगा राज्य सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और प्रवर समिति को इसको भेजकर उसके बाद में सदन में विचार करेंगे । केवल इन्ही शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(कई माननीय सदस्य बोलनेके लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : मेरे पास लिस्ट है उसके अनुसार श्री सहदेव शर्मा का नाम है ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसींद) आन ए पांइट आफ इन्फार्मेशन सर, मैं यह यह इनफार्मेशन चाहूंगा कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है सलेक्ट कमेटी के और दूसरे के लिए उनके जिस तरह से नाम निकले है आप उनके क्रम के अनुसार लेंगे या कैसे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे उनकी तरफ से व्यवस्था थी उनके अनुसार सोशियेलिस्ट पार्टी के बोले, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बोले, जनसंघ की तरफ से बोले और अब स्वतंत्र पार्टी के एक दो माननीय सदस्य हैं वह बोल लेंगे । सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है इसलिए यह वाया मीडिया निकाला है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, ऐसे आदेश हमें सूट नहीं करते ।

श्री सभापति : सदन ने निर्णय ले लिया कि हर पार्टी के एक एक माननीय सदस्य ३० मिनट बोलेंगे और जनरल डिबेट के बाद यह स्वीकार कर लिया गया था माननीय मंत्री महोदय ने कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उधर के माननीय सदस्य बोले हैं तो इधर का भी बोलना चाहिए, इस तरह से क्रम से लें लीजिए कि एक उधर का बोल ले तो एक इधर का बोल ले ।

श्री सभापति : एक और निवेदन करूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव जन-

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

मत जानने के या प्रवर समिति में भेजने के जो पेश किये जाते है उसमें इस प्रकार से अब तक कन्वेन्शन रहा है कि जो पेश करते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए । इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है। कानून की दृष्टि से जो खामियां नजर आती हैं उनको रखते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विरोध उस समय करना चाहिए था जिस समय आसन से व्यवस्था दी गयी थी। स्वयं मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा था, सभापति महोदय, कि पार्टी की तरफ से एक एक व्यक्ति बोल ले । सरकार इसको प्रवर समिति को भेजने के लिए स्वीकार करती है, उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की और चूंकि आपत्ति नहीं की और अब करते हैं तो आप अपनी पार्टी से लड़िये....

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब सरकार ने मन्जूर कर लिया प्रवर समिति में भेजने का तो बहस का प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री सभापति : यह तय हुआ था कि प्रवर समिति में जाने से पहले इस सदन के माननीय सदस्य जो विभिन्न दलों से आये हैं उनकी राय जान लेंगे ताकि प्रवर समिति को सहूलियत हो सके । यह तय हो चुका था । अब उसके बाद में मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे एक स्लिप दे दी है जिसके अनुसार मुझे कहा गया है कि मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि समय के अनुसार बोल लें। आपका भी नाम आयेगा तो मैं आपको भी बोलने के लिए कहूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिस सीरियल नम्बर में है उसी प्रकार से आना चाहिए। जिसके अमेंडमेंट नहीं हैं उनको भी पार्टी के हिसाब से बोलने का अवसर दिया है और इस प्रकार की परम्परा रही नहीं है।

श्री सभापति : अभी आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यहां पर अब आप नयी नयी परम्परायें स्थापित कर रहे हैं इससे भविष्य की व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ेगी।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास इस प्रकार से हम अमेंडमेंट्स नहीं देंगे और अभी भी कहेंगे कि हम भी बोलेंगे।

श्री सभापति : यह सदन का निर्णय है मेरा नहीं है। सारे सदन ने मिलकर तय किया है कि जितने भी दल हैं उनमें से एक एक सदस्य बोलेगा और इसी तरह से यह समय का निर्धारण किया गया । उसी के अनुसार मैं चल रहा हूं । इसलिए मैंने माननीय सहदेव जी से निवेदन किया था कि वह बोलें उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल : (अश्रव्य) (व्यवधान)

श्री सभापति : यह निर्णय हो चुका है, आप विराजिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं दिये वह कैसे बोलेंगे । किस कानून के तहत हो रहा है—मैं जानना चाहता हूं । जिन्होंने अमेंडमेंट पेश नहीं किये हैं उनको बिल के ऊपर कौन से रूल के तहत बुलवा रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, रामकिशन जी बोले उनका संशोधन, श्री रामानन्द जी अग्रवाल बोले उनका संशोधन, मैं बोला मेरा संशोधन और सहदेव जी बोल रहे हैं उनका संशोधन । आप पढ़ते तो हैं नहीं और बोलने लग जाते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें नहीं है सभापति महोदय । सहदेव जी का नम्बर आता है तो ।

(३.२५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

उनके पहले मेरा नम्बर है इसलिए मेरा नम्बर आना चाहिए । मेने पढ़ा और बिल्कुल पढ़ा है । कल भी संशोधन प्रस्तुत किया है तो जिस प्रकार से सीरियल नम्बर के हिसाब से नम्बर आना चाहिए और उस हिसाब से नहीं लेकर पता नहीं किस हिसाब से आपने सीरियल नम्बर निर्धारित किया है । मेरा तो यह सुझाव है कि जिस प्रकार से सीरियल नम्बर से १२ तारीख की लिस्ट आई है और जिस प्रकार से सीरियल नम्बर है उसके हिसाब से सबको नम्बर मिलना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगर उस हिसाब से लेंगे तो भी आपके बोलने का अवसर तब ही आयेगा जो कि इससे आता है । उसमें फर्क नहीं पड़ेगा । दूसरी बात आपका यह एतराज है कि जिन सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाये इसलिए व्यवस्था यह कर दी है कि ३० मिनट का समय कांग्रेस को दिया है और उतना ही सब पार्टीज को दिया है है और सब पार्टी से एक एक सदस्य ही बोल रहा है और उसी के हिसाब से गुंजाइश रखी है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ज । आप ४ माननीय सदस्यों को बोलने दे रहे हैं और इधर का एक भी नहीं बोला ।

श्री उपाध्यक्ष : यह दोनों बातें एक दूसरे में विरोधी हैं । जो आप कह रहीं हैं और श्री गिरधारीलालजी बोल रहे हैं । आपका नाम तो दूसरे प्रस्ताव है उसमें है तो वह तो बाद में ही आना चाहिए था । पहले जनमत के लिए प्रसारित किया जाये इस बात पर बहस हो रही थी तो जो माननीय सदस्य उस पर न बोलकर दोनों पर बोलना चाहें तो बोलें इसमें फर्क नहीं पड़ता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । श्री गिरधारी लाल जी का पहले है और सतीशचन्द्र जी का बाद में है········

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने अभी कहा कि ३० मिनट का समय निर्धारित किया गया है वह आपने किस हिसाब से किया जब कि अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत हुए हैं वह पार्टी के हिसाब से नहीं हुए। न तो कोई संशोधन पार्टीज के हिसाब से हुए हैं। इसमें जो सदस्य अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं उसमें जिस तरह का संशोधन रखा है जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति के लिए उसके लिए क्या बेसिस है वह बताना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिलकुल गलत मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मै निवेदन कर देता हूं वही सदस्य बोल रहे हैं जिनके प्रस्ताव हैं उनके दल का आन्तरिक अरेन्जमेन्ट ऐसा है कि उनकी तरफ से ३ में से एक ही सदस्य बोले हैं। किन्हीं की तरफ से ४ प्रस्ताव हैं किन्हीं की तरफ से दो प्रस्ताव हैं उन्होंने यह तय कर लिया कि हमारी तरफ से एक ही बोलेगा। बोलना चाहते हैं तो दस दस मिनट कर दें, इसमें गलती कौनसी है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें बात यह है कि पार्टी के हिसाब से बोल लें तो भी सीरियल नम्बर के हिसाब से नैक्स्ट....

श्री उपाध्यक्ष : आपका एतराज है कि श्री सतीशचन्द्रजी का नाम बाद में है लेकिन केशरीसिह जी का नाम कायदे से आना चाहिए था। श्रीकेशरीसिह ने रिक्वेस्ट किया उसके ऊपर मैने यह कहा कि कोई एक सदस्य बोलेगें एक दल से तो उनकी जगह सतीशचन्द्र जी को मौका दिया गया। इसमें अनुचित बात तो मुझे कोई नहीं लगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, उनका तो जनमत जानने के लिए था और यह प्रवर समिति के लिए था उसमें पहले नम्बर मेरा था।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया है तो वह बोल नहीं सकता है ऐसा बात नहीं है। अपने विचार तो कोई भी व्यक्त कर सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिसका नम्बर पहले है वह पहले बोलेगा और जिसका बाद में है वह बाद में बोलेगा।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी ट्रेजरी बैंचेज पर बैठी थी एवं वहीं से बोलने के लिए खड़ी हुई)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑन ए पाईन्ट ऑफ आर्डर सर। हमारे नियमों की व्यवस्था के अनुसार एक सदस्य को अपनी सीट से बोलने का अधिकार है। माननीय सदस्या पहले अपनी सीट पर चली आयें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : ऑन ए पाईन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले चलिये वहां से अपनी सीट पर आइये ।

श्री उपाध्यक्ष । समय के अभाव में इस बात के लिये ज्यादा समय खर्च नहीं किया जाय । जिस क्रम से बोलते रहे हैं, उसी क्रम से बोलने दिया जाय । सब को अवसर मिल जायगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : निवेदन यह है कि पहले व्यासजी का नाम है फिर सहदेवजी बोलेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कैसे एतराज कर सकती हैं । सहदेवजी का नाम आपके ऊपर है लेकिन आपका नाम तो मेरे नीचे है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर सही परम्परा रखनी है तो परम्परा जैसी रही है, उसी के हिसाब से रहनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर । व्यवस्था के हिसाब से मुझे कोई त्रुटि नजर नहीं आई । आप अपने उस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं । प्रवर समिति को आपने प्रस्ताव दिया है तो प्रवर समिति वाले माननीय सदस्य बोले गये हों ऐसी बात नहीं है । सतीशचन्द्रजी केसरीसिंहजी की जगह बोले है । दोनों बातें उन्होंने कह दी हैं । वरना एक दफा केसरी सिंहजी कहते और फिर सतीशचन्द्रजी कहते दूसरी दफा । दोनों प्रस्तावों पर बोलते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : केसरीसिंहजी की जगह सतीशचन्द्रजी कैसे बोल सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम बतायें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब हम और वे राजी तो क्या करेगा काजी ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कौनसा नियम है, जो प्रस्ताव सदन के सामने आये और उसमें माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं हो । और फिर सदन की अनुमति ली गई थी । सदन को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्य प्रणाली खुद तय करता है और नियम सहूलियत के लिये होते हैं । यहां तक भी प्रावधान है कि कोई नियम अगर सदन का निर्णय है और वह विरोध में पड़ता है तो उस नियम को भी कुछ समय के लिये सस्पेन्ड किया जा सकता है । इसमें मुझे कोई बाधा नजर नहीं आती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब नियम सस्पेंड होते हैं तो हमारी पार्टी के लिये ही क्यों होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के लिए नहीं हुए हैं । फिर नियमों के अनुसार आप नियम बता दें कि इस नियम के अनुसार है तो मैं अपनी व्यवस्था बदलने के लिए तैयार हूं, अगर उस नियम का उल्लंघन हो रहा हो ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर। यह आपको नहीं भूलना चाहिये कि यह प्रस्ताव सरकारी पक्ष की ओर से आया था और उस हिसाब से सदन की अनुमति लेकर यह निर्णय लिया था सर्व सम्मति से।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी और गैर सरकारी पक्ष का सवाल नहीं है। प्रश्न यही आता है कि जिसने अमेंडमेंट्स रखे हैं........

(घोर व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आन ए पाईन्ट आफ आर्डर सर। आन ए पाईन्ट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति १० बार कह दी। आसन से व्यवस्था हो गई। चाहे जिन परिस्थितियों में हुई हो, मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य एक बार एजीटेट कर सकते हैं। यहाँ वित्त मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव आया है कि हम इसे सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं। सरकार का प्रस्ताव है उसमें आपके भी प्रतिनिधि हैं। आप अपने विचार यहां रख दें। माथुर साहब की लीडरशिप को नहीं चाहते हैं, चेलेन्ज करना चाहते हैं। आपसी झगड़ों के लिये आप हाउस का टाईम क्यों खराब करते हैं, ये आप दोनों माननीय सदस्य और माननीय सदस्या।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सहदेव जी शर्मा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : on a point of ordes sir। आप घण्टों तक बोलते है तब तो समय का दुरुपयोग नहीं होता है और जब हम कोई भी सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि हाउस का समय खराब होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहदेव जी। राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६३ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सहदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६७ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव था। उपाध्यक्ष महोदय, कर लगने चाहिये, जरुरी है और खास कर विकास शील देश के लिये कर लगाना बहुत जरुरी है इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती लेकिन मैं उसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लगाये हुये टैक्स का जनता की बहबूदी के लिये खर्च किया जाना चाहिये। अब तक की कार्य प्रणाली को देखते हुये ऐसा लगता है कि जनता के विरोध में लगाये गये करों की चोरी होती है। मैं यह मानता हूं माननीय माथुर साहब ये नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी जबकि टैक्स इवेजन जैसी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए था मेरा ऐसा मानना है कि डेफिसिट फाईनेन्सिंग इसीलिये होता है। यह सब

(श्री सहदेव शर्मा)

टैक्सेज की चोरी के कारण है और मान लिया उन्होंने ये नये टैक्स इन्ट्रोड्यूज किये भी है लेकिन उनको इतनी जल्द बाजी में नहीं करना चाहिये। ठन्डे दिमाग से हमको यह सोचना चाहिये कि इसका असर किस प्रकार का होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह देखना चाहिये कि ये लगाये हुये टैक्स किस वर्ग को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। माननीय मन्त्रीजी ने ३०० रु० तक की छूट दी है। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुये, आज की वितरण की व्यवस्था को देखते हुये, मंहगाई को देखते हुये, कम वेतन पाने वालों के लिये जिनकी आमदनी २०० रू० से भी कम है उनके साथ यह अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स लगने चाहिये। सुविधायें गांवों को देने के लिये टैक्स लगने चाहिये। विकास के लिये टैक्स लगने चाहिये लेकिन उसके साथ मैं वित्तमन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इन सारी बातों को जनता की बहबूदी के लिये टैक्स लगाना एक विकल्प समझते है कि टैक्सेज से स्टेट चल सकती है। मेरा तो ऐसा मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, इन टैक्सेज को बढ़ा कर हम कभी भी अपनी स्टेट को आगे नहीं ले जा सकते। आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक प्रगति लाने के लिये अपने साधनों का प्रयोग करना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं और पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपने साधनों का सही उपयोग नहीं करें हमें कोई अधिकार नहीं कि हम टैक्स लगावें। इन टैक्सों को लगाने से पहले सरकार को जनता में विश्वास पैदा करना चाहिये। टैक्सेज इस प्रकार के होने चाहिये कि जिससे जनता के मन में विश्वास पैदा हो। जनता के मन का विश्वास तभी पैदा होगा कि गाढ़े पसीने की कमाई को सही ढ़ंग से खर्च करें। तभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस टैक्स कलेक्शन के सारे रुपयों को बिल्डिंग बनाने, मकानों की मरम्मत करने, स्लम्स क्लियरेन्स आदि चीजो के लिये हमने लगाया है। इन बातों के लिये खर्च किया जाय, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आवास की समस्या को एक-दो साल तक सहन कर सकते हैं लेकिन बढ़ती हुई मंहगाई को जिसका प्रशासन पर असर पड़ रहा है बिना हल किये हम नहीं छोड़ सकते। आज छोटे कर्मचारी त्रस्त होते जा रहे हैं। इस मंहगाई के कारण आज जिनको वेतन के रूप मे दो-दो सौ या ढ़ाई ढ़ाई सौ रुपया मिलता है बुरी तरह त्रस्त है। इस मंहगाई को देखते हुये उनकी परिस्थितियां अत्यन्त नाजुक हैं, यह कभी भी मानने में इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये मेरा यह कहना कि इन सारी चीजों का प्रशासन में सही साधनों का उपयोग करना चाहिये और जनता में अपनी साख को मजबूत करना चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री जी मै कहता हूं कि पहले के लगे हुये टैक्सों की ही पूरी वसूली कर लें तो मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि नये टैक्स लगाने की उनको आज आवश्यकता नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़िया सरकार का एक माध्यम हो सकता है। सबसे बढ़िया माध्यम यह होगा कि प्राईस कन्ट्रोल करके चलें, बढ़ती हुई कीमतों को रोकें, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकें। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का उत्पादन करने से औद्योगिक

(श्री सहदेव शर्मा)

उत्पादन करने से कीमतों में रुकावट आयगी और निश्चित रूप से अगर यह उत्पादन कृषि का बढ़ता है तो निश्चित रूप से कीमतें घटेगी। हम इस टैक्स से जो वसूल करें उस रुपये को हम कृषि के उत्पादन में, कृषि के पुराने यंत्रों को बदलने में लगायें। एक दो साल की दिक्कत हो सकती है किन्तु यह दिक्कत जल्दी ही समाप्त होने वाली है। आवास और इस प्रकार का टैक्स लगाकर हम किसके लिये फायदा लाना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। टैक्सों की वसूली को हमें फायदों के काम में लाना ताकि उनसे बढ़ती हुई कीमतें रुक सकें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली फर्स्ट, सेकिन्ड और थर्ड प्लान्स को जब हम देखते हैं तो हमारे मुख्य उद्देश्य चार थे। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो, स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े और उसके साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इन सारी चीजों को आप आज तक नहीं कर पाये हैं इस मामले में आप फेल्योर रहे हैं। इसके तीन चार साफ कारण दिखायी देते हैं। एक तो मिस मेनेजमेंट पबलिक सेक्टर में है वह मुख्य कारण है। इसके अलावा जिन स्कीमों को टोप प्रायोरिटी देनी चाहिये उनको आप नहीं दे पाये हैं और तीसरा मैं मानता हूं फालतू का कन्ट्रोल इनमें बाधक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि इससे जो आय हो वह माइनर इरिगेशन पर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिसपोजल पर रख दी जाय तो इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। आज अगर गौर से देखें तो जो टैक्स आप लगाते हैं उसको इनवेस्ट करते हैं उसका गांवों में रहने वाले आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता है। शहरों और गांवों में रहने वाले जो कमजोर तबके के लोग हैं उनकी माली हालत को सुधारना बहुत आवश्यक है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा निवेदन किया यहां पर हाउस टैक्स है लीज है। वास्तव में मैं ऐसा मानता हूं कि म्युनिसिपल क्षेत्र समाप्त होने चाहिये। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपको सारे इलाके को दो क्षेत्र में बांट देना चाहिए। यह आपको फैसला करना पड़ेगा प्रदेश सरकार के सबजेक्ट और म्युनिसिपल और लोकल बोडीज के सबजेक्ट आपको अलग अलग करना होगा। आज हम देखें कि राज्य सरकार दिवालिये पन की ओर बढ़ रही है। जिस प्रकार से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया उससे मैं सहमत हूं। हमें एन्टरटेनमेंट टैक्स, म्युनिसिपल कमिटी के अधीन देना चाहिये। हाउस टैक्स और इसी प्रकार के जो टैक्स हैं वे सब कन्सोलिडेट टैक्स बनने चाहिये। शहरों के रहने वालों पर इनकम टैक्स हाउस टैक्स ये जो दो तीन तरह के टैक्स हैं उनको कन्सोलिडेट करके वसूल किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बड़े बड़े कार्य नहीं होने चाहिये। मैं तो कहता हूं वे भी हों और

(श्री सहदेव शर्मा)

छोटे छोटे खेत भी। हमें तो उत्पादन बढ़ाना चाहिये। बड़े बड़े फार्मों में भी खेती होगी तो वह माल बाजार में आयगा। गांव में होंगे तो वह माल मंडियों में लाना पड़ेगा। अगर उत्पादन बढ़ता है तो कीमतों पर उसका असर पड़ता है, कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ पायेगीं। हमको आज इसकी जरूरत है। यह हमारी प्रमुख समस्या है। हम कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढ़ायें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमको जो रुपया इस टैक्स से मिले वह रुपया कृषि उत्पादन और छोटी छोटी स्कीमों में लगाना चाहिये।

एक निवेदन और है आज यदि छोटे वर्ग पर टैक्स का भार बढ़ जाता है तो उनके लिये बड़ी दिक्कत होगी अतः उनको इससे एग्जेम्प्ट करना चाहिये।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं अगर आप प्रशासन को सही दिशा में चलाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में सोचना होगा। पहले हम इसके कि टैक्स लगावें पहले जो टैक्स की बकाया है उसको पूरी तरह से वसूल करें। उसको वसूल करने से ही काम चलेगा। करोड़ों रुपये टैक्स की बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मानना है कि देश जो दिवालियापन की ओर जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, महंगाई और इन्फ्लेशन को रोकने की जरूरत है। हम जो कुछ रुपया खर्च करें वह पब्लिक सेक्टर में करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह तभी संभव हो सकेगा टैक्स लगने के साथ साथ हमें अपनी साख मजबूत करनी होगी। आज हर व्यक्ति टैक्सेज से परेशान होता जा रहा है। आज जनता पर लास्ट बिन्दू पर टैक्स चला गया है। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने एक नया टैक्स लागू करने के लिये एक नया बिल पेश किया है। इसके बारे में बहुत से ऐतराजात किये गये हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जो टैक्स राज्य सरकार लगाना चाहती है वे टैक्स म्युनिसिपल एक्ट के जरिये आल रेडी लगे हुए हैं। ५९ का जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें यह प्रोवीजन है आप जो नया बिल लाये हैं उसके प्रावधान में और उस बिल के प्रावधान में कोई अन्तर नहीं हैं। म्युनिसिपल एक्ट में हाउस टैक्स लगाने के प्रावधान हैं। ५७ में जनरल इलेक्शन के पहले जो एक्ट पास किया और ५८-५९ में किया उनमें जो धारायें है उसमें और इसमें किसी तरह का अन्तर है क्या? म्युनिसिपल एक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत जो एन्युअल रेन्टिंग वेल्यु के आधार पर टैक्स डिमान्ड किया गया है उसी पर हाउस टैक्स लगाने का अधिकार है। आप जो नया बिल लाये है उसकी दफा ५ भी उसी तरह की है एन्युअल रेन्ट पर टैक्स लगाने का प्रोवीजन रखा हुआ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह की और भी धारायें है

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक जो कम्पलसरी टैक्सेज हैं जितने म्युनिसिपल एक्ट में है उनमें कुछ कम्पलसरी टैक्स हैं उसके लिये हर म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार है वह इसको कम्पलसरी तौर पर लगाएंगे। आज सरकार कोमर्स और इन्डस्ट्री के नाम पर रिहायशी मकानों पर दुबारा फिर टैक्स लगाना चाहती है वह मुनासिब नहीं है। यह तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में है और लोकल बोडीज के अधिकार में है। नहीं तो फिर राजस्थान सरकार का टैक्स लगाने का जो अधिकार है वह हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, यह एक्ट और जगहों पर भी इस तरह से हो चुका है, और प्रान्तों में भी हो चुका है और इस तरह से जो यह एक्ट, यह बिल पारित कर रहे हैं यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से जो यहां पर मौजूद नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाने से पहले ही एग्जामिन करालें कि जो ऐसा कानून हमने बना रखा है, ऐसा प्रोविजन म्यूनिसिपल एक्ट में रखा है कम्पलसरली उसमें किसी तरह की रियायत नहीं है, एक्ट में प्रोविजन है कि कम्पलसरीली हाउस टैक्स लगाना पड़ेगा तो फिर अब दुबारा यह कानून बना कर सारे राजस्थान में इसको लागू करना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं होगा मुनासिब नहीं होगा। इसके अलावा यह डिस्क्रीमिनेटरी भी इस तरह से कुछ शहरों पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है जबकि इस तरह का टैक्स लगाना म्यूनिसिपैलिटीज के अधिकार में है, राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है, तो यह अनुचित है और इस तरह से यह बिल खत्म हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले इस पोइन्ट को एग्जामिन करवा लेना चाहिए और जैसा कि मैंने हवाला दिया दफा (३) का म्यूनिसिपल एक्ट का, उसी तरह की म्यूनिसिपल एक्ट में और भी बहुतसी धारायें हैं, हू-बहू उनको धारा ११४ से १३० तक जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको निकाल कर, म्युनिसिपल एक्ट की बातों को निकाल कर इस बिल में इन्क्लूड कर लिया गया है।

(माननीय सदस्या कान्ता खतूरिया राजकीय दीर्घा में बैठे एक अधिकारी से बात कर रही थी)।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इस पर ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि सदन का कोई भी सदस्य गैर सरकारी सदस्यों से सदन के अन्दर किसी भी रूप से बात नहीं कर सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय ....

महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह मन्त्रीजी की श्रेणी में नहीं आती है जो इस तरह से बातें कर सकें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि ... ...

श्री विजयसिंह रावत : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

महाराजा श्री केसरीसिंह हाडा : रूलिंग तो होनी चाहिए ताकि परम्परा बन जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ आर्डर है तो आप कृपया नियम बता दीजिए जिसमें ऐसा करने में कोई बाधा हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं म्युनिसिपल एक्ट का हवाला दे रहा था उसमें जैसी कि बहुत सी अच्छी बातें म्युनिसिपल एक्ट में रखी हुई हैं म्युनिसिपल एक्ट की दफा १०४ से ११४ तक और फिर १४० तक जितनी धारायें हैं उनका मिलान करेंगे तो मालुम पड़ेगा कि इस कानून के अन्दर समावेश कर दिया गया है और मिसाल के तौर पर उसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि हाउस टैक्स के लिए जैसे प्रोविजन हैं कि कोई अनइकोनोमिक बिल्डिंग हो या उसमें अनप्रोफिटेबल रेंट हो तो उस पर नोटिस देने के ऊपर वह हाउस टैक्स की लिस्ट से निकाल दिया जाता है, इस प्रकार का प्रोविजन म्युनिसिपल एक्ट में तो है लेकिन इसमें नहीं रखा गया है । इस प्रकार से अपीलिंग का जो प्रोविजन है, अगर कोई अपील करता है कलेक्टर के पास तो भी उसमें जो असेसी है उसको हाउस टैक्स जमा कराना पड़ता है और उसके अन्दर अपीलेट अथोरिटी को इस बात का अधिकार भी रखा है वह चाहे तो अपील में भी बिना किसी डिपोजिट के भी उसका रियलाईजेशन कर सकेगा । हमारे यहां पर इस प्रकार प्रोविजन रखा था लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई प्रोविजन इसमें रखा गया हो । अगर कोई अपील करना चाहे तो आधा रुपया डिपोजिट कराना पड़ता है अपीलेट अथोरिटि के अधिकार में । इसी तरह से और भी बहुत से प्रोविजन हैं जो म्युनिसिपल एक्ट में रखे गये हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स म्युनिसिपल एक्ट में, म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा लागू है कम्पलसरी टैक्स है और दफा १०४ के मुताबिक जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको लागू करना पड़ता है, सरकार की हिदायतें हैं । उस पर फिर एन्युअल रेंट के बेसिस पर दुबारा एक और टैक्स लगाना ठीक नहीं है । अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी इसको चैलेंज करने जायेगी तो आपका यह टैक्स रहने वाला नहीं है और खत्म हो जाने वाला है । इसलिए इस पोइन्ट से आप इसको पहले देखलें । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको एग्जामिन करवालें ।

इसके अलावा यह जो टैक्स बिल है इसके अन्दर बहुत सी डिस्क्रिमिनेटरी बातें है । जैसे एक बात तो यह है कि राजस्थान में हाउस टैक्स जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनमें लागू किया गया है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेकिन इसमें जो शिड्यूल दिया हुआ है उसमें १३ म्युनिसिपैलिटीज ही ऐसी हैं १३ शहर ही ऐसे हैं जिनमें इस टैक्स को लगाने की बात है । इसका बेसिस क्या है, मैं नहीं समझ सका । अगर आबादी के अनुपात से मानते हैं तो टौंक की आबादी तो पचास हजार की भी नहीं है, और भी बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर कि बड़ी २ इण्डस्ट्रीज हैं, जहां पर कोमर्स की हालत भी अच्छी है, उन्हें इसमें से निकाल दिया गया

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

है। जैसे सवाई माधोपुर है, पाली है, जिनके बारे में मिसाल दी जा सकती है। वहां पर काफी बड़ी २ फैक्ट्रीज है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इस लिहाज से जब आपने हाउस टैक्स सारी म्युनिसिपैलिटीज पर लागू किया है तो फिर इसको इस तरह से कुछ म्युनिसिपैलिटीज पर लागू करने से तो यह टैक्स डिस्क्रीमिनेटरी हो जाएगा और इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस टैक्स को लगाना है तो सारी म्युनिसिपैलिटीज पर लगाना चाहिए। कुछ को छोड़ कर इस तरह से लगाया जाता है तो यह बिल रहने वाला नहीं है।

इसी तरह से जब आप हाउस टैक्स जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें से जिनका १६) रु० जितना रेंट है उसको छोड़कर बाकी जितनी बिल्डिग है रिहायशी, कोमर्स और इण्डस्ट्रीज को, सब पर लगा है लेकिन इसमें रिहायशी बिल्डिग को शामिल नहीं किया गया है। उनको फायदा पहुचाने के लिए इसमें से निकाल दिया गया है। इस वजह से भी यह कानून जो बनाने जा रहे हैं यह डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है और इसको चैलेंज किया जा सकता है।

इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान में यह नया टैक्स लगाने जा रहे हैं उसकी वजह से २ लाख ८१ हजार का नया खर्चा प्रशासन का बढ़ने वाला है। यह तो पहले से ही शिकायत है कि हमारे एड-मिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हिन्दुस्तान के जो दूसरे प्रान्त है उनके मुकाबले में पर कैपिटा ज्यादा है और फिर २ लाख ८१ हजार का यह नया खर्चा डाला जा रहा है और फिर काम भी क्या है। काम भी सिर्फ इतना ही करना है कि असेसमेंट का प्रोविजन करना है। म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार सारी म्युनिसिपैलिटीज ने असेसमेंट कराया हुआ है, वह असेसमेंट मौजूद है, उनका स्टाफ मौजूद है असेसमेंट के काम के लिए और उसमें भी सारी बिल्डिंग्स नहीं है, अगर जयपुर को लें, जयपुर शहर में असेसमेंट करने की बात हो तो सारे शहर की बिल्डिंग का, सबका असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा वह तो सिर्फ कामर्शियल और इण्डस्ट्रियल परपज के काम में जो बिल्डिग आ रही हैं उनका ही असेसमेंट करना है और उसके लिए आप नया स्टाफ लगाना चाहते है जब कि वह स्टाफ आलरेडी मौजूद है, असेसमेंट मौजूद है। जितनी म्युनिसिपैलिटीज है उसमें असेसिग स्टाफ मौजूद है, असेसमेंट लिस्टें मौजूद हैं बल्कि अजमेर और जयपुर में तो असेसमेंट होने पर ही हाउस टैक्स लागू है, यहां पर असेसमेंट स्टाफ मौजूद है और फिर आप नया स्टाफ लगाना चाहते हैं और उसके लिए २ लाख ८१ हजार का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज नए तौर पर लगाना चाहते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पहले से ही बहुत ज्यादा है उसको और बढ़ाने मे मेरे को ज्यादा समझदारी की बात नहीं लगती है। इस पोइन्ट पर भी आपको विचार करना चाहिए और जो आलरेडी म्युनिसिपैलिटीज में स्टाफ मौजूद है तो इस काम को उनसे ले सकते है।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

फिर एक बात और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो आपने शहर लिए हैं उनमें भी नए टैक्स वसूल करने की बात है। अगर किसी की जेब में पैसा हो तो आपको अधिकार है कि नया टैक्स लगा दें और उससे टैक्स ले लें। इस समय जितने मुल्कों में टैक्स लगा हुआ है और उन मुल्कों की जितनी इन्कम है उसके अनुसार भी ५ परसेंट, छः परसेंट या अधिक से अधिक दस परसेंट से ज्यादा किसी मुल्क में, टोटल इन्कम से दस परसेंट से अधिक टैक्स नहीं है। परन्तु हमारे यहां तो किसी तरह का हिसाब ही नहीं है और राजस्थान में तो जितने टैक्स लगे हैं पर कैपिटा टैक्स और प्रान्तों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है फिर और नये टैक्स लगाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और फिर भी जिन एरियाज का डवलपमेंट नहीं हुआ है, इण्डस्ट्रियल, कार्मशियल और ट्रेड का डवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर भी टैक्स लगाते जा रहे हैं। राजस्थान के और जितने टाउन और सिटीज हैं उन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर भी तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं। इन तीनों योजनाओं में हम सिटीज पर टैक्स लगाते जा रहे हैं लेकिन इनकी पर कैपिटा इन्कम कितनी बढी है। अभी अलवर को ही ले लीजिए। अलवर के बारे में कहा गया कि सन् ५० में अलवर जो कि पर कैपिटा इन्कम के लिहाज से सबसे ऊपर था, अब नीचे आ गया है और उसके बावजूद भी जब भी नया टैक्स लगाना होता है तो चूंकि अलवर का नाम 'ए' से शुरु होता है इसलिए सबसे ऊपर आ जाता है।

(४ म. प.)

अजमेर के बाद अलवर का नाम होता है। यह किसी ने नहीं देखा है कि जब से राजस्थान बना है अलवर में कोई इन्डस्ट्री नहीं लगी है। एक इन्डस्ट्री है उसकी हालत भी बहुत खराब है। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको रिकगनाइज नहीं किया है। जितना प्रोडक्शन होता है उसको बाहर भेजना पड़ता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने यह कर रखा है कि जितनी भी डिपार्टमेंट के अन्दर परचेज होती है उनके लिए राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ को प्रिफरेन्स देते हैं, लेकिन इसको इसके लिए भी रिकगनाइज नहीं कर रखा है। उसका प्रोडक्शन बाहर भेजने की बात होती है। उसके बारे में सरकार ध्यान नहीं देती है। जो इन्डस्ट्रीज़ वहां पर थीं वे राजस्थान बनने के बाद खत्म हो गई हैं और भी कई समाप्त होने वाली है। नये नये टैक्स इन्डस्ट्रीज़ पर और लगा दिये हैं। वहां पर बिजली की हालत इतनी खराब है कि दो-दो हफ्तों तक बिजली नहीं मिलती है और किसी तरह की सहूलियत नहीं है। उसके लिए आपने कोई प्रोवीज़न नहीं रखा है। कई इन्डस्ट्रीज बन्द होती जा रही हैं। आपने कहा है कि यह रेन्टल वेल्यू पर टैक्स है। यह हो जाता है तो टैक्स देना पड़ेगा। यह इन्कम पर टैक्स नहीं है। इस पर हम कह दें कि नुकसान हो गया तो इन्कम टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन यह रेन्टल वेल्यू पर है तो चाहे फैक्ट्री बन्द है उसके कोई इन्कम नहीं हो रही है तब भी

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

उसको यह टैक्स देने का प्रोवीजन है, हालांकि म्युनिसिपल एक्ट में यह प्रोवीजन मौजूद है कि फैक्ट्री बन्द हो जाती है तो वह नहीं लेते हैं, लेकिन उस प्रोवीजन को तो निकाल दिया। अच्छे-अच्छे प्रोवीजन निकाल कर और खराब-खराब प्रोवीजन की म्युनिसिपल एक्ट से नकल करके यह कानून लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। एक कानून बना हुआ है। नया उसी तरह का कानून लाकर फिर टैक्स लगाना खराब है। उसी माफिक दूसरा एक्ट बना कर सरकार यह करने जा रही तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह हाई कोर्ट में जाने वाला है। रहने वाला नहीं है। मन्त्री महोदय इसको वापिस लॉ डिपार्टमेंट से एक्जामिन करा लें उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : ७ मिनिट में समाप्त होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ७ मिनिट में तो पूरा नहीं हो सकेगा।

एक माननीय सदस्य : आर्डर के अनुसार टाइम देना होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब लोग २०-२०, ३०-३० मिनिट तक बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार काम करना है। कांग्रेस दल के ४-५ सदस्यों को बोलना है उसके अनुसार बंटवारा करना पड़ेगा। अगर वे कहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका अकेले का बोलना काफी होगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं नहीं बोलना चाहता दूसरों को बुलवा दें।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे लोग बोलने वाले नहीं हैं। उनको उतना ही टाइम दिया जाय जितना वे बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे बोलना चाहते नहीं। श्री पी० के० चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ! (अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत। (अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि श्री गिरधारीलालजी को बाकी समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले ही बोल रहे थे। नहीं बोलना चाहते तो न बोलें।

श्री फूलचन्द बाफना। (अनुपस्थित)

श्री रामकिशन : असल में पहले तय

(श्री रामकिशन)

था कि सिलेक्ट कमेटी में जायगा इसलिए लोग नहीं ठहरे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह। (अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलानिया। (अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ। (अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल। (अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह।

श्री रामकिशन : श्री गिरधारीलाल जी नाराज हो गये हैं। आप इन्हें शादी में ले जायं और भोजन करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप वित्त मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री केसरीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मथुरादास माथुर : आज शादियों बहुत हैं और जल्दी है।

श्री केसरीसिंह : खाने का आमन्त्रण है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह प्रस्ताव कि यह बिल प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय रखा है उसको मैं मन्जूर करता हूं।

शुरू में मैंने यह निवेदन किया था और मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के मुख्तलिफ दल के लोगों ने खास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी के लोगों ने भी दबी ज़बान से इस बिल के जो प्रिन्सिपल्स है, नीतियां हैं कि इस प्रकार का कर लगाना चाहिए, इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। विरोध जो हुआ है वह इस बात पर कि कर के अन्दर जो नीचे की सीमा हो वह कम हो, या उसके अन्दर कानूनी पहलू से, दृष्टिकोण से यह कर अदालत में जाकर ठहरना चाहिए, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया है। राज्य सरकार ने जो अभी यहां हाई कोर्ट का रूलिंग मैसूर का कोट किया गया है और मद्रास तथा मुख्तलिफ जगह रूलिंग हुए हैं, इसका अध्ययन किया है और इस तरह के कानून मुख्तलिफ हमारे प्रदेशों में थे उनका अध्ययन करके हमने इस बात की कोशिश की है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल बनाया जाय।

इस बिल के जरिये, माननीय उपाध्यक्ष, मेरी यह धारणा है, चाहे कोई इसको गलत समझे, नहीं थी कि हम हमारे समाज के उन लोगों के ऊपर जिनके पास ऐसी प्रापर्टी है और जिनमें इन वर्षों के अन्दर किराये की बढ़ोतरी हुई है, चारों तरफ, तो सावरेन स्टेट की हैसियत से हम लोग उसमें से हमारी राज्य सरकार के साधनों को बढ़ाने के लिए जिससे कि योजनाओं और विकास में उसको खर्च कर सकें, न लें। इस बिल में हमने रेजिडेन्शियल हाउसेज को छोड़कर कामर्स और इन्डस्ट्री के

(श्री मथुरादास माथुर)

काम में आने वाली बिल्डिंगों के ऊपर चाहे वे शाप्स हों, चाहे गेराज हों, चाहे वेयरहाउसेज हों, चाहे आफिसेज हों, उनके ऊपर १० पर्सेन्ट तक की जो सीमा रखी है व कर लगाने का फैसला किया है, वह उसी दृष्टिकोण से किया है। नीचे के लोगों पर जो छूट दी गई है ३००) रु० सालाना की वह कम हो सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है। मुझे इस पर कोई जिद नहीं है। मगर यह जो कर लगा रहे हैं, रेजिडेन्शियल हाउसेज पर इसलिए छोड़ा है फिलहाल के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बाजार में दूकानें, शो रूम्स, आफिसेज बिजीनेस आफिसेज, इन्डस्ट्रीयल आफिसेज, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो खड़ी हुई हैं, उनकी रेन्टल वेल्यू पर सदन से १० पर्सेन्ट तक कर लगाने की इजाजत चाहते हैं। आज के दिन के अन्दर समाज का कोई अंग उस से कमाता है तो समाज उसके विकास के लिए उससे हिस्सा लेने का अधिकारी है। यह कहा गया कि हम म्युनिसिपल अधिकार का जो एन्टरटेनमेंट टैक्स है वह वसूल करते हैं। हम म्युनिसिपेलिटीज को बराबर जब से कर लगा है उस वक्त से जो आमदनी होती थी उनको पहले वह देते आये हैं। एन्टरटेनमेंट टैक्स पूरा अपने तौर पर नहीं लेते हैं। जिन म्युनिसिपैलिटीज ने पहले कर लगाया ही नहीं था तो उनके लिए तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो वह बात थी कि अलवर म्युनिसिपैलिटी ने एन्टरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया था इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर भी म्युनिसिपल एक्ट को देखें तो म्युनिसिपैलिटी के एन्टरटेनमेंट टैक्स हाउस टैक्स और दीगर टैक्स है उसकी क्लाज में यह डाल दिया है कि यदि राज्य सरकार टैक्स लगाती है तो उस पर भी म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगा सकती है। इसका मतलब यह है कि यह म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दिया गया है कि जिस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है उस पर भी वे टैक्स लगा सकती है, लेकिन राज्य सरकार जो केन्द्रीय सरकार टैक्स लगाती है उन चीजों पर नहीं लगा सकती है। यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए म्युनिसिपैलिटी भी अपने कर लगायेंगी और हमें जिन करों को लगाने का विधान में अधिकार है वह हम भी लगायेंगे। जहां तक जनता का सवाल है, मैं मानता हूं कि लोगों की परचेजिंग पावर को देखते हुए, उनकी आमदनी को देखते हुए ही कर लगा सकते हैं। इस सीगेमें बहुतसी दलीलें दी गई हैं। मैं मानता हूं विधवायें और बूढ़े लोग और ऐसे लोग, जिनकी आमदनी मकान के ऊपर मुनस्सर है उन पर गौर करलें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। यह कहा गया कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े आदमी हैं उनपर नहीं लगेगा। जो उनकी प्रोपर्टी है जो इन्डस्ट्रियल पर्पज में काम में आती हैं, वह सब प्रोपर्टी इसमें आयेंगी और जो पूंजीपतियों की प्रोपर्टी हैं उन पर भी लगेगा। जो बड़े बड़े आदमियों की, सेठ साहूकारों की मिर्जा इस्माइल रोड पर बड़ी बड़ी प्रोपर्टी है, और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की हैं उन पर लगेगा। उन लोगों को इस नुक्ते निगाह से, इस नजर से छोड़ा था कि फिलहाल इस स्कीम को

(श्री मथुरादास माथुर)

कामर्शियल और इन्डस्ट्रीयल पर्पज के लिए काम में आने वाले भवनों पर ही लगायेंगे । वैसे यह आपका अधिकार है और राज्य सरकार उसके लिए ला सकती है। हम देखना चाहते हैं कि इससे कितनी इन्कम होती हैं । जो मैं केलकुलेशन कर पाया हू और जो स्टेटिसटिक्स के डेटा मौजूद थे, उनके अनुसार म्युनिसिपॅलिटियों ने राजस्थान में बहुत कम हाउस कर लगाया है, हाउसेज के ऊपर जहां कर लगाया है, उनमें अजमेर के अलावा कहीं भी साइन्टिफिक नहीं है । आप इस जयपुर की आमदनी को ही देखिये, यहां पर बहुत ही लिमिटेड तीन चार लाख की आमदनी होती है । यह जयपुर के आकार को देखते हुए बहुत कम है । इसका कारण यही है कि पूरे असेसीज का असेसमेंट नहीं कर सके हैं । इसलिए हमें पूरे फीगर्स नहीं मिल पाये है । इस प्रकार उनको देखते हुए और टेनोमेंट्स को देखते हुए हमने यह किया है । इस साल करीब आधा साल गुजर चुका है, अभी इसमें असेसमेंट में भी समय लगेगा, इसलिए मैं समझता हूं कि करीब बीस पच्चीस लाख की आमदनी होगी और इससे आगे आमदनी बढ़ सकती है तो अगली साल करीब अस्सी लाख के करीब हो सकती हैं । अभी यह केवल प्रारूप है, इससे क्या नतीजा निकलेगा, यह आप कितनी छूट देते हैं, इस पर मुनहस्सर रहेगा । मैंने कहा है कि कर लैंड लोर्ड पर है । वह इस टैक्स को ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं । यह भी कहा है और इसके सम्बन्ध में मुझे सुझाव दिया गया है कि कोई यदि इस टैक्स को ट्रान्सफर कर दे तो लीगल कान्सीक्यूएन्सेज क्या होंगे । तो इस पर विचार कर लिया जायगा और जरूरत होगी और लीगल कान्सीक्यूएन्सेज इस क्लाज से पूरे नहीं होते हैं, और इसके अन्दर क्लाज एड करने के लिए जरूरत होगी तो सलेक्ट कमेटी में विचार करके अपन लोग एड कर सकते हैं । इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । कोई पीनल क्लॉज इस कानून के अन्दर हो इस पर सोचा जा सकता है । पीनल क्लॉज नहीं होता है तो उसमें हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, वह भी निकाल सकते हैं—मुझे आपत्ति नहीं है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह भी बताया गया है कि इसमें खर्चा २ लाख ८१ हजार का होगा, फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम में हमने मांगा है । वैसे मेरी मर्जी नहीं है कि इतना खर्चा करूं । कम से कम खर्च करने की कोशिश की जायगी और जो मौजूदा अमला है टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, वह इस काम को कर सकता है या नहीं यह इस पर मुनहस्सर रहेगा कि इस एक्ट की परिधि आप क्या रखते हैं । मैंने पचास हजार की आबादी की दृष्टि से अमले की लिस्ट बनाई है, यह जो आबादी है उसके अनुसार इतना कम इसलिए रखा है कि एक साल में पूरे को हम असेस नहीं कर पायेंगे । इसलिए यह इतना सीमित रखा है । लेकिन सदन में जो मैंने भाषण सुने हैं उनसे मुझे ऐसा महसूस हुआ, लोग यह चाहते हैं कि इसका विस्तार ज्यादा होना चाहिए । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन फिर भी इसके विस्तार को करना जरूरी होगा

(श्री मथुरादास माथुर)

और कहीं पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है तो वहां पोस्ट करने पड़ेंगे। कोशिश तो हमारी यह रहेगी कि उनसे ही काम करा सकें यदि उनका वर्क लोड परमिट करता है। वह नहीं कर पायें तो इस बातकी कोशिश की जायगी कि कम से कम खर्चा टैक्स का वसूल करने में हो और मौजूदा अमले से ही इस पूरे काम को कराया जाय। यह मेरी आज धारणा है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस को कुछ इलाकों में हार हुई है और कहीं पर जीत हुई है। तो हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हम टैक्स लगा कर लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। उनके नुक्ते निगाह से सोचा जाय तो हार जीत तो होती रहेगी, कहीं पर टैक्स लगाने पर जीत जाते हैं और कहीं पर टैक्स नहीं लगाने पर भी हार जाते हैं। यह कोई वजह नहीं है। हमारे यहां तीन चार चुनाव हुए हैं, उससे यह बात स्पष्ट हुई है। इसलिए इसमें इस प्रकार से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो बेसिस बताया वह आबादी के ऊपर बताया है। आपके विचारों को सुनने से यह भी क्लीअर हुआ कि मैंने जो म्युनिसिपैलिटी के लिए कहा था, अब कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई इन्डस्ट्री की प्रोपर्टी म्युनिसिपिल लिमिट के बाहर आ जाय, कोई इन्डस्ट्रियल एस्टेट म्युनिसिपल लिमिट के बाहर होता है तो उस भावना से हम इसे म्युनिसिपल लिमिट तक रखें या गॉव तक इसको ले जायं। यह देखने वाली बात है कि गांव तक रखा जायगा तो इसका विस्तार होगा और उसमें अमला भी बड़ा होता है। मैंने जो अभी म्युनिसिपल कमेटी तक बताया है, उसके आगे विस्तार करने के ऊपर सिलेक्ट कमेटी में विचार करेंगे और जितना प्रेक्टिकल इसको बना सकते है और जितना इसको विस्तार से बना सकते है उस पर विचार कर लेंगे—इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार ने, माननीय सदस्यों ने कहा कि यह प्रगतिशील बिल बनाया है, कुछ ने इसको प्रगतिशील कहा है, कुछ ने इसको रोएक्सशनरी कहा है, कुछ ने इसको पोलिटिकल वायस्ड कहा है। यह सब नुक्ते निगाह का सवाल है, जो जिस चश्मे से देखना चाहता वह वैसा देख सकता है। राज्य सरकार का इतना सा विचार है कि इस टैक्स से होने वाली आमदनी को हम विकास के कामों में ज्यादा लगा सकते हैं और हमारे यहां पर फाइनेन्स की पोजीशन डेफिसिट नहीं हो, ओवर ड्राफ्ट नहीं हो इस मन्शा को देखते हुए किया है। अभी हमारे यहां पर सैंतीस लाख का डेफिसिट हो चुका है, इसका मैंने एलान बजट के समय किया था कि आपके सामने कोई ऐसा कानून लाऊंगा जिससे आमदनी हम बढ़ा सकें। उसके आधार पर यह बिल लेकर आया हूं। य हो सकता है कि इससे सैंतीस लाख की आमदनी नहीं हो और केवल बीस पच्चीस लाख की हो, तो वह आगे जाकर बढ़ाई जा सकती है और विकास के काम में ला सकते है। जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि विकास के काम के अन्दर इस राज्य से जितनी टैक्स से आमदनी होती है, उसको लगायें इस आमदनी से हम प्लान को ही फीड करें, और नान प्लान में इसे न लगाये। यह मेरी भी धारणा है और राज्य सरकार इसके

(श्री मथुरादास माथुर)

लिए कोशिश करेगी मैं यह कहना चाहता हूं कि बिल अपने आपमें देखने से और इसकी धाराओं को देखने से प्रगतिशील मालूम होता है, इस मायने में कि अब तक जिस तबके के ऊपर कर के बोझ डालने की कोशिश कर रहे थे, और जो समाज के बीच जो हावी रहते थे और जो कानून से करों से मुक्त होने की कोशिश करते रहे थे, उन पर कर लगाने की ओर हम इस बिल के द्वारा बढ़ रहे हैं। इस मायने में मैं इसको प्रगतिशील कह सकता हूं। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, अच्छा प्रगतिशील बना सकते हैं—यह राज्य सरकार को आपका सहयोग मिलने पर रहता है। इस सम्बन्ध में सरकार का ओपन माइन्ड है और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी प्रगतिशील सुझाव देंगे जिससे हम ज्यादा रेंटल वेल्यू की तामीर के ऊपर ज्यादा कर लगा सकते हैं तो कानून ठीक होगा तो राज्य सरकार ऐसी तरमीमों को मानने के लिए तैयार रहेगी। इन लफ्जों के साथ में उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, और सलेक्ट कमेटी को एक हफ्ते भर के अन्दर यानि बीस तारीख को ग्यारह बजे रिपोर्ट सदन में पेश हो जाय ताकि आगे इस पर बैठ कर विचार करके इस सैशन में ही इसे पास करें। सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की लिस्ट उपाध्यक्ष महोदय को दे दी गई है और वह बता दी जायगी। मुझे उम्मीद है कि सलेक्ट कमेटी के सदस्य सलेक्ट कमेटी की मीटिंग में हाजिर रहेंगे और हाजिर रह कर इसके अन्दर पूरा सहयोग देंगे।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण मन्त्री महोदय से चाहूंगी। यह कहा गया है कि यह प्रगतिशील बिल है और यह समाज के उस तबके पर पड़ेगा जो आज तक समाज पर हावी होता रहा है। यह भी कहा गया कि मिर्जा इस्माइल रोड पर जो बड़ी बड़ी दुकानें और इंडस्ट्रियलिस्ट की इन्डस्ट्रीज हैं उनके ऊपर यह कर लगेगा और गरीब जनता पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं पूछना चाहती हूं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्डस्ट्रीज में जो चीजें प्रड्यूस करेंगे और जो दुकानों में सामान बिकेगा और उन लोगों पर टैक्स किसी भी रूप में पड़ेगा तो वे सामान मंहगा बेचेंगे।

श्री रामकिशन : वह नीयत नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उनके वह भाव बढ़ा कर बेचेंगे तो उसका असर गरीब जनता पर पड़ेगा या नहीं—यह जानकारी मैं चाहूंगी।

श्री मथुरादास माथुर : हर एक टैक्स का आखिर में जाकर गरीबों पर असर पड़ता है। माननीय सदस्यों की तनख्वाह का भी गरीब जनता पर असर पड़ता है। उसका इलाज क्या है। और हो नहीं सकता।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्यों के साथ साथ मंत्री महोदयों की तनख्वाहों का भी असर पड़ता है।

श्री मथुरादास माथुर : मंत्रियों की तनख्वाह का भी पड़ता है।

श्री विजयसिंह रावत : मंत्रियों का बोझ ज्यादा पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है कि राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, १९६७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन २० जुलाई ६७ तक प्रस्तुत करे। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री मथुरादास माथुर, चेयरमेन

२. श्री रामप्रसाद लड्ढा

३. श्री हीरालाल देवपुरा

४. श्री शिवचरण माथुर

५. श्री मूलचन्द डागा

६. श्री खेतसिंह

७ श्रीमती कान्ता खतूरिया

८. श्री शोभा राम

९. श्री रूप सिंह

१०. श्रीमती प्रभा मिश्रा

११, श्री प्रद्युम्न सिंह

१२. श्री पी० के० चौधरी

१३. श्री रामानन्द अग्रवाल

१४. श्री रामकिशन

१५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

१६. श्री भैरोंसिंह

१७. श्री दौलतराम सारण

१८. श्री दुर्गालाल बाढ़दार

१९. श्री दिग्विजय सिंह

२०. श्री फतह सिंह

२१. श्री फूलचन्द बाफना

उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ४ बज कर २० मिनट पर शुक्रवार दिनांक १४ जुलाई १९६७ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७९२ का उत्तर देखिये)

List of Injection Pathidine 100 Mg. & 50 Mg. supplied to various Hospitals and Dispensaries of Jhalawar District during the years 1962 to 1965 (Calender Years).

S. N.	Name of Institution	Quantitiy of Pethidine Injections supplied during year- 1962	1963	1964	1965.
1	2	3	4	5	6
1.	S. R. G. Hospital, Jhalawar.	—	200	400	700
2.	S. H. K. B. L. Hospital, Jhalawar.	—	300	200	232
4.	Balchand Hospital, Jhalrapatan.	—	150	50	220
4.	Bhawanimandi Hospital.	—	220	150	250
5.	Aklera Dispensary.	—	100	—	100
6.	Sunel Dispy.	—	250	50	230
7.	Pirawa.	—	50	150	20
8.	Bakani.		25	—	80
9.	P. H. C. Asnawer.	—	—	50	208
10.	P. H. C. Khanpur.	—	—	125	—
11.	P. H. C. Dag	—	—	350	100
12.	Gangohar Dispy.	—	—	—	200
13.	Jawar "	—	25	—	—
14.	Panwar "	—	—	—	10
15.	Awar "	—	—	32	—

1	2	3	4	5	6
16.	T. B. Isolation Ward, Jhalawar.	—	—	50	100
17.	Police Line Dispy, Jhalawar.	—	—	20	—
18.	Garnawad Dispy.	—	—	20	—
	Total	—	1300	1648	2450

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ का उत्तर देखिये)

अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया मजदूरी की सूची

(१९६५—६६, १९६६—६७)

क्र. सं.	राहत कार्य	मजदूरों की संख्या	बकाया रकम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
	चूरू तहसील			
१.	देपालसर से बीनासर सड़क	७०	२६५-९७	
२.	चूरू से मालेरी सड़क	७६४	३,६०९-३४	
३.	चूरू से तारानगर सड़क	२७८	१,२६५-९०	
४.	चूरू से दूधवाखारा सड़क	४३१	१,७२२-२२	
	तारानगर तहसील			
१.	तारानगर से दूधवाखारा सड़क	५४	२५६-८७	
२.	तारानगर से बांय सड़क	३८९	८७५-२७	
३.	मालेरी से साहबा सड़क	९६	३९५-६६	
४.	चूरू से तारानगर सड़क	४३	२०४-७८	
	राजगढ़ तहसील			
१.	राजगढ़ से दूधवाखारा सड़क	१२४	६५१-९२	
२.	राजगढ़ से सांडू सड़क	२५६	१,०२३-५६	

१	२	३	४	५
३.	बेरासर से मुन्डेला सड़क	३५	१०७–६६	
४.	राजगढ़ से बहल सड़क	१०	१२–८४	
	सरदारशहर तहसील			
१.	सरदारशहर से नोहर सड़क	२८	२१०–६६	
२.	सरदारशहर से लूनकरणसर सड़क	३७	२१३–५७	
३.	मानीपुरा से सोमासर सड़क	३५	१३८–६२	
४.	मानीपुरा से महाजन सड़क	२६	२५०–६२	
	डूंगरगढ़ तहसील			
१.	खांडसर से मोमासर सड़क	६३	५२१–७४	
२.	डूंगरगढ़ से कालू सड़क	२०६	६५३–६२	
३,	बामा से बिदासर सड़क	३३६	१,६६६–२१	
४.	सूंडसर से लिक्ष्मीसर सड़क	१०५	६६८–४२	
५.	मूंडसर से सेरना सड़क	११३	५४५–७४	
६.	लाडसर से पूनरासर सड़क	७०	३४५–५३	
७.	कितासर नेशनल हाई वे नं० ११	३००	१,३७१–६१	
	सुजानगढ़ तहसील			
१.	लीलगढ़ से लालर सड़क	१३६	३८५–५१	
२.	बेरासर से सांडया सड़क	१२०	२१२–३१	
३.	मालासी से सोमासर सड़क	५५	२१०–१६	

सूची आसामीयान जिनको गत अकाल में अनाज की ढुलाई के पैसे अब तक पेमेन्ट नहीं हुए हैं।

१. ग्राम सहकारी समिति, पीथीसर	२१५८) रु०
२. सोधासर, ग्राम सेवा सहकारी समिति सीधासर	१६३६) रु०
३. घनश्याम जाट सा० दूधवा मीठा	३४२) रु०
४. जस्सूसर बहुद्देशीय सहकारी समिति लि० जस्सूसर	२०२६-७०
५. भगवन्तसिंह राजपूत डाढरिया	१३६-५०
६. देपालसर ग्राम सेवा सहकारी समिति, देपालसर	६८०-००
७. श्री बंशीलाल, तापडया डूंगरगढ़	२६०१३)
८. श्री लादूराम मालचन्द	४६२३-५०
९. सहकारी समिति लिखमीसर	७५०-४२
१०, गणपतराम पर्दा तारानगर	२००५-२०
११. व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति, सरदारशहर	९९१७-३३
१२. युसुफ खां ठेकेदार राजगढ़	१२६४३-०६
योग	६६,२३७-६१ पै०

——

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम टीबी में बिजली की मांग

८०५. श्री बीरबल (संगरिया सु.) क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टीबी में राजस्व तहसील, रेल्वे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कार्यालय सिंचाई विभाग तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं और भाखरा क्षेत्र की मंडी भी स्वीकृत है?

(२) क्या यह सही है कि टीबी के चारों ओर सलेमगढ़, मसानी, पीरका, भाड़िया सूरेवाला तथा तलवाड़ा गांव हैं और इन गांवों में रोशनी हेतु बिजली दी हुई है परन्तु टीबी में जो इन गांवों के बीच में है बिजली नहीं दी गई है, जब कि बिजली की लाइन भी आबादी के पास ही है?

क्या यह सही है कि समय समय पर पंचायत टीबी, पचायत हनुमानगढ़ तथा जिला परिषद् गंगानगर और जिला कांग्रेस द्वारा टीबी समिति में बिजली हेतु मांग की जाती रही है, और इसके बाद लीलावाली पन्नीवाली मानकसर, व नोरंगदेसर आदि छोटे छोटे गांवों में बिजली रोशनी हेतु दे दी गई परन्तु टीबी में बिजली नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों, और अब कब तक दे दी जावेगी?

(४) टीबी को छोड़ कर के उपरोक्त गांवों में बिजली देकर जिन जिन अधिकारियों ने पक्षपात किया है, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) टीबी को १६-१०-६५ को क्रेश डवलपमेण्ट के अन्तर्गत बिजली दी जा चुकी है। घरेलू कार्य के लिये बिजली देने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) टीबी को बिजली दी जा चुकी है। रोशनी के लिये बिजली दी जाने के बारे में वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। साधारणतया ऐसे स्थानों पर कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिये बिजली नहीं दी जाती है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

छीपाबड़ौद व छबड़ा में आबादी के लिये भूमि

८०६. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद व छबड़ा तहसीलों में तहसील हैडक्वार्टर्स में ग्राम पंचायत छीपा बड़ौद व म्युनिसिपैलिटी छबड़ा ने आबादी बसाने हेतु कोई जमीन सरकार से २० गुना लगान देकर मांगी है और उसका मास्टर प्लान भी कलेक्टर को

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

पेश कर दिया है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि छीपा बड़ौद, व छबड़ा तहसीलों में तहसील हैडक्वार्टर्स में ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद व म्युनिसिपैलिटी छबड़ा ने आबादी बसाने हेतु जमीन सरकार से २० गुना लगान देकर मांग की है। किन्तु डिप्टी टाउन प्लानर कोटा से अभी तक इस सम्बन्ध में मास्टर प्लान अप्रूव होकर जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं। प्लान प्राप्त होने पर शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी।

उम्मेदगंज तालाब के ओवर फ्लो से नुकसान

८०८. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में तहसील लाडपुरा में उम्मेदगंज तालाब चम्बल नहर का टैंक है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उम्मेद गंज टैंक का ओवर फ्लो करीब दो साल पहले हुआ ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस ओवर फ्लो से चार ग्रामों की फसलों को नुकसान हुआ था ?

(४) क्या यह भी सही है कि तीन ग्रामवालों को तो फसल का मुआवजा दे दिया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि उम्मेद गंज के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक यह भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां, सम्बन्धित काश्तकारों की हैन्ड रिसिप्ट पर काश्तकारों के हस्ताक्षर लेने में समय लग गया है। इस मुआवजे का भुगतान माह जुलाई १९६७ के आखिर तक कर दिया जायेगा।

सब-तहसील सेंपऊ

८१०. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सेंपऊ कितने अर्से से सब तहसील है ? क्या यह सही है कि भूतपूर्व स्टेट टाइम में यह सबसे बड़ी तहसील थी ?

(२) सेंपऊ सब-तहसील (धौलपुर)

(श्री बनवारीलाल)

की आबादी कितनी है, कितने गांव इस सब-तहसील के तहत आते हैं तथा राज्य को इस सब-तहसील से कितना राजस्व कर प्राप्त होता है ?

(३) क्या सेंपऊ से कम आबादी, कम आय वाली कई तहसीलें राजस्थान में हैं ? यदि हां तो इसको तहसील क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) सेंपऊ सन् १९४८ से सब तहसील है। यह सही है कि भूतपूर्व धौलपुर स्टेट के समय यह सबसे बड़ी तहसील थी।

(२) सेंपऊ सब तहसील (धौलपुर) की आबादी गत जन गणना के अनुसार ६११०५ है, इस सब तहसील में ७७ ग्राम हैं। राज्य को इस सब तहसील से ४,७५,१५७) रुपये राजस्व कर प्राप्त होता है।

(३) जी हां, प्रशासनिक एवं मितव्ययता के कारण अभी राज्य सरकार का सब तहसील स्थापित करने को कोई विचार नहीं है।

अलवर जिले के मौत्तिल कर्मचारी व अधिकारी

८१२. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर जिले के कितने सरकारी मुलाजिम कितने कितने अर्से से मौत्तिल है ? कृपया ६ महीने से अधिक समय से मौत्तिल अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) इतने अरसे से मौत्तिल मुलाजिमों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार अब इन मौत्तिल अधिकारियों की जांच के मुकदमें शीघ्र समाप्त कराने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) अदालती जांच, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा विस्तृत कार्यवाही एवम् जांच अधिकारीगण चुनाव तथा फेमीन के कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही शीघ्र समाप्त नहीं हो सकी है।

(३) जी हां। सम्बन्धित अधिकारियों को जांच शीघ्र समाप्त करने की ताकीद की गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० ८१२ मु० मं० के संदर्भ में अलवर जिले के सरकारी मुलाजिमान जो ६ माह से अधिक समय से निलम्बित हैं, की सूचि ।

नाम	पद	दिनांक
१. श्री ब्रह्मदत्त	कनिष्ट लेखक, एस० डी० ओ० बारां	५-१०-६३
२. श्री जगदीश प्रसाद	कनिष्ट लिपिक, रसद शाखा, कलेक्ट्रेट	१८-९-६५
३. श्री राजमल	कनिष्ट लिपिक, रसद शाखा ।	४-३-६६
४. श्री दलबीरसिंह	कनिष्ट लिपिक, तह० लक्ष्मणगढ़	३-१२-६६
५. श्री हरफूल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तह० लक्ष्मणगढ़।	२४-५-६५
६. श्री देवकीनन्दन	पटवारी	१०-३-६५
७. श्री मनोहरलाल	,,	१५-६-६५
८. श्री राधेशाम	,,	२८-८-६५
९. श्री कन्हैयालाल	,,	२८-८-६५
१०. श्री भवानीसिंह	,,	२८-४-६५
११. श्री प्रहलादसिंह	,,	२७-९-६५
१२. श्री हजारीलाल	,,	२२-६-६६
१३. श्री मनोहरलाल	,,	२३-७-६६
१४. श्री कालीचरण गुप्ता	कानूनगो	५-२-६६
१५. श्री सूरतसिंह	पटवारी	७-१०-६५
१६. श्री अमीचन्द	,,	२९-९-६६
१७. श्री कैलाशचन्द	,,	२७-९-६६

चिड़ावा तहसील में भूमिहीन हरिजनों को कृषि भूमि का आवंटन

८१३. श्री सूरजमल (सूरजगढ़ सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं की चिड़ावा तहसील के भूमिहीन हरिजनों को १९६५-६६ में भूमि कृषि योग्य कृषि हेतु अलोट की गई ? यदि हां, तो क्या वह भूमि आज भी उन हरिजनों के पास है ? यदि नहीं, तो उनसे क्यों छीन ली गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के ग्राम सोलाना के हरिजनों को नदी की कृषि योग्य भूमि अलॉट की गई थी तथा क्या यह सत्य है कि वह उनसे छीन ली गई ? यदि हां, तो क्यों और उस भूमि का उन भूमिहीन हरिजनों को आगे स्थायी अलाटमेन्ट करने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या सरकार विश्वास दिला सकती है कि आने वाली फसल के पहिले उक्त कृषि योग्य भूमि का अलाटमेन्ट कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो तहसील को कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि ग्राम सोलाना के भूमिहीन हरिजनों को १९६५-६६ में गैर मुमकीन नदी एक वर्ष के लिए आवंटन की गई थी अब वो भूमि उनके पास नहीं है। भूमि छीनी नहीं गई बल्कि दुबारा अलाट नही की गई।

(२) जी हां, यह सही है कि ग्राम सोलाना के हरिजनों को नदी की कृषि योग्य भूमि अलाट की गई थी। भूमि उनसे छीनी नहीं गई बल्कि दुबारा आवंटित नहीं की गई। इस भूमि को स्थाई रूप से आवंटन करने का इरादा नहीं है कारण कि नदी अपना बहाव कब बदल ले।

(३) राज्य सरकार इस बारे में कोई आदेश जारी करने का विचार नहीं रखती। जिलाधीश द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बकानी, जिला झालावाड़ के डाक्टर के विरुद्ध जांच

८१४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बकानी, जिला झालावाड़ के डा. चौधरी के खिलाफ विभाग द्वारा मरीजों की खुराक के गलत बिल बना कर रकम प्राप्त करने की जांच की गई है ? अगर हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

कम्पाउन्डर बकानी पी. एच. सी. जिला झालावाड़ द्वारा इस प्रकार की शिकायत ७-३-६७ को विभाग में भेजी गई थी जिस पर विभागीय जांच के आदेश दिनांक २१-३-१९६७ को दिये जा चुके हैं अन्तिम जांच रिपोर्ट का इन्तजार है।

ग्राम राजनोता में बिजली

८१५. श्री श्रीराम रावत (कोटपुतली): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम राजनोता तहसील कोटपूतली को सन् ६४-६५ में विद्युतिकरण योजना में सम्मिलित किया गया था ? अगर हां, तो क्या कारण है कि अब तक उक्त ग्राम में विद्युत लाइन तक नहीं गई है ?

(२) पावटा ग्राम में विद्युत् लाइन का कब काम शुरू किया गया था और कब समाप्त किया गया एवं कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ?

(३) क्या यह सही है कि पावटा ग्राम में विद्युतिकरण के पिछे राजनैतिक कारण रहे हैं ?

उत्तर

(१) सन् १९६५-६६ के स्थानीय वितरण योजना में शामिल किया गया था, यह कार्य प्रगति पर है ।

(२) अब तक बनने वाली किसी भी योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(३) जी नहीं ।

स्थगित प्रश्न

(८-६-६७)

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य

३२२. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर जिले में वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) बाड़मेर जिले में इस वित्तीय वर्ष में अकाल राहत कार्यों में कितनी सड़कें शुरू की गई थी ?

(३) हर सड़क पर कितने कितने अकाल पीड़ितों को कार्य दिया गया ? और अब तक उपरोक्त सड़कों के पूर्ण हो जाने के कारण कितनी सड़कों पर कार्य बन्द करा दिया है ?

(४) सड़कों पर कार्य बन्द कर दिये जाने व नया कार्य नहीं खोलने के कारण कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं ?

(५) क्या सरकार इन बेकार हुए अकाल पीड़ितों को कोई नया राहत कार्य खोल कर काम पर लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) वर्ष ६६-६७ में जिला बाड़मेर में राहत कार्यों पर कुल ६९०७४६८ रु० व्यय किया गया, जिनमें से ६७,६८,६१९ रु० सड़क कार्यों पर एवं १,३८,८४९ रु० भूसरक्षण कार्यों पर व्यय किया गया ।

(२)-३ वर्ष ६६-६७ में कुल २२ सड़कों को अकाल राहत कार्यों के रूप में चालू

(श्री अकाल सहायता मन्त्री)

किया गया, था। जिनकी सूची साथ संलग्न है, जो सदन की मेज पर रखी गई। इनमें से प्रत्येक सड़क पर प्रतिदिन जितने व्यक्तियों को मजदूरी दी गई उनकी संख्या एवं जो जो सड़क-कार्य बन्द किये जा चुके हैं प्रत्येक सड़क के सामने सूची में अंकित कर दिया गया है।

(४) सूची में अंकित सड़कों के बन्द हो जाने के कारण ६०,२२४ मजदूर कार्य मुक्त हुए इसमें से जो कार्य वर्षा होने के कारण बन्द किये गये उन पर ४३४५ मजदूर कार्य कर रहे थे, जिन्हें वर्षाकालीन समय में नये कार्यों पर लगाये जाना सम्भव नही हो सका। ५५,८७९ मजदूर में से जो कार्य पूर्ण हो जाने के कारण बेकार हुए २९,५०० मजदूरों को नये राहत कार्यों एवं परियोजना सड़कों पर कार्य दिया गया। शेष रहे मजदूरों को नये कार्यों पर नहीं लगाया जा सका।

(५) सड़क कार्य बन्द हो जाने के कारण जो मजदूर बेकार हुए उनमें से कितने मजदूरों को कार्य पर नही लगाया जा सका उन्हे नये कार्यों पर लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस जिले में जो उत्पादन कार्य चालू किये जा रहे हैं, उन पर ६ हजार व्यक्तियों को कार्य दिया जायेगा। सहायता कार्यों के रूप में नयी सड़कें भी स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिन्हे भी शीघ्र ही चालू कराया जायेगा।

सूची सड़क कार्यों की

सड़क का नाम १	प्रतिदिन मजदूरों की संख्या २	कार्य की स्थिति ३
१—कानोड़यऊण्डू	१४२२	कार्य पूर्ण
२—हरणासी—गिराब—सुन्दरा	९८०	
३—रामसर—चोहटन	१८०००	कार्य पूर्ण
४—हरण सी झिन्झनियाली	५६५	,,
५-शिव—खुरा—खिहाणी	२१३२	भूकार्य पूर्ण मुरड़ कार्य चालू
६—धनाऊ मणिया—चोरीमना	११०००	पूर्ण ,,
७—कानौड़—तिलवाड़ा	२८८९	,, ,,

१	२	३
८-बालोतरा बानियाना	७७२	भू कार्य वर्षा होने से बन्द
९-कानोड़-पचपदरा	६०	,, ,, ,,
१०-ग्रासोतरा-मेली	९७	
११-माण्डपुरा-बलाऊ जाटी	१५१७	भू कार्य वर्षा वर्षा होने से बन्द
१२-गवालनाडा-डोली	७१७	,, ,, ,,
१३-सिवाना-इन्द्राण	१३३९	,, ,, ,,
१४-बाड़मेर-बाटाडू-कानोडा	९५४०	
१५-गढरारोड़-सून्दरा	१७३५	
१६-लोहारवा-गुडा	५१०६	भू कार्य पूर्ण मुरड कार्य चालू
१७-सेडवा-वाखासर	११०००	,, ,, ,,
१८-सिणधरी-वायतू	३८९८	
१९-सिणधरी-नोखड़ा	२९८४	
२०-बालोतरा-समदडी	१२६४	
२१-दुगेरों का तला-बुडाला	६०३१	
२२-गिडा फलसून्ड	३७०५	भू कार्य पूर्ण, मुरड कार्य चालू

——

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT CF RAJASTHAN
REVENUE (C) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. F. 6 (56) Rev/C/II/65. In exercise of the powers conferred by section 20A, read with section 16, of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act 15 of 1956), and in supersession of this department notification No. F. 6 (56) Rev/C/II/65 dated the 25th May, 1967, the State Government hereby empower the Revenue Appellate Authority, Udaipur, to hear and dispose of appeals, revisions and references in revenue judicial cases and other matters specifically provided for by law and lying undecided upto the end of May, 1967, pertaining to the districts of Ajmer and Tonk.

The State Government further direct that the Revenue Appellate Authority, Udaipur, shall, for the exercise of his jurisdiction and for the performance of his duties in the matter of disposal of the aforesaid pending cases pertaining to Ajmer and Tonk districts, sit at Jaipur for 10 days in every month.

By order of the Governor,

Secretary to the Government.

Copy forwarded to the:—

1. Rajasthan Rajpatra for issue in next issue of Rajasthan.
2. Registrar, Board of Revenue Rajasthan, Ajmer.
3. Revenue Appellate Authority Udaipur, Jaipur, Kota and Bikaner.
4. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
5. Apptts. (A-IV) Department for information.

Asstt. Secretary to Govt.

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ का उत्तर देखिये)

का प्रश्न इस कार्यालय में पहिले प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। कस्बा पहाड़ी और जुरहरा के पास पड़ोस के किसानों की मांग मय विवरण निम्न प्रकार है :—

कस्बा पहाड़ी :— इस कस्बे में कृषि के लिए कोई मांग पत्र पेंडिंग नहीं है अब तक कृषि कार्य के लिए चार कृषकों को बिजली दी जा चुकी है।

कस्बा जुरहरा

क्र० सं०	नाम व पता	होर्स पावर	दिनांक प्राप्ति	सर्वे के	भेजा डिमांड	नोटिस दिया विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री आग्याराम जुरहरा	१०. कृषि	७-७-६६	१२-७-६६	१६-११-६६	पैसे जमा कराये 'एल' फार्म नहीं दिया
२.	श्री जगन्नाथ प्रसाद ,,	१० कृषि	७-७-६६	१२-७-६६	२६-११-६६	,,
३.	श्री मानचन्द ,,	७.५ कृषि	७-७-६६	१२-७-६६	२६-११-६६	पैसे जमा नहीं कराये

१	२	३	४	५	६	७
४.	श्री खेमचन्द ,,	७.५ कृषि	१०-११-६६	१७-११-६६	२८-१२-६६	पैसे जमा नहीं कराये
५.	श्री खेमचन्द	५ कृषि	६-१२-६६	१२-१२-६६	३१-५-६७	,,
६.	श्री रामजीलाल	१० कृषि	१४-४-६७	१७-४-६७		डिमांड नोटिस नहीं दिया
७.	श्री प्रभुदयाल	१० कृषि	१८-५-६७	२३-५-६७		,, ,, ,, ,,
८.	श्री हरिश्चन्द्र	५ कृषि	१८-५-६७	अर्जियें सर्वे के लिए भेजी जा चुकी है।		
९.	श्री गुलदासमल	१० कृषि	१८-५-६७		—००—	
१०.	श्री गोस्वामी ईशदास	५ कृषि	१८-५-६७		—००—	
११.	श्री कामचन्द	५ कृषि	१६-६-६७			

परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४ का उत्तर देखिये)

क्षेत्रफल (एकड़ों में)

कृषि योग्य भूमि

नाम जिला	कृषि योग्य भूमि	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि जिसमें खेती नहीं हुई।	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
	क	ख	ग	घ	च
अजमेर	१४,३२,४४७	८,७०,६४४	५,६१,८०३	१,८६,८६०	६,८३,७५४
अलवर	१३,२४,३७०	१२,०१,३७६	१,२२,६६१	१,८१,०१४	१०,२०,३६५
बांसवाड़ा	७,२७,०७८	४,६६,०२७	२,६१,०५१	१५,१६८	४,५०,८२६
बाड़मेर	५६,१६,८३३	३४,०७,०६३	२५,०६,७४०	२०,२८३	३३,८६,८१०
भरतपुर	१४,१४,८२५	१२,७३,४७४	१,४१,३५१	३,७२,४६८	६,०१,००६
भीलवाड़ा	१८,०२,७०२	६,२६,४६१	११,७३,२१४	२,६१,८८४	३,६७,६०७

	क	ख	ग	घ	च
बीकानेर	६३,७३,६४४	१४,०३,२११	४६,७०,४३३	१३७	१४,०३,०७४
बून्दी	७,०२,१९८	५,२२,०५७	१.८०,१४१	१,६०,१८७	३,६१,८७०
चित्तौड़गढ़	१६,९२,१०२	७,६०,८०९	६,३१,२९३	१,८८,२७२	५,७२,५३७
चूरू	३८,७४,७७४	२७,२७,०९९	११,४७,६७५	३९४	२७,२६,७०५
डूंगरपुर	३,८६,२०९	२,७२,४९३	१.१६,७१६	२३,८३२	२,४८,६६१
गंगानगर	४८,७०,७८९	२६,९८,३२६	२१,७२,४६३	६,८४,७११	१७,१३,६१५
जयपुर	२६,२०,९८१	१८,०३,२२९	८,१७,७५२	४,६६,३५१	१३,३३,८७८
जैसलमेर	५२,००,६०३	४,७४,८१०	४७,२५,७९३	६९८	४,७४,११२
जालौर	२१,५८,२७६	१६,५४,५२४	५,०३,७५२	१,१४,३९२	१५,४०,१३२
झालावाड़	१०,१६,३६१	६,८७,८९९	३,२८,४६२	५७,५८४	६,३०,३१५
झुंझनूं	११,८३,९८७	१०,९७,५१४	८६,४७३	३४,८६२	१०,६२,६५२

	क	ख	ग	घ	च
जोधपुर	४७,१०,६१५	२८,४४,८२८	१८,६५,७८७	५४,६३७	२७,८६,८६१
कोटा	१८,७०,३८३	१३,६३,८३४	५,०६,५४६	१,७६,४५४	११,८४,३८०
नागौर	३६,६५,८४३	२८,३३,१६२	६,६२,६५१	३८,६२२	२७,६४,५३०
पाली	२२,४४,४८१	१४,१२,४०६	८,३२,०७२	२,५१,३३४	११,६१,०७५
सवाई माधोपुर	१४,४०,२६८	१०,८७,२६७	३,५२,६७१	१,६३,६२१	८,६३,६७६
सीकर	१५,६०,८६६	१३,१५,४७०	२,४५,४२६	६१,१६२	१२,२४,२७८
सिरोही	६,१२,७४१	४,११,४६५	२,०१,२४६	६६,२८६	३,१३,२०६
टोंक	१३,६५,८३२	६,४७,६१७	४,४८,२१५	१,२५,१२४	८,२२,४६३
उदयपुर	१६,४१,७०३	७,५३,८८३	८,८७,८२०	२,२८,४१६	५,२५,४६७
योग	६,१६,७३,६४४	३,४६,२०,१०४	२,७०,५३,८४०	४३,३१,१४३	३,०५,८८,६६१

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७ का उत्तर देखिये)

ग्रामवार सूची जहां जहां भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन की गई है।

तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, दिनांक २६-११-६६ से २६-५-६७।

क० सं० १	नाम ग्राम २	आवंटन रकबा ३	विशेष विवरण ४
१.	बूठ	६६४०।।।)१	
२.	बावड़ी	१४२५७।)३	
३.	देदूसर	१६२४८।।)२	
४.	मते का तला	३७६५)२	
५.	राठोड़ों का तला	६७।।)३	
६.	रमजान की गफन	१६७६।।)३	
७.	मिठखउ	३२२५)१	
८.	सरूप का तला	२६८१।।।)	
९.	मियां का तला	६३६)४	
१०.	अदरीमका तला	३७०।)	
११.	मीठे का तला	८७२)४	
१२.	बीजासर	४३५३।।)२	
१३.	तमाची की गफन	४७।।)१	
१४.	सादुल की गफन	२८७)	
१५.	अरबी की गफन	२२०७।)४	

१	२	३	४
१६.	भीलों का तला	३९२१)२	
१७.	कलरों का तला	३४५१)	
१८.	तारातरा	१९२)	
१९.	गमाने का तला	२५७८)३	
२०.	नैवा तला जेत	६८५६)४	
२१.	माडा गुलमोहम्मद	२८६५॥)४	
२२.	रासबानी	३२६॥)	
२३.	कैलनोर	१९६४।)२	
२४.	लाड़ीपाला	३३९२)	
२५.	सोमाला	१५०)	
२६.	उदसीपार	२४०।)२	
२७.	आलमसर	८७॥)१	
२८.	रबासर	३०९।)४	
२९.	हेतम का तला	११७।)२	
३०.	रतासर	३७४॥)२	
३१.	जसार	९५६)	
३२.	बिजराड	७३८।)३	
३३.	भेजीरूफ	२७९५)४	
३४.	जानपालिया	२३००)२	

१	२	३	४
३५.	दोपाला	२९७४।)१	
३६.	सोमराड	३२४८)२	
३७.	भूणिया	९५७।)४	
३८.	कितनोरिया	४०५)२	
३९.	नवातला	४३४।)३	

———

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये और वापिस आकर अपनी उज्रदारी पेश की ।

क्र. सं.	नाम गैरसायल	भूमि खसरा नं०	भूमि रकबा	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१.	श्री हिन्दाल वल्द जलाल मुसलमान सा० रमजान की गफन	५६	६३।।)१	उज्रदारी पेश करने के बाद पुनः पाकिस्तान चला गया इसकी भूमि खालसा की गई ।
२.	श्री अलादीन वल्द हुसेन मुसलमान देदुसर	४३३	२१४।।)२	कार्यवाही जेरतजवीज है ।
३.	श्री एलमा पत्नि हुसैन मु० देदुसर	२२१ २६६	४३।।।) ३१।।।)२	,, ,,
४.	श्री हुसैन वल्द हेबत मु० देदुसर	२६२	२२६।।)	,,
५.	श्री रमदान मलेना अम्मीन वायदेना वल्द बचाया मुसलमान जानपालिया	११४,१२६ १०७	७३।।),३०।),८१।।)१	,,
६.	श्री बच्चु वल्द मीरू, जलाल वल्द बचु, सलीम वल्द मलूक, खुशाला वल्द मलूक	१५२,१६२ १५०,१८६	२७८)२, ४३८।।), २७।)१, २)२	,,
७.	श्री इमाम वल्द सोमा, सुमार वल्द अजीम सा० देदुसर	१८	६।।)	,,
८.	श्री अदरूफ ताजू वल्द सफी			

१	२	३	४	५
	मु० गोहड का तला	१२५	५५।।)३	,,
९.	श्री अहमद वल्द साहमीर मु० जालीला	९८,१३१	२७)१, १३४)२	,,
१०.	श्री सदीक वल्द ओसाना मु० जालीला	४६,६२	३०)३ १५६।)१	,,
११.	श्री चाकर वल्द जगा मु० सैलाऊ	३६,४५	४५)२	,,
१२.	श्री हासम वल्द मेहरण मु० दुधवा	२७७	५३)२	,,
१३.	श्री अजमी वल्द मुराद मु० कुसारों का टीबा	२७,३४ } २९	३०।)३, ३)१ ।।)१	अदमपैरवी उज्रदारी खारिज की गई भूमि खालसा की गई।
१४.	श्री परची वल्द सुहारा मु० बीसासर	६२	११६।।)	,,
१५.	श्री वलीमोहम्मद वल्द संगारा मु० गोहड का तला	११२	७४)४	,,
१६.	श्री हाकम अहमद वल्द मारखां मुसलमान कुमारों का तला	११,१५ २८।३	२०।)२, १।।) १३।।)१	,,
१७.	श्री सुमार वल्द अलफ मुसल० हुसैन का तला	३५	३२।)३	कार्यवाही जेरतजबीज है।
१८.	श्री आदम वल्द नागोदर मु० गुमाने का तला	८४	६३।।)२	,,

१	२	३	४	५
१६.	श्री शौकतअली वल्द बुरबान सावा	२५४	४१।)४	जिलाधीश कार्यालय में जेरतजबीज ।
२०.	श्री जानबअली वल्द दाबूद सा० सांवा	२५५,२६०, १६६,१७१, १८३	४१।)४ २८७)२	,,

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिये)

सूची देहात तहसील बयाना जो २२-३-६७ की ओला वृष्टि से प्रभावित हुए तथा उनमें फसल को होने वाली क्षति

क्र० सं०	नाम ग्राम	नुकसान आनों में रुपया	आना	पाई
१	२		३	
१	न० प्रोहित	–	११	३
२	न० निरमान	–	६	–
३	खटनावली	–	६	–
४	दहगांव	–	६	–
५	सिघनिया	–	१३	–
६	मागरेन कला	–	१०	–
७	गबनुआ	–	६	–
८	महमदपुरा	–	३	–
९	ककलपुरा	–	८	–
१०	वस्त्रापली	–	११	–
११	पाली डांग	–	२	–
१२	गोठरा	१	–	–
१३	पुरावाई खेड़ा	–	३	३
१४	ब्रह्मबाद	–	१२	३
१५	हरनगर	–	४	६

Page No. 186

१	२		३	
१६	न० चिम्मन	—	७	—
१७	न० छीतरिया	—	१२	६
१८	न० तिरखा	—	१२	६
१६	न० रूपराम	—	६	६
२०	न० स्योलाल	—	११	६
२१	न० किसन वल्लभ	—	१०	—
२२	न० खटका	१	—	—
२३	कोठी खेड़ा	१	—	—
२४	सिंघाड़ा	—	३	६
२५	नया गांव कलां	—	११	—
२६	कनावर	—	३	६
२७	मगोरा	—	५	—
२८	पिड्यारी	—	११	—
२६	चक पिड्यारी	—	६	६
३०	न० कावरा	—	३	३
३१	सीदपुर	—	८	६
३२	नारोली	—	२	६
३३	मुरकी	—	१०	—

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक १३ जुलाई, १९६७)

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१८	२०	मैंयूफेक्चर	मैन्यूफेक्चर
२५	६	जसलमेर	जैसलमेर
२६	६	मजूर	मन्जूर
३५	१४	पे पैथेडिनं	पैथेडिन
३६	३	मन्टैन ,	मेन्टेन
४६	११	मेजिल्टेरियल	मेजिस्टेरियल
५०	अंतिम से ४	कैस की	केस की
६३	,, ३	एम० कराई	एम० द्वारा कराई
६७	५	दृप्टिकोण	दृष्टिकोण
६७	७	तुरन्न	तुरन्त
६८	शीर्षक	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
६८	६	लांस	लॉस
७१	१३	निय-	निय-
७४	अंतिम से ४	क खिलाफ	के खिलाफ
७६	शीर्षक	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
७६	१५	बांध का टेका	बांध का ठेका
७६	१८	जानकरी	जानकारी

१	२	३	४
८१	अग्रिम	आवर वेस्ट	अवार वेस्ट
८४	८	भुगनान	भुगतान
६३	७	जमामत	जमानत
६३	११	पजीबद्ध	पंजीबद्ध
६४	७	हिदायद	हिदायत
६४	१३ व २२	३।७	३१७
६५	अंतिम से ५ व १४	कैस	केस
६६	अंतिम से ६	सम्वन्घ	सम्बन्घ
१०७	१	प्रथान	प्रघान
११०	अंतिम से २	(१) मुलजिम बृहमदत्त	मुल्जिम ब्रह्मदत्त
११२	१६	आपान	ओपन
११६	अंतिम से ५	शीध्र	शीघ्र
११८	१७	श्री मजलिस खं	४४२. श्री मजलिस खां
१२१	अंतिम से ६	श्री हंसराज आर्यं	श्री हंसराज आर्य
१२६	१६	(१) बया बास	(१) नया बास
१२७	अंतिम से २	प्रोयरिटी	प्रायोरिटी
१३३	७	बंघगा लाखेडा	बंघ गालाखेड़ा
१३५	८	कुरा	कृपा
१३८	१६	प्रारस्म	प्रारम्भ
१४४	अंतिम से ११	नियमनुासार	नियमानुसार

१	२	३	४
१४५	१३	करसे	करने
१४८	१६	(श्री गंगागगर)	(श्री गंगानगर)
१४६	११	जगारें	जागीरें
१४६ व १५०	१४	उसादन	उत्सादन
१५०	अंतिम	श्री हरजीराग	श्री हरजीराम
१५३	अंतिम से ३	भूतवर्व	भूतपूर्व
१५५	अंतिम से ६	नामान्तकरण	नामान्तरकरण
१५६	१४	कब्जे से	कब्जे में
१६१	अंतिम से ६	क्षत्र	क्षेत्र
१६६	४	एप्रूक	एप्रूव
१६६	६	भूगि	भूमि
१६८	अंतिम से १०	सड़त	सड़क
१६६	शीर्ष	(राजस्व मंत्री)	(श्री हरजीराम बुरड़क)
१७३	१	पुर्नवास	पुनर्वास
१७३	७	पुरुषार्थी	पुरुषार्थी
१७५	१०	सदस्द	सदस्य
१८०	१०	(जौहर	(जौहरी
१८१	८	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
१८३	अंतिम से ६	म मले	मामले
१८६	११	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह

४

१		३	४
१९०	१	सन्तीप	सन्तोष
१९०	२	दुर्भाप्य	दुर्भाग्य
१९७	अंतिम से ४	जार्जेज	चार्जेज
१९८	१	पिलानी कों	पिलानी को
१९९	१३	उदगपुर	उदयपुर
२०४	३	में भी	में भी
२०७ से			
२३९	शीर्षक	वाणिज्य औद्योगिक	वाणिज्यिक औद्योगिक तथा
२०९ से	अंतिम से ७	शहर	शहरी
२१०	३	पूंजी कहा	पूंजी कहा
२१९	अंतिम से ९	दुकानें	दुकानें
२५९	अंतिम से ७	लगू	लागू
२६२	११	encroaeh	encroach
२६२	१५	aud	and
२६४	१४	समापित	समापत्ति
२६८	११	expounding	expanding
२६८	अंतिम से ९	entited	entitled
२७०	अंतिम से ३	साहू/जन	साहू/जैन
२७२	अंतिम	तखमाना	तखमीना
२७३	अंतिम से १०	एस्टमेट	एस्टीमेट

१	२	३	४
२७५	१	फक्ट्स	फेक्ट्स
२७५	१६	अपटु/थ्री	अप-टू-थ्री
२७७	१	चण्डावत	चूण्डावत
२७६	४	ट्रान्सर	ट्रान्सफर
२७६	अंतिम से २	इनफर्मिशन	इन्फार्मेशन
२८३	अंतिम से १०	(श्री पूनमचन्ध	(श्री पूनमचन्द
२८७	१५	अर्डर	आर्डर
२६३	१८	उत्पादन	उत्पादन
२६८	१	अफिकार	अधिकार
३०५ से ३१७	शीर्षक	वाणिज्यिक तथा औद्योगिक	वाणिज्यिक औद्योगिक तथा
३१४	अंतिम से ११	य	यह
३१७	अंतिम से ६	श्रीमती कान्ता खतूरिया	श्रीमती कान्ता कथूरिया
३१८	४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
३२५	१५	कोर्यो के	कार्यों के
२६	१२ व	शीघ्र	शीघ्र
	अंतिम से २		
४	अंतिम से २	(२)-३	(२-३)
६	अंतिम से ३	भुरड़	मुरड़
७	४	वर्पा	बर्षा
८	१७	performancc	performance